दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मणिपुर मामलों की जाँच में सक्रिय रूप से शामिल हो NHRC 11
- कावेरी प्राधिकरण ने कर्नाटक को पानी छोड़ने के निर्देश दिये 11
- जनगणना 2021 के आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किये जाएंगे 12
- गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड शीर्ष परिषद से संपर्क करेगा 13
- छात्रों के लिये अन्नपूर्णा दूध योजना शिक्षकों की एक नई ज़िम्मेदारी 13
- भारत के योग और आयुर्वेद के कारण अमेरिकी पर्यटकों में वृद्धि 14
- वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिये भारत का 5-प्वाइंट फॉर्मूला 15
- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों का चयन करने के लिये यूपीएससी से परामर्श लेने के आदेश दिये 15
- संविधान पीठ ने कहा उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की "सहायता और सलाह" मानने को बाध्य 16
- तमिलनाडु ने निजी स्कूलों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम को पारित किया 17
- योग ने जुए और खेलों में सट्टे को अनुमति देने की सिफारिश की 17
- प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास की परियोजना को मिली मंज़ूरी 19
- आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं 19
- जब तक सुप्रीम कोर्ट नियम तय नहीं करती तब तक कार्मिक विभाग दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी : केंद्र 20
- सीजेआई ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' 21
- स्वच्छ भारत मिशन को तीव्रता देने हेतु करें रथ यात्रा का प्रयोग 21
- क्या लोकसभा, राज्यसभा की तरह सुप्रीम कोर्ट का भी हो चैनल? 22
- क्यों विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) गेमिंग को विकार के रूप में शामिल करना चाहता है? 23
- केंद्र ने प्रतिष्ठा (prestige) सूची के संस्थानों के नाम ज़ारी किये 24
- ओडिशा में हैं सबसे अधिक नॉन-परफॉर्मिंग NGOs: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 25
- परियोजनाओं के विकास के लिये तमिलनाडु सरकार की लैंड पूलिंग योजना 25
- साथी का चयन व्यक्ति का मौलिक अधिकार है 26
- नगालैंड भाषायी दृष्टिकोण से सबसे विविधतापूर्ण राज्य 26
- राज्यसभा में स्वत: प्रवृत्त (automatic) निलंबन के लिये पैनल 27
- WHO ने सरकार से नैदानिक परीक्षण नियम सख्त बनाने को कहा 28
- अमेरिकी प्रतिबंध तथा नॉर्ड स्ट्रीम 29
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ 30

नोट :

- व्यभिचार एक दंडनीय अपराध बना रहना चाहिये : केंद्र 32
- आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिये आधार आवश्यक नहीं 32
- राज्यसभा उपसभापति के चुनाव के लिये मतदान में देरी मानदंडों के खिलाफ 33
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के सोशल मीडिया हब को सर्विलांस स्टेट जैसा बताया 34
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018' का शुभारंभ किया 34
- राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा फिर अटका 35
- ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये बड़े कदम उठाए गए 36
- ई-मेडिकल रिकॉर्ड को अपनाने में बुनियादी बाधाएँ 37
- ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये बड़े कदम उठाए गए 38
- ई-मेडिकल रिकॉर्ड को अपनाने में बुनियादी बाधाएँ 39
- माब लिंचिंग पर कानून बनाए सरकार : सुप्रीम कोर्ट 40
- ओडिशा में परियोजना पीड़ितों से मिले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिनिधि 41
- लड़कियों को शिक्षित करने से भारत के स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हो सकते हैं 42
- नो-डिटेंशन पॉलिसी समाप्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित 43
- गोद लेने के लिये अब नहीं जाना होगा अदालत 44
- भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी गति 44
- बाल संरक्षण विवादों को हल करने के लिये नया प्रकोष्ठ 45
- सबसे अच्छे शासित प्रदेशों की सूची में केरल शीर्ष पर 45
- एनआरसी लिस्ट से बाहर होना विदेशी होने की घोषणा नहीं : गृह मंत्रालय 46
- आदिवासी एटलस 47
- मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन 47
- चेक बाउंस मामलों में त्वरित अभियोजन संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित 48
- भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंज़ूरी 48
- लोकपाल की नियुक्ति पर सरकार का रुख 'पूर्णत: असंतोषजनक' 49
- नागरिकों के महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखें : मसौदा विधेयक 50
- बलात्कार के मामलों के विचारण के लिये 1,023 विशेष अदालतों की ज़रूरत 52
- राज्यों को मिलना चाहिये कर छूट में संदेह का लाभ: सुप्रीम कोर्ट 53
- आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 लोकसभा में पारित 53
- शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत 55

आर्थिक घटनाक्रम 56

- कर विभाग ने 'तत्काल' पैन कार्ड सेवा शुरू की 56
- FDI वृद्धि 5 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 56
- भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि 57
- प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 10 महीनों के निम्नतम स्तर पर 58
- एनपीए की समस्या से निपटने के लिये परियोजना 'सशक्त' 59

नोट :

- सार्क विकास निधि (SDF) क्षेत्रीय विकास बैंक बनने की राह पर 60
- अगले वित्तीय वर्ष में होगा जीडीपी तथा सीपीआई डाटा के आधार वर्ष में परिवर्तन 60
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक लेखा परीक्षकों से संबंधित मानदंडों को किया सख्त 61
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के विस्तार को मिली मंज़ूरी, नाबार्ड तय करेगा राशि 61
- खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि : धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक 62
- भारत को कृषि क्षेत्र में नए साहसिक कदम उठाने की जरुरत : रिपोर्ट 63
- तेल की कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सबसे बड़ा खतरा 64
- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तेज़ी लाएगा 'इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट' 64
- ICAT ने ज़ारी किया पहला BS-VI इंजन प्रमाणपत्र 65
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी : भारतीय रिज़र्व बैंक 66
- दूरसंचार कंपनियों द्वारा ट्राई (TRAI) के सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का विरोध 67
- करेंसी डेरिवेटिव (currency derivatives) को जानें 67
- जी-20 देशों ने पिछले सात महीनों में लागू किये 39 नए व्यापार-प्रतिबंधक उपाय 68
- फ्राँस को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 69
- भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से आयातित तेल में कटौती की 70
- राज्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति : रिज़र्व बैंक ने जताई चिंता 71
- खुदरा महँगाई दर में हुई वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन हुआ धीमा 72
- शेयर ब्रोकर ग्राहकों से नहीं ले सकते नकदी : सेबी (SEBI) 73
- राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन, 2018 74
- तेलंगाना में किसानों के प्रत्येक एकड़ के 4,000 रुपए की सहायता किस प्रकार की जाएगी? 74
- कंपनी अधिनियम, 2013 : दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिये 10 सदस्यीय समिति का गठन 76
- DBT के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश 76
- कृषि ऋण में छूट के कारण हो रहा ग्रामीण विकास : रिपोर्ट 77
- क्रिप्टो विनिमय का नवीनतम तरीका 78
- भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विकास दर अनुमान के मायने 79
- 50 से अधिक वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क हुआ दोगुना 80
- महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिचांई परियोजनाओं के लिये विशेष पैकेज को मिली मंज़ूरी 81
- पूर्व NELP तथा NELP नीतियों को युक्तिसंगत बनाने की मिली मंज़ूरी 82
- सरकार ने FRDI विधेयक को वापिस लेने का लिया फैसला : बैंकों में जमा पैसा रहेगा सुरक्षित 83
- FRDI विधेयक की विफलता : नीति-निर्माण में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता 84
- चीन को पीछे छोड़ भारत बना रहेगा दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था : एशियाई विकास बैंक 85
- कमज़ोर होता रुपया भारतीय निर्यातकों की चिंता का कारण क्यों है? 86
- वाटरशेड विकास परियोजनाएँ क्यों पिछड़ रही हैं? 87
- शोधन अक्षमता से जुड़े सीमा-पार मापदंडों के लिये संयुक्त राष्ट्र मॉडल अपनाने पर विचार 88
- GDP के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत : रिपोर्ट 88

नोट :

- कर्नाटक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 300% की वृद्धि 89
- FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे पहुँचा 89
- कार्बन करों को कम करने की आवश्यकता : नीति आयोग 90
- इन्वेस्ट इंडिया और बिज़नेस फ्राँस निवेश वृद्धि हेतु सहमत 91
- आईपीओ की नीलामी में यूपीआई के उपयोग का प्रस्ताव 92
- इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लॉन्च 92
- चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की अनुमति संबंधी अधिसूचना जारी 93
- विकास परियोजनाएँ बाघ अधिवासों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं 93
- फास्टैग 94
- स्वर्ण आभूषण निर्यातकों की मदद के लिये गोल्ड काउंसिल 95

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **96**

- पोषण अभियान' को बढ़ावा देने के लिये 'टेक-थॉन' का आयोजन 96
- हिंद महासागर क्षेत्र में नरम कूटनीति अपनाना भारत के लिये बेहतर 97
- कैलिफोर्निया ने ऑनलाइन प्राइवेसी की रक्षा के लिये स्वीपिंग कानून पारित किया 98
- इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस 99
- एशिया-प्रशांत समझौते के तहत भारत ने सदस्य देशों को दी शुल्क संबंधी छूट 99
- पहली बार कोआला भालू के जीनोम का अनुक्रमण 100
- विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन 100
- भारत, अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में सुधार की संभावना 102
- भारत करेगा माताला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन 102
- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को 10 साल की जेल 103
- अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य असेंबली में स्तनपान संबंधी संकल्प को रोकने की कोशिश 104
- भारत के प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया (south korea) के राष्ट्रपति ने नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल उत्पादन यूनिट का किया उद्घाटन 104
- अमरीका और रूस का पहला शिखर सम्मेलन:संभावित चर्चाएँ 105
- भारत 'विशेष विशेषाधिकार' (special privileges) खो देगा: ईरानी राजनयिक 106
- भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य व्यापार ढाँचे में सुधार पर सहमति 107
- स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) तथा शहरी नियोजन योजना (TPS) 107
- स्मार्ट सिटिज़ फेलोशिप (ISCF) तथा इंडिया स्मार्ट सिटिज़ इंटर्नशिप (ISCI) कार्यक्रम 109
- नाटो में सदस्य देश अपनी जीडीपी के 4% का योगदान करें:ट्रंप 109
- अमेरिकी प्रतिबंध तथा नॉर्ड स्ट्रीम 2 110
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले शहरों के लिये 'स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018' 112
- भारत ने डब्ल्यूटीओ में बीजिंग से माँस, फार्मा और आईटी उत्पादों के निर्यात के लिये बाधाओं को कम करने को कहा 113
- बांग्लादेश के नागरिकों के लिये वीज़ा प्रतिबंधों में छूट की संभावना 113
- अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का चयन करने के लिये सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) चैलेंज 114

नोट :

- अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरानी बैंक को भारत में शाखा खोलने के लिये मिली मंज़ूरी 114
- भारत तथा दक्षिण अफ्रीका ने WTO से की ई-कॉमर्स नियमों की पुन: जाँच की मांग 115
- भारत तथा दक्षिण अफ्रीका ने WTO से की ई-कॉमर्स नियमों की पुन: जाँच की मांग 116
- यूरोपीय संघ तथा जापान ने किये मुक्त-व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 117
- पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन नाटो की बैठक से बेहतर था: ट्रंप 117
- आतंकवाद से सुरक्षा तथा विमानन क्षेत्र के लिये भारत और अमेरिका ने सहयोग बढ़ाया 118
- दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संधि समाप्त करने का आग्रह 119
- ब्रिक्स न्यूज़ पोर्टल जल्द 120
- भारत-श्रीलंका संयुक्त उद्यम को विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतज़ार 120
- भारत पर RCEP समझौते के लिये तैयार होने का दबाव 121
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी यात्रा के एजेंडे 122
- 2+2 वार्ता की मेज़बानी करेगा भारत 123
- छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम 124
- 20 वर्षीय अफ्रीकी युद्ध का अंत 125
- भारत के लिये ईरान दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश 126
- चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर चर्चा 126
- अमेरिका और यूरोपीय संघ व्यापार तनाव को कम करने के लिये सहमत हुए 127
- मिशन सत्यनिष्ठा 128
- महिला रोज़गार दर 128
- अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरानी बैंक को भारत में शाखा खोलने के लिये मिली मंज़ूरी 129

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **131**

- बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन 131
- अनंतपुरुमू सौर पार्क में 100 मेगावाट सौर क्षमता का संचालन 131
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को मंज़ूरी 132
- नैसकॉम का डेटा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये उत्कृष्टता केंद्र 133
- दवा विक्रेताओं द्वारा जेनेरिक दवाओं (generic medicines) का प्रदर्शन अनिवार्य 133
- नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को मिली मंज़ूरी, बनी रहेगी इंटरनेट की आज़ादी 134
- नोएडा की एक फर्म ने इसरो स्पेस मिशन के लिये ताप प्रतिरोधी फिल्म विकसित की 134
- डीएनए प्रोफाइल स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा 135
- एयरबस का तीन भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ समझौता 135
- इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) : भारत की ज़रूरत 136
- डिजिटल डेटा उपयोगकर्त्ता का अधिकार : ट्राई 137
- विकास इंजन: इसरो के रॉकेट्स को बढ़ावा देगा 138
- डिजिटल डेटा उपयोगकर्त्ता का अधिकार : ट्राई 138
- विकास इंजन: इसरो के रॉकेट्स को बढ़ावा देगा 139

नोट :

- इसरो 27 उपग्रहों के निर्माण के लिये तीन भागीदारों का सहयोग लेगा 140
- मेघालय युग : पृथ्वी के इतिहास में एक नया युग 140
- संस्थानों का राजस्व बढ़ाने के लिये 'किराए पर एक प्रयोगशाला' नीति 141
- कोयला ब्लॉकों का मूल्य निर्धारण करने के लिये सूचकांक 142
- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिये बैंक हुए सहमत 143
- नासा का सोलर प्रोब 144
- हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को मुफ्त एंटीवायरल देगी सरकार 144
- खगोलविदों ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को स्वीकारा 145
- हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिये नया मॉडल 146
- भारत बना फ्लैश फ्लड के पूर्वानुमान हेतु नोडल केंद्र 147
- बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन 147
- सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन की योजना 148

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **149**

- रिकवरी कार्यक्रम' में शामिल चार नई प्रजातियाँ 149
- पश्चिमी घाट एशिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल : लोनली प्लैनेट 150
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये नीति आयोग की 15 – सूत्रीय कार्य-योजना 150
- तापमान में वृद्धि होने से दक्षिण एशिया के लोगों पर अधिक खतरा 151
- अंडमान और निकोबार द्वीपों में मगरमच्छों के बढ़ते हमले 152
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण 30 फीट तक बढ़ सकता है समुद्र का औसत स्तर 153
- जलवायु परिवर्तन से अरब सागर क्षेत्र में 'मृत क्षेत्र' के विस्तार का भय 154
- गंगा वृक्षारोपण योजना 154
- हरिद्वार और उन्नाव के बीच गंगा का जल पीने व स्नान योग्य नहीं 155
- बंगाल में धान के खेतों में बढ़ रहा है आर्सेनिक संदूषण का स्तर 156
- हवाई यात्रियों के लिये डिजीयात्रा की शुरुआत जल्द ही 156

सामाजिक मुद्दे **158**

- मिजोरम में ब्रू समुदाय को मतदान का अधिकार मिलेगा 158
- परिवार की देखभाल के लिये बुज़ुर्गों को करना पड़ता है समझौता : अध्ययन 158
- धर्म के नाम पर मादा जननांग विघटन अभ्यास एक अपराध: सर्वोच्च न्यायालय 160
- उत्तर भारत में लड़के की चाह के जुनून में कोई बदलाव नहीं 160
- IPC की धारा 377 की संवैधानिकता पर केंद्र सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ा 161
- अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का चयन करने के लिये सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) चैलेंज 162
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के सोशल मीडिया हब को सर्विलांस स्टेट जैसा बताया 163
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018' का शुभारंभ किया 164
- राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन, 2018 165

नोट :

- नोएडा की एक फर्म ने इसरो स्पेस मिशन के लिये ताप प्रतिरोधी फिल्म विकसित की 165
- डीएनए प्रोफाइल स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा 166
- एप्पल ने लड़कियों की शिक्षा हेतु ब्राज़ील तथा भारत में मालाला फंड की गतिविधियों को बढ़ाया 166
- सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना महिलाओं का मौलिक अधिकार 167
- विमुक्त, खानाबदोश, अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिये आयोग के गठन को मंज़ूरी 168
- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध पितृसत्तात्मक सोच 169
- सरकारी योजनाओं में शामिल हों यौन पीड़ित बच्चे 169

आंतरिक सुरक्षा **171**

- आईएनएस सह्याद्री पर तैनात कर्मियों द्वारा योगाभ्यास 171
- सीमावर्ती जनसंख्या एक सामरिक संपदा : गृह मंत्रालय 171
- एनआईए को और अधिक शक्तियाँ दी जाएंगी : केंद्र 172
- घरेलू तकनीकी सुरक्षा फर्मों को खरीद में प्राथमिकता 173
- खराब मौसमी दशाओं के बीच ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 174
- खराब मौसमी दशाओं के बीच ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 174
- NSCN-IM के साथ सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर 175

विविध **176**

- एएमसीडीआरआर, 2018 (AMCDRR 2018) 176
- 37वाँ वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स भारत में 176
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष : एस. रमेश 177
- पानी से ईंधन बनाने का सस्ता तरीका 177
- दुनिया के पहले जानवरों ने दिया ग्लोबल वार्मिंग में योगदान 178
- एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर 178
- अमेज़न के सेरानिया डी चिरीबिकेटे राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 178
- तंजावुर पेंटिंग्स 179
- विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन 179
- जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सिस्टम का विकास 179
- भारत निर्वाचन आयोग ने किया 'सीविजिल' मोबाइल एप लॉन्च 179
- वाप्कोस का 50वाँ स्थापना दिवस 180
- भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान 180
- चीनी ताइपे 181
- माउंट अगुंग 181
- थम लुआंग नांग नो गुफा 181

नोट :

- अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण 181
- केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता 182
- विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 182
- सदमृदंगम' ('Sadmridangam') को प्राप्त हुआ पेटेंट 182
- अमेज़न के जंगलों में सात नई ततैया प्रजातियों की खोज की गई 183
- द ईट राइट मूवमेंट' 183
- राजस्थान और माइक्रोसॉफ्ट के बीच डिजिटल प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर 183
- भारत में 60% से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील 184
- RISE (आरआईएसई) 184
- एक नोवेल परीक्षण में 80% हानिकारक मच्छरों को मिटाया गया 184
- गूगल का लॉन्चपैड ऐक्सेलेरेटर 184
- राज्यसभा के सभी सदस्य 22 अनुसूचित भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं 185
- आनायुत्तु समारोह 185
- नीलगिरि ताहर 185
- कारोबार सुगमता सूचकांक का तीसरा संस्करण 186
- बेंगी डांस 186
- स्वात का बुद्ध 186
- दुनिया का पहला रंगीन एक्स-रे 186
- चार सदस्यों का राज्यसभा के लिये मनोनयन 187
- भारत दो वर्षों के लिये विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना 187
- प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया 187
- विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में हिमा दास ने जीता स्वर्ण पदक 188
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 188
- थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर 189
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान 189
- बाणसागर नहर परियोजना 189
- M-777 190
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 190
- थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर 191
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान 191
- बाणसागर नहर परियोजना 191
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स-2018 192
- संगीत कलानिधि पुरस्कार 192
- 'कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस)' और 'खान प्रहरी' 193
- पंगोलिन (pangolin) 193

नोट :

- सयनोथीस (cyanothece) 193
- डॉल्फिन की आबादी में गिरावट 194
- अविश्वास प्रस्ताव 194
- रानी की वाव 195
- बेहदीननखलम 195
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 195
- दिल्ली वार्ता X 195
- पिच ब्लैक अभ्यास 196
- ढोल (Dhole) : एशियाई जंगली कुत्ता 196
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 196
- अनामलाई टाइगर रिज़र्व 196
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 197
- सालिकोर्निया (salicornia) 197
- जीडीपी डिफ्लेटर 197
- भारत स्टेज-VI 197
- क्रिंटाफेल (krintafel) 198
- वाहन और सारथी 198
- हॉर्न ऑफ अफ्रीका 198
- वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल 198
- होर्मज़ का जलडमरूमध्य 199
- बंदीपुर टाइगर रिज़र्व 199
- नीलगिरि माउंटेन रेलवे 199
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) 199
- कोबोटेज लॉ (Cobotage Law) 200
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 200
- रमन मैगसेसे पुरस्कार, 2018 201
- तनावग्रस्त विद्युत् आस्तियाँ 201
- समाधान योजना 201
- टर्निटिन सॉफ्टवेयर 201

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मणिपुर मामलों की जाँच में सक्रिय रूप से शामिल हो NHRC

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर में बड़ी संख्या में सेना और पुलिस द्वारा कथित कानूनी रूप से अनुचित (extra-judicial) हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों की जाँच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को "सक्रिय रूप से शामिल" होना चाहिये। जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच ने इन मामलों की जाँच कर रहे सीबीआई के विशेष जाँच दल से यह भी कहा कि वह एनएचआरसी के साथ चार मामलों में तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट के ड्राफ्ट समेत जानकारी को साझा करें।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शीर्ष अदालत ने कहा कि एनएचआरसी के पास किसी मामले की स्वयं जाँच करने की शक्ति है। हमारा अंतिम आदेश इंगित करता है कि एनएचआरसी को इसमें सक्रिय होना चाहिये।
- न्यायालय ने दो चीजों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, यह कि एनएचआरसी को जाँच में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये तथा दूसरा, अंतिम चार रिपोर्ट दाखिल करने का मुद्दा।
- न्यायालय ने कहा कि एसआईटी को एनएचआरसी के साथ मसौदे की अंतिम रिपोर्ट की जानकारी साझा करनी चाहिये। एनएचआरसी को स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग का प्रयोग करने देना चाहिये।

अधिकारिता संबंधी मुद्दे

- सीबीआई की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि एनएचआरसी हमारे ऊपर एक पर्यवेक्षी प्राधिकारी की तरह नहीं होना चाहिये। उन्होंने अदालत से पूछा, क्या इन चार अंतिम रिपोर्टों की जाँच की जा रही है, जिन्हें अब उनके साथ साझा किया जा सकता है या किस स्तर पर इसे साझा किया जा सकता है ?
- ध्यातव्य है कि शीर्ष अदालत मणिपुर में कानूनी रूप से अनुचित हत्याओं के 1,528 मामलों की जाँच के लिये दायर पीआईएल पर सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने पिछले साल 14 जुलाई को एक एसआईटी गठित की थी और एफआईआर दर्ज कराने तथा मामलों की जाँच के आदेश दिये थे।

जाँच की प्रगति धीमी

- इस बीच, बेंच ने कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई एसआईटी की छः स्टेटस रिपोर्ट एनएचआरसी के वकील को सौंपी जाएंगी।
- न्यायालय ने माना कि जाँच की प्रगति बहुत धीमी है। बेंच ने यह भी पाया कि मणिपुर सरकार ने एसआईटी द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ नहीं सौंपे हैं।

कावेरी प्राधिकरण ने कर्नाटक को पानी छोड़ने के निर्देश दिये

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अपनी पहली बैठक में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कर्नाटक को तमिलनाडु और अन्य राज्यों के लिये पानी छोड़ने के निर्देश दिये हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में CWMA के गठन को चुनौती देने के कर्नाटक के फैसले पर बैठक में चर्चा नहीं की गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कर्नाटक सरकार ने हाल ही में CWMA और कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की स्थापना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला लिया था। अपील में उसने मांग की थी कि इस कदम को लेकर संसद में चर्चा की जानी चाहिये।

नोट :

- CWMA ने कर्नाटक को बिलीगुंडुलु साइट से 34 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। यह जून में छोड़े गए पानी से अधिक होगा।
- CWMA, जो अभी तक पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सका है, मानसून महीनों के दौरान प्रत्येक 10 दिन में बैठक करेगा।
- विभिन्न जलाशयों- हेमावथी, हरंगी, कृष्णराजासागर, कबीनी, मेट्टूर, भवानीसागर, अमरावती और बनसुरासागर में पानी के भंडारण के आधार पर यह सिफारिश करेगा कि 10 दिनों में इन ब्लॉकों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को ध्यान में रखते हुए कितना पानी छोड़ा जाना चाहिये।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी में दिये गए फैसले में कहा गया था कि कर्नाटक को 284.75 tmcft, तमिलनाडु को 404.25 tmcft तथा केरल और पुद्दुचेरी को क्रमश: 30 और 7 tmcft पानी मिलेगा।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन

- CWMA में टिंकू बिस्वाल, एस.के. प्रभाकर, ए.अंबरसु और राकेश सिंह (केरल के सचिव) शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कर्नाटक के जल आयोग तथा केंद्रीय कृषि और जल संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधि इसकी देखभाल करते हैं।
- CWMA की अध्यक्षता एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित इंजीनियर या सचिव/अतिरिक्त सचिव स्तर के कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे अंतर-राज्य जल विवादों के प्रबंधन का अनुभव हो।
- प्राधिकरण के लिये दो पूर्णकालिक और छह अंशकालिक सदस्य होंगे, जिनमें से प्रत्येक को नदी तट पर स्थित राज्यों से नामित किया जाएगा।
- सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज़ कैडर से एक सचिव होगा, लेकिन उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा।
- अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच साल होगा, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और इसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

जनगणना 2021 के आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किये जाएंगे

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम के मुताबिक 2021 की जनगणना के दौरान एकत्रित आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत किये जाएंगे। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में दस वर्षीय जनगणना आयोजित की गई थी। जनगणना से संबंधित दस्तावेज़ों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, परिगणना और अन्य संबंधित कागज़ात पूरी तरह या आंशिक रूप से जनगणना निदेशक द्वारा निपटाए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप

- अब तक "परिगणना" (व्यक्तियों के ब्योरे वाले सारणीबद्ध प्रारूप), जो कि घरों में जाकर गणनाकारों द्वारा की जाती थी, को दिल्ली में सरकार के भंडारगृह में भौतिक रूप में संग्रहीत किया जाता था।
- करोड़ों पृष्ठों वाले ये रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में अधिक जगह ले रहे थे और अब तय किया गया है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत किया जाएगा।
- डेटा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दंडनीय होगा। आरजीआई ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है क्योंकि 2021 की जनगणना इसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
- गणनाकार (प्रगणक) 2020 में "हाउस लिस्टिंग" का कार्य शुरू करेंगे और "हेडकाउंट" फरवरी 2021 से शुरू होगा। जनगणना वेबसाइट पर तालिकाओं के रूप में प्रकाशित होगी।
- आँकड़े 10 वर्षों के लिये सुरक्षित रखे जाएंगे और बाद में इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संग्रहीत कर हमेशा के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है।

नोट :

गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड शीर्ष परिषद से संपर्क करेगा

चर्चा में क्यों ?

गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) ने नई परियोजनाओं के निर्धारण के लिये जल संसाधन मंत्रालय (MoWR) की शीर्ष परिषद से संपर्क करने का निर्णय लिया है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस पर मतभेद है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शीर्ष परिषद का गठन गोदावरी और कृष्णा नदी बोर्डों के साथ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया था और दो तेलुगू राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सदस्यता के साथ केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में की गई थी।
- परिषद से संपर्क करने का निर्णय हाल ही में आयोजित बोर्ड की सातवीं बैठक में लिया गया। दोनों राज्य "नई" परियोजनाओं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में पेत्तिसीमा, चगलनाडु और पुरुषोत्थापत्तनम तथा तेलंगाना में कालेश्वरम के मुद्दे पर एक-दूसरे के खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे थे।नों राज्य अपनी-अपनी परियोजनाओं के पुराना होने का दावा कर रहे थे और एक-दूसरे पर उंगली उठा रहे थे।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सहमति से बोर्ड की बैठक में गोदावरी बेसिन में ओडिशा द्वारा शुरू किये गए मध्य कोलाब बहुउद्देश्यीय परियोजना को तकनीकी रूप से मंज़ूरी दी गई।

दोनों राज्यों के बीच मतभेद

- अधिकारियों ने कहा कि दोनों राज्य पहले चरण में गोदावरी नदी की विभिन्न सहायक नदियों द्वारा पानी की मात्रा को मापने के लिये टेलीमेट्री उपकरणों की स्थापना करने पर सहमत हुए थे।
- हालाँकि दोनों राज्य बेसिन में नई परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत करने पर सहमत हुए थे लेकिन दोनों के बीच मतभेद के कारण परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
- तेलंगाना ने पट्टीसीमा परियोजना के माध्यम से गोदावरी नदी के जल के कृष्णा बेसिन में मार्ग परिवर्तन को लेकर अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की थीं।
- बैठक में लिये गए अन्य निर्णयों में आंध्र प्रदेश मसौदा तथा कर्मियों के समायोजन नियम के परीक्षण के लिये 2018-19 के बजट में 3.20 करोड़ रुपए देने तथा GRMB के लिये काम करने वाले केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तारित करने पर सहमत हो गया।

गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 की उपधारा (1), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 28 मई, 2014 को नदी से संबंधित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रख-रखाव और संचालन के लिये गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) का गठन किया गया।

छात्रों के लिये अन्नपूर्णा दूध योजना शिक्षकों की एक नई ज़िम्मेदारी

चर्चा में क्यों ?

छात्रों को पोषण प्रदान करने वाली राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा दूध योजना शिक्षकों के लिये अतिरिक्त बोझ का कारण बन गई है। राज्य संचालित स्कूलों में पढ़ रहे 62 लाख बच्चों को एक सप्ताह में तीन बार दूध की आपूर्ति के लिये यह फ्लैगशिप योजना शिक्षकों पर अतिरिक्त भार डालेगी।

राज्य की मुख्यमंत्री बसुंधरा राजे ने 2 जुलाई को दहमीकलाँ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में जयपुर के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों को अपने हाथों से गर्म दूध पिलाकर इस योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जा रही है।

नोट :

योजना का उद्देश्य

- अन्नपूर्णा दूध योजना का उद्देश्य राज्य की खुशहाली और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला तैयार करना है।
- योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ताजा, शुद्ध और पौष्टिक गर्म दूध दिया जाएगा। यह बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार लाएगा और स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में मदद करेगा।

महिला सहकारी समितियाँ

- महिला दूध उत्पादकों की सहकारी समितियों को स्कूलों में दूध की आपूर्ति की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- इससे दूध की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिये दूध की गुणवत्ता पर समझौता नहीं कर सकती।

62 लाख छात्रों को लाभ

- इस योजना को 218 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत 66,506 सरकारी स्कूलों में लगभग 62 लाख छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के एक हिस्से के रूप में गर्म दूध प्रदान किया जाएगा।
- कक्षा V तक के छात्र प्रति सप्ताह तीन बार 150 मिलीलीटर गर्म दूध प्राप्त करेंगे, जबकि VI से VIII तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को 200 मिलीलीटर दूध प्राप्त होगा।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षक सहकारी समितियों से दूध की खरीदारी करेंगे और छात्रों को वितरित करेंगे।
- दूध चीनी के बिना दिया जाएगा क्योंकि इसके लिये कोई अतिरिक्त बजट आवंटित नहीं किया गया है। शिक्षकों को दूध का भंडारण और उबालने का अतिरिक्त काम सौंपा जाएगा। यह शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा और छात्रों के स्कूल छोड़ने का कारण बन सकता है।

जल्दी खराब होने वाली वस्तु

- चूँकि दूध जल्द ख़राब होने वाली वस्तु है और स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव है इसलिये शिक्षक इस अतिरिक्त ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं होंगे।
- ऐसा माना जा रहा है कि यह योजना वास्तव में शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

भारत के योग और आयुर्वेद के कारण अमेरिकी पर्यटकों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के योग और आयुर्वेद जैसे वैकल्पिक उपचार को अपनाने हेतु किये गए विभिन्न रोड शो ने अमेरिकी पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करने का कार्य किया है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने पिछले महीने न्यूयॉर्क और शिकागो में 'इनक्रेडिबल इंडिया' नामक रोड शो आयोजित किए थे, जिनकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री केजे अल्फोन्स ने की थी।
- वर्ष 2017 में 1.4 मिलियन से अधिक अमेरिकी पर्यटक भारत आए जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक थे।
- इसकी तुलना में वर्ष 2017 में भारत में यूके से आने वाले पर्यटकों की संख्या 9,86,296 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी।
- उपर्युक्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारतीय पर्यटन के लिये अमेरिकियों की रुचि यूके की तुलना में अधिक है।

नए बाज़ार के रूप में पर्यटन

- भारतीय पर्यटन के लिये बांग्लादेश के बाद अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार स्रोत था, जो कि कुल विदेशी पर्यटक आगमन का 11.2% हिस्सा था।
- वर्ष 2015 में भारत में लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी पर्यटक और 867,601 यूके पर्यटकों का आगमन हुआ था।
- ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ई-वीजा जारी करने और बढ़ते व्यापार को निरंतर गति देने के कारण भारत में अमेरिकी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है।
- इस प्रकार भारत में अमेरिकी पर्यटकों के आगमन में हुई वृद्धि भारतीय पर्यटन के लिये बड़े राजस्व लाभ का स्रोत भी है।

नोट :

वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिये भारत का 5-प्वाइंट फॉर्मूला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच '5-प्वाइंट फॉर्मूला' प्रस्तुत किया है।

5-प्वाइंट फॉर्मूला क्या है ?

- इस फ़ॉर्मूले को न्यूयॉर्क में रीना मित्रा (विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा) ने संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए आगे बढ़ाया।
- यह वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिये भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सूत्र है।
- इस फ़ॉर्मूले में समय पर क्रियाशील बुद्धिमत्ता का आदान-प्रदान, निजी क्षेत्र के सहयोग से आधुनिक संचार के साधनों के दुरुपयोग की रोकथाम, बेहतर सीमा नियंत्रण हेतु क्षमता निर्माण, यात्रियों की आवाजाही से संबंधित जानकारी को साझा करना, वैश्विक आतंक से लड़ने के लिये संभावित काउंटर-आतंक के केंद्रबिंदु का पता लगाना आदि शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि अपने संबोधन में मित्रा ने किसी भी देश विशेष का नाम आतंकवाद से जोड़कर नहीं लिया।
- उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी के चलते भारत में आतंकवाद से निपटने के प्रयास विफल हो रहे हैं।
- इसके साथ ही सूचना और साक्ष्यों का आदान-प्रदान या भारतीय क्षेत्र से बाहर छिपे आरोपी व्यक्तियों के मामले में प्रत्यर्पण संधियों का पालन न करना तथा सीमापार आतंकवाद आदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मुद्दे हैं।
- उन्होंने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय आतंवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) की प्रगति का उल्लेख भी किया।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT)

- यह मसौदा वर्ष 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो हस्ताक्षरकर्त्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान नहीं करेंगे।
- इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों का चयन करने के लिये यूपीएससी से परामर्श लेने के आदेश दिये

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहक (acting) पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संबंध में ज़ोर देकर कहा है कि राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा गठित पैनल के माध्यम से किया जाना चाहिये। कोर्ट ने कहा है कि राज्य, पद खाली होने से तीन महीने पहले UPSC को टॉप IPS अफसरों की सूची भेजेंगे। वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए राज्य उसी अफसर को DGP बनाएंगे जिसका कार्यकाल दो साल से कम न हो।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 2006 के प्रकाश सिंह मामले में दिये गए निर्णय का ज़िक्र करते हुए, सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस ए.एम. खानविलकर एवं डी.वाई. चन्द्रचूड की एक पीठ ने अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों का ज़िक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति के लिये पहले से ही कानून बनाए हैं।
- न्यायालय ने कहा कि राज्य, प्रकाश सिंह के मामले में दिये गए फैसले को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
- 2006 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यूपीएससी द्वारा गठित पैनल द्वारा डीजीपी के चयन के बाद राज्यों को उन्हें कम-से-कम दो साल का निश्चित कार्यकाल देना होगा।

नोट :

- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक प्रणाली तैयार की है जिसके द्वारा राज्य इनकी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया।
- उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान ने डीजीपी की नियुक्ति के लिये उपयुक्त पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करने के लिये यूपीएससी से संपर्क किया था।
- खंडपीठ ने कहा, "कोई भी राज्य किसी को भी डीजीपी के रूप में नियुक्त नहीं करेगा" और आदेश दिया कि यूपीएससी द्वारा गठित पैनल के माध्यम से ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाएगा जिन्हें कम-से-कम दो वर्षों के कार्यकाल का लाभ मिल सके। खंडपीठ ने कहा कि सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुँचे व्यक्तियों को आमतौर पर डीजीपी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये।

क्या था प्रकाश सिंह मामला ?

- प्रकाश सिंह मामले (2006) में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया था कि राज्य द्वारा यूपीएससी से परामर्श के बाद डीजीपी का चयन तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को उनकी सेवा की अवधि, पुलिस बल के नेतृत्व में बेहतर रिकार्ड और अनुभव के आधार पर किया जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद न्यूनतम दो साल का कार्यकाल होना चाहिये।
- कार्यरत डीजीपी को हटाए जाने के संबंध में न्यायालय ने कहा है कि राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्यरत डीजीपी को जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है यदि उस पर अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन और अपील) नियम के तहत किसी आपराधिक कृत्य के लिये दोष सिद्ध किया गया हो या वह अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षम हो।

संविधान पीठ ने कहा उप-राज्यपाल चुनी हुई सरकार की "सहायता और सलाह" मानने को बाध्य

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लेफ्टिनेंट-गवर्नर (Lieutenant-Governor-LG) और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की सीमाओं को चित्रित करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट-गवर्नर भूमि, पुलिस और पब्लिक आर्डर के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" उन पर बाध्यकारी है।

निर्णय के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह फैसला एक संविधान पीठ द्वारा दिया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.के. सीकरी, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे।
- दिल्ली सरकार ने 4 अगस्त, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उप-राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) को प्रशासनिक हेड बताते हुए कहा गया था कि वह मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह मानने के लिये बाध्य नहीं हैं।
- कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बदलते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट-गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन्हें या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होगा या उनके द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किसी मामले पर राष्ट्रपति द्वारा लिये गए निर्णय को लागू करना होगा।
- पीठ ने कहा, अनुच्छेद 163 की भाषा अनुच्छेद 239AA के उपबंध चार जैसी ही है परंतु इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि प्रविष्टि 1, 2 और 18 के संबंध में विधानसभा कानून नहीं बना सकती है जिसके लिये उप-राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है। अत: उप-राज्पाल के पास किसी भी राज्य के राज्यपाल से अधिक अधिकार हैं।
- पीठ ने अपनी अलग किंतु समेकित राय में लेफ्टिनेंट-गवर्नर को सरकार के हर "मामूली" विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजने के खिलाफ चेतावनी भी दी।
- न्यायालय ने कहा, उप-राज्यपाल को सरकार के साथ सौहार्द्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये। फैसले में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि उप-राज्यपाल यांत्रिक रूप से सभी मामले स्व-विवेक के बिना राष्ट्रपति को संदर्भित नहीं कर सकते हैं।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार निर्वाचित सरकार के पास है क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह है। लेफ्टिनेंट-गवर्नर को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिये। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "दिल्ली की विशेष स्थिति के प्रकाश में दिल्ली और केंद्र के बीच संतुलन की आवश्यकता है।"

नोट :

- न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपने अलग फैसले में कहा कि संविधान की व्याख्या समय की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिये। निर्वाचित सरकार की राय का सम्मान किया जाना चाहिये।
- न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, कि संविधान ने यह नहीं कहा कि सभी मामलों में उप-राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिये।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले के आलोक में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 239AA के मुताबिक उप-राज्यपाल मंत्रिमंडल के कार्यों और फैसलों को मानने के लिये बाध्य हैं और वे स्वतंत्र रुप से तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक संविधान उन्हें इसकी अनुमति नहीं देता है।
- पीठ ने कहा, दिल्ली विशेष अधिकार प्राप्त केंद्रशासित प्रदेश है। दिल्ली के बारे में फैसला लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। दिल्ली सरकार किसी तरह के विशेष कार्यकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

तमिलनाडु ने निजी स्कूलों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम को पारित किया

चर्चा में क्यों ?

राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018, सर्वसम्मति से पारित कर दिया है जिसे मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की देखभाल और सुरक्षा पर ज़ोर देने के लिये विनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवेश, शुल्क संग्रह, परीक्षाओं के संचालन और निजी स्कूलों में बुनियादी न्यूनतम मानकों एवं मानदंडों को सुनिश्चित कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

अधिनियम के प्रावधान

- यह कानून मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले किसी भी निजी स्कूल में छात्रों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है।
- छात्रों के हितों की रक्षा के लिये विधेयक में ख़राब अकादमिक प्रदर्शन के कारण किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने से रोके जाने पर राज्य सरकार को गंभीर दंड लागू करने का अधिकार देता है।
- सरकार ने बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा तमिलनाडु यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट, 2010 के प्रकाश में सभी निजी स्कूलों को नियंत्रित करने के लिये 2012 में नया व्यापक अधिनियम सुझाए जाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की थी।
- समिति ने विचार के लिये मसौदा अधिनियम सरकार को प्रस्तुत किया था। मसौदे के आधार पर सरकार ने एक व्यापक कानून बनाने का फैसला किया था।
- विधेयक के प्रावधान राज्य सरकार के अधिकारियों को निजी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे और मैनपावर से संबंधित मुद्दों के निपटारे में सक्षम बनाता है।
- इसके अलावा, निजी स्कूलों को किसी भी बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिये अपने शिक्षकों को ड्यूटी पर रखने और विशिष्ट मांग पर उत्तर पत्रों के मूल्यांकन के लिये सरकार के अनुरोध को भी स्वीकार करना होगा।
- विधेयक के अनुसार निजी स्कूलों के शिक्षकों को ज़रूरत पड़ने पर जनगणना या चुनाव या किसी भी सर्वेक्षण के काम को पूरा करने के लिये तैनात किया जा सकता है।
- इसके अलावा, विधेयक राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में स्कूल संबंधी मामलों की देखभाल के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने हेतु सक्षम बनाता है।

योग ने जुए और खेलों में सट्टे को अनुमति देने की सिफारिश की

चर्चा में क्यों ?

विधि आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चूँकि अवैध जुए को रोकना असंभव है, इसलिये खेलों में सट्टे को "विनियमित" करना एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान की अध्यक्षता में आयोग ने राजस्व बढ़ाने के साधनों के रूप में तथा गैरकानूनी सट्टों पर लगाम लगाने के लिये खेलों में "नकद रहित" सट्टे की सिफारिश की।

नोट :

आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इससे अर्जित धन को सार्वजनिक कल्याण गतिविधियों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिये जुए से अर्जित राजस्व आयकर अधिनियम, वस्तु और सेवा कर अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कर योग्य होना चाहिये।
- आयोग ने इन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल करने की सिफारिश की है।
- विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'लीगल फ्रेमवर्क गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया' में सट्टे के नियमन के लिये कानून में संशोधन और इससे कर राजस्व हासिल करने के सुझाव दिये हैं।
- इसके मुताबिक, 'जुए के नियमन के लिये संसद एक मॉडल कानून बना सकती है जिसे राज्य भी अपना सकते हैं।
- आयोग का मानना है कि इस क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने से उन राज्यों में निवेश को बढ़ाया जा सकेगा जो पर्यटन और सेवा क्षेत्र में विकास के लिये कैसीनो की इज़ाज़त देने का फैसला करेंगे।
- आयोग ने जुए और सट्टे में लेन-देन को कैशलेस बनाने और मनी लांड्रिंग जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति के आधार या पैन कार्ड को लिंक करने की भी सिफारिश की है।
- आयोग ने 'उचित जुआ' और 'छोटा जुआ' के वर्गीकरण की सिफारिश की। उचित जुआ अमीरों के लिये होगा जो उच्च हिस्सेदारी के लिये खेलते हैं, जबकि छोटा जुआ कम आय वाले समूहों के लिये होगा।
- पैनल जुए से संबंधित लेन-देन की संख्या पर व्यक्तिगत, मासिक, अर्द्ध वार्षिक तथा वार्षिक रूप से अधिकतम सीमा तय करने का सुझाव देता है।
- क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं का उपयोग करते समय राशि पर प्रतिबंध निर्धारित किये जाने चाहिये। जुआ वेबसाइटों को अश्लील साहित्य की मांग भी नहीं करनी चाहिये।
- विनियमों के द्वारा कमज़ोर समूहों, नाबालिगों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की रक्षा किये जाने की ज़रूरत है।
- कमीशन के अनुसार, कैसीनो / ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये विदेशी मुद्रा प्रबंधन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कानूनों तथा नीतियों में संशोधन किया जाना चाहिये। यह पर्यटन और रोजगार को प्रेरित करेगा।

जुए की अनुमति दिये जाने संबंधी सिफारिश की आलोचना

- हालाँकि, सदस्यों में से एक प्रो.एस. शिवकुमार ने इस रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया है और कहा है कि विधि आयोग की रिपोर्ट "व्यापक" नहीं है। भारत जैसे गरीब देश को अपनी धरती पर 'वैध जुआ' खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।
- उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से गरीब लोग और गरीब होंगे। आयोग की सिफारिशों से केवल निहित हितों के लिये जुए को वैध किये जाने की मंशा जाहिर होती है। श्री शिवकुमार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए संक्षिप्त विवरण पर अमल नहीं किये जाने को लेकर आयोग की आलोचना की।
- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में विधि आयोग से क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध किये जाने के मुद्दों की जाँच करने के लिये कहा था।

पैनल ने महाभारत का हवाला दिया

- जुए के विनियमन के लिये अपनी संस्तुति को न्यायसंगत बनाने हेतु आयोग की रिपोर्ट में महाभारत महाकाव्य के एक प्रसंग का हवाला दिया गया है।
- आयोग ने तर्क दिया कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी ने वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है।
- ऐसी गतिविधियाँ यदि उचित तरीके से विनियमित की जाती हैं तो बाज़ार में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, साथ ही अवैध और अनियमित जुआ उद्योग पर अंडरवर्ल्ड के नियंत्रण में भी लगाम लगाई जा सकेगी।

नोट :

प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास की परियोजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास की व्यापक योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की मौज़ूदा आठ योजनाओं को वर्ष 2020 तक ज़ारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

परियोजना का उद्देश्य

- इन योजनाओं के माध्यम से शरणार्थियों, विस्थापितों, आतंक व जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों, सीमापार से होने वाली गोलीबारी से पीड़ित तथा खान/IED (Improvised Explosive Device) विस्फोट से प्रभावित लोगों को राहत व् पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के लिये निर्धारित वित्तीय अनुदान

- 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वित्तीय अनुदान 3,183 करोड़ रुपए होगा।
- वर्षवार वित्तीय अनुदान 2017-18 के लिये 911 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिये 1372 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिये 900 करोड़ रुपए है।

योजनाएँ

- 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के मृतक आश्रितों के लिये राहत राशि को बढ़ा कर पाँच लाख रुपए किया गया।
- तमिलनाडु और ओडिशा के कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से विस्थापित परिवारों तथा जम्मू-कश्मीर के छाम्ब से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये एकमुश्त केंद्रीय सहायता।
- तिब्बती शरणस्थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण के परिव्यय के लिये पाँच वर्षों तक केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (CTRC) को वित्तीय सहायता।
- त्रिपुरा के राहत कैंपों में रह रहे ब्रू समुदाय के लिये त्रिपुरा सरकार को वित्तीय सहायता।
- त्रिपुरा के ब्रू/रियांग समुदायों का मिज़ोरम में पुनर्वास।
- आतंक/जातीय हिंसा तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीड़ित लोगों और खान/IED विस्फोटों के पीड़ितों की सहायता के लिये केंद्रीय योजना।
- सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच रिहायशी इलाकों के हस्तांतरण के पश्चात बांग्लादेश व कूच बिहार ज़िले के रिहायशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना का उन्नयन।

आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाना संभव नहीं

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा (Special Category Status-SCS) देने में असमर्थता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में काउंटर हलफनामा दायर किया और कहा कि इस संबंध में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (APRA), 2014 के तहत सभी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा गया था।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र ने राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को दी गई वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता के बारे में एक संलग्नक के साथ विवरण प्रस्तुत किया।
- अदालत, तेलंगाना के कॉन्ग्रेस नेता पोंग्लेटी सुधाकर रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में चिह्नित किया था और विभाजन से संबंधित कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

नोट :

- रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा APRA को पूर्णत: लागू किया जाना अपरिहार्य है और इसीलिये उनके द्वारा यह याचिका दाखिल की गई है।
- केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि विभाजन विधेयक पारित होने के समय राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किये गए वादों को भी लागू नहीं किया जा सकता है।
- हलफनामे में केंद्र ने दावा किया कि उसने विभाजन अधिनियम में किये गए लगभग सभी वादों को पूरा किया है। इसलिये अधिनियम के तहत लागू करने के लिये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है।
- हालाँकि हलफनामे में विशेष पैकेज के तहत धन देने के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि केंद्र ने 2014-15 में राज्य के विभाजन के पहले वर्ष के लिये 4,116 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को समाप्त करने हेतु 3,979 करोड़ रुपए जारी किये थे।
- केंद्र ने कहा कि पूंजीगत निधियों पर उसने 2,500 करोड़ रुपए जारी किये हैं और उपयोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद 1,000 करोड़ रुपए तीन किश्तों में दिये जाएंगे।हलफनामे में रेलवे क्षेत्र या कडापा इस्पात संयंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। दुगरजापत्तनम बंदरगाह को लेकर यह कहा गया है कि इसकी व्यावहारिकता की जाँच की जा रही है।

विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा

- विशेष श्रेणी राज्य के मापदंडों में उक्त क्षेत्र का पहाड़ी इलाका और दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व कम होना एवं जनजातीय आबादी का अधिक होना, पड़ोसी देशों से लगे (अंतर्राष्ट्रीय सीमा) सामरिक क्षेत्र में स्थित होना, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा होना और राज्य की आय की प्रकृति का निधारित नहीं होना आदि शामिल हैं।
- पूर्व में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, सामरिक महत्त्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता था जिनके पास स्वयं के संसाधन स्रोत सीमित होते थे।

जब तक सुप्रीम कोर्ट नियम तय नहीं करती तब तक कार्मिक विभाग दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी : केंद्र

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार कार्मिक विभाग का नियंत्रण उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सेवा संबंधी मामलों पर कोई अंतिम रुख अपनाना कानून के खिलाफ होगा क्योंकि यह मामला अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कार्मिक विभाग पर तब तक नियंत्रण बनाए रखेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की नियमित खंडपीठ द्वारा गृह मंत्रालय (MoH) की 2015 की अधिसूचना पर नियम नहीं बना लिया जाता जिसके तहत उन्हें दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
- गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि "गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज़ करने की सलाह नहीं दी है। यह बयान गुमराह करने वाला है।"
- मंत्रालय ने कहा कि उपराज्यपाल को सिर्फ उनकी ओर से संदर्भित मामले पर ही कानून का पालन करने की सलाह दी गई है।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक यह सलाह कानून मंत्रालय की उस राय पर आधारित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामला उचित नियमित पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्रावधानों के मुताबिक है।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई को दिये गए ऐतिहासिक फैसले के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों की पोस्टिंग-ट्रांसफर की नई व्यवस्था लागू की थी लेकिन कार्मिक विभाग ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

नोट :

- विभाग का कहना है कि 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA के अंतर्गत कार्मिक विभाग दिल्ली विधानसभा के दायरे में नहीं आता और तद्नुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास कार्मिक विभाग के संबंध में कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होगी। इस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी 4 अगस्त, 2016 के निर्णय के माध्यम से कायम रखा गया है।

सीजेआई ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर'

चर्चा में क्यों ?

देश के मुख्य न्यायाधीश के 'मास्टर ऑफ रोस्टर' के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में केसों के आवंटन के खिलाफ पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण द्वारा दाखिल याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि चीफ जस्टिस ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- बेंच ने कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को आवंटित (रोस्टर) करने का विशिष्ट दायित्व होता है। एक प्रशासक के रूप में वह उनके नेता और प्रवक्ता हैं।
- बेंच ने कहा कि संविधान मुख्य न्यायाधीश के मुद्दे पर चुप है लेकिन परपंरा और बाद के फैसलों में सभी द्वारा माना गया है कि चीफ जस्टिस बराबरी में सबसे पहले हैं। याचिकाकर्त्ता की यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि मामलों के आवंटन में चीफ जस्टिस का मतलब कॉलेजियम है।
- बेंच ने अशोक पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है कि चीफ जस्टिस एक संस्थान के रूप में हैं। पिछले आठ महीने में न्यायालय ने तीसरी बार इस बात की पुष्टि की है कि मुख्य न्यायाधीश ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होता है।
- उन्होंने कहा कि सीजेआई ही केसों का बँटवारा करें, यह सबसे बेहतर विकल्प है क्योंकि अगर केसों के बँटवारे को कॉलेजियम तय करेगा तो कई जज कहेंगे कि यह केस उन्हें दिया जाए और इससे हितों का टकराव होगा। यह मांग अव्यावहारिक है तथा इसे माना नहीं जा सकता।
- खंडपीठ ने 'कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबलिटी एंड रिफॉर्म्स' तथा अशोक पांडे से संबंधित मामले के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि जब मुकदमों के आवंटन की बात हो तो 'भारत के मुख्य न्यायाधीश' को पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के तौर पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता।
- गौरतलब है कि याचिकाकर्त्ता ने मुकदमों के आवंटन में सीजेआई पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इसमें कॉलेजियम के चार अन्य सदस्यों की सहमति को ज़रूरी बनाने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्त्ता ने सीजेआई के मुकदमों के आवंटन के अधिकार पर भी सवाल खड़े किये थे।

पृष्ठभूमि

विदित हो कि जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस एम.बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्वोच्च न्यायालय में मामलों के आवंटन संबंधी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद एक फरवरी को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोस्टर जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि 'चयनात्मक तरीके से' मामलों का आवंटन हो रहा है, साथ ही उन्होंने कुछ न्यायिक आदेशों पर भी सवाल उठाए थे।

स्वच्छ भारत मिशन को तीव्रता देने हेतु करें रथ यात्रा का प्रयोग

चर्चा में क्यों ?

देश में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (Individual Household Latrines-IHHL) कवरेज के मामले में ओडिशा को सबसे नीचे रखा गया है। इस बात पर चिंता जताते हुए केंद्र ने राज्य सरकार से आगामी जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दो पिट वाले वाटर सील शौचालय (Two pit water seal toilets) के उपयोग पर जागरूकता फैलाने का आग्रह किया है।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ओडिशा सरकार को लिखे पत्र में राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन को आवश्यक गति प्रदान करने के लिये रथ यात्रा एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो सकता है।
- मंत्रालय की ओर से लिखे गए पत्र में यात्रा स्थलों पर उच्च स्वच्छता मानकों को लागू करने के लिये कहा गया है और उल्लेख किया गया है कि पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर को पहले ही केंद्र के स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में शामिल किया जा चुका है।
- पत्र में कहा गया है कि यात्रा के दौरान दो पिट वाले शौचालय को लेकर जागरूकता फैलाने से ओडिशा राज्य के सबसे बड़े इस महोत्सव में भाग लेने वाले लाखों ग्रामीण नागरिकों के व्यवहार में खुले में शौच के प्रति बदलाव आएगा।
- मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार 2018 की रथ यात्रा को 'स्वच्छ रथ यात्रा' घोषित करे।

ओडिशा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य

- देश में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के निष्पादन में ओडिशा की स्थिति सबसे खराब रही है।
- 2 अक्तूबर, 2014 को शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन के समय राज्य में केवल 38.08 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया था और ओडिशा में IHHL कवरेज का अनुमान 57.82% रहा है।
- 58.9% के साथ ओडिशा की तुलना में बिहार में थोड़ा बेहतर कवरेज है। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पहले ही 100% IHHL कवरेज हासिल कर लिया है।
- उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, ने IHHL के साथ 79.14% कवरेज हासिल किया है।
- जहाँ तक खुले में शौच मुक्त (Open Defication Free-ODF) गाँवों का संबंध है, ओडिशा पाँच सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। ओडिशा में केवल 23.42% गाँव खुले में शौच से मुक्त हैं।
- जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ पहले ही 100% का लक्ष्य हासिल कर चुका है, ओडिशा के 30 ज़िलों में से केवल दो को ODF घोषित किया गया है।

क्या लोकसभा, राज्यसभा की तरह सुप्रीम कोर्ट का भी हो चैनल?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को राज्यसभा और लोकसभा चैनल की तरह लाइव दिखाने की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने इसे वक्त की ज़रूरत बताते हुए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बेंच ने कहा, अगर हम लाइव प्रसारण की व्यवस्था की ओर जाएँ तो इसे पहले एक कोर्ट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाए। उसके बाद उसे देश के दूसरे न्यायालयों में लागू कर दिया जाए।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- न्यायालय ने अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से इस बारे में दिशा-निर्देश और सुझाव मांगे हैं। मामले पर 23 जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
- अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार होता है तो सरकार लोकसभा या राज्यसभा की तरह अलग से सुप्रीम कोर्ट के लिये चैनल की व्यवस्था कर सकती है।
- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि रेप के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। इसी तरह वैवाहिक मामलों की भी नहीं हो सकती। सभी पक्ष इस संबंध में सुझाव दें।
- अटार्नी जनरल ने कहा कि सजीव प्रसारण के तौर-तरीके और दिशा-निर्देश तय होने चाहिये।

खुली अदालत में सुनवाई की अवधारणा पर चर्चा

- कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की अवधारणा पर चर्चा करते हुए कहा कि जब तक किसी मामले की कैमरा के सामने सुनवाई न हो रही हो, हमारे देश में खुली अदालत में सुनवाई की अवधारणा है।

नोट :

- खुली अदालत में सुनवाई होने पर मुकदमा लड़ने वालों को पता रहता है कि उनके मामले में अदालत में क्या हुआ। मुकदमा लड़ने वाले जो लोग सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में नहीं होंगे सजीव प्रसारण से उन्हें भी पता चल सकेगा कि अदालत में उनके केस में क्या हुआ।

कार्यवाही के प्रसारण का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं

- मामले में याची वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह ने कहा कि सजीव प्रसारण का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिये और कार्यवाही के प्रसारण का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिये।
- उन्होंने कहा कि इसके ज़रिये किसी को धन अर्जन की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

सुनवाई के दौरान कुछ मामलों का संदर्भ

- सुनवाई में सुनील गुप्ता बनाम कानूनी मामलों के विभाग (2016) और इंदूर कर्ता छुनगनी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश का संदर्भ दिया गया है जिसमें इसी तरह की राहत के लिये याचिका खारिज कर दी गई थी।
- इसके बाद इंद्रा जयसिंह ने 2015 और 2016 के दो पत्रों का हवाला दिया जो कानून मंत्रालय द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीशों को भेजे गए थे ताकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बारे में पता चल सके।

क्यों विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) गेमिंग को विकार के रूप में शामिल करना चाहता है ?

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में "गेमिंग विकार" को शामिल करने के लिये एक योजना की घोषणा की है। यह पुनर्वर्गीकरण इस माह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अपनाए जाने वाले रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11 वें पुनरीक्षण (ICD-11) का हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

- WHO के इस कदम ने एक बहस शुरू कर दी है। साथ ही लोगों में गेमिंग की लत व्यापक रूप से देखी जा रही है। हाल ही में एक ऐसी घटना भी खबरों में आई जिसमें लगातर तीन दिन तक गेम खेलने से एक व्यक्ति को कैफे में मृत पाया गया और एक दम्पति द्वारा गेमिंग के कारण अपने बच्चों की उपेक्षा की गई थी। हालाँकि आलोचकों ने इसे विकार के रूप में औपचारिक तौर पर शामिल करने का विरोध किया है।
- WHO द्वारा जून में ज़ारी रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें पुनरीक्षण के मसौदे में इसे "विकार" के रूप में शामिल किया गया है। जबकि वर्गीकरण का उद्देश्य दिशा निर्देशों के एक समूह के रूप में कार्य करना है, ऐसे में ICD -11 कई देशों में स्वास्थ्य देखभाल नीतियों, निदान और उपचार विकल्पों के निर्धारण को प्रभावित करता है।
- भारत में भी गेमिंग की आबादी तेजी से बढ़ रही है। Google-KPMG के वर्ष 2017 के अध्ययन के अनुसार, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की कीमत 290 मिलियन डॉलर है और वर्ष 2021 तक इसके 1 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन ने ऑनलाइन गेमर्स की वर्तमान संख्या 120 मिलियन बताई है। साथ ही, अनुमान लगाया कि तेज़ी से इंटरनेट के प्रवेश और सस्ते स्मार्टफोन विकल्पों के माध्यम से 2021 तक यह संख्या 310 मिलियन तक पहुँच सकती है।

परिभाषा के रूप में विकार:

- ICD -11 के मसौदे में, गेमिंग व्यवहार को एक पैटर्न ('डिजिटल-गेमिंग' या 'वीडियो-गेमिंग') जिसमें गेमिंग पर सही नियंत्रण नहीं रहता है, एक हद तक अन्य गतिविधियों के मुकाबले गेमिंग को प्राथमिकता देना या दैनिक क्रियाकलापों के अन्य गतिविधियों पर प्राथमिकता देना और नकारात्मक परिणामों की घटनाओं के बावजूद गेमिंग की निरंतरता या इसमें वृद्धि होना शामिल है, को गेमिंग विकार के रूप में परिभाषित किया गया है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि व्यवहार पर प्रश्नचिह्न तभी लगाया जा सकता है जब तक संबंधित व्यक्ति का कार्यक्षेत्र लगभग 12 महीनों से प्रभावी रूप से असंतुलित नहीं हो।
- दुनिया भर में बहुत सारे क्लीनिक गेमिंग व्यसन के लिये विशेष उपचार प्रदान करते हैं।

नोट :

विरोधियों के मत:

- विशेषज्ञों की चिंता है कि इस "अपरिपक्व वर्गीकरण" का उपचार और नीति-निर्माण पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। व्यावहारिक व्यसनों से संबंधित जर्नल में प्रकाशित शीर्षक "गेमिंग विकार के लिये एक कमजोर वैज्ञानिक आधार: आइए सावधानी के पक्ष में गलती करें (A weak scientific basis for gaming disorder : Let us err on the side of caution)" के माध्यम से 34 संस्थानों के विशेषज्ञों ने कहा कि इसे औपचारिक तौर पर विकार के रूप में परिभाषित करने के लिये मज़बूत साक्ष्य आवश्यक हैं। पत्र में यह बात स्वीकार की गई है कि गेमिंग व्यसन को एक परिघटना रूप में और अध्ययन की आवश्यकता है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसका एक विकार के रूप में समय पूर्व वर्गीकरण उपचार के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। लेखकों ने इस तरह के वर्गीकरण की नैदानिक उपयोगिता पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गेमिंग को विकार के रूप में शामिल करने के लिये लक्षणों की कोई निर्धारित सूची नहीं है, तो क्या चिकित्सक उस बिंदु का निर्धारण कर पाएंगे जिस पर व्यसन विकार बन जाता है?
- चिंता यह भी है कि गेमिंग की लत अवसाद जैसे गहरे मुद्दे का लक्षण हो सकती है। अनुसंधानकर्त्ताओं का कहना है कि नए वर्गीकरण के परिणामस्वरूप चिकित्सक अंतर्निहित मुद्दों की बजाय लक्षणों का ही उपचार करेंगे।
- 2016 में WHO को एक खुले पत्र में अनुसंधानकर्त्ताओं से पूछा गया कि क्यों नहीं गेमिंग को विकार के रूप में शामिल करने के तर्कों का उपयोग अन्य प्रकार के व्यसन के लिये किया जा सकता है? यह एक प्रोद्योगिकी विकार, एक स्मार्टफोन विकार या एक जुआ विकार क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंनें कहा कि WHO इस पर संतोषजनक उत्तर देने में सक्षम नहीं है।

अधिक शोध की ज़रूरत:

WHO और आलोचक इस बात पर सहमत हैं कि जिस बिंदु पर गेमिंग एक लत के रूप में सामान्य दिनचर्या को बाधित करती है, उस पर और अधिक शोध की ज़रूरत है। WHO का विश्वास है कि इसे विकार के रूप में मान्यता प्रदान करना पूरे विश्व में अनुसंधान को बढ़ावा देगा जबकि आलोचकों का मानना है कि शोध औपचारीकरण के किसी भी प्रयास से पहले होना चाहिये।

केंद्र ने प्रतिष्ठा (prestige) सूची के संस्थानों के नाम ज़ारी किये

चर्चा में क्यों?

सरकार ने अनुसंधान कार्य को बढ़ाने और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग (global ranking) में सुधार के लिये विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने की अपनी योजना के तहत छ: संस्थानों को प्रतिष्ठा के संस्थान के रूप में नामित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलूरू सहित छह उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिष्ठा के संस्थान (institutes of eminence) के रूप में नामित किया गया है। अन्य संस्थानों मंन मुंबई और दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) के अतिरिक्त तीन निजी क्षेत्र के संस्थान हैं जिनमें- रिलायंस फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित जियो इंस्टीट्यूट, मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन और बीआईटीएस, पिलानी शामिल हैं। महाराष्ट्र के जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड श्रेणी में चुना गया है।
- एन. गोपालस्वामी के अनुसार ग्रीनफील्ड श्रेणी के अंतर्गत नामित इस संस्थान को तीन वर्षों के लिये सूची में शामिल किया गया है, जिसके तहत संस्थान को अकादमिक परिचालन आरंभ करना होगा। यदि संस्थान ऐसा करने में असफल रहता है तो समिति उस संस्थान को प्रतिष्ठा की सूची से हटा सकती है। उसकी यह स्थिति उसे अन्य संस्थानों से अलग करता है।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालस्वामी के अधीन एक अधिकार प्राप्त समिति ने इन संस्थानों की सिफारिश की है।
- जब तक समिति द्वारा 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों को अंतिम रूप से इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है तब तक अन्य संस्थान भी इस सूची में स्थान पाने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

प्रतिष्ठा सूची के संस्थानों की विशेषताएँ:

- इन संस्थानों को अपना कार्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की पूरी छूट होगी।
- बिना किसी फीस प्रतिबंध के 30% विदेशी छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे।
- ये संस्थान AICTE, UGC और HECI के विनियमों से स्वतंत्र होंगे।

नोट :

ओडिशा में हैं सबसे अधिक नॉन-परफॉर्मिंग NGOs: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक सूची ज़ारी की गई है जिसके अनुसार, देश में सबसे अधिक नॉन-परफॉर्मिंग NGO की संख्या ओडिशा में है। उल्लेखनीय है कि इस तरह के संगठनों द्वारा किये गए कार्यों के प्रति जनता और प्रायोजकों को जागरूक बनाने के लिये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई यह अपनी तरह की पहली सूची है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय के अनुसार, ओडिशा में 289 नॉन-परफॉर्मिंग NGOs हैं जो कि राज्य में स्थित कुल गैर-सरकारी संगठनों का 80 प्रतिशत है।
- इस क्रम में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है जहाँ 190 गैर-सरकारी संगठनों में से 149 नॉन-परफॉर्मिंग NGOs की सूची में हैं।
- दिल्ली में नॉन-परफॉर्मिंग NGOs की संख्या सबसे कम है। यहाँ 201 गैर-सरकारी संगठनों में से केवल 43 नॉन-परफॉर्मिंग की सूची में शामिल हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नॉन-परफॉर्मिंग NGOs को वर्गीकृत करने के लिये कई मानदंडों की एक सूची शामिल की है, जैसे किसी भी मंत्रालय या स्वायत्त निकाय जैसे नाबार्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय महिला कोष और केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा की गई ब्लैकलिस्टिंग।
- नॉन परफॉर्मिंग NGOs वे है जो कुछ गतिविधियों के लिये धन लेते हैं लेकिन उन्हें प्रदर्शित नहीं करते हैं।
- गैर-सरकारी संगठन जिनके पास दर्पण पोर्टल पंजीकरण संख्या (नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रामाणिक निकायों की सूची के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित एक सुविधा) या FCRA पंजीकरण संख्या नहीं है वे नॉन-परफॉर्मिंग की श्रेणी में आते हैं। कुछ गैर-सरकारी संगठनों को "ब्लैकलिस्टेड" नामित किया गया है, जबकि अन्य को "ब्लैकलिस्टेड होने की प्रक्रिया में" कहा गया है।

परियोजनाओं के विकास के लिये तमिलनाडु सरकार की लैंड पूलिंग योजना

चर्चा में क्यों ?

तमिलनाडु सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिये भूमि को समेकित करने के तरीके के रूप में लैंड पूलिंग (land pooling) एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिये कानून लाने की मांग की है। इसके लागू होने से भूमि का मालिक भी विकास में सह-भागीदार की भूमिका निभा सकेंगे। इस योजना को भूमि अधिग्रहण के मौजूदा तरीकों के विकल्प के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है।

लैंड पूलिंग योजना

- इस योजना के तहत, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाली भूमि को उचित योजना प्राधिकरण के माध्यम से एक साथ शामिल किया जाता है।
- बाद में विकसित भूमि का हिस्सा मूल मालिक को स्थानांतरित कर दिया गया है और भूमि के शेष हिस्से का उपयोग सामान्य जन-सुविधाओं की स्थापना के लिये किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना पूर्व की विवादास्पद तथा दीर्घकालिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं का विकल्प हो सकती है।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा कहा गया है कि तमिलनाडु औद्योगिक तथा प्रगतिशील राज्य है और तेज़ी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है इसलिये आवास की जरूरतों तथा बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 'तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971' में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- इस योजना से भूमि के मालिकों के साथ विकास के लाभ साझा करके, राज्य में व्यवस्थित और योजनाबद्ध स्थानिक विकास के अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

नोट :

साथी का चयन व्यक्ति का मौलिक अधिकार है

चर्चा में क्यों ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (SECTION 377) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के पहले दिन न्यायमूर्ति वाई.डी.चंद्रचूड ने माना कि साथी (partener) का चयन एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और पार्टनर समलैंगिक भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 जो कि औपनिवेशिक युग का प्रावधान है, वयस्कों के बीच निजी सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय आईपीसी की धारा 377 को बनाए रखने वाले 2013 के उस फैसले की शुद्धता की जाँच करेगा जिसमें समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध बताया गया है।

निजता का उल्लंघन

- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पाँच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा न्यायमूर्ति चंद्रचूड वरिष्ठ वकील अरविंद डाटर की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यौन उन्मुखीकरण (sexual orientation) का अधिकार पार्टनर चुनने के अधिकार के बिना व्यर्थ है।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने हादिया मामले में मार्च 2018 में दिये गए अपने विचारों पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि न तो राज्य और न ही किसी पार्टनर के माता-पिता वयस्कों की पसंद के पक्ष को प्रभावित कर सकते हैं। यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
- केरल की हिंदू लड़की हादिया ने इस्लाम धर्म को अपनाते हुए एक मुस्लिम युवक से शादी करने का फैसला किया था।
- अलग-अलग विचार
- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि यह जाँच का विषय है कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और 14 (समानता का अधिकार) के अनुरूप है। इस मामले में कुछ बिंदुओं पर न्यायाधीशों के दृष्टिकोण में भिन्नता दिखाई दी।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा कि अदालत को केवल घोषणा तक ही सीमित नहीं होना चाहिये कि धारा 377 संवैधानिक थी या नहीं। इसमें सह-जीवन (co-habitation) आदि को शामिल करते हुए "कामुकता" (sexuality) की व्यापक अवधारणा की जाँच की जानी चाहिये।
- लेकिन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि बेंच को सबसे पहले धारा 377 की संवैधानिकता पर विचार करना चाहिये।

क्या है मामला ?

- आईपीसी की धारा 377 में अप्राकृतिक यौनाचार को अपराध माना गया है। इसमें 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ लंबित हैं जिनमें इस धारा की वैधानिकता और सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को चुनौती दी गई है।
- इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें दो वयस्कों द्वारा सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन की याचिका पर यह फैसला सुनाया था।

नगालैंड भाषायी दृष्टिकोण से सबसे विविधतापूर्ण राज्य

चर्चा में क्यों ?

जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार नगालैंड भाषा के दृष्टिकोण से भारत का सबसे धनी राज्य है, जबकि केरल सबसे कम विविधतापूर्ण राज्य है। यह विश्लेषण Herfindahl-Hirschman Index – HHI पर आधारित है। यह विश्लेषण दो अक्षों भाषा और बोली के आधार पर किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- जनगणना 2011 के आँकड़े भाषा के दो स्तरों की चर्चा करते हैं- भाषा (language) और मातृभाषा (mother tongue)। इसे 'प्रमुख भाषा' (major languge) और 'गौण भाषा' (minor language) या भाषा और बोली के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है।
- नगालैंड में भाषा और बोली दोनों ही अक्षों पर स्पष्टतौर पर अधिक विविधता देखने को मिलती है।
- 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, नगालैंड में प्रभावी रूप से 14 भाषाएँ और 17 बोलियाँ बोली जाती है जिनमें कोन्याक (konyak) सबसे अधिक बोली जाती है। कोन्याक की भागीदारी राज्य में 46% है। दूसरी ओर, केरल में 1.06 भाषाएँ प्रभावी हैं। वर्ष 2014 के अनुसार, राज्य के लगभग 97 % निवासियों की मातृभाषा मलयालम है।
- इन आँकड़ों में सबसे रोचक बात हिंदी भाषी राज्यों से संबंधित है, जहाँ लोगों द्वारा प्रभावी रूप से बोली जाने बोलियों की संख्या भाषाओं की संख्या से काफी आगे है। उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश में 1.03 भाषाएँ प्रभावी हैं और 86% आबादी की मातृभाषा हिंदी है। फिर जब इसे बोलियों में विभाजित करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 6 प्रभावी भाषाएँ हैं, जिसमें पहाड़ी (हिंदी की एक बोली) सबसे अधिक प्रभावी है और यह 32% आबादी द्वारा बोली जाती है।
- इसी तरह, भाषा के आधार पर मापने से बिहार में 78% लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, लेकिन जब इसे बोली के आधार पर विभाजित करते हैं तो यह आँकड़ा सिमटकर 26% तक रह जाता है और भोजपुरी राज्य में सबसे प्रमुख बोली के रूप में उभरती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाषा के स्तर पर हिंदी अधिक प्रभावी है, लेकिन बोली के स्तर पर क्रमश: राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी प्रमुख हो जाती है।
- अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को छोड़ दें तो उपर्युक्त भाषाओं में हिंदी एकमात्र भाषा है जो कई मुख्य बोलियों में विभाजित हो जाती है, जो प्रश्न उत्पन्न करती है कि "हिंदी क्या है"।

Herfindahl - Hirschman Index - HHI के बारे में:

- यह एक औद्योगिक अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है, जिसे मूलत: एक उद्योग में एकाधिकार या प्रतिस्पर्द्धा की डिग्री को मापने के लिये विकसित किया गया है। HHI को किसी उद्योग में प्रत्येक कंपनी की बाज़ार हिस्सेदारी के वर्ग के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- किसी उद्योग की आदर्श प्रतिस्पर्द्धात्मकता के लिये HHI का मान शून्य के करीब होता है और HHI का मान 1 होना एकाधिकार को दर्शाता है।
- HHI का विपरीत मान एक उद्योग में "फर्मों की प्रभावी संख्या" का अनुमान प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में मान 1 एकाधिकार और मान अनंत (∞) पूरी तरह प्रतिस्पर्द्धी उद्योग की स्थिति को दर्शाता है।
- इस अवधारणा को अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में भी प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण के लिये HHI के सूत्र को उलटकर प्रयोग करने से किसी चुनाव में दलों (मतों) की प्रभावी संख्या को मापा जा सकता है। इसी तरह इसका प्रयोग किसी राज्य में भाषाओं की प्रभावी संख्या ज्ञात करने में कर सकते हैं।

राज्यसभा में स्वत: प्रवृत्त (automatic) निलंबन के लिये पैनल

चर्चा में क्यों ?

राज्यसभा अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू द्वारा गठित नियम समीक्षा समिति ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में दो प्रमुख सिफारिशें की हैं, जिनमें जानबूझकर किये गए अपराध के लिये स्वत: प्रवृत्त निलंबन और प्रश्नकाल के समय में परिवर्तन शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- राज्यसभा के पूर्व महासचिव वी. के. अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
- रिपोर्ट को एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली ऊपरी सदन की नियम समिति और सभी पार्टियों के सदस्यों द्वारा मंज़ूरी देना अनिवार्य होगा।

नोट :

- जानबूझकर किये गए अपराध के लिये स्वत: प्रवृत्त निलंबन एक विवादास्पद विषय है, पूर्व में भी जब हामिद अंसारी राज्यसभा के सदस्य थे, इस विषय पर बहस हुई थी।
- उल्लेखनीय है कि लोकसभा में स्वत: प्रवृत्त निलंबन का प्रावधान है, किंतु राज्यसभा में किसी सदस्य के स्वत: प्रवृत्त निलंबन के लिये अध्यक्ष के सुझाव पर सदन को मत की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष इस संदर्भ में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है।
- समिति ने राज्यसभा के अध्यक्ष के लिये लोकसभा की भाँति ही प्रावधान की सिफारिश की है।
- दूसरी सिफारिश में प्रश्नकाल को दोपहर 11 बजे से बहाल करने की सिफारिश की गई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है, इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा सामान्यत: मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

WHO ने सरकार से नैदानिक परीक्षण नियम सख्त बनाने को कहा

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत सरकार से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसी के साथ भारत का नैदानिक परीक्षण संबंधी काम "बाधित" हो सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को नैदानिक परीक्षणों (Clinical Trials) के कारण मृत्यु या चोट के मामले में मुआवज़े के लिये कड़े नियम बनाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में WHO ने कहा है कि भारत को मुआवज़े के खंड पर "पुनर्विचार" करना चाहिये क्योंकि मौजूदा प्रारूप में नियमों की मज़ूरी भारत में प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षण प्रणाली को प्रभावित करेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रस्ताव

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस वर्ष फरवरी में जारी किये गए प्रस्तावों के मुताबिक यदि परिक्षण के दौरान रोगी की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो मृतक के परिवार या स्थायी रूप से विकलांग रोगी को 15 दिनों के भीतर मुआवज़े का 60% भुगतान किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, यदि जाँच के बाद यह साबित हो जाता है कि मृत्यु या अक्षमता परीक्षण के कारण नहीं हुई है तो अंतरिम मुआवज़ा वापस नहीं किया जाएगा।
- प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि चोट चिकित्सा प्रबंधन के अलावा नैदानिक परीक्षण से संबंधित है, तो प्रतिभागी को प्रस्तावित नैतिकता समिति (Ethics Committee) द्वारा निर्धारित प्रायोजक से भी वित्तीय मुआवज़ा दिलाया जाएगा। वित्तीय मुआवज़ा इस विषय में चिकित्सा प्रबंध में किये गए किसी भी खर्च से अधिक होगा।

नैतिकता समिति

- नैतिकता समिति एक प्रस्तावित सरकारी निकाय है जो देखेगा कि मनुष्यों पर चिकित्सा प्रयोग और अनुसंधान नैतिक तरीके से किये जा रहे हैं या नहीं। यह परीक्षण की नैतिकता पर प्रतिक्रिया देता है।
- इसमें सात सदस्य शामिल होंगे, जिनमें चिकित्सा विज्ञान, गैर-चिकित्सा विज्ञान के अलावा वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक सदस्य, एक आम आदमी और महिला सदस्य शामिल हैं।

WHO के सुझाव पर भारत की प्रतिक्रिया

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि नैतिकता समितियों द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य रूप से व्यवहार्य नहीं है और यह उनकी विशेषज्ञता की कमी के कारण उन पर एक अनुचित बोझ डालेगा।
- भारत ने कहा है कि यदि वर्तमान नियमों में बदलाव कर नए नियमों को अंतिम रूप दिया जाता है तो संभावना है कि प्रायोजक भारत में नैदानिक परीक्षण नहीं करेंगे और कहीं अन्यत्र चले जाएंगे।
- यह भारत के साथ WHO के काम को भी बाधित करेगा जहाँ किसी विशेष स्थिति में नैदानिक परीक्षण करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है। WHO प्रायोजक के रूप मंक कार्य नहीं कर सकता, साथ ही इच्छुक अन्य भागीदार भी हतोत्साहित हो सकते हैं।

नोट :

- भारत ने WHO और उसके सहयोगियों से इसकी समीक्षा करने के लिये कहा है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने WHO के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की है जिससे सरकार की चिंता और भी बढ़ गई है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ खंड भारत में नैदानिक परीक्षणों के भविष्य के लिये हानिकारक हो सकते हैं।
- वर्तमान में भारत में अधिकांश नैतिकता समितियों को मुआवज़े के मुद्दे की समीक्षा करने के लिये गुणवत्ता और दक्षता में बदलाव के साथ उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
- इसलिये यह महत्त्वपूर्ण है कि गंभीर प्रतिकूल प्रभावों को लेकर मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति समीक्षात्मक विश्लेषण करे और अपनी अंतिम राय दे। तदनुसार, उन्होंने खंडों के पुनरीक्षण का सुझाव दिया है ताकि वे "यथार्थवादी" हों।
- इन सुझावों के बाद मंत्रालय ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने फार्मा कंपनियों और फार्मा लॉबी समूहों सहित हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक बार सभी प्रभावित पक्षों की स्पष्ट राय प्राप्त करने के बाद ड्राफ्ट नियमों को संशोधित किया जाएगा।

अमेरिकी प्रतिबंध तथा नॉर्ड स्ट्रीम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने एक नई चेतावनी जारी की है कि यह उन पश्चिमी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जर्मनी को सीधे रूस के प्राकृतिक गैस से जोड़ना है।

क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 ?

- यह एक नई योजनाबद्ध 1,230 किलोमीटर लंबी (764 मील) समुद्र के अंदर से होकर गुज़रने वाली पाइपलाइन है जो जर्मनी के बाल्टिक तट पर रूस के क्षेत्रों से लेकर यूरोपीय संघ नेटवर्क तक प्राकृतिक गैस का स्थानांतरण करेगी।
- यह मौजूदा मार्ग इसकी क्षमता को दोगुना कर देगा और यूक्रेन के माध्यम से गैस पारगमन पर रूस की निर्भरता को कम करेगा।
- रूस का गजप्रोम पीजेएससी (Gazprom PJSC) इस परियोजना की निगरानी कर रहा है तथा रॉयल डच शेल पीएलसी (Royal Dutch Shell Plc) और एंजी एसए (Engie SA) सहित पाँच निवेशक इस परियोजना का वित्तपोषण कर रहे हैं, ये परियोजना की कुल लागत 9.5 अरब यूरो (10.3 बिलियन डॉलर) का आधा हिस्सा प्रदान कर रहे हैं।

यह पाइपलाइन निर्माण के कितने करीब है ?

- गज़प्रोम, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी की स्विस इकाई को जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन से पर्यावरण और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई है। इसे अभी भी डेनमार्क से समान अनुमोदन की आवश्यकता है।
- पाइपलाइन उन चार देशों के साथ-साथ रूस के आर्थिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
- तलकर्षण (Dredging) का काम पहले ही शुरू हो चुका है और प्रायोजक इस वर्ष के अंत में समुद्र में पाइप के हिस्सों को डालने का कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
- वर्ष 2019 के अंत तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

अमेरिका द्वारा पाइपलाइन के विरोध का कारण

- अमेरिका हमेशा नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विरोध करता रहा है, जो इसे यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने के रूस के प्रयास के रूप में देखता है।
- मार्च 2018 में 39 अमेरिकी सीनेट सदस्यों के एक समूह ने ट्रंप से परियोजना को अवरुद्ध करने का आग्रह यह कहते हुए किया था कि यह अमेरिकी सहयोगियों को "मॉस्को के दबाव और घातक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील" बना देगा।

नोट :

- अमेरिका के अनुसार, जर्मनी ने बड़े पैमाने पर तेल और गैस सौदे पर हस्ताक्षर करके स्वयं रूस का बंधक बना दिया है जिसके कारण वह रूस को प्रति वर्ष अरबों डॉलर का भुगतान करेगा।
- यूरोपीय संघ के कुछ देशों का मानना है कि अमेरिका अपने आयातित गैस के लिये रास्ता बनाने हेतु रूस को यूरोप के गैस बाज़ार में विस्थापित करने की योजना बना रहा है।

पाइपलाइन का विरोध करने वाले अन्य देश

- पोलैंड, स्लोवाकिया और अन्य देश जो मौजूदा पाइपलाइनों की मेज़बानी करते हैं और पारगमन शुल्क इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है।
- इन देशों का मानना कि यह लिंक रूस को यूक्रेन सहित उन देशों को बाईपास करने की क्षमता प्रदान करेगा जो इसके पक्ष में नहीं हैं।
- इस परियोजना का विरोध करने वाले देशों का यह भी मानना है कि रूस के लिये कुछ देश बहुत करीब हैं और बाल्टिक सागर से गुज़रने वाली गैस पाइपलाइन रूस की सेना के वित्तपोषण में योगदान देगी।

रूस और जर्मनी द्वारा आलोचनाओं का जवाब

- रूस का कहना है कि अमेरिका की शिकायतें यूरोप में अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस बेचने के लिये "अपने व्यापार-हितों" को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित हैं।
- ज़र्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के "आर्थिक पहलुओं" का बचाव करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यूक्रेन "पारगमन यातायात से पूरी तरह अलग न हो।"

रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध

- लगभग 700 रूसी लोग और कंपनिययाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- अमेरिका ने सैकड़ों रूसी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध, परिसंपत्तियों के जमा तथा वित्त एवं व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं।

प्रतिबंध लगाने का कारण

- रूस द्वारा क्रीमिया के यूक्रेनी प्रायद्वीप को अपनाने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोह का समर्थन करने के बाद 2014 में बराक ओबामा के कार्यकारी आदेश द्वारा सबसे अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे।
- अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार, मॉस्को द्वारा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी हस्तक्षेप किया गया था।

रूस पर प्रतिबंधों का असर

- इन प्रतिबंधों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकी तक रूस की पहुँच को सीमित कर दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, ये प्रतिबंध मध्यम अवधि के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था के आकार को घटा सकते हैं।
- अप्रैल के नवीनतम प्रतिबंधों के बाद रूस के बाज़ार भी प्रभावित हुए हैं।

रूस पर अन्य देशों के प्रतिबंध

- यूरोपीय संघ ने रूस पर वित्तीय, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए हैं।
- 5 जुलाई, 2018 को यूरोपीय संघ ने इन प्रतिबंधों को छह माह के लिये बढ़ा दिया था।
- अन्य पश्चिमी शक्तियों ने भी इसी तरह के उपायों को अपनाया है।

सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य सेप्टिक टैंक/मेनहोल इत्यादि में मानव प्रवेश की ज़रूरत को समाप्त करना है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप है जिन्होंने 4 मई, 2018 को अपनी अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये उनमें मानव प्रवेश की ज़रूरत को समाप्त करने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये एक 'टेक्नोलॉजी चैलेंज' की शुरुआत किये जाने की इच्छा जताई थी।
- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह ज़िम्मेदारी मिलने के बाद अब 'टेक्नोलॉजी चैलेंज: सीवरेज प्रणालियों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये उपयुक्त समाधानों की पहचान करने' का निर्णय लिया है।
- यह चैलेंज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का एक हिस्सा होगा, जिसका आयोजन 2 अक्टूबर, 2018 को किया जाएगा।

'टेक्नोलॉजी चैलेंज' पहल

- सीवर ड्रेन और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये उनमें मानव प्रवेश की ज़रूरत को समाप्त करना इस पहल का अंतिम लक्ष्य है।
- भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिये उनमें मानव प्रवेश की ज़रूरत को समाप्त करने में मददगार अभिनव प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराने के लिये इच्छुक अन्वेषकों, व्यक्तियों, कंसोर्टियम के साझेदारों, कंपनियों, अकादमिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और नगरपालिका निकायों से प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

'टेक्नोलॉजी चैलेंज' पहल का उद्देश्य

- अभिनव तकनीक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं की पहचान करना।
- ऐसे व्यावसायिक मॉडल का अनुमोदन करना जो विभिन्न आकार, भौगोलिक स्थिति एवं श्रेणी वाले शहरों के लिये उपयुक्त हो।
- परियोजनाओं से जुड़े चुनिंदा शहरों में चयनित प्रौद्योगिकियों/समाधानों का प्रायोगिक परीक्षण करना एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- अन्वेषकों/निर्माताओं और लाभार्थियों यथा-शहरी स्थानीय निकायों (ULB), नागरिकों के बीच की खाई को पाटना।

आकलन की प्रक्रिया

- इसमें भाग लेने वालों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तकनीकी समाधानों के आकलन एवं परीक्षण के लिये एक ज्यूरी गठित का गठन किया जाएगा, जिसमें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के विशेषज्ञ, आईआईटी/आईआईएम की फैकल्टी और अग्रणी सिविल सोसायटी समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रस्ताव पर संशय

- मैनुअल स्केवेंजर्स से जुड़े संगठन के कार्यकर्त्ताओं ने प्रस्ताव के बारे में संशय (संदेह) जाहिर किया है।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों को साफ करने वाली मशीनें पहले से ही वैश्विक स्तर पर उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलित करने की ज़रूरत है और सरकार को बड़े पैमाने पर ज़मीन पर तकनीक का उपयोग करने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने की ज़रूरत है।
- सरकार दूसरों को ऐसी समस्या का समाधान के लिये क्यों कह रही है जिसने इतने सालों से इस समुदाय के लोगों को पूरी तरह से उपेक्षित किया है? व्यक्तियों, कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों को यह कार्य सौंप कर सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से बचना चाहती है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ छोटे पैमाने पर बनाई गई प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ पहले से मौजूद हैं, लेकिन कोई देशव्यापी सरकारी विभाग या एजेंसी नहीं है जो मैन्युअल स्केवेंजिंग को खत्म करने की ज़िम्मेदारी ले सके।
- यह चुनौती भ्रम पैदा करती है कि समाधान व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक समस्या है क्योंकि आप स्वच्छता को व्यवसाय में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
- विडंबना यह है कि जब मैनुअल स्केवेंजर की मौत हो जाती है तो सरकार मुआवज़ा देकर अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती है लेकिन ऐसी मौतों को रोकने के लिये कोई समुचित उपाय नहीं करती है।
- कानून द्वारा अनिवार्य उपकरण और चिकित्सा सहायता न तो ठेकेदार और न ही नगर पालिका द्वारा प्रदान किया जाता है।
- इसके समाधान हेतु प्रौद्योगिकी पर विचार करने के पूर्व हमें कानून के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता है। अन्यथा ये सभी नवाचार ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएंगे।

नोट :

व्यभिचार एक दंडनीय अपराध बना रहना चाहिये : केंद्र

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि व्यभिचार (Adultery) को अपराध ही रहने देना चाहिये। सरकार ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को निरस्त करने से विवाह जैसी संस्था का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसा करना भारतीय मूल्यों के भी विपरीत होगा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचारणीय प्रश्न

- संवैधानिक पीठ को इस बात पर फैसला करना है कि क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व व्यभिचार से संबंधित आईपीसी का प्रावधान एक विवाहित महिला को अपने पति के "अधीनस्थ" के रूप में मानता है तथा लिंग समानता और संवेदनशीलता की संवैधानिक अवधारणाओं का उल्लंघन करता है ?
- केरल की सामाजिक कार्यकर्त्ता जोसेफ शाइन द्वारा दायर इस याचिका में धारा 497 को कानून की पुस्तक से हटाने की बात कही गई है।
- अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि अगर शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिला की आपसी सहमति से संबंध बने, तो सिर्फ पुरुष आरोपी कैसे हुआ ? याचिका में कहा गया है कि 150 साल पुराना यह कानून मौजूदा दौर में बेमानी है।

सरकार की दलील

- गृह मंत्रालय ने धारा 497 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह महिलाओं के हित में नहीं होगा और इससे परिवार जैसी सामाजिक इकाई कमज़ोर पड़ सकती है।
- केंद्र की ओर से संवैधानिक पीठ के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 और दंड प्रक्रिया की धारा 198(2) को निरस्त करना भारतीय लोकाचार के मूल्यों के लिये नुकसानदेह होगा जो विवाह को पवित्रता प्रदान करते हैं।
- केंद्र ने कहा है कि आईपीसी की धारा 497 में संशोधन के संबंध में विधि आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। मलिमथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस खंड का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को संरक्षित करना है। धारा 497 को समाप्त कर देने से वैवाहिक बंधन की पवित्रता कमज़ोर हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप वैवाहिक बंधन में लापरवाही होगी।

आईपीसी की धारा 497

- धारा 497 के अनुसार, यदि कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिलीभगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता है तो वह परस्त्रीगमन (व्यभिचार) के अपराध का दोषी होगा। परस्त्रीगमन के इस अपराध के लिये पुरुष को पाँच साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों सज़ा हो सकती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 (2)

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराध के मामले में मुकदमे से संबंधित है। धारा 198 (2) के अनुसार, महिला के पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस अपराध से पीड़ित नहीं समझा जाएगा।
- परंतु पति की अनुपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति जो अपराध के समय ऐसी स्त्री के पति की सहमति से उसकी देख-रेख कर रहा था, वह अदालत की अनुमति से उसकी ओर से मुकदमा कर सकता है।

आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिये आधार आवश्यक नहीं

चर्चा में क्यों ?

कुछ अखबारों में यह खबर छपी है कि आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (Ayushman Bharat – National Health Protection) के तहत लाभ उठाने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यह खबर तथ्यात्मक तौर पर गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी योग्य लाभार्थियों को आधार कार्ड के साथ या इसके अभाव में भी सभी सुविधाएँ दी जाएंगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन की जारी अधिसूचना के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसियाँ लाभार्थी से सिर्फ उसकी पहचान के लिये आधार कार्ड के बारे में पूछ सकती हैं।
- लाभार्थियों की सही-सही पहचान के उद्देश्य के लिये आधार कार्ड का इस्तेमाल श्रेयस्कर है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
- आधार संख्या के अभाव में किसी को भी योजना का लाभ प्रदान करने से मना नहीं किया जाएगा।
- अधिसूचना के अनुसार, यदि लाभार्थी के पास आधार संख्या नहीं हो तो पहचान की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वह राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा कार्ड इत्यादि (जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है) को प्रस्तुत कर सकता है।
- इसके अलावा क्रियान्वयन एजेंसियों को उन लाभार्थियों के लिये सुविधाजनक स्थान पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को कहा गया है जिन्होंने अभी तक आधार के लिये पंजीकरण नहीं कराया है।
- लाभार्थियों की पहचान के लिये आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि लाभार्थी अपनी पहचान के लिये आधार संख्या या इसके अभाव में राज्य सरकारों द्वारा निश्चित कि गए अन्य वैध सरकारी पहचान कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।

राज्यसभा उपसभापति के चुनाव के लिये मतदान में देरी मानदंडों के खिलाफ

चर्चा में क्यों ?

राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने सरकार द्वारा राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में की जा रही देरी को नियम के विरुद्ध एवं संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया है। वर्तमान में इस चुनाव ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और सरकार तथा विपक्ष के बीच खींचतान का विषय बन चुका है। उल्लेखनीय है कि विगत 30 जून, 2018 को श्री पी.जे. कुरियन की सेवानिवृत्ति के बाद उपसभापति का पद रिक्त हो चुका है।

प्रमुख बिंदु:

- राज्यसभा के उपसभापति पद को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में नियम में कोई प्रावधान नहीं मौजूद है।
- राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में अनिश्चितकालीन देरी करना संसदीय गरिमा के विरुद्ध होगा।
- गौरतलब है कि राज्यसभा के नियमों में उपसभापतियों की तालिका (panel of Vice-Chairman) होती है जिसमें सदन के छ: से सात वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। ये सदस्य सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं। किंतु तालिका के सदस्य उपसभापति की भूमिका नहीं निभा सकते।

उपसभापति के बारे में:

- यह ऊपरी सदन का पीठासीन अधिकारी होता है।
- राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के रूप में चुना जाता है और यदि किसी कारण उपसभापति का पद खाली हो जाता है तो सदन पुन: नए उपसभापति का चुनाव करता है।
- उपसभापति निम्नलिखित तीन कारणों से अपना पद रिक्त करता है-
  - राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने पर;
  - सभापति को लिखित त्यागपत्र सौंपकर और
  - यदि राज्यसभा उसे हटाने के लिये बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रस्ताव के लिये 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है।
- सभापति का पद खाली रहने या सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करता है। साथ ही दोनों मामलों में उसमें सभापति की सभी शक्तियाँ निहित होती हैं।
- उल्लेखनीय है कि उपसभापति सभापति का अधीनस्थ नहीं होता है बल्कि वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

नोट :

- उपसभापति भी सभापति की तरह सदन की कार्यवाही के दौरान बराबर मत की स्थिति में ही मतदान कर सकता है न कि पहले। इस तरह उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है।
- उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहने पर वह सदन की कार्यवाही के लिये पीठासीन नहीं हो सकता है, भले ही वह सदन में उपस्थित हो।
- सभापति द्वारा सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता के दौरान उपसभापति एक सामान्य सदस्य की तरह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान की स्थिति में मतदान भी कर सकता है।
- उपसभापति को संसद द्वारा निर्धारित नियमित वेतन एवं भत्ता प्राप्त होता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के सोशल मीडिया हब को सर्विलांस स्टेट जैसा बताया

चर्चा में क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी कोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजिटल संवाद पर नज़र रखने की परियोजना को निगरानी राज्य (surveillance state) बताते हुए कड़ी टिप्पणी की गई है। न्यायालय ने इस संदर्भ में दो सप्ताह के भीतर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले संवादों पर नज़र बनाए रखने के लिये एक 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह प्रस्तावित परियोजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी करेगी और डेटा का विश्लेषण कर सरकार को अपनी प्रतिक्रिया मुहैया कराएगी।

सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के कार्य:

- यह देश भर के सभी ज़िलों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंडिंग न्यूज़ का संग्रह कर उसका विश्लेषण करेगी।
- यह परियोजना सरकार को अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगी।
- यह नीतियों को बनाने और उसे ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मददगार साबित होगी।
- परियोजना द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का सोशल मीडिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पता लगाएगा जाएगा।
- यह परियोजना उन अफवाहों या झूठी खबरों के प्रसार को रोकने में मदद करेगी जो प्रतिकूल परिस्थितियों का कारण बन सकती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- एक सोशल मीडिया विश्लेषणात्मक उपकरण
- एक निजी डेटा सेंटर
- विश्लेषण रिपोर्ट की तैयारी
- प्री-एंड पोस्ट स्थापना समर्थन (मानव संसाधन)
- पूर्वानुमानित विश्लेषण
- एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में राजधानी दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (SSG 2018)' का शुभारंभ किया। इसके तहत सभी ज़िलों में 1 से 31 अगस्त, 2018 तक एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके नतीजों की घोषणा मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता के पैमाने के आधार पर सभी ज़िलों और राज्यों की रैंकिंग के रूप में की जाएगी।

नोट :

एसएसजी 2018 का उद्देश्य

- 'एसएसजी 2018' का उद्देश्य 'एसबीएम-जी' (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) से जुड़े महत्त्वपूर्ण मात्रात्मक एवं गुणात्मक पैमाने के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और ज़िलों की रैंकिंग करना है।
- इस प्रक्रिया के तहत देशव्यापी संचार अभियान के ज़रिये ग्रामीण समुदायों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में बेहतरी लाने के कार्य से जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 ज़िलों के 6980 गाँवों को कवर किया जाएगा।
- सर्वेक्षण के लिये इन गाँवों के कुल 34,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाज़ार/धार्मिक स्थानों का मुआयना किया जाएगा।
- सीधी बातचीत के साथ-साथ ऑनलाइन फीडबैक के ज़रिये स्वच्छ भारत मिशन (MBM) से जुड़े मुद्दों पर 50 लाख से भी अधिक नागरिकों के फीडबैक को इकट्ठा किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के तहत 65 प्रतिशत भारांक (वेटेज) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नतीजों को दिया गया है, जबकि 35 प्रतिशत भारांक सेवा क्षेत्र से जुड़े उन पैमानों को दिया गया है, जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आईएमआईएस से प्राप्त किया जाएगा।

विभिन्न अवयवों के भारांक

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के विभिन्न अवयवों का भारांक निम्नलिखित रूप से होगा :

1. सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन : 30 प्रतिशत
2. स्वच्छता के पैमानों पर नागरिकों से प्राप्त फीडबैक : 35 प्रतिशत
3. एसबीएमजी-एमआईएस के अनुसार देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार संबंधी सेवा स्तरीय प्रगति : 33 प्रतिशत

भारत में एसबीएम (जी) की दिशा में प्रगति

- जब स्वच्छ भारत मिशन को अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, तो अनुमानत: 550 मिलियन भारतीय खुले में शौच के लिये मजबूर थे जिससे देश का स्वच्छता संकेतक दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में था।
- अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण भारत में 7.7 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2017-18 में किसी अन्य पक्ष (थर्डपार्टी) द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण से इनके उपयोग का आँकड़ा 93 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
- लगभग 4 लाख गाँवों, 400 से भी अधिक ज़िलों और 19 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है।
- हालाँकि, सरकार का अपना आँकड़ा बताता है कि यह प्रगति देश भर में समान नहीं है क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में शौचालयों की पहुँच और उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख चिंता है।
- खुले में शौच से मुक्ति का अभियान एक बड़ी चुनौती है। इसका अशिक्षा और गरीबी से गहरा रिश्ता है। सार्थक शिक्षा और गरीबी दूर किये बिना स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।

राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा फिर अटका

संदर्भ

राजनीति में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जो कि एनडीए सरकार के समय से ही मंज़ूरी की राह देख रहा है राजनीतिक रूप से विवादित प्रस्ताव के कारण पिछले एक साल से लंबित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नीति को लेकर कई बैठकों के बाद जुलाई 2017 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह द्वारा कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित कर दिया गया था, तब से यह केंद्र सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सूत्रों के मुताबिक, नीति का मसौदा मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण और सभी स्थानीय निकायों में कम-से-कम 50 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश के कारण लंबित है।
- महिलाओं की पहली राष्ट्रीय नीति का मसौदा को 2001 में संशोधन कर अंतिम रूप दिया गया था। जुलाई 2017 में किये गए दूसरे संशोधन में महिलाओं के कल्याण के लिये अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, पिछली नीति की तुलना में बदलाव को दर्शाता है।
- अधिकारियों ने कहा कि मंत्रियों की बैठकों में इस बात को इंगित किया गया था कि 2001 की नीति में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अधिक सुनिश्चित करने के प्रावधान की कमी है।
- यह भी बताया गया कि लोकसभा में महिलाओं का मौजूदा प्रतिनिधित्व 11 प्रतिशत तथा विधानसभा में 9 प्रतिशत है, जबकि एनडीए घोषणापत्र में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया है। मसौदा नीति तब से प्रधानमंत्री कार्यालय में अग्रिम कार्रवाई की राह देख रही है।
- मंत्रालय के अनुसार, भारत की डेटा प्रणाली काफी हद तक लैंगिकता के मामले में तटस्थ रही है। बेहतर नीति तैयार करने के लिये, विशेष रूप से गरीबी, आर्थिक भागीदारी, हिंसा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और मीडिया से संबंधित मुद्दों पर डेटा को अलग-अलग किया जाना चाहिये।

मसौदा नीति

- इस नीति का लक्ष्य है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण हो और उनके लिये सामाजिक-आर्थिक वातावरण तैयार हो ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो तथा लैंगिक समानता तथा न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया जा सके।
- नीति में ऐसे समाज की अभिकल्पना की गई है जहाँ महिलाएँ अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें और जीवन के हर पक्ष में बराबरी का हक़ पा सकें। नीति का लक्ष्य है कि महिलाओं के लिये एक ऐसा सकारात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल तैयार हो जिसमें महिलाएँ अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें।
- मसौदा नीति सरकार की सभी तीन शाखाओं-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ कॉरपोरेट बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देने पर बल देती है।
- यह पुलिस बल में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है तथा लिंग समानता की दृष्टि से मंत्रालयों में नीतिगत आवश्यकता का भी विवरण देती है।
- नीति के कार्यान्वयन की निगरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से की गई थी। इसी प्रकार राज्य स्तरीय समितियों की स्थापना की जाएगी जिसका नेतृत्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मुताबिक, महिलाओं के लिये राष्ट्रीय नीति का मसौदा अभी तक मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
- मसौदा नीति में एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश की गई है जिसके तहत सभी मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों का लिंग-असंगत डेटा बनाया जाना अनिवार्य किया गया है।

ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये बड़े कदम उठाए गए

चर्चा में क्यों ?

वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के पीले होते रंग पर नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने योजनाएँ तैयार की हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि आगरा को ऐसे शहर में परिवर्तित किया जाएगा जो केवल "जैव ईंधन" पर निर्भर करता है। इसके अलावा, गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की भी घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दो प्रमुख मुद्दों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन इकाइयों की अधिक संख्या और वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के रंग में पीलेपन की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

नोट :

- गडकरी ने जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिये दिसंबर की समयसीमा तय की है जो इस प्रतिष्ठित स्मारक को प्रभावित कर रहा है।
- सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिये पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, NEERI, IIT और कई अन्य मंचों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सी.के. मिश्रा करेंगे।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति में सुधार न होने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए आगरा के कमिश्नर और डीएम को तलब किया है।
- ताजमहल के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता दो दशक से भी ज़्यादा पुरानी है। 1996 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया था।

जैव ईंधन पर निर्भरता की घोषणा

- सरकार का मानना है कि यूपी में चीनी का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है इसलिये चीनी के बजाय इथेनॉल के उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा।
- इथेनॉल शुगर के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह लागत प्रभावी, प्रदूषण रहित और स्वदेशी होगी। अनुमान लगाया गया है कि अगले पाँच वर्षों में 1,000 औद्योगिक इकाइयाँ खुल जाएंगी जिसमें 1 लाख करोड़ लीटर ईथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।
- एक अंतर्देशीय जलमार्ग और एक नदी बंदरगाह के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है। सिंगापुर की तर्ज पर दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन स्थापित करने की भी योजना है। अन्य मंत्रालयों सहित नीति आयोग इसका विवरण तैयार कर रहा है।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये आगरा में जैव ईंधन, हरित ईंधन और बिजली से चालित वाहनों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- अन्य उपायों में वनीकरण, रबड़ बांध का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 35 किमी. लंबा गार्डन विकसित करना शामिल है।
- पड़ोसी राजस्थान और यूपी के भीतर कई उद्योग (इकाइयाँ) हैं। इनमें से खतरनाक इकाइयों को निश्चित रूप से बंद कर दिया जाएगा लेकिन जो निर्धारित मानक पर खरे उतारते हैं और प्रदूषण स्तर को कम करते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समिति इस मामले को देखेगी।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, मानव संसाधन विकास मंत्री (राज्य) तथा बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार्ता में भाग लिया।

ई-मेडिकल रिकॉर्ड को अपनाने में बुनियादी बाधाएँ

चर्चा में क्यों ?

सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को बेहतर बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रणाली को अपनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किंतु सरकार को अपने प्रयासों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय के मेडिकल रिकॉर्ड का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु:

- ये चुनौतियाँ बुनियादी ढाँचे के निर्माण, नीति और विनियमों, मानकों एवं अनुसंधान तथा विकास की अंत:क्रियाशीलता से संबंधित हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को अपनाना: भारत के लिये एक रोडमैप (Adoption of Electronic Health Records: A Roadmap for India) में यह बताया गया है कि देश में इस प्राणाली को लागू करने के लिये बुनियादी आवश्यकताओं की कमी क्यों है।
- रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों ने विभिन्न संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ-साथ कनाडा, जर्मनी और अमेरिका आदि अन्य देशों की रिपोर्ट (जहाँ नागरिकों के ऐसे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड मौजूद हैं) को देखते हुए दस्तावेजों और रिपोर्टों की समीक्षा की गई है।

नोट :

- भारत में स्वास्थ्य सेवा की मिश्रित प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा संचालित बड़ी संख्या में अस्पताल शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि सामान्य रूप से भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग का स्तर अन्य देशों की तुलना में कम है।
- जब बुनियादी ढाँचे की बात आती है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के पास बहुत कम ICT बुनियादी ढाँचा है।
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (AIIMS) तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (PGIMER) के कुछ प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों में ही कंप्यूटर और कनेक्टिविटी है।
- देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या काफी अधिक है इसलिये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है।
- खर्चों को कम करने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस और क्लाउड कंप्यूटिंग पर्यावरण का उपयोग करना आवश्यक है।
- हालाँकि सरकार सार्वजनिक अस्पतालों में आईसीटी को अपनाने की दिशा में काम कर रही है; परंतु निजी अस्पतालों के बीच शायद ही कभी EHR का आदान-प्रदान किया गया है। सामान्यत: EHR एक ही अस्पताल में रखे जाते हैं और जब रोगी फिर से अस्पताल आता है तो इलाज में EHR का संदर्भ लिया जाता है। उन रोगियों की संख्या पर कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है जिनके EHR अब तक संग्रहीत किये गए हैं।
- भारत में 75% से अधिक बाह्य रोगियों (outpatients) और 60% से अधिक अंत: रोगियों (inpatients) का निजी स्वास्थ्य सुविधा संस्थान में इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि EHR का उपयोग करने के लिये सरकार को इन प्रतिष्ठानों को पटरी पर लाना ज़रूरी है।
- देश के आकार को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और निजी चिकित्सकों के लिये अच्छी गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने हेतु एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- FOSS में सॉफ़्टवेयर कोड को आसानी से सुलभ बनाया जाता है और इसे किसी के भी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यदि यह FOSS डोमेन में है, तो स्थानीय उद्यमी भी तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में अस्पताल सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग भारत में किया जाता है।

ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये बड़े कदम उठाए गए

चर्चा में क्यों ?

वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के पीले होते रंग पर नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने योजनाएँ तैयार की हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि आगरा को ऐसे शहर में परिवर्तित किया जाएगा जो केवल "जैव ईंधन" पर निर्भर करता है। इसके अलावा, गडकरी ने 4,000 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाओं की भी घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दो प्रमुख मुद्दों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन इकाइयों की अधिक संख्या और वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के रंग में पीलेपन की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
- गडकरी ने जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिये दिसंबर की समयसीमा तय की है जो इस प्रतिष्ठित स्मारक को प्रभावित कर रहा है।
- सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिये पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, NEERI, IIT और कई अन्य मंचों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सी.के. मिश्रा करेंगे।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की स्थिति में सुधार न होने पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए आगरा के कमिश्नर और डीएम को तलब किया है।

नोट :

- ताजमहल के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता दो दशक से भी ज़्यादा पुरानी है। 1996 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया था।

जैव ईंधन पर निर्भरता की घोषणा

- सरकार का मानना है कि यूपी में चीनी का उत्पादन काफी मात्रा में किया जाता है इसलिये चीनी के बजाय इथेनॉल के उत्पादन पर ज़ोर दिया जाएगा।
- इथेनॉल शुगर के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह लागत प्रभावी, प्रदूषण रहित और स्वदेशी होगी। अनुमान लगाया गया है कि अगले पाँच वर्षों में 1,000 औद्योगिक इकाइयाँ खुल जाएंगी जिसमें 1 लाख करोड़ लीटर ईथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।
- एक अंतर्देशीय जलमार्ग और एक नदी बंदरगाह के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है। सिंगापुर की तर्ज पर दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन स्थापित करने की भी योजना है। अन्य मंत्रालयों सहित नीति आयोग इसका विवरण तैयार कर रहा है।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिये आगरा में जैव ईंधन, हरित ईंधन और बिजली से चालित वाहनों के उपयोग को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- अन्य उपायों में वनीकरण, रबड़ बांध का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 35 किमी. लंबा गार्डन विकसित करना शामिल है।
- पड़ोसी राजस्थान और यूपी के भीतर कई उद्योग (इकाइयाँ) हैं। इनमें से खतरनाक इकाइयों को निश्चित रूप से बंद कर दिया जाएगा लेकिन जो निर्धारित मानक पर खरे उतारते हैं और प्रदूषण स्तर को कम करते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समिति इस मामले को देखेगी।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा, मानव संसाधन विकास मंत्री (राज्य) तथा बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार्ता में भाग लिया।

ई-मेडिकल रिकॉर्ड को अपनाने में बुनियादी बाधाएँ

चर्चा में क्यों ?

सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवा को बेहतर बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रणाली को अपनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किंतु सरकार को अपने प्रयासों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय के मेडिकल रिकॉर्ड का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे डॉक्टरों और अस्पतालों द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु:

- ये चुनौतियाँ बुनियादी ढाँचे के निर्माण, नीति और विनियमों, मानकों एवं अनुसंधान तथा विकास की अंत:क्रियाशीलता से संबंधित हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट "इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को अपनाना: भारत के लिये एक रोडमैप (Adoption of Electronic Health Records: A Roadmap for India) में यह बताया गया है कि देश में इस प्राणाली को लागू करने के लिये बुनियादी आवश्यकताओं की कमी क्यों है।
- रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों ने विभिन्न संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ-साथ कनाडा, जर्मनी और अमेरिका आदि अन्य देशों की रिपोर्ट (जहाँ नागरिकों के ऐसे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड मौजूद हैं) को देखते हुए दस्तावेजों और रिपोर्टों की समीक्षा की गई है।
- भारत में स्वास्थ्य सेवा की मिश्रित प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र द्वारा संचालित बड़ी संख्या में अस्पताल शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि सामान्य रूप से भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग का स्तर अन्य देशों की तुलना में कम है।
- जब बुनियादी ढाँचे की बात आती है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के पास बहुत कम ICT बुनियादी ढाँचा है।
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (AIIMS) तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (PGIMER) के कुछ प्रमुख सार्वजनिक अस्पतालों में ही कंप्यूटर और कनेक्टिविटी है।

नोट :

- देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या काफी अधिक है इसलिये, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है।
- खर्चों को कम करने के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस और क्लाउड कंप्यूटिंग पर्यावरण का उपयोग करना आवश्यक है।
- हालाँकि सरकार सार्वजनिक अस्पतालों में आईसीटी को अपनाने की दिशा में काम कर रही है; परंतु निजी अस्पतालों के बीच शायद ही कभी EHR का आदान-प्रदान किया गया है। सामान्यत: EHR एक ही अस्पताल में रखे जाते हैं और जब रोगी फिर से अस्पताल आता है तो इलाज में EHR का संदर्भ लिया जाता है। उन रोगियों की संख्या पर कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है जिनके EHR अब तक संग्रहीत किये गए हैं।
- भारत में 75% से अधिक बाह्य रोगियों (outpatients) और 60% से अधिक अंत: रोगियों (inpatients) का निजी स्वास्थ्य सुविधा संस्थान में इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि EHR का उपयोग करने के लिये सरकार को इन प्रतिष्ठानों को पटरी पर लाना ज़रूरी है।
- देश के आकार को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और निजी चिकित्सकों के लिये अच्छी गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने हेतु एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- FOSS में सॉफ़्टवेयर कोड को आसानी से सुलभ बनाया जाता है और इसे किसी के भी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यदि यह FOSS डोमेन में है, तो स्थानीय उद्यमी भी तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में अस्पताल सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर का उपयोग भारत में किया जाता है।

माब लिंचिंग पर कानून बनाए सरकार : सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

गो-रक्षकों और भीड़ द्वारा हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणियाँ करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भीड़तंत्र को किसी भी सूरत में क़बूल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने हाल के दिनों में बढ़ रही माब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) को 'भीड़तंत्र का भयानक कृत्य' बताया है।

निरोधात्मक, सुधारात्मक और दंडात्मक दिशा-निर्देश

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अपने 45 पेज के फैसले में आश्चर्य व्यक्त किया है कि क्या "भारत जैसे महान गणराज्य की जनसंख्या ने विविध संस्कृति को बनाए रखने के लिये सहिष्णुता का मूल्य खो दिया है ?"
- गोरक्षा या बच्चा चोरी के नाम पर लगातार हो रही हिंसक घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए निरोधक, उपचारात्मक और दंडात्मक दिशा-निर्देश जारी किये हैं और कहा है कि राज्य सरकार हर ज़िले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करे जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाए।
- DSP स्तर का अफसर भीड़ द्वारा की गई हिंसा और लिंचिंग को रोकने में सहयोग करेगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए और यह उन लोगों की खुफिया सूचना इकट्ठा करेगी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं या फेक न्यूज या हेट स्पीच दे रहे हैं।
- राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहाँ ऐसी घटनाएँ हुई हों और पाँच साल के आँकडे इकट्ठा करे। केंद्र और राज्य आपस में समन्वय रखें। सरकार भीड़ द्वारा हिंसा के खिलाफ जागरूकता का प्रसार करे।
- ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 153 A या अन्य धाराओं में तुरंत केस दर्ज हो और वक्त पर चार्जशीट दाखिल हो तथा नोडल अफसर इसकी निगरानी करे।
- राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत भीड़ हिंसा से पीड़ितों के लिये मुआवज़ा योजना बनाए और चोट के मुताबिक मुआवज़ा राशि तय करे। ऐसे मामलों की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और संबंधित धारा में ट्रायल कोर्ट अधिकतम सज़ा दे। लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से चार हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

नोट :

राक्षसी कृत्यों से रहें सावधान

- लिंचिंग और भीड़ हिंसा को "खतरे में डालने" के रूप में वर्णित करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि फर्जी खबरों, आत्म-घोषित नैतिकता और झूठी कहानियों द्वारा फैलाया गया उन्माद देश के लोगों को "टाइफून-जैसे राक्षस" की तरह बर्बाद कर देगा।
- न्यायालय ने कहा कि वंश, जाति, वर्ग या धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और न ही अपराधी का।
- इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंचिंग की घटनाएँ इतनी अनियंत्रित हो गई थीं कि मार्क ट्वेन ने अमेरिका को "लिंचरडम संयुक्त राज्य" कहा था। उनका यह कटाक्ष स्पष्ट है।
- जनवरी में गोर-क्षकों द्वारा की गई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए।
- याचिकाकर्त्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये राज्य हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं और इन राज्यों में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं।
- गौरतलब है कि 6 सितंबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि गो-रक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिये। घटना के बाद ही नहीं उससे पहले भी रोकथाम के उपाय किये जाने ज़रूरी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर तोड़ी है अपनी चुप्पी

- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में कई मौकों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और देश के हित में फैसले दिये हैं।
- अदालत ने राजनीतिक वर्ग की चुप्पी भी तोड़ी है जो आवर्ती अपराध की गंभीरता को स्वीकार करने में विफल रहा है। भीड़ द्वारा हिंसा, विशेष रूप से गाय के नाम पर ज़्यादातर अल्पसंख्यकों, वंचित तथा कमज़ोर वर्ग को लक्षित किया गया है।
- इसलिये अदालत की सराहना की जानी चाहिये, जिसने "लोकतंत्र के भयानक कृत्यों" पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और हिंसा के इन स्वरूपों के खिलाफ स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है।
- न्यायालय द्वारा दिये गए सुझावों पर अब विधायिका, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यापक चर्चा की शुरुआत होनी चाहिये।
- इस संबंध में कई सवाल उठेंगे जैसे- भीड़ द्वारा की गई हिंसा को कैसे परिभाषित किया जाएगा? सतर्कता, सांप्रदायिक हिंसा और घृणित अपराध के बीच विभेद, ओवरलैप या अंत:परिच्छेदन क्या होगा? कानून और उसके कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य की भूमिका क्या होगी? क्या एक कानून राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में प्रभावी हो सकता है? आदि।
- ये सभी सवाल इस बात पर ज़ोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में सर्वोच्च न्यायालय को लिंचिंग के लिये एक नया कानून बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। क्या हम इतने असहिष्णु हो गए हैं?
- अशांत होते लोकतंत्र में न्यायिक सक्रियता का क्या असर पड़ता है यह देखने की बात है। यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि तमाशबीनों की उदासीनता, अपराध के मूक दर्शकों की संख्या और सोशल मीडिया सहित अपराधियों द्वारा घटना की सार्वभौमिकता इस हिंसक कृत्य को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

ओडिशा में परियोजना पीड़ितों से मिले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष प्रतिनिधि

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के क्योंझर ज़िले में बनाई जा रही कानुपुर सिंचाई परियोजना के कारण ज़िले के लोगों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना स्थल पर पहुँचकर पीड़ितों की समस्याओं का संज्ञान लिया।

प्रमुख बिंदु:

- मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि ने चंपुआ उपखंड के अंतर्गत चमकपुर, कंदारा और बिरिकाला ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से बातचीत की और ज़मीन एवं आवास के नुकसान के बदले प्रदान किये गए मौद्रिक मुआवजे के बारे में उनसे पूछा।
- मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि ने पीड़ितों की समस्याओं से ज़िला प्रशासन को अवगत कराने का निर्णय लिया है।

नोट :

परियोजना के बारे में:

- कानुपुर सिंचाई परियोजना की परिकल्पना बैतरणी नदी के एकीकृत विकास कार्यक्रम के तहत की गई है।
- यह सिंचाई परियोजना ओडिशा के क्योंझर ज़िले में बनाई जा रही है, इससे लगभग 47,709 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई किये जाने की उम्मीद है।
- परियोजना के माध्यम से क्योंझर ज़िले के चंपुआ, झंपुरा, जोदा, पटना और क्योंझर प्रखंड के किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

परियोजना से जुड़ी समस्याएँ:

- परियोजना के कारण 1,787 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि और 172 हेक्टेयर वनभूमि क्षेत्र के डूबने की आशंका है।
- 16 गाँवों के अनुमानित 3,577 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है।
- एक दशक से भी अधिक समय से चल रही पुनर्वास प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है।
- जो लोग वापस आकर अपने गाँवों में रहे हैं वे मूल सरकारी कल्याण योजनाओं से वंचित हैं।
- क्षतिपूर्ति का भुगतान न होने के कारण ग्रामीणों ने कई आंदोलन किये हैं।
- ज़िला प्रशासन के अनुसार, 185 परिवारों से संबंधित बकाए के मुद्दों को सुलझाना शेष है, जबकि विस्थापित लोगों के मंच की कोर कमेटी ने दावा किया है कि यह संख्या 500 से अधिक थी।

लड़कियों को शिक्षित करने से भारत के स्वास्थ्य परिणाम बेहतर हो सकते हैं

संदर्भ

भारत दुनिया के सबसे खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को दर्शाने वाले देशों में शामिल है, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने से यह तश्वीर बदली जा सकती है। 2017 के राष्ट्रीय स्तर के सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, प्रत्येक वर्ष 1,000 नवजात बच्चों में से 34 बच्चे अपने पहले जन्मदिन तक जीवित नहीं रहते हैं। हालाँकि, इन आँकड़ों में सुधार हो रहा है किंतु ये बहुत सुधार की स्थिति में नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु

- महिला साक्षरता समाज के स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण को बेहतर बनाने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।
- लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करके एक व्यापक श्रृंखला जैसे-विवाह की उम्र में देरी, स्वस्थ बच्चों का जन्म और गरीबी में कमी आदि में परिवर्तन लाया जा सकता है।
- केरल और तमिलनाडु में महिला साक्षरता दर क्रमश: 92% और 73.9% है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह दर क्रमश: 42.2% और 33.1% यानी आधी है।
- लड़कियों के विवाह की औसत आयु केरल में 21.4 और तमिलनाडु में 21.2 है, जो राष्ट्रीय औसत 20.7 से ऊपर है, वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में यह आयु क्रमश: 19.4 और 19.5 से भी कम हैं।
- जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति 1000 लड़कों पर पैदा हुई लड़कियाँ) में गिरावट आई है और कुछ उत्तर भारतीय राज्यों में यह केवल 800 है। अपर्याप्त अंतराल में गर्भधारण कई बार माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- अच्छी खबर यह है कि साक्षरता में सुधार होने से विवाह में देरी देखी गई है और प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या) भी कम हो गई है।
- इस संदर्भ में केरल (1.7) और तमिलनाडु (1.6) 2.3 के राष्ट्रीय औसत के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार क्रमश: 3.1 और 3.3 पर खराब स्थिति में हैं। हालाँकि, इन आँकड़ों में सुधार जारी है।

महिला साक्षरता + विवाह विवाह + प्रति महिला कम बच्चे = उच्च बाल अस्तित्व

- एक शिक्षित महिला जब वह विवाहित हो जाती है तो कम बच्चों के जनन की योजना बनाती हैं और साथ ही प्रसवपूर्व उचित देखभाल की ओर भी ध्यान देती है।

नोट :

- प्रसवपूर्व पूर्ण देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: केरल और तमिलनाडु में 61.2 और 45 है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आँकड़ें क्रमश: 5.9 और 3.3 हैं।
- सभी राज्यों में नवजात मृत्यु दर में सुधार हो रहा है, लेकिन केरल और तमिलनाडु राज्यों में क्रमश: 6 और 15 के आँकड़े राष्ट्रीय औसत (28) से आगे हैं। केरल का आँकड़ा अमेरिका के समान ही है।
- जैसे-जैसे परिवार का आकार छोटा होता जाता है बच्चे की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती है इससे ऐसे परिवार अधिक उत्पादक खर्च कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।
- वर्ष 2004 और 2011 के बीच उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे आबादी के प्रतिशत में क्रमश: 32.8 से 2 9 .4 और 41.4 से 33.7 के साथ मामूली सुधार दर्ज किया है, जबकि केरल और तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का प्रतिशत क्रमश: 15 से 7.1 और 22.5 से 11.3 पर आ गया है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने वाले देश बड़ी तेज़ी से गरीबी को कम कर रहे हैं, चीन इसका प्रमुख उदाहरण है जो दशकों पहले किये गए इन सामाजिक निवेशों के लिये वैश्विक बेंचमार्क है, जिसने तेज़ी से देश के आर्थिक विकास की नींव बनाई है।
- अत: संदेश बहुत स्पष्ट है कि महिला साक्षरता गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य परिणामों में बेहतर साधन साबित हुई है।

नो-डिटेंशन पॉलिसी समाप्त करने वाला विधेयक लोकसभा से पारित

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा ने हाल ही में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 पारित कर दिया है जो कक्षा पाँच और आठ में छात्रों को फेल किये बिना उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने वाली नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना चाहता है। यह कानून 1.4 मिलियन प्राथमिक विद्यालयों के 180 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रभावित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल 22 राज्यों ने इस पॉलिसी के कारण शिक्षा का स्तर गिरने की बात कहते हुए इसे समाप्त करने की मांग केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद संशोधन का फैसला लिया गया था।
- संशोधित बिल के तहत अब पाँचवीं और आठवीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। इस परीक्षा में भी अगर छात्र स्तरीय प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फेल घोषित कर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- इस विधेयक के पास होने पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, चार या पाँच राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्य नो-डिटेंशन पालिसी ख़त्म करने के पक्ष में हैं।
- आरटीई संशोधन विधेयक के अनुसार, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो मौके दिये जाएंगे और अगर वे दोनों प्रयासों में विफल हो जाएंगे तो उन्हें फेल घोषित कर दोबारा उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- छात्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वे सीखने के स्तर तक पहुँचने में नाकाम रहते हैं तो स्कूल के अधिकारियों के पास छात्रों को उसी कक्षा में प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
- हालाँकि, बिल में राज्यों को स्कूल, ज़िला या राज्य स्तर पर परीक्षाओं का चयन या संचालन करने के लिये नो-डिटेंशन पालिसी जारी रखने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- अप्रैल 2010 में आरटीई अधिनियम की शुरुआत के बाद से पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ था, लेकिन इस अभ्यास ने शिक्षा के खराब स्तर के लिये इसे आलोचना का शिकार बना दिया।
- गैर-लाभकारी संगठन 'प्रथम' द्वारा प्रकाशित ग्रामीण भारत के लिये शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति (ASER) के अनुसार, पाँचवी कक्षा के सभी छात्रों का अनुपात जो कि कक्षा दो के स्तर की पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते थे, 2014 में 48.1% से गिरकर 2016 में 47.8% हो गया। अंकगणित और अंग्रेज़ी विषय में भी यही स्थिति देखी गई।
- भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न दलों के कई सांसदों ने छात्रों के खराब प्रदर्शन के लिये शिक्षकों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
- शिक्षा के अधिकार के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, इसे ही हम 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' के नाम से जानते हैं।

नोट :

गोद लेने के लिये अब नहीं जाना होगा अदालत

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में बच्चों को तेज़ी से गोद लेने में सक्षम बनाने के लिये उचित संशोधन का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 को 15 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था और किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- मंत्रिमंडल ने गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया है।
- वर्तमान में संभावित माता-पिता या बच्चे को गोद लेने के इच्छुक दंपत्ति को बच्चे को अपनाने के संबंध में अदालत का चक्कर काटना पड़ता है जिससे यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है।मंत्रिमंडल ने अपने अनुमोदन में यह प्रस्ताव दिया है कि अब गोद लेने के आदेश को पारित करने हेतु ज़िला मजिस्ट्रेट या ज़िला कलेक्टर अधिकृत होंगे।

संशोधन के लाभ:

- जिला मजिस्ट्रेट को बाल देखभाल प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई और गोद लेने के आदेश को जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है।
- गोद लेने के मामलों में अदालतों के स्तर पर लंबी प्रक्रिया देरी का सामना करना पड़ रहा था, वर्तमान प्रस्तावित संशोधन इस समस्या को सुलझाने में मददगार साबित होगा।

भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम की धीमी गति

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में टीकाकरण अनुमानों पर खुलासा किया गया है कि वर्ष 2017 में दुनिया भर में मौजूद लगभग 19.9 मिलियन शिशुओं को तीनों खुराकों (डिप्थीरिया, टेटनस और पेर्तुस्सिस- DTP3) की नियमित सेवाएँ नहीं प्राप्त हुई हैं। इनमें से लगभग 60% बच्चे इन 10 देशों- अफगानिस्तान, अंगोला, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- यह देखा गया है कि वैश्विक टीकाकरण कवरेज़ में अनुशंसित टीकों को प्राप्त करने वाले विश्व के बच्चों का अनुपात पिछले कुछ वर्षों में जस का तस बना हुआ है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत DTP3 की खुराक प्राप्त करने वाले शिशुओं की संख्या लगभग 11.6 मिलियन यानी 85% के बराबर है।
- इसके अलावा, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के कारण 2010 की तुलना में 2017 में अतिरिक्त 4.6 मिलियन शिशुओं को विश्व स्तर पर टीका लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज़ तक पहुँचने के लिये और प्रयास करने की आवश्यकता है।
- जारी आँकड़ों में कहा गया है कि अनुमानित 20 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को DTP3 टीकाकरण की ज़रूरत है, 45 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को खसरे के टीके की दूसरी खुराक और 76 मिलियन से अधिक बच्चों को निमोकोकल संयुग्म टीके (pneumococcal conjugate vaccine -PCV) की तीन खुराक के साथ टीकाकरण की ज़रूरत है।

पोलियो उन्मूलन:

- 19.9 मिलियन शिशुओं में ऐ जिनका पूरी तरह से DTP3 के साथ टीकाकरण नहीं किया गया है, उनकी संख्या संघर्षरत देशों या नाज़ुक मानवीय हालात में रहने वाले देशों सहित 8 मिलियन या 40% है और उनमें से लगभग 5.6 मिलियन सिर्फ तीन देशों- अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान में रहते हैं। जहाँ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की मौजूदगी को बनाए रखना और नियमित टीकाकरण सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- इस बीच जीवन-रक्षक टीकाकरण पैकेज (life-saving vaccination package) के हिस्से के रूप में नई उपलब्ध टीकों को शामिल किया जा रहा है। इनमें वे टीके शामिल हैं जो मेनिनजाइटिस, मलेरिया के साथ-साथ इबोला के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) प्रजनन पथ का सबसे सामान्य वायरल संक्रमण है और यह सर्वाइकल कैंसर, अन्य प्रकार के कैंसर तथा पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में जननांग गाँठ (genital warts) का भी कारण बन सकता है। HPV टीके की शुरुआत 2017 में 80 देशों में की गई थी।
- दूसरी ओर, बच्चों की प्रमुख जानलेवा बीमारी जैसे रोटावायरस और निमोनिया की रोकथाम के लिये एक दशक से भी अधिक समय से टीके लगाए जा रहे हैं। लेकिन रोटावायरस और PCV का उपयोग धीमी गति से हुआ है। वर्ष 2017 में रोटावायरस के लिये वैश्विक कवरेज़ केवल 28% और PCV के लिये 44% था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों बीमारियों की रोकथाम के लिये किये जाने वाले टीकाकरण में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु कम करने की क्षमता है, जो सतत् विकास लक्ष्यों में से एक है।

बाल संरक्षण विवादों को हल करने के लिये नया प्रकोष्ठ

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने संसद को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक विवाद के मामलों से उत्पन्न बाल संरक्षण विवादों को हल करने के लिये शीर्ष बाल अधिकार निकाय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के तहत एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन में प्रवेश करने या इस मुद्दे पर घरेलू कानून बनाने पर निर्णय लेने का फैसला नहीं लिया है।
- मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से NCPCR के अध्यक्ष के अंतर्गत एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह प्रकोष्ठ उन बच्चों से संबंधित मामलों को हल करेगा जिन्हें माता या पिता में से किसी एक के द्वारा बिना किसी अन्य की अनुमति के अपने साथ ले जाया गया है।
- इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य भारत का किसी अन्य देश से या इसके विपरीत स्थिति में वैवाहिक विवाद के चलते बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए माता-पिता के लिये योजना तैयार करना है।
- उल्लेखनीय है कि अमेरिका बहुपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये भारत पर दबाव डाल रहा है।
- बाल अपहरण रिपोर्ट 2018 के मुताबिक, अंतर-देशीय माता या पिता द्वारा बिना एक-दूसरे की सहमति के जबरदस्ती बच्चों को अपने संरक्षण में लेने के 104 मामलों के साथ, भारत दूसरे स्थान पर है जबकि मेक्सिको 241 मामलों के साथ प्रथम स्थान पर था।

सबसे अच्छे शासित प्रदेशों की सूची में केरल शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

बेंगलूरू स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी शासन की गुणवत्ता पर सूचकांक में केरल सबसे अच्छे शासित बड़े राज्यों की सूची में तीसरी बार शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- पब्लिक अफेयर सूचकांक 2018, 10 प्रमुख थीम, 30 केंद्रित विषयों और 100 संकेतकों पर आधारित था जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात क्रमश: दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे।
- बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश को इन संकेतकों में सबसे निचला स्थान मिला है, जो इन राज्यों में व्याप्त उच्च सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की ओर संकेत करता है।

नोट :

- वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला यह सूचकांक आँकड़ों पर आधारित एक तंत्र के माध्यम से राज्यों में शासन प्रदर्शन की जाँच करता है, जो राज्यों द्वारा प्रदान किये जाने वाले सामाजिक और आर्थिक विकास पर आधारित होता है।
- छोटे राज्यों (दो करोड़ से कम जनसंख्या) के बीच हिमाचल प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर रहा, इसके बाद क्रमश: गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने सुशासन के लिये शीर्ष पाँच राज्यों में स्थान प्राप्त किया। मेघालय, मणिपुर और नगालैंड को छोटे राज्यों के लिये सूचकांक के निचले स्थानों पर रखा गया।
- प्रत्येक राज्य बच्चों के लिये कितन अनुकूल है यह जानने के लिये इस वर्ष के संकेतकों में भारत के बच्चों पर आधारित एक अलग सूचकांक भी शामिल किया गया है।
- केरल, हिमाचल प्रदेश और मिज़ोरम सभी बच्चों के लिये बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर हैं।

एनआरसी लिस्ट से बाहर होना विदेशी होने की घोषणा नहीं : गृह मंत्रालय

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न (NRC) का हिस्सा नहीं हैं उन्हें अपने आप विदेशी घोषित नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने के लिये एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें न्यायिक सहायता भी मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- सरकार 31 अगस्त तक अंतिम एनआरसी प्रकाशित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये तथा इसके सुधार की निगरानी के लिये भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) से भी अपेक्षा करती है।
- एनआरसी 30 जुलाई को प्रकाशित किया जाना है। यह केवल एक मसौदा है और इसके प्रकाशन के बाद जिनका नाम इसमें से हटाया जाएगा, उन्हें दावा और आपत्ति दायर करने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
- सभी दावों एवं आपत्तियों की उचित तरीके से जाँच की जाएगी। शिकायतकर्त्ताओं को पर्याप्त समय देने के बाद सभी आपत्तियों और शिकायतों की जाँच होगी और उसके बाद एनआरसी अधिकारी एक महीने का समय देंगे। इसके बाद ही अंतिम एनआरसी का प्रकाशन किया जाएगा।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक अंतिम एनआरसी से अलग किये जाने का मतलब यह नहीं कि किसी को विदेशी घोषित किया जाएगा। यदि कोई असंतुष्ट है तो वह राज्य में विदेशी न्यायाधिकरण के पास न्याय के लिये जा सकता है। असम में करीब 300 विदेशी न्यायाधिकरण हैं।
- मंत्रालय के अनुसार, किसी को भी इस काम से डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य प्रशासन की मदद करने के लिये पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों को असम भेजा गया है।
- उल्लेखनीय है कि एनआरसी को 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षर किये गए "असम समझौते" के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है और यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।

एनआरसी असम क्या है ?

- एनआरसी का पूरा रूप नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है। एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- वर्तमान में असम में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। असम में एनआरसी अपडेट को नियंत्रित करने वाले प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में दिये गए हैं।
- एनआरसी अद्यतन के लिये प्रारूप को संयुक्त रूप से असम सरकार और भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है।
- असम में घुसपैठियों के ख़िलाफ़ वर्ष 1979 से छह साल तक चले लंबे आंदोलन के बाद 15 अगस्त, 1985 को केंद्र की राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच असम समझौता हुआ था।
- उसी समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी को अपडेट करने का काम चल रहा है। असम समझौते के मुताबिक 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान।

नोट :

आदिवासी एटलस

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में जनजातीय आबादी के लिये जनजातीय एटलस का अनावरण किया है। ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि यह देश में अपनी तरह का पहला संकलन है।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा जनजातीय एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है।
- इस एटलस में जनजातीय आबादी की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी संकलित है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा देश में दूसरा सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है।
- राज्य की जनजातीय आबादी मुख्य रूप से मलकानगिरी, मयूरभंज, रायगदा, नबरंगपुर, कंधमाल, कोरापुट, क्योंझर और गजपति ज़िलों में पाई जाती है।

मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के अलवर में गो-रक्षकों द्वारा 28 वर्षीय रकबर खान की हत्या किये जाने के तीन दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जाँच करने और निवारक उपायों का प्रस्ताव देने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

प्रमुख बिंदु

- इन स्थितियों से निपटने के लिये सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो इन मामलों पर विचार करेगी और अनुशंसाएँ देगी।
- न्याय विभाग, कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समिति चार सप्ताह में अपनी अनुशंसाएँ सरकार के समक्ष पेश करेगी।
- सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह के गठन का भी निर्णय लिया है जो अनुशंसाओं पर विचार करेगा।
- मंत्री समूह में निम्नलिखित मंत्रालयों के मंत्री शामिल हैं- विदेश, सड़क परिवहन व राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, कानून व न्याय तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता। मंत्री समूह अपनी अनुशंसाएँ प्रधानमंत्री को सौंपेगा।
- सरकार देश के कुछ हिस्सों में भीड़ द्वारा हिंसा किये जाने की घटनाओं से चिंतित है। सरकार ने पहले भी ऐसी घटनाओं की निंदा की है और संसद में अपना रुख स्पष्ट किया है कि वह कानून का शासन बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठा रही है।
- संविधान के अनुसार, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराध को नियंत्रित करने, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिये राज्य सरकारें ज़िम्मेदार हैं। अपराध की रोकथाम करने के लिये कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।
- 04 जुलाई, 2018 को बच्चा-चोरी के संदेह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने के मामले में भी सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिये सलाह जारी की गई थी। इसके पहले 9 अगस्त, 2016 को गो-रक्षा के नाम पर उपद्रवियों द्वारा गड़बड़ी फैलाने के संदर्भ में भी सरकार ने सलाह जारी करते हुए कठोर कार्रवाई करने को कहा था।
- सरकार ने सलाह जारी करते हुए राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे भीड़ की हिंसा और भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाएँ और इन मामलों में कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें।
- राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17 जुलाई, 2018 को दिये गए दिशा-निर्देशों को लागू करें।

नोट :

चेक बाउंस मामलों में त्वरित अभियोजन संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चेक बाउंस के मामलों में शिकायतकर्त्ता को मुआवज़ा मुहैया कराने हेतु त्वरित अभियोजन से संबंधित विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया।

प्रमुख संशोधन

- परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक (Negotiable Instruments (Amendment) Bill) को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक शिकायतकर्त्ता को अंतरिम मुआवज़े के भुगतान हेतु ड्रावर (व्यक्ति जो चेक लिखता है) को निर्देशित करने के लिये अदालत को चेक बाउंस अपराध के विचारण की अनुमति देता है।
- नए प्रावधानों के तहत शिकायत करने वाले को त्वरित न्याय मिलेगा। मामले की शिकायत करने वाले को 20 प्रतिशत अंतरिम राशि मुआवज़े के रूप में देने का प्रावधान किया गया है।
- यदि मामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 प्रतिशत और राशि न्यायालय में जमा करनी होगी। चेक जारी करने वाले को आर्थिक दंड पर 20 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशि 100 प्रतिशत भी कर सकता है।
- इस संशोधन से मुकदमेबाज़ी के मामलों में कमी आएगी तथा चेक और बैंकिंग प्रणाली पर विश्वसनीयता बढ़ेगी।
- विधेयक के ज़रिये अधिनियम में धारा 143 (a) का समावेशन किया गया है जिसमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है। धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ित पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 प्रतिशत अंतरिम राहत राशि देने की व्यवस्था है। बड़ी राशि होने और दो किस्तों में भुगतान करने की दशा में यह अवधि 30 दिन बढ़ाई जा सकती है।

भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित कर दिया है जो रिश्वत देने वालों और रिश्वत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधेयक लोक सेवकों के रिश्वत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना के अलावा तीन से सात साल तक के जेल की सज़ा का प्रावधान करता है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक सरकारी कर्मचारियों का दायरा भी बढ़ाता है जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिये पूर्व सरकारी मंज़ूरी के प्रावधान से संरक्षित किया जाएगा।
- जाँच शुरू करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति पाने के प्रावधान ने कई लोगों को यह कहने को प्रेरित किया है कि कानून अपने मूल मसौदे से "कमज़ोर" हो गया है।
- संशोधन विधेयक में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दो साल के अंदर ही निपटाना होगा। राज्यसभा में एक सप्ताह पहले ही इस बिल को मंज़ूरी मिल गई थी। विधेयक में सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से पहले लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना

- विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा प्रदान की गई है कि ईमानदार अधिकारी को झूठी शिकायतों से धमकाया न जा सके।
- पहले का भ्रष्टाचार विरोधी कानून और वर्तमान कानून "कपटपूर्ण रिश्वत देने वालों" और जो "मजबूर(coerced)" हैं, के बीच एक अंतर बताता है। ऐसे मामलों में विधेयक उन लोगों की रक्षा करता है जो इस मामले की रिपोर्ट सात दिनों के भीतर करते हैं।

नोट :

सरकार पर आरोप

- बहस में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने चुनाव व्यय को रोकने और राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये चुनावों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- एक संसद सदस्य ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे के बावजूद मल्टी-करोड़ राफेल सौदा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या द्वारा बैंक धोखाधड़ी सहित कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन वास्तविकता विल्कुल विपरीत है। देश में अधिकतम भ्रष्टाचार और न्यूनतम रोकथाम है। लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर भी सवाल उठाया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988

- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इसके पश्चात् भारत ने यूएनसीएसी की पुष्टि, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार आदि अपराधों से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई जैसे घटनाक्रमों की भी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई ताकि इसे भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप लाया जा सके और यूएनसीएसी के अंतर्गत देश के दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
- भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2013 को इसी उद्देश्य के अंतर्गत 19 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा को 6 फरवरी, 2014 को इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका।
- विधेयक में रिश्वतखोरी से संबंधित अपराधों को परिभाषित करने के एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के विचार को देखते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय विधि आयोग के विचार मांगे गए थे। भारतीय विधि आयोग की 254वीं रिपोर्ट के द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप इस विधेयक में संशोधन किये गए हैं।

लोकपाल की नियुक्ति पर सरकार का रुख 'पूर्णतः असंतोषजनक'

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी को सार्वजनिक सेवाओं और बिजली केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार से बचाने के लिये लोकपाल की नियुक्ति करने में सरकार का रुख पूरी तरह असंतोषजनक है। अदालत, सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसका लक्ष्य लोकपाल की नियुक्ति के लिये सटीक समय सीमा को निर्दिष्ट करना है। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की बेंच ने केंद्र की उन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हिस्सा लिया जबकि विशेष रूप से आमंत्रित मल्लिकार्जुन खडगे ने भाग लेने से इनकार कर दिया।
- वहीं, केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि सर्च पैनल के लिये जल्द ही फिर से बैठक आयोजित की जाएगी।
- पीठ ने कहा, केंद्र ने यह नहीं बताया कि लोकपाल की नियुक्ति कब तक होगी, इसलिये चार हफ्ते में नया हलफनामा दाखिल किया जाए।
- वहीं, याचिकाकर्त्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कानून को बने साढ़े चार का समय साल बीत चुका है। इसे लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। अब या तो अदालत अवमानना की कार्रवाई करे या फिर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का प्रयोग कर लोकपाल की नियुक्ति करे।

नोट :

- 17 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 19 जुलाई को प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक होगी और सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो लोकपाल के नाम पर सुझाव देगी।
- इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उम्मीद है कि बैठक में लोकपाल के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार को 23 जुलाई को रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिया गया था।
- 2 जुलाई को लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दस दिनों के भीतर कोर्ट को बताए कि लोकपाल की नियुक्ति में कितना समय लगेगा।

सर्च पैनल को अंतिम रूप देने में लगेगा समय

- के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि एक सर्च कमेटी को अंतिम रूप देने में समय लगेगा। इसके अलावा, नियुक्ति प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिये। लोकपाल के लिये उम्मीदवारों की पूरी तरह से जाँच करना ज़रूरी है।
- अदालत ने पिछले कई महीनों से लगातार लोकपाल की नियुक्ति को पूरा करने के लिये सरकार से आग्रह किया है।
- हालाँकि 2014 में पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को इन सभी वर्षों में लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि 16वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था। 2013 के इस कानून में चयन समिति के सदस्य के रूप में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है।
- अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर के साथ विपक्ष का नेता भी चयन समिति का हिस्सा है।
- हालाँकि, पिछले साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया था कि लोकपाल नियुक्ति प्रक्रिया को केवल विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के कारण रोकना नहीं चाहिये।

नागरिकों के महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखें : मसौदा विधेयक

चर्चा में क्यों ?

डेटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल 2018 के मसौदे की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट हाल ही में सरकार को सौंप दी गई। यह रिपोर्ट भारत में डेटा सुरक्षा कानून को मज़बूत करने और व्यक्तियों को निजता संबंधी अधिकार देने पर ज़ोर देती है। हालाँकि रिपोर्ट में सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून संबंधी प्रस्तावित संशोधनों को लेकर कुछ चिंताएं हैं और कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि संशोधन द्वारा आरटीआई कानून के प्रावधानों को कमज़ोर बनाया जा रहा है तथा इसके बाद सरकार से जानकारी हासिल करना और कठिन हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट तीन पहलुओं - नागरिक, राज्य और उद्योग से जुड़ी हुई है।
- डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिये फ्रेमवर्क की सिफारिश किये जाने हेतु जुलाई 2017 में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी।
- व्यक्तिगत आँकड़ों के संबंध में डेटा संरक्षण पर इस रिपोर्ट से उम्मीद है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सामूहिक संस्कृति निर्मित करना आवश्यक है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता हो, व्यक्तियों की सूचनात्मक गोपनीयता का सम्मान करता हो और सशक्तिकरण, प्रगति तथा नवाचार सुनिश्चित करता हो।

डेटा की एक प्रति भारत में संग्रहीत किये जाने की आवश्यकता

- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोपनीयता ज्वलंत समस्या बन गई है और इसलिये किसी भी कीमत पर डेटा की सुरक्षा के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य व्यक्तिगत डेटा को भारत क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिये डेटा की कम-से-कम एक प्रति को भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता होगी।

नोट :

- मसौदा विधेयक से भारत को उम्मीद है कि दुनिया के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिये यह एक आदर्श मॉडल बन सकेगा जो राज्य सहित भारत के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होगा।
- भारत में डेटा प्रोसेसर मौजूद नहीं होने की स्थिति में मसौदा विधेयक भारत में कारोबार करने वाले अन्य लोगों या प्रोफाइलिंग जैसी अन्य गतिविधियों पर लागू होगा जो भारत में डेटा प्रदाता की गोपनीयता को नुकसान पहुँचा सकता है।

डेटा प्रोसेसर पर जुर्माने का प्रावधान

- मसौदा विधेयक डेटा प्रोसेसर के लिये जुर्माने का भी प्रावधान करता है, साथ ही डेटा प्रोटेक्शन कानून के उल्लंघन के लिये डेटा प्रदाता को मुआवज़ा भी देने का प्रावधान करता है।
- मसौदा में किये गए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी डेटा संग्रह / प्रोसेसिंग इकाई के कुल विश्वव्यापी कारोबार का 4% या 15 करोड़ रुपए तक जुर्माने के रूप में देना होगा।
- डेटा सुरक्षा उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने में विफलता के लिये 5 करोड़ या कुल टर्नओवर का 2% जुर्माना हो सकता है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग स्पष्ट सहमति के आधार पर होनी चाहिये।
- समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा है मसौदा कानून एक संरचित और चरणबद्ध तरीके से लागू होगा।
- कानून लागू होने के बाद चल रही प्रोसेसिंग को कवर किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखें

- न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट डेटा संरक्षण की दिशा में पहला कदम है और जिस प्रकार प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए कानून को सुदृढ़ करना आवश्यक है। रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल "नए जूते खरीदने" की तरह हैं। हो सकता है यह शुरुआत में मुश्किल हो लेकिन बाद में आरामदायक होगा।
- रिपोर्ट में हालिया आरटीआई कानून का बारीकी से अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से धारा 8 (1) (j) का, जो निजता के अधिकार और किसी व्यक्ति की निजता भंग होने पर सूचना देने से मना करने का प्रावधान करती है। लोक सेवकों ने कई बार इस धारा का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना किया है।
- हालाँकि रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि निजता संबंधी अधिकारों के लिये आरटीआई कानून के प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि आरटीआई कानून में विशेष रूप से उन परिस्थितियों का जिक्र किया जाना चाहिये जिसमें निजी जानकारी के खुलासे और किसी व्यक्ति की निजता के बीच आनुपातिक प्रतिबंध हो।
- मसौदा विधेयक पर व्यापक संसदीय परामर्श किया जाएगा तथा रिपोर्ट और मसौदा कानून अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं और मंत्रिमंडल के साथ-साथ संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया के माध्यम से लाया जाएगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण

- मसौदा विधेयक में व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तथा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- मसौदे में कहा गया है कि डेटा प्रदाता को डेटा प्रोसेसर द्वारा व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित या रोकने का अधिकार होगा।

बच्चों के डेटा के साथ सावधानी बरतें-

- डेटा गोपनीयता पर समिति ने बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिये अलग और अधिक कठोर मानदंडों की आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया है।
- कंपनियों को कुछ प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग जैसे- व्यवहार संबंधी निगरानी, ट्रैकिंग, लक्षित विज्ञापन और किसी अन्य प्रकार की प्रोसेसिंग से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये क्योंकि यह बच्चों के हित में नहीं है।
- यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की प्रक्रिया को डेटा की नियमित प्रोसेसिंग की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर वैधानिक विनियमन के लिये बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिये।

नोट :

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाली दो प्रकार की संस्थाएँ विद्यमान हैं। पहला प्रकार, जो मुख्य रूप से बच्चों को सेवा प्रदान करने का ऑफर देते हैं ,जैसे- यूट्यूब किड्स, हॉट व्हील और वॉल्ट डिज़्नी तथा दूसरा, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया सेवाएँ हैं।
- समिति ने सिफारिश की है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी में वेबसाइटों या ऑनलाइन सेवाओं को नामित करने की शक्ति होगी जो भारी संख्या में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को "अभिभावक डेटा प्रत्ययी" के रूप में संसाधित करती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ डेटा प्रोसेसिंग को बच्चों के लिये हानिकारक पाया गया है।
- समिति के मुताबिक कंपनी पर किसी बच्चे के डेटा को सही ढंग से संसाधित करना माता-पिता की सहमति पर आधारित होना चाहिये।

डिजिटल ग्रोथ बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता

- डेटा संरक्षण पर न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच एक अंतर्निहित तनाव है।
- इस तनाव का कारण डेटा की मात्रा है जिसे फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन जैसी कंपनियाँ और यहाँ तक कि सरकारी कंपनियाँ उपयोगकर्त्ताओं से एकत्र करती हैं।
- ये कंपनियाँ अक्सर अधिक-से-अधिक डेटा की मांग कर उन्हें एकत्र करने के बाद डेटा का उद्देश्य निर्धारित करती हैं। साथ ही, उनके अज्ञात डेटा को भी पहचाना जा सकता है।
- यही कारण है कि समिति ने एक व्यक्ति की निजता की सुरक्षा के लिये दो स्तंभों की पहचान की है। पहला "डेटा न्यूनीकरण" (इकाई को केवल आवश्यक डेटा ही एकत्र करना चाहिये) और दूसरा "उद्देश्य का विवरण" (उद्देश्य का खुलासा होना चाहिये कि डेटा क्यों एकत्रित किया जा रहा है)।

बलात्कार के मामलों के विचारण के लिये 1,023 विशेष अदालतों की ज़रूरत

चर्चा में क्यों ?

कानून मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों और महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मुकदमों के विचारण के लिये एक नई योजना के तहत 1000 से अधिक 'फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों' की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने इन विशेष अदालतों की स्थापना के लिये 767.25 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है।
- विभाग ने गृह मंत्रालय को बताया है कि इस कार्य के लिये 474 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी।
- अनुमान लगाया गया है कि बलात्कार और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POSCO) के मामलों के लिये कुल 1,023 FTSC (फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों) की स्थापना की जानी चाहिये। इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय को भेजा गया है।
- नई योजना हाल ही में एक अध्यादेश का हिस्सा बनी जो अदालतों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार करने के दोषी ठहराए जाने वालों को मौत की सज़ा देने की इज़ाज़त देता है।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), साक्ष्य अधिनियम और पास्को अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- इस योजना में भौतिक आधारभूत संरचना और अभियोजन मशीनरी को मज़बूत करना, निचली अदालतों के लिये न्यायिक अधिकारियों की आवश्यक संख्या का प्रावधान, लोक अभियोजकों के अतिरिक्त पदों का सृजन, समर्पित जाँचकर्त्ताओं और विशेष फोरेंसिक किट सहित अनेक घटकों को शामिल किया जाएगा।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अधिकार विहीन लोगों और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के विचारण के लिये देश भर में 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही कार्यरत हैं।
- 524 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 100 महाराष्ट्र में, 83 उत्तर प्रदेश में, 39 तमिलनाडु में, 38 आंध्र प्रदेश में और 34 तेलंगाना में स्थापित हैं। अध्यादेश के हिस्से के रूप में प्रस्तावित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष रूप से बलात्कार और बाल बलात्कार के मामलों का निपटारा करेंगे।

नोट :

- आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश के अनुसार, ऐसे मामलों से निपटने के लिये नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाएंगे और बलात्कार के मामलों के लिये विशेष फोरेंसिक किट दीर्घ अवधि तक सभी पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों को प्रदान किये जाएंगे।
- यह अध्यादेश बलात्कार के अपराधियों के लिये कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है विशेष रूप से 16 साल तथा 12 साल से कम आयु की लड़कियों के मामले में। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

राज्यों को मिलना चाहिये कर छूट में संदेह का लाभ: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में न्यायाधीश रंजन गोगोई कि अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायलय की एक पाँच सदस्यीय पीठ ने 21 साल पुराने फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि जब कर छूट अधिसूचना में चीजें स्पष्ट न हो तो ऐसी अनिश्चितता का लाभ राज्य के पक्ष में जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि यदि कर देनदारी संबंधी अधिनियम में चीजें अस्पष्ट हों तो संदेह का लाभ करदाता को मिलना चाहिये।
- पीठ ने कहा कि सरकार की कर रियायत संबंधी अधिसूचना में संदेह की स्थिति में उसके लाभ का दावा करदाता नहीं कर सकता। न्यायलय का मानना है कि ऐसी अधिसूचना का गहराई से विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है।
- न्यायालय के अनुसार, लाभ की प्रासंगिकता साबित करने की जवाबदेही करदाता पर होगी और करदाता को यह साबित करना होगा कि उसका मामला छूट उपबंध या छूट अधिसूचना के मानदंडों के अंतर्गत आता है।
- न्यायलय के अनुसार, जब भी कर रियायत अधिसूचना में कोई संदेह होता है तो इस प्रकार की संदेह की स्थिति का दावा करदाता द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे राजस्व (सरकार) के पक्ष में परिभाषित किया जाना चाहिये।
- संविधान पीठ ने 1997 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के उस आदेश को पलट दिया। जिसमें पीठ ने सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे के बीच के विवाद में यह व्यवस्था दी थी कि कर छूट प्रावधान में अगर कोई संदेह पैदा होता है तो इसे करदाता के पक्ष में परिभाषित होना चाहिये और वह इस छूट का दावा कर रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, सन एक्सपोर्ट मामले में फैसला सही नहीं था और जो भी फैसले सन एक्सपोर्ट मामले की तरह के हुये उन्हें पलटा हुआ माना जायेगा।

आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों ?

बलात्कार के मामलों में फांसी की सज़ा संबंधी आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक प्रावधान किये गए हैं। इस विधेयक के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सज़ा तथा एक वयस्क महिला के साथ बलात्कार के मामले में न्युनतम सजा को 7 से 10 साल तक बढाने का प्रावधान किया गया हैं।

आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018

- आईपीसी, 1860 के अंतर्गत बलात्कार के अपराध के लिये कम से कम 7 सात वर्ष के सश्रम कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।
- अध्यादेश न्यूनतम कारावास की अवधि को बढ़ाकर 7 वर्ष से 10 वर्ष करता है।
- अध्यादेश नाबालिगों के बलात्कार से संबंधित तीन नए अपराधों को प्रस्तुत करता है और प्रत्येक के लिये दंड को बढ़ाता है।

नोट :

12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार

- 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिये 20 वर्ष का सश्रम कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिये जुर्माना अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।
- 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिये आजीवन कारावास के साथ-साथ पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिये जुर्माना अथवा मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।

16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार की सज़ा

- इससे पहले बलात्कार के लिये दस वर्ष के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था, की सज़ा का प्रावधान था। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाता था। इसे बढ़ाकर कम-से-कम 20 वर्ष का सश्रम कारावास किया गया है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
- 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के लिये आजीवन कारावास के साथ-साथ पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

यौन अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम (पॉस्को), 2012 में संशोधन

- पॉस्को, 2012 के अंतर्गत नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) के साथ बलात्कार के लिये कम-से-कम 7 वर्ष या आजीवन कारावास, साथ में जुर्माने का दंड दिया जाता है।
- 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के साथ बलात्कार या नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार के लिये कम-से-कम 10 वर्ष के सश्रम कारावास या आजीवन कारावास, साथ में जुर्माने का दंड दिया जाता है।
- अध्यादेश पॉस्को अधिनियम में संशोधन करता है और कहता है कि ऐसे सभी अपराधों के लिये वह दंड लागू होगा जो कि पॉस्को अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत दिये जाने वाले दंड में से अधिक होगा।

आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), 1973 में संशोधन

- सीआरपीसी, 1973 के अनुसार किसी बच्चे के साथ बलात्कार की जाँच तीन महीने में पूरी होनी चाहिये, अध्यादेश जाँच ख़त्म होने की अवधि को तीन महीने से घटाकर दो महीने करता है।
- इसके अतिरिक्त अध्यादेश कहता है कि बलात्कार के सभी अपराधों में जाँच की यही समय-सीमा लागू होगी (जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और 12 वर्ष तथा 16 वर्ष के नाबालिगों के साथ बलात्कार शामिल है)।
- अध्यादेश के अनुसार, बलात्कार के मामलों में दंड के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिये।

अग्रिम ज़मानत

- सीआरपीसी, 1973 में उन शर्तों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके अंतर्गत अग्रिम ज़मानत दी जाती है।
- अध्यादेश के अनुसार 12 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र से कम की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार पर अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होगा।

मुआवज़ा

- सीआरपीसी, 1973 के अनुसार सभी बलात्कार पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार और मुआवज़ा दिया जाएगा।
- इस प्रावधान में 12 और 16 वर्ष की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है।

पूर्व-मंज़ूरी

- सीआरपीसी, 1973 के अनुसार कुछ अपराधों जैसे बलात्कार को छोड़कर दूसरे सभी अपराधों में सभी सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिये पूर्व मंज़ूरी की ज़रूरत होती है।
- इस प्रावधान में 12 और 16 वर्ष की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है।

नोट :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह निर्धारित करने में कि कोई कृत्य सहमति से था अथवा नहीं, पीड़िता का पूर्व यौन अनुभव या चरित्र मायने नहीं रखता है।
- इस प्रावधान में 12 और 16 वर्ष की नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है।

शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने हाल ही में दिवालियापन कानून में संशोधन के लिये प्रस्ताव पेश किया जो गृह खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में पहचाने जाने में सक्षम बनाता है और क्रेडिटर्स समिति (सीओसी) द्वारा एक संकल्प योजना को मंज़ूरी देने हेतु न्यूनतम मतदान सीमा को कम करता है। साथ ही अपनी कंपनियों की बोली लगाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रमोटरों को एक विशेष छूट प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करता है, जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूरी दी गई थी। वर्तमान में 4 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त संपत्तियाँ आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया से गुज़र रही हैं।
- यह विधेयक घर खरीदने वालों को राहत प्रदान करता है, जिनके बारे में रियल एस्टेट कंपनियों की समाधान प्रक्रिया में पहले कोई बात नहीं की गई थी। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि एक रियल एस्टेट परियोजना के तहत आवंटनकर्त्ता द्वारा जुटाई गई किसी भी राशि को उधार लेने के लिये वाणिज्यिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा।
- इसका अर्थ है कि गृह क्रेताओं के साथ दिवालियापन कानून के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के वित्तीय लेनदारों की भाँति व्यवहार किया जाएगा।
- यह विधेयक क्रेडिटर्स की समिति द्वारा "महत्त्वपूर्ण निर्णय" लेने हेतु एक प्रस्ताव योजना को मंजूरी देने के लिये आवश्यक न्यूनतम मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है। "नियमित निर्णयों" के लिये, न्यूनतम मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है।
- विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, एमएसएमई के डिफॉल्ट हो रहे प्रमोटरों को आईबीसी की धारा 29A द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी कंपनियों के लिये बोली लगाने में मदद मिलेगी। हालाँकि, यह छूट इरादतन चूककर्त्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होगी तथा उन्हें उनकी कंपनियों के लिये बोली लगाने से रोक दिया जाएगा।
- धारा 29A इरादतन चूककर्त्ताओं, अमुक्त शोधन अक्षमता वाली संस्था, प्रतिभूति बाज़ार में व्यापार से प्रतिबंधित व्यक्तियों और एक वर्ष से अधिक के लिये एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाता और बोलियाँ जमा करने से पहले अतिदेय राशि का भुगतान करने में विफल कंपनियों जैसी कई संस्थाओं को समाधान के लिये रखी गई कंपनियों की बोली लगाने से रोकती है।
- एमएसएमई के मामले में बड़ी कंपनियों को समाधान हेतु आवेदकों के रूप में आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये छूट दी जा रही है कि मौजूदा प्रमोटरों पर कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं की वज़ह से छोटी कंपनियाँ परिसमापन की ओर न बढ़ें।
- कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता संकल्प प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरूआत के संबंध में विधेयक प्रावधान करता है कि इस तरह के आवेदन को केवल एक विशेष प्रस्ताव के बाद कॉर्पोरेट देनदार के तीन-चौथाई शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- संहिता के तहत प्रवेश के बाद आवेदक द्वारा किसी मामले को वापस लेने के लिये सख्त प्रक्रिया का निर्धारण नए परिवर्तनों द्वारा किया गया है। इस तरह की निकासी को केवल 90 प्रतिशत वोटिंग शेयर सहित सीओसी की मंज़ूरी के साथ अनुमति होगी।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

कर विभाग ने 'तत्काल' पैन कार्ड सेवा शुरू की

चर्चा में क्यों ?

आयकर विभाग ने पहली बार यूनिक पहचान मांगने वाले व्यक्तियों के लिये आधार आधारित 'तत्काल' पैन आवंटन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मुफ्त है और वैध आधार धारकों के लिये ई-पैन का तत्काल आवंटन "पहले आओ, पहले पाओ" सेवा के आधार पर सीमित अवधि के लिये उपलब्ध है।

यह सेवा क्यों शुरू की गई ?

- एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह सुविधा पैन के लिये आवेदन करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण शुरू की गई है।
- इसके तहत आवेदनकर्त्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 'ओटीपी' भेजा जाता है और उसी के आधार पर नया पैन जारी कर दिया जाता है। यह ई-पैन सुविधा केवल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले नागरिकों के लिये है।
- नए पैन में नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता वही रहेगा जो आधार कार्ड में वर्णित होगा।
- ई-पैन सुविधा सिर्फ स्थानीय निजी करदाताओं के लिये है, न कि हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनियों और ट्रस्ट के लिये।

क्या है प्रक्रिया ?

- विभाग के मुताबिक, इसमें बहुत सारे दस्तावेज़ों को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आधार की जानकारी के ज़रिये ई-पैन प्राप्त किया जा सकेगा। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि दी गई जानकारी अपडेट हो, क्योंकि आधार डाटाबेस के जरिये ही ई-केवाईसी की जाएगी।
- आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के प्रयोग द्वारा ई-केवाईसी भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही ई-पैन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ सादे कागज़ पर अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन की गई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
- यह अपलोड होते ही 15 अंकों का पहचान नंबर आपके पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर आएगा। इस नई सुविधा से लंबी कागज़ी कार्यवाही के बाद भी पैन नंबर नहीं पाने वाले लोगों की समस्या दूर होगी।

समयसीमा बढ़ाई गई

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार को जोड़ने की समयसीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया है। यह पाँचवी बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है।
- माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिये 31 मार्च, 2018 की समयसीमा को बढ़ाने के निर्देश दिये गए थे।

FDI वृद्धि 5 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर

चर्चा में क्यों ?

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) वृद्धि दर पिछले पाँच वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy and Promotion - DIPP) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 मार्च के दौरान देश में FDI की आवक महज़ तीन प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 44.85 बिलियन डॉलर रही। जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह 8.67 प्रतिशत, 2015-16 में 29 प्रतिशत, 2014-15 में 27 प्रतिशत तथा 2013-14 में 8 प्रतिशत थी। हालाँकि, वर्ष 2012-13 में FDI प्रवाह में 38% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

नोट :

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, एफडीआई आवक की स्थिति में सुधार करने के लिये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस संबंधी नियमों में काफी सुधार किया जाने की ज़रूरत है।
- इसके साथ ही सरकार को घरेलू निवेश में वृद्धि करने संबंधी उपायों की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि देश में FDI के प्रवाह में वृद्धि की जा सके।
- वस्तुत: उपभोक्ता और खुदरा क्षेत्र में FDI की कम वृद्धि दर का मुख्य कारण इन क्षेत्रों में FDI नीतियों में निहित अनिश्चितता और जटिलता रही है।
- हालाँकि इस संदर्भ में सरकार की ओर से काफी प्रयास किये जा रहे हैं (बहुत से नियमों को सरल बनाया गया है तथा पहले से मौजूद व्यवस्थाओं में निहित अस्पष्टताओं में भी सुधार किया गया है), लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता और रिटेल कंपनियाँ भारत में निवेश करने से घबरा रही हैं।
- व्यापार नियमों में सुधार का प्रभाव देश की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में नज़र आता है, इसके बावजूद विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आकर्षित करने हेतु और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी देश के FDI के आकार में उस देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर नज़र आती है। पिछले कुछ वर्षों में देश में घरेलू निवेश के स्तर पर उदासीनता की स्थिति देखने को मिली है, जिसका प्रभाव अब एफडीआई के प्रवाह पर भी दिखाई देने लगा है।

UNCTAD की रिपोर्ट

- हाल ही में UNCTAD की एक रिपोर्ट में भी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में FDI प्रवाह वर्ष 2016 के 44 बिलियन डॉलर से घटकर वर्ष 2017 में 40 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
- आँकड़ों के अनुसार, देश में सबसे ज़्यादा FDI सेवा क्षेत्र (670 करोड़ डॉलर) में हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (615 करोड़ डॉलर), टेलीकॉम (621 बिलियन डॉलर), ट्रेडिंग (434 करोड़ डॉलर), कंस्ट्रक्शन (273 करोड़ डॉलर), ऑटोमोबाइल (200 करोड़ डॉलर) और ऊर्जा (162 करोड़ डॉलर) का स्थान है।
- इसी क्रम में यदि सबसे अधिक निवेश करने वाले देशों की बात करें तो इसमें मॉरीशस (1594 करोड़ डॉलर) शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर (1218 करोड़ डॉलर), नीदरलैंड्स (280 करोड़ डॉलर), अमेरिका (210 करोड़ डॉलर) और जापान (161 करोड़ डॉलर) का नंबर आता है।

भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) के अनुसार, वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में निरंतर अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फ्रोज़न झींगा और फ्रोज़न मछली के अग्रणी आपूर्तिकर्त्ता के रूप में अपनी स्थिति कायम रखने में सफल रहा है। ये आँकड़े समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Marine Products Exports Development Authority -MPEDA) द्वारा जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.08 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत ने 13,77,244 टन समुद्री खाद्य का निर्यात करते हुए 7.08 बिलियन डॉलर अर्जित किये हैं।
- इस निर्यात को बढ़ाने में फ्रोज़न झींगा और फ्रोज़न मछली का प्रमुख योगदान रहा।
- पिछले वित्त वर्ष में 5.77 बिलियन डॉलर मूल्य के 11,34,948 टन फ्रोज़न झींगा और फ्रोज़न मछली का निर्यात किया गया था।
- रुपए के हिसाब से वित्त वर्ष 2017-18 में 45,106.89 करोड़ रुपए मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 37,870.90 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया था। इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 19.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

नोट :

- विजाग, कोच्चि, कोलकाता, पीपावाव, कृष्णापट्टनम और जेएनपी समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिये प्रमुख बंदरगाह थे।
- 2017 में इक्वाडोर, अर्जेंटीना, वियतनाम और थाईलैंड की ओर से आपूर्ति में वृद्धि, झींगा के वैश्विक दामों में गिरावट और एंटीबायोटिक अवशेष से संबंधित हतोत्साहित करने वाले मुद्दों के बावजूद भारत का समुद्री खाद्य उद्योग निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि को बनाए रखने में सफल रहा है।
- MPEDA का उद्देश्य विभिन्न पहलों और नीतियों की मदद से 2022 तक 10 बिलियन डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है।

अमेरिका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया हैं भारतीय समुद्री खाद्य के प्रमुख बाज़ार

- भारत के समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रमुख बाज़ार के रूप में अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति बरकरार रही।
- इस बाज़ार में अमेरिका की हिस्सेदारी 32.76 प्रतिशत और दक्षिण-पूर्व एशिया की हिस्सेदारी 31.59 प्रतिशत है।
- इसके बाद यूरोपीय संघ (15.77 प्रतिशत), जापान (6.29 प्रतिशत), खाड़ी देश (4.10 प्रतिशत) और चीन (3.21 प्रतिशत) की हिस्सेदारी रही।

प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 10 महीनों के निम्नतम स्तर पर

चर्चा में क्यों ?

मई 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत आँकी गई है। हालाँकि मई में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट के चलते विकास की गति पिछले 10 महीनों के निम्नतम स्तर पर पहुँच गई। अप्रैल-मई के दौरान, आठ प्रमुख उद्योगों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3.3 प्रतिशत के मुकाबले 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं के भारांक (वेटेज़) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है।

प्रमुख बिंदु

- मई 2018 के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन कोयला तथा उर्वरक क्षेत्र का रहा।
- सीमेंट, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली में मई में क्रमश: 5.2 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस्पात उत्पादन 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ लगभग स्थिर था।

मई 2018 में विभिन्न उद्योगों का प्रदर्शन

- मई 2017 की तुलना में मई 2018 में कोयला उत्पादन में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इस दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.0 प्रतिशत अधिक रही।

कच्चा तेल

- मई, 2017 की तुलना में मई, 2018 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 2.9 प्रतिशत कम हो गया।
- कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.9 प्रतिशत कम रहा।

प्राकृतिक गैस

- मई, 2017 के मुकाबले मई, 2018 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1.4 प्रतिशत कम हो गया।

रिफाइनरी उत्पाद

- पेट्रोलियम रिफाइनरी पदार्थों का उत्पादन मई, 2018 में 4.9 प्रतिशत बढ़ गया।
- यह उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक रहा।

उर्वरक

- मई, 2018 के दौरान उर्वरक उत्पादन 8.4 प्रतिशत बढ़ गया।
- अप्रैल-मई, 2018-19 में उर्वरक उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.6 प्रतिशत अधिक रहा।

नोट :

इस्पात

- मई, 2018 में इस्पात उत्पादन 0.5 प्रतिशत बढ़ गया।
- अप्रैल-मई, 2018-19 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2.1 प्रतिशत ज़्यादा रहा।

सीमेंट

- मई, 2017 के मुकाबले मई, 2018 के दौरान सीमेंट उत्पादन 5.2 प्रतिशत अधिक रहा।

बिजली

- मई, 2017 के मुकाबले मई, 2018 के दौरान बिजली उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अप्रैल-मई, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 2.8 प्रतिशत अधिक रहा।

एनपीए की समस्या से निपटने के लिये परियोजना 'सशक्त'

चर्चा में क्यों ?

देश में सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्या को दूर करने के लिये 'सशक्त' नामक एक समग्र नीति लागू करने की घोषणा की गई है। यह समग्र नीति सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। 'सशक्त' योजना के अंतर्गत पाँच सूत्री फ़ॉर्मूले को लागू किया जाएगा जिसकी सिफारिश मेहता समिति द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि लगभग 200 बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें फँसा कर्ज़ 500 करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- 50 करोड़ तक की राशि के लोन को SME रेज़ोल्यूशन अप्रोच के तहत लिया जाएगा और 90 दिनों के भीतर इसका निपटारा किया जाएगा। समिति 90 दिनों के अंदर इन सभी खातों के बारे में फैसला करेगी कि इन्हें और अधिक ऋण देने की आवश्यकता है या बंद करने की।
- 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के NPA खातों में फँसे कर्ज़ के निपटान का फैसला अग्रणी बैंक की अगुवाई में लिया जाएगा।
- 500 करोड़ रूपए से अधिक की राशि वाले अन्य NPA खातों का निपटान यदि AMC के माध्यम से भी संभव न हो तो ऐसे खातों का निपटान दिवालिया कानून के तहत किया जाएगा।
- बैंक, विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करेगा और अगर वह इसे 180 दिनों के भीतर नहीं निपटा पाता है, तो इसका समाधान दिवालियापन कानून के तहत किया जाएगा।
- इस परियोजना को लागू करने के लिये बैंकों की एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा जो इस बात की निगरानी करेगी कि तय नियमों का अनुपालन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है कि नहीं।

AMC का होगा गठन

- 500 करोड़ रुपए से अधिक के फँसे ऋण के लिये एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की स्थापना की जाएगी।
- AMC बैंकों द्वारा NPA घोषित किये हुए ऋण को खरीदेगा जिससे इस कर्ज़ का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा।
- यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा।
- AMC सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के निवेशकों से धन जुटाएगी।

सुनील मेहता समिति

- सुनील मेहता समिति का गठन जून 2018 में किया गया था जिसकी अध्यक्षता सुनील मेहता को सौंपी गई।
- इस समिति से 'बैड बैंक' की व्यावहारिकता परखने एवं संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के गठन के लिये सिफारिश दिये जाने हेतु कहा गया था।
- इस समिति में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी एस जयकुमार तथा एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक सी वेंकट नागेश्वर शामिल थे।

नोट :

सार्क विकास निधि (SDF) क्षेत्रीय विकास बैंक बनने की राह पर

चर्चा में क्यों ?

सार्क के सदस्य देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये स्थापित मुख्य वित्तीय संस्थान सार्क विकास निधि (SDF) स्वयं को पूर्ण अधिकारों से युक्त सार्क विकास बैंक के रूप में स्थापित करने से पूर्व अपने ऋण विभाग को मज़बूत करने और वित्तीय बाज़ार में स्वयं को स्थापित करने वाली परियोजना पर काम कर रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सार्क विकास निधि की योजना खुद को निकट भविष्य में एक क्षेत्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने की है।
- SDF ने अक्षय ऊर्जा, शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय कारोबार संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से वार्ता शुरू की है। इन ऋणदाताओं में चीन के नेतृत्व वाला AIIB (Asian Infrastructure Bank) भी शामिल है।

सार्क विकास निधि (SAARC Development Fund- SDF)

- इसका गठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्यों ने 2010 में किया था तथा इसका मुख्यालय थिम्पू (भूटान) में है।
- इसके प्रबंधन निकाय में सभी सार्क देशों के वित्त मंत्री शामिल हैं।
- SDF ने अब तक 12 विकास परियोजनाओं पर काम किया है। इनमें ज़्यादातर सामाजिक परियोजनाएँ हैं। लेकिन अब यह निकाय बुनियादी ढाँचा परियोजना पर भी काम करने की योजना बना रहा है।

आगे की राह

- विश्व बैंक द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशिया क्षेत्र को मुख्य रूप से ऊर्जा, बिजली, परिवहन, दूरसंचार और पर्यावरण में बुनियादी ढाँचे के बीच अंतर को कम करने के लिये 1.7 ट्रिलियन डॉलर से 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक निवेश करने की आवश्यकता है।

अगले वित्तीय वर्ष में होगा जीडीपी तथा सीपीआई डाटा के आधार वर्ष में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में घोषणा की गई है कि वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आँकड़ों के आधार वर्ष में परिवर्तन होगा। सरकार की योजना इस वर्ष के अंत तक एक रोज़गार सर्वेक्षण लागू करने की भी है।

वर्तमान आधार वर्ष

- वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लिये आधार वर्ष 2011-12, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिये आधार वर्ष 2012 है।
- सामान्यत: आधार वर्ष में संशोधन, देश के आर्थिक परिदृश्य में होने वाले परिवर्तनों को शामिल तथा समायोजित करने लिये पाँच वर्षों में किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- जीडीपी एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामानों और सेवाओं के बाज़ार मूल्य की मौद्रिक माप है। सामान्यत: जीडीपी दो प्रकार की होती है:
  1. नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP)
  2. वास्तविक जीडीपी (Real GDP)
- वास्तविक GDP को मुद्रास्फीति के लिये समायोजित किया जाता है, जबकि नाममात्र GDP को मुद्रास्फीति के लिये समायोजित नहीं किया जाता है। इसलिये यह (Nominal GDP) वास्तविक GDP से हमेशा अधिक दिखाई देती है। उदाहरण के लिये वर्ष 2017-18 के लिये वास्तविक GDP 6.7, जबकि नाममात्र GDP 10 प्रतिशत है। फिर भी वास्तविक GDP को प्रमुखता से दर्शाया जाता है।

नोट :

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index -CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है।
- यह पालिसी ब्याज दर में परिवर्तन का आधार है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक लेखा परीक्षकों से संबंधित मानदंडों को किया सख्त

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों से संबंधित नियमों को सख्त कर दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी चूक (बैंक के वित्तीय वक्तव्य का गलत तरीका या लेखा रिपोर्ट में गलत जानकारी) के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कदम बैंकों में हुए घोटालों को देखते हुए उठाया है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अलावा अन्य कई बैंकों के घोटाले भी शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, यदि लेखा परीक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक न मिली तो वह निर्दिष्ट अवधि के लिये ऐसे लेखा परीक्षकों की नियुक्तियों को स्वीकार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। PNB घोटाले ने बैंकों में लेखा परीक्षा प्रक्रिया में कई चूकों का खुलासा किया था।
- इस ढाँचे में बैंकों के लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वक्तव्यों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और विचलन आदि के उदाहरण शामिल होंगे।
- पिछले तीन सालों में कई बैंकों ने अपने बैड लोन को कम करके बताया है जिससे पिछले कुछ वर्षों के दौरान गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) में वृद्धि हुई है।

लेखा परीक्षकों को कार्रवाई से पूर्व दिया जाएगा नोटिस

- भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, प्रवर्तन कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षकों को एक लिखित नोटिस दिया जाएगा इसके अनुसार लेखा परीक्षकों को उन्हें लिखित में यह कारण बताने की आवश्यकता होगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिये।
- नोटिस का जवाब देने के लिये लेखा परीक्षा फर्मों को 15 कार्य दिवसों की अवधि दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के विस्तार को मिली मंज़ूरी, नाबार्ड तय करेगा राशि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को अगले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक विस्तार देने की मंज़ूरी दी है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम निर्धारित पूंजी को 9 प्रतिशत के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) पर बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

पुनर्पूंजीकरण योजना के विस्तार से लाभ

एक मज़बूत पूंजीगत संरचना और CRAR के न्यूनतम स्तर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। इसके माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेश में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजीगत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

नोट :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना की शुरूआत वित्त वर्ष 2010-11 में हुई थी और इसे 2012-13 तथा 2015-16 में दो बार विस्तार दिया गया।
- अंतिम विस्तार 31 मार्च, 2017 तक के लिये था। 31 मार्च, 2017 तक कुल 1,450 करोड़ रुपए में से भारत सरकार के हिस्से के रूप में 1,107.20 करोड़ रुपए की धनराशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी की गई थी।
- शेष 342.80 करोड़ रुपए की धनराशि उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण सहयोग के लिये उपलब्ध कराई जाएगी जिनका CRAR 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 9 प्रतिशत से कम था।

नाबार्ड के परामर्श से की जाएगी ज़रूरतमंद क्षेत्रीय बैंकों की पहचान

- नाबार्ड के परामर्श से उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान की जाएगी जिन्हें पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता है। यह व्यवस्था वित्त मंत्री द्वारा 2018-19 के बजट घोषणा के अतिरिक्त होगी।
- बजट घोषणा में वित्तीय रूप से मज़बूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण व अन्य सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गईं थीं।
- इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग व अन्य उत्पादक गतिविधियों का विकास करना है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इनका पूंजी निवेश क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है।

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि : धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2018-19 के लिये 14 ख़रीफ़ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) में उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की घोषणा की है। MSP, कृषि उपज के लिये गारंटीकृत मूल्य है कीमतों में अचानक गिरावट होने पर यह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। सरकार द्वारा किया गया यह फैसला ऐतिहासिक है जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों को होगा लाभ लेकिन सरकार के खर्च में होगी अतिरिक्त वृद्धि

- इससे धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, रागी, उड़द, तुअर, कपास, सूरजमुखी, तिल आदि फसलों के उत्पादकों को लाभ मिलेगा।
- हालाँकि केंद्र सरकार को एमएसपी में बढ़ोतरी से 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना होगा।

सरकार के सामने चुनौती

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के किसानों के लिये अच्छी ख़बर है क्योंकि इनका धान सरकारी एजेंसियों द्वारा ख़रीद लिया जाता है।
- इन राज्यों के किसानों को धान की कीमत 11 से 13 प्रतिशत अधिक मिलेगी लेकिन जिन किसानों की फ़सल सरकार नहीं ख़रीदती उनको इसका इंतज़ार रहेगा कि सरकार उन्हें इस बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा कैसे पहुँचाएगी। यह सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

नोट :

कैसे मापा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य ?

- कृषि मंत्रालय सभी राज्यों में कृषि पर लागत का अध्ययन करवाता है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि किसी राज्य में कोई फसल उगाने पर लागत कितनी आती है।
- इस अध्ययन के साथ-साथ शेष अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार को अपनी संस्तुति देता है कि किसी फ़सल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिये।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का कारण

- न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय पूरे साल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, निर्यात क्षेत्र में प्रतियोगिता तथा उत्पाद की मांग आदि तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन इस बार इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा केवल कृषि पर लागत को देखते हुए उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई।
- सामान्यत: महँगाई के प्रभाव को देखकर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाती है।

2018-19 के बज़ट में शामिल था किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य

- बजट 2018-19 में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किये जाने हेतु कृषि नीति में ज़रूरी बदलाव करने का संकेत दिया गया था।
- बजट में बेहतर आय सृजन के जरिये किसानों की आय बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया था।

भारत को कृषि क्षेत्र में नए साहसिक कदम उठाने की जरुरत : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) तथा इंडियन काउंसिल फार रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (ICRIER) द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट ज़ारी की गई है।

क्या कहा गया है रिपोर्ट में ?

- 'भारत में कृषि नीतियाँ' विषय पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद तथा बिजली आदि पर सब्सिडी देने के बावजूद वर्ष 2014 और 2016 के बीच सकल कृषि आय में सालाना 6 प्रतिशत की कमी हुई है।
- खेती के लिये ज़मीन का छोटा आकार, कम उत्पादकता, जलवायु संबंधी चुनौतियाँ, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, खाद्य सुरक्षा, अल्पविकसित फूड प्रोसेसिंग और रिटेल सेक्टर को इस रिपोर्ट ने समस्याओं के रूप में शामिल किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कृषि संबंधी नीतियों को बनाने तथा लागू करने का कार्य संस्थानों की जटिल प्रणाली द्वारा किया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केंद्र व राज्य के नीति निर्माता समस्याओं पर बात कर सकें।
- भारतीय किसानों को जटिल घरेलू बाज़ार नियमन तथा आयात एवं निर्यात पाबंदी का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कई बार उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की तुलना में कम मूल्य मिलता है।

रिपोर्ट में शामिल सुझाव

- इसमें सरकार से कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि तथा किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिये नए साहसिक कदम उठाने तथा मौजूदा सुधारों में तेज़ी लाने का सुझाव दिया गया है।
- इसके अनुसार, सरकार को आयात शुल्कों में कमी करने के साथ ही अन्य पाबंदियों को हटाना चाहिये।
- रिपोर्ट में सुधारों को आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सब्सिडी एकमुश्त दिए जाने की भी सिफारिश करनी चाहिये।

नोट :

- बाज़ार नियमन में सुधार तथा बाज़ार व्यवस्था को मज़बूत करने की वकालत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) जैसे कदम को तेज़ी से लागू किया जाना चाहिये।
- OECD तथा इक्रियर (ICRIER) ने बजट के जरिये कच्चे माल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे वापस लेने का सुझाव दिया है।

तेल की कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सबसे बड़ा खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस द्वारा किये गए निवेशक सर्वेक्षण (investor survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये तेल की कीमतें, बैंकों की बैलेंस-शीटों के क्लीन-अप की गति और निवेश महत्त्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम हैं।

प्रमुख बिंदु

- रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, जहाँ एक ओर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों को सिंगापुर और मुंबई में बाज़ार प्रतिभागियों ने सर्वसम्मति से भारत की अर्थव्यवस्था के लिये मुख्य जोखिम माना, वहीं दूसरे सबसे बड़े जोखिम के संदर्भ में इनके बीच समान राय नहीं थी।
- मूडीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक के अनुसार, जहाँ सिंगापुर में 30.3% उत्तरदाताओं ने बढ़ती ब्याज दरों को तेल की कीमतों के बाद दूसरा बड़ा खतरा माना, वहीं मुंबई में 23.1% लोगों ने घरेलू राजनीतिक खतरों को दूसरा शीर्ष जोखिम माना।
- जून 2018 में मुंबई और सिंगापुर में मूडीज़ और इसकी भारतीय सहयोगी कंपनी आईसीआरए लिमिटेड ने चौथे वार्षिक 'भारत क्रेडिट सम्मेलन' का आयोजन किया।
- इस सम्मेलन में भारत द्वारा झेले जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण क्रेडिट संबंधी मुद्दों पर मतदान कराया गया।
- इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 175 लोगों ने भाग लिया।
- दोनों स्थानों पर उपस्थित लोगों में से अधिकांश का कहना था कि भारत मार्च 2019 में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जीडीपी के 3.3% राजकोषीय घाटे संबंधी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा।
- सिंगापुर में केवल 23.3% और मुंबई में 13.6% उत्तरदाताओं का मानना था कि राजकोषीय लक्ष्य हासिल हो पाएंगे, जबकि मुंबई में 84.7% और सिंगापुर में 76.7% का मानना था कि ऐसा हो पाना मुश्किल है।
- सिंगापुर और मुंबई दोनों जगह मतदान करने वाले प्रतिभागियों का मानना था कि बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु सरकार द्वारा जारी किया गया पैकेज सॉल्वेंसी चुनौतियों को हल करने के लिये अपर्याप्त है।
- मूडीज़ द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है, हालाँकि पुनर्पूंजीकरण पैकेज न्यूनतम नियामक पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, लेकिन यह क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये अपर्याप्त होगा।
- रिपोर्ट का मानना है कि बैंक इक्विटी बाज़ारों से नई पूंजी जुटाने में सक्षम नहीं हैं, जैसा कि सरकार के पुनर्पूंजीकरण उपायों के अंतर्गत प्लान किया गया था।
- संयोगवश, मुंबई में उपस्थित 59.6% लोगों ने माना कि बैंक योजनाबद्ध रूप से बाजारों से पूंजी जुटाने में असमर्थ होंगे, जबकि सिंगापुर में मतदान करने वालों में से 32.1% का भी यही मानना था।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तेज़ी लाएगा 'इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट'

चर्चा में क्यों ?

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट (Inter Creditor Agreement) के लिये सहमत हो गए हैं क्योंकि यह दस्तावेज तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मामलों में संबंधित अग्रणी बैंकों पर कार्रवाई का निर्णय लेने का काम करेगा। इस समझौते की संस्तुति हाल ही में ज़ारी मेहता समिति की सिफारिशों में की गई थी।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट का उद्देश्य बैंकों के बीच निर्णय लेने में होने वाली देरी को रोकना है।
- यह एक सहभागी प्रक्रिया है जो बैंकों के बीच प्रभावी तथा बेहतर संचार को सुनिश्चित करती है।
- बैंकों ने इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट की संरचना के लिये दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) में प्रस्तुत मतदान शेयरों का उपयोग किया है।
- इसके अनुसार, यदि 66 प्रतिशत उधारदाता तनावग्रस्त संपत्ति के संबंध में किसी भी विशेष निर्णय से सहमत हैं तो यह निर्णय अन्य बैंकों पर भी लागू होगा। संभवत: इस समझौते का प्रयोग IBC की रूपरेखा के अंतर्गत न आने वाले खातों पर किया जाएगा।
- समझौते के माध्यम से वित्तीय संस्थान द्वारा 180 दिनों में एक समाधान योजना लागू करने के लिये अग्रणी बैंक को अधिकृत किया जाएगा।

ICAT ने ज़ारी किया पहला BS-VI इंजन प्रमाणपत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (International Centre for Automotive Technology-ICAT) ने मेसर्स वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के लिये भारी-भरकम इंजन मॉडल हेतु प्रथम BS-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस इंजन का निर्माण एवं विकास वोल्वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है।
- 01 अप्रैल, 2020 की क्रियान्वयन तिथि से पहले ही इंजन का अनुपालन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के कारण इसे और अधिक मजबूत एवं किफायती बनाने हेतु पर्याप्त समय मिल जाएगा।
- भारत के लिये पारंपरिक BS-IV के स्थान पर नियामकीय रूपरेखा के अगले स्तर के रूप में सीधे BS-VI उत्सर्जन मानकों को अपनाना संभव हो गया है।
- BS-VI उत्सर्जन मानक अपने दायरे की दृष्टि से काफी व्यापक हैं और ये मौजूदा उत्सर्जन मानकों में व्यापक बदलावों को एकीकृत करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिये ज़्यादा स्वच्छ उत्पाद पेश करना अब संभव हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (International Centre for Automotive Technology-ICAT)

- अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICAT) भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण वाली नैट्रिप क्रियान्वयन सोसायटी (NATRiP implementation society -NATIS) का एक प्रभाग है।
- ICAT दरअसल राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण एवं आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project -NATRiP) के तहत स्थापित किये गए नवीन विश्वस्तरीय केंद्रों में से पहला केंद्र है।
- NATRiP का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने के साथ-साथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के क्षेत्र में समुचित सुविधाओं का विस्तार करना भी है।
- ICAT भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (Central Motor Vehicle Rules -CMVR) के तहत भारत में मान्यता प्राप्त 'टाइप अप्रूवल एंड होमोलोगेशन' (Type Approval and Homologation) एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- ICAT ऑटोमोटिव उद्योग के एक व्यापक प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है।

BS मानक

- भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आंतरिक दहन इंजन तथा स्पार्क इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को विनियमित करने के मानक हैं।

नोट :

- इन मानकों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वातावरण में घुल रहे ज़हर पर रोक लगाना है।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के BS मानक के आगे लिखी संख्या--2, 3 या 4 और अब 6 के बढ़ते जाने का मतलब है उत्सर्जन के बेहतर होते मानक जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। अर्थात् BS के आगे जितना बड़ा नंबर होगा उस गाड़ी से होने वाला प्रदूषण उतना ही कम होगा।
- विशेषज्ञों का मानना है कि BS-4 के मुकाबले BS-6 डीज़ल में प्रदूषण फैलाने वाले खतरनाक पदार्थ 70 से 75% तक कम होते हैं।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी : भारतीय रिज़र्व बैंक

चर्चा में क्यों ?

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा एक्सचेंज मैनेजमेंट पर जारी छमाही रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले 10 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है।
- आँकडों के अनुसार, 29 जून, 2018 को विदेशी मुद्रा भंडार 406.05 बिलियन डॉलर था जबकि उससे पूर्व सप्ताह में 22 जून, 2018 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 407.81 बिलियन डॉलर था।
- मार्च 2017 में विदेशी मुद्रा भंडार 370 बिलियन डॉलर था, जबकि दिसंबर 2017 में यह 409 बिलियन डॉलर था।
- रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार 406 बिलियन डॉलर पर पहुँच गया।
- अल्पावधि ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात जो कि मार्च 2017 के अंत में 23.8% था, दिसंबर 2017 के अंत में भी उसी स्तर पर बना रहा।
- विदेशी मुद्रा भंडार में अस्थिर पूंजी प्रवाह का अनुपात जो कि मार्च 2017 के अंत में 88.1% था, दिसंबर 2017 के अंत तक घटकर 86.9% हो गया।
- रिज़र्व बैंक के पास 560.32 टन स्वर्ण भंडार है, जिसमें से 268.01 टन स्वर्ण बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास सुरक्षित है।
- 399.44 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में से 262.01 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों मं निवेश किये गए थे, अन्य केंद्रीय बैंकों और BIS में 109.67 बिलियन डॉलर जमा किये गए थे और वाणिज्यिक बैंकों में 27.76 बिलियन डॉलर जमा थे।22 जून, 2018 तक विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन डॉलर में)

22 जून, 2018 तक विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन डॉलर में)		
1.	विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA)	382.5
2.	स्वर्ण	21.3
3.	विशेष आहरण अधिकार (SDR)	1.5
4.	रिज़र्व ट्रांस स्थिति (RTP)	2.5
कुल	(407.8)	

आयात कवर (Import Cover)

- आयात कवर (Import Cover) मुद्रा की स्थिरता का एक संकेतक है।
- आमतौर पर आयात कवर के 10 महीनों को मुद्रा के लिए स्थिरता के रूप में देखा जाता है।

नोट :

दूरसंचार कंपनियों द्वारा ट्राई (TRAI) के सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का विरोध

चर्चा में क्यों ?

दूरसंचार ऑपरेटरों ने क्षेत्रीय नियामक TRAI द्वारा अनुशंसित सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का विरोध किया है। इन ऑपरेटरों का कहना है कि इससे कर्ज़ में डूबे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने जैसा होगा।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India -TRAI) ने साइबर कैफे के मौजूदा नियमों की तर्ज़ पर पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर (Pubic Data Office Aggregator -PDOA) के लिये सिफारिश की है।
- सिफारिशों में कहा गया है कि जिस प्रकार साइबर कैफे पंजीकरण के पश्चात इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करते हैं, वैसे ही PDOA को दूरसंचार विभाग में पंजीकरण के बाद वाई-फाई इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी जाए।
- PDOA के रूप में नई कंपनियाँ पिछले दौर के PCO की तरह ही पब्लिक डाटा ऑफिस (Public Data Office -PDO) खोल सकेंगी।
- मोबाइल कंपनियों के शीर्ष संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (cellular Operators of India -COAI) के अनुसार, लाइसेंस के बिना इंटरनेट सेवाएँ बेचने के प्रस्ताव का अर्थ है मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था को पूरी तरह अनदेखा करना।
- COAI के अनुसार, ये सिफारिशें स्पेक्ट्रम और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिये नुकसानदायक हैं तथा इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि COAI अप्रैल 2017 से ही पब्लिक वाई-फाई सेवाओं के मामले में TRAI के सुझावों का विरोध कर रही है।

करेंसी डेरिवेटिव (currency derivatives) को जानें

संदर्भ

करेंसी डेरिवेटिव (currency derivatives) विक्रेता और खरीदार के बीच एक अनुबंध है, जिसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति, मुद्रा राशि से लिया जाता है। करेंसी डेरिवेटिव को विदेशी मुद्रा विनिमय दर अस्थिरता (Foreign Currency Exchange Rate Volatility) के खिलाफ किसी भी जोखिम का प्रबंधन करने के लिये सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है।

मुद्रा डेरिवेटिव क्या हैं ?

- मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर डेरिवेटिव भविष्य का एक अनुबंध है जो उस दर को निर्धारित करता है जिस पर किसी मुद्रा को किसी अन्य मुद्रा के लिये भविष्य की तारीख में आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- भारत में कोई भी व्यक्ति डॉलर, यूरो, यूके पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के खिलाफ बचाव के लिये ऐसे डेरिवेटिव अनुबंधों का उपयोग कर सकता है।
- विशेष रूप से आयात या निर्यात करने वाले कॉर्पोरेट इन अनुबंधों का उपयोग किसी निश्चित मुद्रा के जोखिम के खिलाफ बचाव के लिये करते हैं।
- हालाँकि, इस तरह के सभी मुद्रा अनुबंधों का रुपए में नकद के रूप में निपटारा (cash-settled) किया जाता है, इस साल की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्रॉस मुद्रा अनुबंध के साथ-साथ यूरो-डॉलर, पाउंड-डॉलर और डॉलर- येन के साथ व्यापार में आगे बढ़ने को कहा है।

करेंसी डेरिवेटिव के साथ कोई व्यापार कैसे कर सकता है ?

- दो राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSEI) में भी ऐसा ही सेगमेंट है लेकिन BSE या NSE पर इसका अधिक विस्तार देखा गया है।

नोट :

- कोई भी ब्रोकर के माध्यम से मुद्रा डेरिवेटिव में व्यापार कर सकता है। संयोग से सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकर भी मुद्रा व्यापार सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- यह इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग की तरह है और ब्रोकर के ट्रेडिंग एप के माध्यम से किया जा सकता है। यद्यपि डॉलर-रुपए का अनुबंध आकार 1,000 डॉलर है, लेकिन केवल 2-3% मार्जिन देकर व्यापार शुरू किया जा सकता है।

एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्मों पर ऐसे डेरिवेटिव क्यों शुरू किये गए थे ?

- एक्सचेंजों पर मुद्रा डेरिवेटिव की शुरुआत से पहले, केवल ओटीसी (over the counter) व्यवस्था थी। यह एक अपारदर्शी और बंद बाज़ार था जहाँ ज़्यादातर बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा कारोबार किया गया।
- एक्सचेंज आधारित करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट एक विनियमित और पारदर्शी बाज़ार है जिसका उपयोग छोटे व्यवसायों और यहाँ तक कि व्यक्तियों द्वारा उनके मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिये भी किया जा सकता है।

क्या डेरिवेटिव लोकप्रिय है ?

- 2008 में करेंसी सेगमेंट का अनावरण किया गया था और तब से इसके विस्तार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
- जून में BSE ने अपने मुद्रा डेरिवेटिव प्लेटफ़ॉर्म पर 33,961 करोड़ रुपए का औसत दैनिक कारोबार दर्ज किया, जबकि NSE ने 29,161 करोड़ रुपए का औसत दैनिक कारोबार दर्ज किया। MSEI ने जून में केवल 239 करोड़ रुपए के दैनिक औसत के हिसाब से कारोबार की सूचना दी।
- सेगमेंट में हुई वृद्धि को पिछले कुछ वर्षों में कारोबार में लगातार वृद्धि से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये 2014-15 में NSE के करेंसी सेगमेंट का औसत दैनिक कारोबार 12,705 करोड़ रुपए था जो 2015-16 में 18,603 करोड़ रुपए और उसके बाद 2017-18 में 20,779 करोड़ रुपए हो गया।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक औसत दैनिक कारोबार 29, 008 करोड़ रुपए आँका गया है।

जी-20 देशों ने पिछले सात महीनों में लागू किये 39 नए व्यापार-प्रतिबंधक उपाय (trade restrictive measures)

चर्चा में क्यों ?

WTO द्वारा ज़ारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका सहित जी-20 (दुनिया के 19 विकसित और विकासशील देशों तथा यूरोपीय संघ (EU) के देशों का समूह) सदस्यों ने उच्च शुल्कों और करों के साथ-साथ सात महीनों के दौरान सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के रूप में 39 नए व्यापार-प्रतिबंधक उपायों को लागू किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और चीन के नेतृत्व में विश्व स्तर पर तेज़ी से बढ़ रहे व्यापार युद्धों की पृष्ठभूमि के बाद आई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार-प्रतिबंधक उपायों की संख्या पिछली समीक्षा अवधि की तुलना में दोगुनी हो गई हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, "यह प्रति माह लगभग छह प्रतिबंधक उपायों के औसत के बराबर है, जो पिछली समीक्षा अवधि के दौरान दर्ज़ किये तीन प्रतिबंधक उपायों की तुलना में काफी अधिक है।"
- WTO के महानिदेशक रॉबर्टो अजेवेडो (Roberto Azevêdo) के अनुसार, जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस तरह के उपायों में उल्लेखनीय वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिये वास्तविक रूप से चिंता का विषय होना चाहिये।
- इस निरंतर वृद्धि के कारण वैश्विक व्यापार विकास के लिये "गंभीर खतरा" उत्पन्न हो गया है।
- व्यापार प्रतिबंधक कदमों में वृद्धि भारत के लिये अच्छी खबर नहीं है क्योंकि इससे देश के निर्यात में होने वाली वृद्धि प्रभावित होगी।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय भी हुए लागू

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने इस समीक्षा अवधि के दौरान व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये 47 उपायों को लागू किया।

नोट :

- इनमें टैरिफ, सरलीकृत आयात और निर्यात सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में कमी या कटौती के साथ-साथ आयात करों में कमी भी शामिल है।
- प्रतिमाह लगभग सात व्यापार-अनुकूल उपायों के औसत पर यह पिछली रिपोर्टिंग अवधि (अक्तूबर 2017 से मई 2018 के मध्य तक) में दर्ज़ छह उपायों की तुलना में मामूली रूप से अधिक है।

फ्राँस को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 के लिये ज़ारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।

क्या कहते हैं विश्व बैंक द्वारा ज़ारी आँकड़े ?

- 2017 में भारत 2.59 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जिसने फ्राँस को सातवें स्थान पर पहुँचा दिया है।
- आँकड़ों के अनुसार, फ्राँस का सकल घरेलू उत्पाद 2.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- ब्रेक्जिट का सामना करने वाले यूनाइटेड किंगडम का सकल घरेलू उत्पाद 2.62 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि भारत की तुलना में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है।
- अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका सकल घरेलू उत्पाद 19.39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- 12.23 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर सकल घरेलू उताप्द के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।
- जापान 4.87 ट्रिलियन तथा जर्मनी 3.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर शीर्ष दस में अन्य तीन देश ब्राज़ील (8वाँ), इटली (9वाँ) और कनाडा (10वाँ) हैं।
- अप्रैल, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ज़ारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.61 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ फ्राँस की 2.58 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP की तुलना में आगे रही।

भरतीय अर्थव्यवस्था के विकास के कारण

- हाल के वर्षों में भारत में व्यवसाय को सरल बनाने के लिये भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं।
- इन सुधारात्मक उपायों में वस्तु एवं सेवा कर (GST), विमुद्रीकरण (demonitisation) तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) का कार्यान्वयन शामिल है।
- मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान सरकारी खर्च तथा निवेश की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में 7.7 फीसदी तक उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, इस साल भारत की ग्रोथ 7.4 फीसदी रह सकती है और कर सुधार एवं घरेलू खर्चे के चलते 2019 में भारत की विकास दर 7.8 फीसदी तक पहुँच सकती है। वहीं, दुनिया की औसत विकास दर के 3.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) एक सर्वेक्षण है जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चित्रित करता है।
- WEO पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

नोट :

विश्व बैंक (World Bank)

- विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है।
- इसकी स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में हुई थी।
- इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है।
- इसका उद्देश्य विश्व को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाना, विश्व में गरीबी को कम करना तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से आयातित तेल में कटौती की

संदर्भ

उद्योग और जहाज़रानी स्रोतों के आँकड़ों के मुताबिक अमेरिका की ओर से ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की बात कहे जाने के एक महीने बाद जून में ईरान से भारत के कच्चे तेल आयात में 16 फीसदी की कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में भारत ने तेल रिफाइनरीज़ से कहा है कि ईरान पर लगने वाले अमेरिकी प्रतिबंध के मद्देनजर उसे ईरान से कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती करनी होगी, इसलिये वे वैकल्पिक तेल आपूर्ति पर विचार करें।
- मई में अमेरिका ने कहा था कि वह 2015 में ईरान, रूस, चीन, फ्राँस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ किये गए समझौते से बाहर आने के बाद दोबारा से प्रतिबंध लगाएगा, जबकि ईरान पहले लगे प्रतिबंधों को हटाने के एवज में अपनी परमाणु गतिविधियों में कमी लाने पर राजी हुआ था।
- उल्लेखनीय है कि भारत, चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल ग्राहक है।

खरीदारों से जुड़ी चिंताएँ

- निजी रिफाइनरीज़ द्वारा कम खरीद की वजह से जून में ईरान से भारत के आयात में कमी आई, जबकि सरकारी रिफाइनरीज़ ने कच्चे तेल की खरीद को बढ़ाया था।
- जून में भारत ने ईरान से प्रतिदिन 5,92,800 बैरल कच्चे तेल का ही आयात किया था, जबकि इसकी तुलना में मई में प्रतिदिन 7,05,200 बैरल कच्चे तेल का आयात किया गया था।
- भारत की लगभग प्रतिदिन 50 लाख बैरल तेलशोधन क्षमता में सरकारी रिफाइनरीज़ की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है।
- आँकड़ों के मुताबिक सरकारी रिफाइनरीज़ द्वारा ईरान से आयातित तेल की खरीद मई की तुलना में जून में करीब 10 फीसदी बढ़कर 4,54,000 बैरल प्रतिदिन रही।
- ईरान में एक प्राकृतिक गैस फील्ड को विकसित करने के अधिकार को लेकर उपजे विवाद के चलते वित्त वर्ष 2017-18 में भारत के सरकारी रिफाइनरीज़ ने तेल आयात में कटौती की थी।
- हालाँकि, ईरान की तरफ से मुफ्त नौवहन और 60 दिनों की बढ़ी हुई उधारी अवधि की पेशकश के बाद सरकारी रिफाइनरीज़ ने मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से आयात में वृद्धि की योजना बनाई थी।
- इस दौरान सरकारी रिफाइनरीज़ द्वारा आयात करीब दोगुने से अधिक बढ़कर 1,91,700 बैरल प्रतिदिन से 4,13,400 बैरल प्रतिदिन हो गया।
- लेकिन जिस गति से ज़ीरो टोलरेंस नीति आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान के मौजूदा कच्चे तेल केखरीदारों की चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं।

नोट :

राज्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति : रिज़र्व बैंक ने जताई चिंता

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। वेतन तथा पेंशन के बढ़ते बोझ, आय के स्रोतों में कमी तथा इन सबके साथ किसानों की कर्ज़ माफी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) आदि सभी तथ्यों को जोड़ते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में जो तस्वीर पेश की है, वह बहुत ही आकर्षक नहीं कही जा सकती। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड सहित कई पूर्वोत्तर राज्य आने वाले दिनों में राजकोषीय संतुलन की केंद्र की कोशिशों पर भी पानी फेर सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- हर साल सभी राज्यों के बजटीय प्रपत्रों का आकलन करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
- RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) की तुलना में उनका राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 3.1 प्रतिशत रहा है।
- पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा किसानों की माफ़ की गई राशि उनके कुल GDP का 0.32 प्रतिशत रही है, जबकि पहले, इसके 0.27 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
- जैसे कि वर्ष 2011-12 के बाद से राजकोषीय संतुलन की जिन कोशिशों का असर राज्यों के बजट पर दिखाई देने लगा था, वे पिछले तीन वित्त वर्षों से अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं।
- पिछले तीन वर्षों से लगातार राज्य समग्र तौर पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में असफल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में क्या होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि कई राज्यों में किसानों के कर्ज़ की माफी का फैसला किया जा रहा है।
- पिछले वित्त वर्ष के अंत में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने इस प्रकार की घोषणाएँ की थीं। इन सभी का असर वर्ष 2018-19 के वित्त वर्ष के बजट पर पड़ रहा है।
- इस वर्ष भी कम-से-कम दस राज्यों में चुनाव होने हैं। इन सभी राज्यों पर इसका असर होगा।

कर्ज़ माफ़ी पर रिज़र्व बैंक ने उठाए सवाल

- राज्य सरकारों द्वारा किसानों के क़र्ज़ की माफ़ी पर सवाल उठाते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है कि क़र्ज़ माफ़ी के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई हो।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, कर्ज़ माफ़ी से महँगाई बढ़ने का भी खतरा रहता है।
- यह भी देखा गया है कि जिन राज्यों में किसानों के कर्ज को माफ कर दिया गया है, उनके पूंजीगत राजस्व में कमी आई है जिसके कारण राज्यों की विकास दर कम हुई है।
- सरकारों द्वारा कर्ज़ माफ़ी मिलने से कर्ज़ लेने वाले लोगों में यह संदेश जाता है कि यदि वे कर्ज़ की अदायगी नहीं भी करेंगे तो भविष्य में उनका कर्ज़ माफ़ हो सकता है और इसका असर बैंकों की सामान्य गतिविधियों पर पड़ता है।

आगे की राह

- इस वर्ष वस्तु एवं सेवा कर (GST) में स्थिरता आने के कारण राज्यों का राजस्व संग्रह बढ़ने की संभावना है।
- सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर आधार को बढ़ाने का प्रयास किया गया है सरकार के इस कदम से भी कर संग्रह बढ़ेगा जिसमें राज्यों को ज़्यादा हिस्सा मिलने की भी संभावना है।
- इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने राज्यों से कहा है कि वे राजस्व बढ़ाने के नए संसाधनों पर अधिक ध्यान दें और खर्चों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहें।

नोट :

खुदरा महँगाई दर में हुई वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन हुआ धीमा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, खाद्य कीमतों में कमी के बावजूद खुदरा महँगाई दर जून माह में पाँच माह के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जबकि मई माह में औद्योगिक उत्पादन घटकर सात माह के निम्नतम स्तर पर पहुँच गया।

खुदरा महँगाई दर

- जून में खुदरा महँगाई दर बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई जो कि मई में 4.87 प्रतिशत थी। पिछले साल इसी अवधि (जून, 2017) के दौरान खुदरा महँगाई दर 1.47 प्रतिशत थी।
- इससे पहले जनवरी 2018 में खुदरा महँगाई की उच्च दर (5.07 प्रतिशत) थी।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, जून में खाद्य मुद्रास्फीति 2.91 प्रतिशत थी, जो कि मई में 3.1 प्रतिशत थी।
- ईंधन और ऊर्जा' श्रेणी की सीपीआई दर जून में 7.14 प्रतिशत रही, जो कि मई में 5.8 प्रतिशत थी।

औद्योगिक वृद्धि दर

- देश का औद्योगिक उत्पादन मई में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया, जबकि अप्रैल की तुलना में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन 4.9 प्रतिशत था।
- औद्योगिकी समूह 'कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण' में सबसे अधिक 27.0 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद 'मोटर वाहन, ट्रेलर्स और सेमी-ट्रेलर्स' के विनिर्माण में 21.1 प्रतिशत और 'फर्नीचर निर्माण' में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- CSO द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के रूप में मापी गई फैक्ट्री उत्पादन की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही जो कि पूर्व में अनुमानित 4.9 प्रतिशत की दर से कम थी।
- औद्योगिक उत्पादन का पिछला निम्नतम स्तर 1.8 प्रतिशत था जो कि अक्तूबर, 2017 में दर्ज किया गया था।
- वहीं दूसरी तरफ, औद्योगिक समूह 'अन्य विनिर्माण' में सबसे अधिक नकारात्मक वृद्धि दर (-)31.9 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद 'तंबाकू उत्पादों के निर्माण' में (-)15.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई और 'पहनने वाले परिधान' में (-)12.8 प्रतिशत की कमी हुई।
- इस वित्त वर्ष के अप्रैल-मई के दौरान, IIP में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.1% थी।
- विनिर्माण क्षेत्र में (जो संपूर्ण सूचकांक का 77.63% है) मई में 2.8% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल इसी अवधि में 2.6% थी।
- खनन क्षेत्र के उत्पादन में मई में 5.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल मई में 0.3% थी।
- FMCG उपयोगकर्त्ता आधारित क्षेत्र ने सबसे खराब प्रदर्शन किया जिसका उत्पादन वार्षिक रूप से 9.7% की वृद्धि के मुकाबले 2.6% घट गया था।
- उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, मई 2017 की तुलना में मई 2018 में वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं में 5.7%, पूंजीगत वस्तुओं में 7.6%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 0.9% और बुनियादी ढाँचे/निर्माण वस्तुओं में 4.9% है।
- उद्योगों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 13 ने पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में मई 2018 के दौरान सकारात्मक वृद्धि देखी है।

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO)

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सांख्यिकीय गतिविधियों के मध्य समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के संवर्द्धन हेतु मई 1951 में 'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (CSO) की स्थापना की गई थी।
- यह कार्यालय देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वयन तथा सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है।
- यह राष्ट्रीय खातों को तैयार करने, औद्योगिक आँकडों को संकलित एवं प्रकाशित करने के साथ-साथ आर्थिक जनगणना एवं सर्वेक्षण का कार्य भी आयोजित करता है।
- यह देश में सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) की सांख्यिकीय निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

नोट :

- 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI) इसका नोडल मंत्रालय है।

शेयर ब्रोकर ग्राहकों से नहीं ले सकते नकदी : सेबी (SEBI)

संदर्भ

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक अधिसूचना ज़ारी कर शेयर दलालों (brokers) को यह निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों से किसी भी तरह का नकद लेन-देन नहीं कर सकते हैं।

उद्देश्य

सेबी द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- सेबी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान समय में इलेक्ट्रोनिक भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए ही शेयर दलालों को निर्देश दिया गया है कि-
  - वे ग्राहकों से सीधे नकदी नहीं लेंगे
  - अपने बैंक खातों में ग्राहकों से नकद जमा करने को नहीं कहेंगे और
  - ग्राहकों को भी नकद भुगतान नहीं करेंगे
- दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेन-देन चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य माध्यम से स्वीकार्य होगा।
- यह कदम सेबी की उन परियोजनाओं के अनुरूप है जिनका उद्देश्य पेपरलेस और कैशलेस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करना है।
- उल्लेखनीय है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा नकदी ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा भी कई कदम उठाए गए हैं। जिनमें ऑनलाइन बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI) आदि शामिल हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

Securities and Exchange Board of India (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत में प्रतिभूति बाज़ार का प्रमुख नियामक है।
- इसकी स्थापना 1988 में की गई थी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल, 1992 को इसे वैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया गया।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसका प्रमुख कार्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण और शेयर बाज़ार का विनियमन करना है।
- साथ ही शेयर बाज़ार में अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकना।
- प्रतिभूति बाज़ार के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों को जागरूक करना।
- भेदिया कारोबार पर रोक लगाना।

नोट :

राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन, 2018

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2018 को खान मंत्रालय ने इंदौर, मध्य प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन का पहला आयोजन वर्ष 2016 में रायपुर में, दूसरा आयोजन वर्ष 2017 में नई दिल्ली में तथा तीसरा सम्मलेन मार्च 2018 में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में पहली बार प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें उन खनिज ब्लाकों को प्रदर्शित किया गया जिनकी नीलामी राज्यों द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान की जानी है।
- अपनी तरह का यह प्रथम सम्मेलन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीव्र गति के विकास तथा रोज़गार सृजन के लिये खनन सेक्टर को सक्षम बनाने में मंत्रालय के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करेगा।
- यह सम्मेलन खनन क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत परिवेश को और बेहतर बनाने में सहयोग देगा जिससे जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होगी।

'एल्युमीनियम: द फ्यूचर मेटल'

- इस सम्मेलन के दौरान नाल्को के सीएमडी डॉ. तपन कुमार चंद द्वारा लिखित पुस्तक 'एल्युमीनियम: द फ्यूचर मेटल' (Aluminium –the future metal) का विमोचन किया गया।
- इस पुस्तक में एल्यूमीनियम धातु के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है तथा देश की अर्थव्यवस्था व उद्योग में इस धातु की भूमिका का वर्णन किया गया है।
- डॉ. चंद द्वारा लिखित यह दूसरी पुस्तक है। इससे पहले, उन्होंने 'एल्युमीनियम: द स्ट्रैटेजिक मेटल' (Aluminium : The Strategic Metal) नामक पुस्तक लिखी थी।

'नमस्या' (NAMASYA) ऐप

- नाल्को ने इस अवसर पर 'नमस्या' (NALCO Micro & Small enterprise Yogayog Application-NAMASYA) नामक मोबाइल एप भी लॉन्च किया।
- इस एप का विकास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया है।

तेलंगाना में किसानों के प्रत्येक एकड़ के 4,000 रुपए की सहायता किस प्रकार की जाएगी ?

चर्चा में क्यों ?

विगत माह तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिये रयथू बंधु योजना की शुरुआत की गई थी। इसे किसानों की निवेश सहायता योजना (FISS) के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना सामाजिक तथा कृषि नीति के लिये आदर्श साबित हो सकती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रयथू बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ 4,000 रुपए का "निवेश सहायता" प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के 31 ज़िलों की 1.42 करोड़ एकड़ कृषि भूमि को शामिल किया गया है और कृषि भूमि का मालिक प्रत्येक किसान यह लाभ पाने हेतु पात्र है।

नोट :

- सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, राज्य में 92% लाभार्थियों के पास 5 एकड़ से कम, 5% के पास 5-10 एकड़ तथा शेष 3% के पास 10 एकड़ से अधिक ज़मीन है।
- राज्य सरकार का मानना है कि चार या पाँच साल की अवधि में तेलंगाना के किसान रयथू बंधु योजना के द्वारा सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे।
- तेलंगाना के किसानों में ऋणग्रस्तता की समस्या बहुत अधिक है। किसान ऋण के लिये बैंकों में आवेदन करते हैं लेकिन बैंक उसे स्वीकृति प्रदान करने में देरी करते हैं।
- रयथू बंधु योजना के तहत प्राप्त धन से किसान बीज और उर्वरक खरीद सकते हैं तथा बुवाई शुरू कर सकते हैं। अब उन्हें महाजनों के पास रुपए उधार लेने के लिये नहीं जाना पड़ेगा।

लाभार्थी

- मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने इस योजना की घोषणा फरवरी में की थी और 10 मई को इसे लॉन्च किया गया। योजना की शुरुआत से पूर्व, राजस्व विभाग द्वारा संपूर्ण भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड की जाँच की गई और भूमि स्वामित्व के लिये नई पट्टेदार पासबुक जारी की गई।
- भूमि स्वामित्व के आधार पर 57.33 लाख किसानों को (प्रत्येक को 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक) कुल 5,600 करोड़ रुपए का चेक जारी किया गया।
- हालाँकि नाम या सर्वेक्षण संख्या में विसंगतियों के कारण कम-से-कम नौ लाख चेकों को भुनाया नहीं जा सका और ये वापस कर दिये गए।
- 5,000 से अधिक ग्राम्य राजस्व अधिकारी और कृषि विस्तार अधिकारी इस बात पर नज़र रखेंगे कि सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों ने फसल बोई है या नहीं। सरकार ने पिछले साल की शुरुआत में राजस्व विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर 72 लाख लाभार्थियों की एक सूची तैयार की थी।

भुगतान

- सरकार 18 नवंबर से उर्वरक, कीटनाशक तथा खेत की तैयारी के लिये चेक के वितरण के साथ-साथ रबी सीजन में 4,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कृषि पंप सेट के लिये 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।
- सरकार ने 2018-19 में रयथू बंधु योजना के लिये 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किये, किसानों को 24 × 7 मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिये 1000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है।
- सरकार सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) की बजाय अन्य माध्यमों से चेक जारी करेगी क्योंकि बैंक किसानों की पिछली देनदारियों को समायोजित करने के लिये डीबीटी धन का उपयोग कर सकते हैं।

अमीर, गरीब और बँटाईदार

- रयथू बंधु योजना की दो बिंदुओं पर आलोचना की गई है। पहला, यह अमीर किसानों और अमीर ज़मींदारों को बाहर नहीं करता है। हालाँकि, इस योजना में एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों को चेक वापस किया जा सकता है।
- सभी मंत्रियों और शीर्ष आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों, जिनके पास वास्तव में कृषि भूमि है, ने चेक को वापस कर दिया है।
- दूसरी आलोचना है कि यह योजना बँटाईदार किसानों को छोड़ देती है। तेलंगाना की अनुमानित 40% कृषक आबादी ज्यादातर गरीब और वंचित पृष्ठभूमि से आती है।
- बँटाईदार किसानों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे कृषि भूमि का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसका निर्धारण ज्यादातर अनौपचारिक और मौखिक पट्टा व्यवस्था के आधार पर किया जाता है।
- एक साल ये लोग एक गाँव की कृषि भूमि पर खेती करते हैं और अगले वर्ष एक अन्य अलग गाँव में चले जाते हैं। उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है तो यह अनावश्यक मुकदमेबाजी का कारण बन जाएगा।
- यदि बँटाईदारों को किसान और विस्तारित सहायता का हक़दार माना जाता है तो ज़मीन के असली मालिक अदालत का शरण लेंगे।

नोट :

कंपनी अधिनियम, 2013 : दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिये 10 सदस्यीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दंड प्रावधानों की समीक्षा करने और कुछ मामलों के गैर-अपराधीकरण की जाँच करने के लिये 10 सदस्यीय समिति गठित की है।

प्रमुख बिंदु

- कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली यह समिति 30 दिनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी ताकि इसकी अनुशंसाओं पर विचार किया जा सके।
- कंपनी मामले मंत्रालय का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत उन अपराधों की समीक्षा करना है जहाँ डिफॉल्ट की स्थिति में आर्थिक दंड लगाए जाते हैं।
- यह न्यायालयों को गंभीर प्रकृति के अपराधों पर अधिक ध्यान देने में भी सक्षम बनाएगा।
- इसके अलावा, समिति इस बात पर भी ध्यान देगी कि क्या किसी समाधान निषिद्ध अपराध (non-compoundable offences) – ऐसे अपराध जो अधिनियम के तहत दंड के रूप में केवल कारावास या कारावास व अर्थदंड दोनों की श्रेणी में आते हों, को क्षमायोग्य अपराध की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
- समिति एक आतंरिक तंत्र स्थापित करना चाहती है जहाँ MCA 21 प्रणाली द्वारा संचालित तरीके से जुर्माना लगाया जा सकता है ताकि विचारशीलता को कम किया जा सके।
- MCA 21 कंपनी के अधिनियम के तहत हितधारकों के लिये वैधानिक फाइलिंग जमा करने हेतु एक पोर्टल है।

सचिव की अध्यक्षता में समिति की संरचना

अध्यक्ष

- इंजेती श्रीनिवास, कंपनी मामले मंत्रालय के सचिव

सदस्य

- लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं बीएलआरसी के अध्यक्ष (सदस्य)
- उदय कोटक, एमडी, कोटक महेंद्रा बैंक (सदस्य)
- शार्दुल एस श्रॉफ, कार्यकारी अध्यक्ष, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी (सदस्य)
- अजय बहल, संस्थापक मैनेजिंग पार्टनर, एजेडबी (AZB) एंड पार्टनर्स (सदस्य)
- अमरजीत चोपड़ा, सीनियर पार्टनर, जीएसए एसोसिएट (सदस्य)
- अरघ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (सदस्य)
- सिद्दार्थ बिड़ला, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की (सदस्य)
- सुश्री प्रीति मल्होत्रा, पार्टनर एवं स्मार्ट ग्रुप की कार्यकारी निदेशक (सदस्य)
- संयुक्त सचिव (पॉलिसी), कंपनी मामले मंत्रालय (सदस्य-सचिव)

DBT के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

तीन केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा खाद्य सब्सिडी के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के कार्यान्वयन में उत्पन्न हुई समस्याओं को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राज्यों को DBT को लागू करने के संबंध में सावधान रहने की सलाह दी है।

नोट :

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण Direct Benefit Transfer (DBT)

- मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बिचौलिये तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिये का कोई काम नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर देती है। साथ ही लाभार्थियों को भुगतान उनके आधार कार्ड के ज़रिये किया जा रहा है।

DBT के क्रियान्वयन में समस्याएँ

- रिज़र्व बैंक द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें पूर्व-DBT खपत के स्तर को बनाए रखने के लिये अपर्याप्त हस्तांतरण, अंतिम दूरी तक वितरण तंत्र की अपर्याप्तता और कमज़ोर शिकायत निवारण प्रणाली जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया था।
- DBT के तहत गरीबों को चावल मिलने में हो रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुदुचेरी सरकार ने इस साल की शुरुआत में चावल आपूर्ति की पुरानी प्रणाली को फिर से लागू करने की अनुमति देने के लिये केंद्र से संपर्क किया था। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी राज्य सरकार के अनुरोध को सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है।

DBT की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में तीन केंद्रशासित प्रदेश- पुदुचेरी, चंडीगढ़ तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी इलाके, नकदी हस्तांतरण के तरीके को कार्यान्वित कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी एक घोषणा के अनुसार, 9.31 लाख लाभार्थियों को उनके बैंक खातों के माध्यम से हर महीने 12.82 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है। लाभार्थियों के पास खुले बाज़ार से अनाज खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध है।

DBT से होने वाले लाभ

- रिज़र्व बैंक का मानना है कि नकद हस्तांतरण की प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को लाने एवं ले जाने की आवश्यकता को कम कर दिया है। इसके अलावा, खाद्यान्नों की खपत भिन्नताओं को देखते हुए, DBT में आहार विविधता को बढ़ाने के अलावा लाभार्थियों को अपनी उपभोग की वस्तुएँ चुनने के लिये "अधिक स्वायत्तता" प्रदान करता है।
- DBT की अवधारणा को बढ़ावा देने का एक अन्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ियों को कम करना है, क्योंकि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के प्रावधानों की पूर्ति में अनाज के वितरण की मौजूदा प्रणाली के तहत एक विशाल खाद्य सब्सिडी बिल को समाहित करना है।
- उल्लेखनीय है कि 2017-18 के दौरान केंद्र ने सब्सिडी वाले खाद्य अनाजों के वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम तथा राज्यों के खाद्य निगमों को 1.42 लाख करोड़ रुपए प्रदान किये।

DBT के निष्पादन से पहले RBI ने कुछ नियमों को किया संदर्भित

- DBT के निष्पादन से पहले राज्यों द्वारा प्रक्रियाओं का पालन किये जाने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के 2015 के खाद्य सब्सिडी नियमों में उल्लिखित कुछ पूर्व स्थितियों को संदर्भित किया है।
- पूर्व स्थितियों में लाभार्थी डेटाबेस का पूर्ण डिजिटलीकरण और डी-डुप्लिकेशन शामिल है और डिजिटलीकृत डेटाबेस में बैंक खाता विवरण और आधार संख्याओं की सीडिंग शामिल है।

कृषि ऋण में छूट के कारण हो रहा ग्रामीण विकास : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ज़ारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की मांग (कृषि संबंधी बड़े उपकरण आदि) में वृद्धि कृषि ऋण में छूट से प्रेरित होती है संभवत: ग्रामीण आय और मज़दूरी में वास्तविक वृद्धि के कारण नहीं, यह इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था अभी भी पूर्ण ग्रामीण पुनरुत्थान से कुछ पीछे है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हाल के महीनों में ग्रामीण मांग में वृद्धि हुई है, रिपोर्ट के अनुसार, इस वृद्धि का कारण ट्रैक्टर जैसे बड़े सामानों की बिक्री तथा उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों की नवीनतम कॉर्पोरेट आमदनी है।
- नवीनतम नीलसन आँकड़ों के अनुसार, मार्च तक की तिमाही में 13.5% की वृद्धि के साथ ग्रामीण विकास ने शहरी मांग को आगे बढ़ाया।
- रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि 2016 की नोट-बंदी और GST बाधाओं के चलते ग्रामीण मांग में कमी आई थी लेकिन ऋण में दी गई छूट के कारण वर्तमान में इस मांग में वृद्धि हुई है।
- 2009 में इसी तरह की घटना देखी गई थी जब तत्कालीन सरकार ने कृषि ऋण माफ कर दिया था और ट्रैक्टर की बिक्री में 30% की वृद्धि हुई थी।

कृषि ऋण में छूट राजनीतिक हथियार

- कई बड़े राज्यों ने पिछले साल कृषि ऋण में छूट देने की घोषणा की क्योंकि किसान आत्महत्या एक बड़ा राजनीतिक विषय बन गया है।
- हाल ही में कर्नाटक कृषि ऋण में छूट देने वाला नवीनतम राज्य बना इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों ने कृषि ऋण में छूट दी है।

नीलसन के बारे में

- नीलसन एक वैश्विक मापक और डेटा विश्लेषक कंपनी है जो दुनिया भर में उपभोक्ताओं और बाज़ारों के सबसे भरोसेमंद और पूर्ण आँकड़े प्रदान करती है।

क्रिप्टो विनिमय का नवीनतम तरीका

संदर्भ

6 जुलाई, 2018 को भारत में क्रिप्टो मुद्रा विनिमय पर बैंकिंग लेन-देन का दरवाजा बंद हो गया। केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ लेन-देन को कम करने के लिये तीन महीने का जो समय सभी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक -विनियमित इकाइयों को दिया था वह समाप्त हो गया। इसके साथ ही भारत में क्रिप्टो बाज़ार में कमी आई और क्रिप्टो मुद्रा समर्थकों को निवेश के बाद निराश होना पड़ा।

जारी है क्रिप्टो विनिमय

- बैंक के माध्यम से रुपए का आदान-प्रदान करने की सुविधा बंद करने के बावजूद भी निवेशकों द्वारा क्रिप्टो मुद्राओं में व्यापार करना जारी है।
- वर्तमान में दो क्रिप्टो एक्सचेंज-वज़ीरएक्स (WazirX) और कोइनेक्स (Koinex) ने क्रिप्टो-रुपया व्यापार को सक्षम बनाने के लिये एक और तरीके की तलाश की है।
- उल्लेखनीय है कि सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निराशापूर्ण कोशिशों के बावजूद क्रिप्टो मुद्राएँ अभी तक अवैध नहीं हैं।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जल्द ही क्रिप्टो नियमों के लिये कुछ सिफारिशों को पूरा किये जाने की उम्मीद है।

क्या है क्रिप्टो-रुपया व्यापार की नई प्रक्रिया ?

- WazirX और Koinex ने भारतीय रुपए का उपयोग करके क्रिप्टो मुद्रा में प्रवेश और निकास की सुविधा के लिये पीयर-टू-पीयर (peer-to-peer-P2P) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
- यदि आप क्रिप्टो परिवेश में एक नए प्रवेशकर्त्ता हैं तो आप एक विक्रेता को भारतीय रुपया हस्तांतरित करके सीधे क्रिप्टो संपत्ति खरीद सकते हैं। इसी तरह आप भारतीय रुपए के बदले इस क्रिप्टो संपत्ति को बेचकर इस परिवेश से बाहर भी निकल सकते हैं।
- अब तक क्रिप्टो खरीदने के लिये खरीददार को क्रिप्टो विनिमय केंद्र का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब आप यह पैसा दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर देंगे और उस व्यक्ति का क्रिप्टो आपको एक्सचेंज द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

नोट :

- एक्सचेंजों का दावा है कि खरीदार या विक्रेता को दूसरी पार्टी के साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्रिप्टो विनिमय केंद्र केवल स्थानांतरण के लिये आवश्यक जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- हालाँकि खरीदार को संपत्ति केवल तभी जारी की जाएगी जब वह एक्सचेंज को सूचित करेगा कि आवश्यक राशि उसके बैंक खाते से स्थानांतरित कर दी गई है और विक्रेता ने स्थानांतरित राशि की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है।

जोखिम और विवादों का समाधान

- भले ही यह प्रक्रिया जोखिम से भरी हुई है लेकिन एक्सचेंजों का दावा है कि उन्होंने इसे विश्वसनीय और आसान बना दिया है।
- यह संभव है कि विक्रेता खरीदार द्वारा हस्तांतरित की गई राशि की प्राप्ति को स्वीकार न करे।
- अगर विक्रेता कहता है कि उसे राशि नहीं मिली है तो ऐसे मामलों को हल करने के लिये एक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया है जहाँ एक टीम इस मुद्दे को हल करने के लिये दोनों पक्षों को सुनती है।
- एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों एक्सचेंज केवल KYC-सत्यापित उपयोगकर्त्ताओं के बीच लेन-देन की इज़ाज़त दे रहे हैं, जिसमें आधार और स्थायी खाता संख्या (PAN) शामिल है। अत: डिफ़ॉल्ट के मामले में विनिमय केंद्रों द्वारा व्यापार में शामिल पार्टियों की पहचान की जा सकती है।
- इसके अलावा, इसमें एक रेटिंग प्रक्रिया भी है जो घटती और बढ़ती रहती है। उपयोगकर्त्ता किसी अन्य पार्टी के साथ व्यापार में प्रवेश करने से पहले देख पाएगा कि क्या दूसरी पार्टी अतीत में डिफ़ॉल्ट मामलों में शामिल रही है या वह कितने ट्रेडों से मेल खाती है या उपयोगकर्त्ता की औसत रेटिंग कितनी है।
- इस प्रकार व्यापार में प्रवेश करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप व्यापार कर रहे हैं वह आपको धोखा नहीं देगा।

क्या यह प्रक्रिया बहुत अच्छी है?

- P2P विकल्प को एक बहुत ही अच्छा समाधान नहीं माना जा सकता है। अधिकांश बड़े और जाने-माने विनिमय केंद्रों ने अब तक P2P मॉडल को नहीं अपनाया है। इसका कारण यह हो सकता है कि P2P लेन-देन एक संदेहास्पद प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन यह संभव है कि वे निकट भविष्य में P2P समाधान के साथ भी आ सकें।
- हालाँकि P2P प्लेटफॉर्म उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है जो क्रिप्टो की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं या उसमें प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन उपयोगकर्त्ताओं को सतर्कता से चलना होगा क्योंकि इस प्रक्रिया में अभी भी परीक्षण जारी है।
- यह उन लोगों के लिये एक अच्छा विकल्प प्रतीत हो सकता है जो अपने होल्डिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर एक अजनबी को रुपए स्थानांतरित करने से पहले खरीदारों को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिये।

निष्कर्ष

- हालाँकि क्रिप्टो विनिमय का नया तरीका अभिनव है और यह क्रिप्टो बाज़ार को बढ़ावा दे सकता है लेकिन यह प्रक्रिया जोखिम से भरी हुई है।

भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी विकास दर अनुमान के मायने

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में जारी किये विकास अनुमानों में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ़्तार तेज़ी से बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और ब्याज दरों में अधिक वृद्धि के कारण केवल तीन महीनों में पूर्व में अनुमानित विकास दर की तुलना में धीमी हो जाएगी।

क्यों हुई भारत के विकास दर अनुमान में कमी?

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपने नवीनतम संस्करण में IMF ने घरेलू मांग पर उच्च तेल की कीमतों के नकारात्मक प्रभाव और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अपेक्षाकृत सख्त होने के नकारात्मक प्रभाव विकास पूर्वानुमान में कमी के मुख्य कारण थे।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, तेल की कीमत में 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि के कारण आर्थिक विकास में 0.2-0.3 प्रतिशत की गिरावट आई है, थोक मुद्रास्फीति में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और चालू खाता घाटा बढ़कर 9 से 10 बिलियन डॉलर हो गया है।

नोट :

कैसे प्रभावित करती हैं तेल की बढ़ती कीमतें ?

- वर्ष 2013 से 2015 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे तेल की घटती कीमतों का लाभ उठाने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि तेल की कम कीमत खपत को प्रोत्साहित करती है।
- इसके विपरीत, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का मतलब है कि कुकिंग गैस सिलेंडर और ऑटो ईंधन पर अधिक खर्च करना पड़ेगा।
- इससे व्यक्ति की आय में हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्त वह विवेकपूर्ण खर्चों को कम करके करता है।
- कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण परिवहन महँगा होता है तथा गैस से उत्पन्न बिजली की लागत में वृद्धि हो जाती है।

क्या भारत अभी भी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है ?

- भले ही वर्ष 2018 और 2019 के लिये चीन के विकास अनुमानों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है, फिर भी वे इस अवधि के लिये भारत के नवीनतम विकास अनुमानों से कम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत अभी भी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।

क्या अमेरिका द्वारा शुरू किया गया व्यापार युद्ध वैश्विक विकास संभावनाओं को प्रभावित करेगा ?

- IMF के अनुसार, बढ़ते व्यापार तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापक नकारात्मक जोखिम उत्पन्न हुए हैं।
- ये तनाव मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं को कम करते हैं।
- हालाँकि यह भी कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकुचन प्रभाव कम होगा।

निष्कर्ष

- हालाँकि तेल की उच्च कीमतें केरोसिन और कुकिंग गैस पर अनुमानित सब्सिडी खर्च के कारण सरकार के लिये राजकोषीय विस्तार को कम कर देंगी, लेकिन वर्ष के अंत में संभावित चुनाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद शुल्क में कटौती की संभावना बहुत ही कम है। सरकार को रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट को भी ध्यान में रखना चाहिये।

50 से अधिक वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क हुआ दोगुना

चर्चा में क्यों ?

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जैकेट, सूट और कालीन जैसे 50 से अधिक कपड़ा उत्पादों पर आयात शुल्क को 20% तक बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड ने अधिकांश वस्त्र उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (Central Board of indirect Taxes and Custom-CBIC) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोट, पैंट, जैकेट तथा महिलाओं के वस्त्रों पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
- कुछ वस्तुओं पर, दर 20 प्रतिशत या 38 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी जो कि पहले की तुलना में बहुत अधिक है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(Central Board of indirect Taxes and Custom-CBIC)

- केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग का एक भाग है।
- इस बोर्ड का मुख्य कार्य उगाही (शुल्क-संग्रह) से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन करना, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क की उगाही करना एवं तस्करी से संबंधित गतिविधियों को रोकना है।
- वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस रमेश हैं।
- आयातित उत्पाद जो महँगे हुए हैं उनमें बुने हुए कपडे, पोशाक, ट्राउज़र, सूट और बच्चों के वस्त्र शामिल हैं।

नोट :

- बांग्लादेश जैसे अल्प-विकसित देशों की भारतीय बाज़ारों में पहुँच शुल्क मुक्त रहेगी।
- WTO मानदंडों के मुताबिक, भारत कपड़ा क्षेत्र को और प्रोत्साहन नहीं दे पाएगा तथा सरकार ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये आयात शुल्क में वृद्धि की है।
- उल्लेखनीय है कि जून में धागा, कपड़ा और इनसे बने सामानों के आयात में 8.58% की क्रिद्धि के साथ यह 168.64 मिलियन डॉलर हो गया। हालाँकि सूती धागे, कपड़े और इनसे बने सामानों का निर्यात 24% बढ़कर 986.2 मिलियन डॉलर हो गया। मानव निर्मित सूत, कपड़े और इनसे बने सामानों का निर्यात 8.45% बढ़कर 403.4 मिलियन डॉलर हो गया।

कपड़ा उत्पाद पर सीमा-शुल्क बढ़ने से लाभ

- कुछ तैयार वस्त्र उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ने से भारतीय कपड़ा निर्माण के लिये लागत का फायदा होगा।
- कई विदेशी कंपनियाँ घरेलू मांग को पूरा करने के लिये भारत में विनिर्माण पर विचार कर सकती हैं।
- यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मिलेगा।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिचांई परियोजनाओं के लिये विशेष पैकेज को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मराठवाड़ा, विदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा संभावित क्षेत्रों की 91 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये विशेष पैकेज को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- विशेष पैकेज से मराठवाड़ा, विदर्भ तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा संभावित क्षेत्रों में 3.77 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।
- परियोजनाओं में विशेष पैकेज के अंतर्गत 26 बड़ी/मझौली परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनकी अधिकतम क्षमता 8.501 हेक्टेयर है और इनका वित्तपोषण पोषण PMKSY– AIBP के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के दिसंबर, 2019 तक पूरा किये जाने की आशा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- केंद्र सरकार ने सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत की है।

PMKSY के प्रमुख उद्देश्य

- सिंचाई परियोजनाओं में निवेश में एकरूपता लाना
- 'हर खेत को पानी' के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना
- खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना
- पानी के अपव्यय को कम करना
- उचित सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूँद अधिक फसल)
- सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास करना

- परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी राज्य तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा की जाएगी।
- इन 91 परियोजनाओं की शेष लागत का 25 प्रतिशत और 2017-18 के दौरान आए खर्च के लिये 25 प्रतिशत भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा।
- इन परियोजनाओं के लिये 3,831.41 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। शेष राशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह व्यवस्था है कि राज्य के हिस्से का प्रबंध नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा।

नोट :

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) Accelerated Irrigation Benefits Program – AIBP

- सिंचाई की दर में निरंतर गिरावट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये सहायता देने हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ सहायता के लिये पात्र हैं।

विशेष पैकेज से लाभ

- इन परियोजनाओं के पूरा होने से इनके कमान क्षेत्र में किसानों के लिये जल-स्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फसल की पैदावार में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय बढ़ेगी।
- योजना के क्रियान्वयन से 341 लाख अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल मानव दिवस रोज़गार का सृजन होगा।

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

- महाराष्ट्र में 2012 से 2016 तक सूखे की स्थिति रही है।
- यह स्थिति विदर्भ और मराठवाड़ा में सबसे गंभीर रही है क्योंकि यहाँ किसानों द्वारा आत्महत्या की गई है।
- हाल के वर्षों में शेष महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी सूखे की स्थिति देखी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ये परियोजनाएँ जारी थीं लेकिन धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं।

पूर्व NELP तथा NELP नीतियों को युक्तिसंगत बनाने की मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हाईड्रोकार्बन संसाधनों के बढ़े हुए घरेलू उत्पादन के लिये उत्पादन साझा अनुबंध (Production Sharing Contracts- PSC) संचालन को युक्तिसंगत बनाने हेतु नीति की रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी है।

नीति की रूपरेखा

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोज और मूल्यांकन गतिविधियों के लिये विशेष वितरण

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये हाईड्रोकार्बन विज़न 2030 की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक, पर्यावरणीय तथा लॉजिस्टिक चुनौतियों पर विचार करते हुए संचालनगत ब्लॉकों में खोज और मूल्यांकन अवधि की समयसीमा बढ़ा दी है।
- खोज अवधि में 2 वर्ष और मूल्यांकन अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विपणन की अनुमति दी है। इस अनुमति में उत्पादन शुरू किये जाने वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के लिये मूल्य की स्वतंत्रता शामिल है।

लाभ

- इस विशेष वितरण से पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादन साझा अनुबंध को लाभ होगा।

पूर्व NELP खोज ब्लॉकों में रॉयल्टी और उपकर को साझा करना

- सरकार ने पूर्व NELP खोज ब्लॉकों में भाग लेने वाले ठेकेदारों के हित के अनुपात में रॉयल्टी और उपकर सहित वैधानिक करों को साझा करने केलिये एक सहायक रूपरेखा बनाई है और इसे संभावित प्रभाव के साथ लागत वसूल करने योग्य बनाया गया है।

लाभ

- इससे पूर्व NELP खोज ब्लॉकों को लाभ प्राप्त होगा जिसमें अतिरिक्त विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिये नए निवेश होंगे क्योंकि रॉयल्टी तथा उपकर को साझा किया जा सकेगा और इसकी लागत वसूली से लाइसेंस प्राप्त कंपनी ONGC/OIL के लिये वाणिज्यिक रूप से अतिरिक्त निवेश करने में मदद मिलेगी।

नोट :

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 42 के तहत पूर्व NELP क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले संचालन ब्लॉकों को कर लाभ का विस्तार

- यह विस्तार 28 मार्च, 2016 की उत्पादन साझा करने संबंधी संविदा के अंतर्गत ठेके की विस्तारित अवधि के लिये होगा।
- आयकर अधिनियम का अनुच्छेद 42 कंपनियों को PSC के अंतर्गत हुए खर्च के सौ प्रतिशत दावे की अनुमति देता है क्योंकि उसी वर्ष में कर योग्य आय के लिये कर कटौती की जाती है।
- पूर्व NELP क्षेत्रों के PSC पर हस्ताक्षर करते समय 28 में से 13 संविदाओं में आयकर अधिनियम अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कर लाभ का प्रावधान नही था।

लाभ

- इससे PSC (Production Sharing Contracts) में एकरूपता तथा निरंतरता आएगी तथा PSC की अवधि के दौरान अतिरिक्त निवेश के लिये ठेकेदारों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

लिखित नोटिस की समयसीमा में वृद्धि

- PSC में अप्रत्याशित परिस्थिति को अधिसूचित करने के लिये लिखित नोटिस देने की समयसीमा 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन की गई।

लाभ

इस स्वीकृति से हाइड्रो कार्बन संसाधनों का तेज़ी से विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नई अन्वेषण नीति (New Exploration Licensing Policy- NELP)

- भारत सरकार ने वर्ष 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति बनाई थी।
- इस नीति का उद्देश्य देश में तेल और गैस संसाधनों की खोज करने के लिये भारतीय और विदेशी कंपनियों से महत्त्वपूर्ण जोखिम पूंजी को आकर्षित करना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना, नई भूगर्भीय अवधारणा एवं बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को विकसित करना था ताकि तेल तथा गैस की बढ़ रही माँग को पूरा किया जा सके।
- इस NELP नीति को वर्ष 1997 में अनुमोदित किया गया था और यह वर्ष 1999 से प्रभावी हुई।

सरकार ने FRDI विधेयक को वापिस लेने का लिया फैसला : बैंकों में जमा पैसा रहेगा सुरक्षित

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 (Financial Resolution and Deposit Insurance-FRDI) को छोड़ने का फैसला किया है। यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो बैंकों में जमा धन पर जमाकर्त्ता का अधिकार खत्म हो सकता था। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक का सार्वजनिक रूप से विरोध किये जाने के बाद सरकार ने इसे वापिस लेने का फैसला किया है।

क्या है FRDI विधेयक ?

- सरकार ने 10 अगस्त, 2017 को यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था और उसके बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा था। समिति ने अभी तक इस विधेयक पर कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।
- सरकार द्वारा यह विधेयक बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति से निपटने के लिये तैयार किया गया था। यदि बैंकों के कारोबार करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और बैंक अपने पास जमा आम जनता के धन को वापिस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह विधेयक बैंकों को इस संकट से बाहर निकलने में मदद करता।
- इस विधेयक में दो विवादास्पद खंड थे- पहला बेल-इन प्रावधान और दूसरा, जमाराशि पर बीमा कवर।
- यदि यह बेल-इन प्रावधान लागू हो जाता तो बैंक में जमा धन पर जमाकर्त्ता से अधिक बैंक का अधिकार होता। बेल-इन के तहत बैंक चाहते तो ख़राब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर जमाकर्त्ता द्वारा जमा किये धन को लौटाने से इनकार कर सकते थे।

नोट :

बेल-इन तथा जमाराशि पर बीमा कवर

- बेल-इन का तात्पर्य है कर्ज़दारों और जमाकर्त्ताओं के धन से अपने नुकसान की भरपाई करना। FRDI विधेयक में यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाने से बैंकों को यह अधिकार मिल जाता।
- वर्तमान नियमों के अनुसार, अगर कोई बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान दिवालिया होता है तो ऐसी स्थिति में जमाकर्त्ता को एक लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है।

FRDI विधेयक से होने वाले नुकसान ?

- सरकार ने यह विधेयक इसलिये प्रस्तुत किया था कि बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके, अत: किसी भी स्थिति में यदि बैंकों की कार्यक्षमता कम होती तो वे जमाकर्त्ता का धन लौटाने से इनकार कर देते।
- 'बेल-इन' के तहत बैंक सरलता से ग्राहक के पैसे का भुगतान करने से या तो मना कर देता है या इसके स्थान पर वरीयता शेयरों अर्थात् परेफरेंस शेयरों (निश्चित लाभांश की कोई गारंटी नहीं) के रूप में ग्राहक को प्रतिभूतियाँ जारी करता है।
- वर्तमान में जमा पर 1 लाख रुपए तक बीमा कवर प्राप्त है लेकिन इस विधेयक ने वर्तमान बीमा प्रणाली में कानूनी प्रावधान को हटाने और इस सुरक्षा को एक नए तरीके से परिभाषित करने का प्रस्ताव किया है।

मौजूदा समाधान प्रक्रिया

- दिवालियापन और दिवालियापन संहिता 2016 के साथ, गैर-वित्तीय फर्मों के लिये मुख्य रूप से एक व्यापक संकल्प व्यवस्था सामने आई है, लेकिन वित्तीय फर्मों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
- विधेयक एक व्यापक संकल्प व्यवस्था प्रदान करने का इरादा रखता है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि वित्तीय सेवा प्रदाता की विफलता की स्थिति में, जमाकर्त्ताओं के पक्ष में त्वरित, व्यवस्थित और कुशल समाधान उपलब्ध कराया जाए।

FRDI विधेयक की विफलता : नीति-निर्माण में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता

संदर्भ

वित्तीय समाधान और जमा राशि बीमा विधेयक (FRDI), 2017 पर केंद्र द्वारा अचानक लिया गया यू-टर्न नीति निर्माण में सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है। विधेयक, जिसे स्पष्ट रूप से वित्तीय प्रणाली में सुधार और बैंकों की स्थिति को मज़बूत करने के उद्देश्य से लक्षित किया गया था, को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के कारण बीच में ही छोड़ना पड़ा।

नोट : सरकार द्वारा FRDI विधेयक को वापिस लेने के फैसले से संबंधित न्यूज़ 19 जुलाई, 2018 को अपलोड की गई थी। यहाँ हम इस विषय का विश्लेषण करेंगे।

जमा राशि की सुरक्षा को लेकर भयभीत हुआ आम आदमी

- शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब आम आदमी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा को लेकर भयभीत था। पेंशनभोगी या एक वृद्ध माँ जिसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी बैंक में रखी थी आदि जैसे बहुत से लोग इस बारे में सवाल पूछते हुए नज़र आए कि बैंक उनकी जमापूंजी को हड़प लेंगे ।

विधेयक के कारण बैंकों को भी हुआ नुकसान

- पिछले वर्ष कई जमाकर्त्ताओं ने इस विधेयक के कारण बैंकों से अपनी जमा राशि वापिस ले ली थी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आँकड़ों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा पूंजी अप्रैल 2018 में 116.84 लाख करोड़ रुपए से घटकर मई 2018 के अंत तक 116.52 लाख करोड़ हो गई थी।
- मांग जमा (Demand Deposit) और सावधि जमा (Fixed Deposit) 1,53,000 करोड़ रुपए से गिरकर 1,52,100 करोड़ रुपए हो गई थी।

नोट :

देश में नकदी की कमी का कारण भी FRDI

- हालाँकि इन सभी के लिये FRDI विधेयक को पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है फिर भी यह एक प्रवृत्ति को इंगित कर सकता है।
- कुछ ही समय पहले पूरे देश में नकदी के संकट की स्थिति दिखाई दी और इस स्थिति को वरिष्ठ बैंकरों ने इस विधेयक के प्रभाव से जोड़ा था।

बैंकों की छवि हुई खराब

- एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2016 में बिना किसी पूर्व तयारी के विमुद्रीकरण जैसी विशाल योजना को लागू करना, ज़रूरतों के अनुसार बैंकों द्वारा ग्राहकों को पर्याप्त नकदी प्रदान करने में असमर्थता और FRDI विधेयक ने निश्चित रूप से बैंकों की छवि को ख़राब किया है तथा इससे बैंकों पर लोगों का विश्वास कम हुआ है।

नीति-निर्माताओं और जनता के बीच संबंधों की विफलता

- उपरोक्त घटनाएँ नीति-निर्माताओं और आम जनता के बीच संबंधों की पूर्ण विफलता को दर्शाती हैं।
- यदि सरकार का इरादा सिस्टम को साफ करना था, तो पहले पूर्ण पारदर्शिता के साथ बड़े पैमाने पर संदेश अभियान चलाना चाहिये था लेकिन सरकार इस पूरी प्रक्रिया में चूक गई।
- प्रस्तावित विधेयक के 'बेल-इन' प्रावधान की स्पष्टता में कमी और जमा बीमा क्रेडिट गारंटी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों पर उत्पन्न भ्रम के कारण भी नुकसान हुआ।
- इस पूरे घटनाक्रम में आम आदमी सबसे अधिक परेशान था जिसने कई ऐसे प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश की जिनके बारे में उसने यह नहीं सोचा था कि कभी ऐसे प्रश्न भी सामने आएंगे।

निष्कर्ष

- सरकार को जनता के बीच आत्मविश्वास पैदा करने और बिना किसी शोर-शराबे के बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को शुरू करने के लिये और अधिक व्यावहारिक एवं पारदर्शी नीतियाँ लागू करने की आवश्यकता है।

चीन को पीछे छोड़ भारत बना रहेगा दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था : एशियाई विकास बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि भारत वर्ष 2018-19 और 2019-20 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। इस बैंक की स्थापना एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फिलिपींस के मनीला में स्थित है।

एशियाई विकास बैंक का अनुमान

- एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि भारत की वृद्धि दर 2018-19 में 7.3 फीसदी और 2019-20 में 7.6 फीसदी रहेगी। इसके साथ ही भारत, चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2017-18 में भारत की विकास दर 6.7 फीसदी रही।
- ADB के अनुसार, 2018 में चीन की विकास दर घटकर 6.6 फीसदी पर आ जाएगी और 2019 में यह और अधिक घटकर 6.4 फीसदी के स्तर पर पहुँच जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में चीन की वृद्धि दर 6.9 फीसदी थी।
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने इस वित्तीय वर्ष हेतु भारत के लिये अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया है तथा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, रुपए का मूल्यह्रास और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि को इसका कारण बताया गया है।

नोट :

- ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) के परिशिष्ट में कहा है कि भारत में सार्वजनिक खर्च बढ़ने, क्षमता के बेहतर इस्तेमाल और निजी निवेश बढ़ने से विकास दर को गति मिलेगी।
- 2017-18 की आखिरी तिमाही में भारत की विकास दर ने में वृद्धि हुई और यह 7.7 प्रतिशत पर पहुँच गई, जो 2016-17 की पहली तिमाही के बाद सबसे उच्च दर है।
- एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के एक परिशिष्ट के अनुसार, भले ही व्यापारिक भागीदारों के साथ अमेरिका के तनाव में वृद्धि हो रही है लेकिन प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों की विकास दर 2018 और 2019 में मज़बूत रहेगी।
- ADB की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया सबसे तेज़ी से बढ़ता आर्थिक क्षेत्र रहेगा। हालाँकि, एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को लेकर नया तनाव पैदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ेगी।

कमज़ोर होता रुपया भारतीय निर्यातकों की चिंता का कारण क्यों है ?

संदर्भ

एक कमज़ोर मुद्रा को निर्यात के लिये अच्छा माना जाता है लेकिन भारत के संदर्भ में यह कथन बहुत हद तक स्पष्ट नहीं है। हालाँकि रुपया इस वर्ष एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली प्रमुख मुद्रा है लेकिन एक ऐसा व्यापार युद्ध जो मांग आधारित व्यापार को खत्म कर सकता है, के चलते भारतीय निर्यातक परेशान हैं। शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जब मुद्रा के उतार-चढ़ाव ने निर्यात पर असर डाला हो लेकिन इस बार यह उतार-चढ़ाव भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रहा है।

व्यापार युद्ध है भारतीय निर्यातकों की चिंता का प्रमुख कारण

- दुनिया में चल रहे व्यापार युद्ध के कारण निर्यात संभावनाओं की स्थिति कमज़ोर हुई है।
- चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया के विपरीत भारत विश्व स्तर पर बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा नहीं है।
- अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव ने वियतनाम जैसे निर्यात-निर्भर देशों को अपने स्थानीय बाज़ारों में बढ़ रहे चीनी उत्पादों के खिलाफ सुरक्षित रहने के लिये प्रेरित किया है।

कमज़ोर होता रुपया भी है चिंता का कारण

- भारत सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात क्षेत्र का योगदान केवल 12 प्रतिशत है और इसके ख़राब प्रदर्शन के लिये रुपए की मज़बूती को ज़िम्मेदार माना जा रहा है।
- रुपए का यह स्तर विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि आयात की घरेलू कीमतें बढ़ जाएंगी।

भारत को करना पड़ेगा प्रतिस्पर्द्धा का सामना

- चूँकि तुर्की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, रूस और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की मुद्राएँ तेज़ी से कमज़ोर पड़ रही हैं, इसलिये भारत को उन बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है।

तेल की बढ़ाती कीमतें और विदेशी वस्तुओं के कारण चालू घाटे में वृद्धि

- तेल की बढ़ती कीमतों और और साथ ही विदेशों में बने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्रति भारतीयों के लगाव के साथ-साथ व्यापार की प्रतिकूल शर्तों से देश का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

- बढ़ती तेल की कीमतों के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की कमज़ोरी ने भारत के आयात बिल में वृद्धि की है।
- मूल्यह्रास के बावजूद, बढ़ते संरक्षणवाद, वैश्विक विकास की मंद गति और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण निर्यात वृद्धि कमज़ोर रही है।

नोट :

वाटरशेड विकास परियोजनाएँ क्यों पिछड़ रही हैं ?

चर्चा में क्यों ?

संसदीय स्थायी समिति (PSC) की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का एक महत्त्वपूर्ण घटक वाटरशेड विकास है, जो बुरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। हाल ही में लोकसभा में हुई अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये थी।

प्रमुख बिंदु

- जब यह रिपोर्ट पहली बार जुलाई में पेश की गई थी, तो ग्रामीण विकास को लेकर स्थायी समिति ने कहा था कि 2009 और 2015 के बीच 50,740 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वीकृत 8,214 परियोजनाओं में से एक को भी पूरा नहीं किया गया।इस प्रतिक्रिया पर भूमि संसाधन विभाग (DoLR) ने अद्यतन किया था कि 11 राज्यों में 849 परियोजनाएँ अक्टूबर 2017 तक पूरी की गई थीं लेकिन विभाग ने स्वीकार किया कि 1,257 परियोजनाएँ अभी पूरी नहीं की जा सकी हैं।

वाटरशेड परियोजनाओं के विकास में सुस्ती

- सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए समिति ने पिछले सप्ताह संसद में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- इस योजना के विकास में "सुस्ती" को देखते हुए समिति ने DoLR से आग्रह किया कि "शेष परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करें।
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRD और PR) के कृषि अध्ययन केंद्र की प्रमुख डॉ. राधिका रानी द्वारा दी गई संक्षिप्त परिभाषा के अनुसार, "यह वर्षा आधारित (rainfed) क्षेत्रों के लिये जल संरक्षण और पुनर्भरण तथा मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिये एकमात्र विकल्प है।"
- वाटरशेड विकास परियोजना स्थल के भीतर एक रिज की पहचान की जाती है और रोधक बांध, अंत:श्रवण बांध, तालाब तथा चैनल जैसी संरचनाएँ पहाड़ी से घाटी तक बनाई जाती हैं।
- योजना के दिशा-निर्देशों के मुताबिक परियोजनाओं को पूरा करने में चार से सात साल का समय लगता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मई 2018 के मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी) अधिनियम के तहत पीएमकेएसवाई के साथ वाटरशेड घटक को जल और भूमि प्रबंधन परियोजनाओं के साथ लागू किया गया है।
- लगभग 78% लाभार्थियों ने वाटर टेबल में वृद्धि, जबकि 66% ने चारे की बेहतर उपलब्धता से लाभान्वित होने की सूचना दी।
- दुर्भाग्यवश, ऐसे दीर्घकालिक परिणाम "तुरंत नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 90:10 को 2016 में 60:40 किये जाने से भी इसमें सुस्ती देखी गई।

समन्वय में देरी

- 2015 से यह कार्यक्रम अभिसरण मोड में रहा है और यह ज़मीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण है। इसमें DoLR और मनरेगा के अलावा कृषि मंत्रालय, पशु संसाधन और पशुपालन तथा मत्स्यपालन विभाग सहित सभी की भूमिका होती है और यही कारण है ज़मीनी स्तर पर समन्वय में समय लगता है।
- अभिसरण का विचार अच्छा है लेकिन व्यावहारिक रूप से सरकारी विभाग अलग-अलग ढंग से काम करते हैं। भारी सरकारी निवेश के बावजूद वाटरशेड विकास के लाभ लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो रहे हैं। इसके लिये भौतिक संरचनाएँ तो बनाई जा सकती हैं किंतु शासकीय संरचनाएँ गायब हैं।
- जब वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप भूजल तालिका बढ़ जाती है, तो क्षेत्र के किसान जल गहन फसल जैसे- गन्ना, उगाने लगते हैं और भूमिगत जल की निकासी करने लगते हैं।
- एक परियोजना को सरकार अपनी एजेंसियों या एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित कर सकती है, लेकिन परियोजना के समाप्त होने के बाद इसे बनाए रखने की ज़िम्मेदारी किसकी है ?
- यदि स्थानीय पंचायती राज नेतृत्व और वाटरशेड उपयोगकर्त्ता संघों को मज़बूत और सशक्त नहीं किया जाता है तो कोई भी लाभ केवल आवर्ती और अल्पकालिक होगा।

नोट :

शोधन अक्षमता से जुड़े सीमा-पार मापदंडों के लिये संयुक्त राष्ट्र मॉडल अपनाने पर विचार

चर्चा में क्यों ?

सरकार सीमा-पार शोधन अक्षमता मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र कानूनी मॉडल को अपनाने पर विचार कर रही है क्योंकि यह दिवालियापन प्रस्ताव ढाँचे को मज़बूत करने पर काम करता है।

प्रमुख बिंदु

- शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code) में सीमा-पार शोधन अक्षमताओं से जुड़े मामलों से संबंधित कई अनुभाग हैं लेकिन अभी तक ये क्रियान्वित नहीं हैं।
- कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में शोधन अक्षमता कानून समिति, सीमा-पार शोधन अक्षमता प्रावधानों को प्रारंभ करने की संभाव्यता का अध्ययन कर रही है।
- समिति सीमा-पार शोधन अक्षमताओं से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून मॉडल पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रावधानों को अपनाने का विचार कर रही है।
- वर्तमान संहिता की दो धाराएँ 234 और 235 सीमा-पार शोधन अक्षमता से संबंधित हैं, जो कि केंद्र को संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिये दूसरे देश के साथ एक समझौते में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करती हैं। यह प्रक्रिया अपर्याप्त और समय लेने वाली मानी जाती है।
- सीमा-पार शोधन अक्षमता मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र मॉडल को अपनाए जाने की दशा में धारा 234 और 235 को संहिता से हटाया जा कता है क्योंकि ये धाराएँ केवल द्विपक्षीय समझौतों से संबंधित हैं।

GDP के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा भारत : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एशिया की उन 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् GDP के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व वर्ल्ड बैंक द्वारा भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

क्या कहा गया है रिपोर्ट में ?

- GDP के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले देशों में भारत के अलावा चीन, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताईवान और थाईलैंड शामिल हैं।
- DBS (Development Bank of Singapore) की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक इन एशियाई देशों की कुल GDP 28.35 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल GDP 22.33 ट्रिलियन डॉलर रहेगी।

GDP में वृद्धि के बावज़ूद बनी रहेगी चिंता

व्यापार युद्ध:

- संरक्षणवाद का उदय इस क्षेत्र में निवेश प्रवाह को कम कर सकता है क्योंकि एशिया सबसे बाहरी रूप से उजागर क्षेत्रों में से एक है।
- DBS के अनुसार, व्यापर युद्ध एशियाई अर्थव्यवस्था पर व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकताहै।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)

- डीबीएस की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशियाई देशों को जनसांख्यिकीय लाभांश से अतीत में लाभ हो सकता है, लेकिन अब यह इतना मूल्यवान नहीं है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर, जापान और चीन जैसे बुजुर्ग देश नई तकनीक के सक्रिय उपयोग के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं।

नोट :

रोजगार

- युवा आबादी नौकरियां सृजित करने के मामले में एक "चुनौती" का निर्माण करती है, नौकरियों की अनुपस्थिति में बेरोज़गारी का स्तर उच्च होगा जिसके चलते आर्थिक और सामाजिक/राजनीतिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होंगी।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत और फिलीपींस जैसे देशों को अपनी युवा आबादी के लिये रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी।

कर्नाटक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 300% की वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संसद में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, मार्च 2018 को समाप्त हुए 12 महीनों में विदेशों से प्राप्त अंतर्वाह में 300% की वृद्धि के फलस्वरूप कर्नाटक ने पिछले वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की। तमिलनाडु में भी पिछली अवधि में मंदी के विपरीत इस बार वृद्धि देखी गई, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एफडीआई प्रवाह में गिरावट दर्ज की गई।

प्रमुख बिंदु

- कर्नाटक को पिछले वित्त वर्ष के 2.13 बिलियन डॉलर की तुलना में 2017-18 में 8.58 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए, जबकि तमिलनाडु को इसी अवधि में 3.47 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई, जो कि पिछली अवधि में प्राप्त की गई 2.22 बिलियन डॉलर की राशि से 56% अधिक थी। यह वृद्धि तमिलनाडु द्वारा निवेश संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु किये गए प्रयासों के फलस्वरूप हुई।
- चुनावी वर्ष 2016-17 में पिछले 12 महीनों (4.53 अरब डॉलर) की तुलना में निवेश में लगभग आधे की कमी आई थी, इसी वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री जे. जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने और निधन के बाद कुछ राजनीतिक अनिश्चितता भी देखी गई थी।
- लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिये गए लिखित उत्तर के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य प्रमुख राज्यों में एफडीआई प्रवाह में गिरावट देखी गई।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई कार्यालय से प्राप्त आँकड़े, जिसमें महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दीव के आँकड़े भी शामिल हैं, दर्शाते हैं कि निवेश में आई कमी के कारण पिछले वर्ष के 19.7 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2017-18 में 13.4 बिलियन डॉलर निवेश की प्राप्ति हुई।
- गुजरात में एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष के 3.37 बिलियन डॉलर से 38% गिरकर वर्ष 2017-18 में 2.09 बिलियन डॉलर हो गया।
- आंध्र प्रदेश में एफडीआई प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 43% गिरकर वर्ष 2017-18 में 1.25 बिलियन डॉलर हो गया।
- कुल मिलाकर, क्षेत्रवार निवेश आँकड़े बताते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में पिछले वर्ष एफडीआई में 68% की बढ़ोतरी से यह 6.15 बिलियन डॉलर हो गया था।
- दिलचस्प बात यह है कि सेवा क्षेत्र जिसमें वित्त, बैंकिंग, बीमा और आउटसोर्सिंग शामिल हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 23% की गिरावट के बावजूद 6.71 बिलियन डॉलर के प्रवाह के साथ एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्त्ता बना हुआ है।

FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत तीन पायदान नीचे पहुँचा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक या एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स (Foreign Direct Investment Confidence Index – 2018) में भारत तीन पायदान नीचे गिरकर 11वें पायदान पर पहुँच गया है। उल्लेखनीय है कि यह इंडेक्स वैश्विक सलाहकार कंपनी ए. टी. कीर्ने (AT Kearney) ने तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों की एफडीआई वरीयताओं पर संभावित राजनीतिक, आर्थिक और नियामक परिवर्तनों के प्रभाव को ट्रैक करता है।

नोट :

- 2015 के बाद यह पहली बार है जब भारत इस इंडेक्स में शीर्ष दस की सूची से बाहर हुआ है। वर्ष 2017 में भारत इस सूची में आठवें तथा वर्ष 2016 में नौवें स्थान पर था।
- इस सूचकांक में 25 देशों/अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है।
- यह सूचकांक किसी देश विशेष के संदर्भ में आगामी तीन वर्षों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभाव्यता पर उच्च, मध्य एवं निम्न प्रतिक्रिया के भारात्मक माध्य द्वारा आकलित किया गया है।
- अमेरिका ने इस सूची में 6ठी बार सर्वोच्च स्थान हासिल किया है, जबकि कनाडा दूसरे, जर्मनी तीसरे, ब्रिटेन चौथे तथा चीन पाँचवें स्थान पर हैं।
- जापान, फ्राँस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली क्रमश: छठवें, सातवें, आठवें, नौवें तथा दसवें स्थान पर रहे।
- भारत के स्थान में गिरावट के लिये GST तथा विमुद्रीकरण को ज़िम्मेदार माना गया है।
- 2017 में लागू किये गए वस्तु एवं सेवा कर के कारण राष्ट्रव्यापी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2016 के विमुद्रीकरण की पहल ने व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर दिया जिसके कारण आर्थिक विकास प्रभावित हुआ।
- रिपोर्ट के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति निवेशकों का विश्वास घटा है लेकिन अपने विशाल बाज़ार और अर्थव्यवस्था के मज़बूत प्रदर्शन की वज़ह से भारत के प्रति निवेशकों का विश्वास बना रहेगा।

कार्बन करों को कम करने की आवश्यकता : नीति आयोग

संदर्भ

हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत के कार्बन करों का उपयोग समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है और ऊर्जा-गहन उद्योगों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये कार्बन करों को कम करने की आवश्यकता है। आयोग का कहना है कि उच्च कार्बन कर लगाकर ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रों को दंडित किया जा रहा है। आयोग ने सुझाव दिया है कि ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रों के लिये एक अलग नीति बनाकर प्रतिस्पर्द्धी दरों पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नीति आयोग के मुताबिक, कोयले के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा सौर एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों ने वास्तव में उच्च ऊर्जा लागत के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उद्योगों को एक तरह से दंडित किया है और वह भी ऐसे समय में जब भारत जलवायु परिवर्तन नीतियों में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। जबकि अमेरिका ने अत्यधिक बोझिल पर्यावरण संरक्षण नियमों को आसान बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
- कार्बन करों को तर्कसंगत बनाने के लिये नीति आयोग का आह्वान पिछले वर्ष अगस्त में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की चेतावनी का अनुकरण है। उन्होंने कहा था कि देश के ऊर्जा भविष्य के लिये यथार्थवादी और तर्कसंगत योजना को आगे बढ़ाने के लिये भारत "कार्बन साम्राज्यवाद" की अनुमति नहीं दे सकता है।

भारत को एल्युमीनियम नीति की आवश्यकता

- नीति आयोग ने "भारत में एल्युमीनियम नीति की आवश्यकता" नामक रिपोर्ट में एल्युमीनियम के प्रयोग के संदर्भ में (जो कि ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण रणनीतिक धातु है, जैसे-बिजली-केंद्रित उद्योगों, बुनियादी ढाँचे के लिये) एक अलग ऊर्जा नीति का प्रस्ताव भी दिया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च बिजली लागत के अलावा, बिजली वितरण फर्मों पर 400 रुपए प्रति टन अक्षय ऊर्जा और कोयला उपकर का अतिरिक्त बोझ है।
- रिपोर्ट के अनुसार कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम और बिजली उत्पादन पर शुल्क (राज्यों द्वारा लगाए गए) ने इस दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु की समग्र उत्पादन लागत में वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर प्रति टन 9.71 डॉलर है।
- एक विकासशील देश के परिप्रेक्ष्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत पर यह कार्बन कर अत्यधिक प्रतीत होता है।

नोट :

उच्च ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को दंडित करने का प्रयास

- रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न करों और उपकरों के माध्यम से उच्च कार्बन कर के भुगतान के लिये मजबूर कर उच्च ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को दंडित किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी दरों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों के लिये एक अलग ऊर्जा नीति की ज़रूरत है ताकि ये उद्योग भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इन क्षेत्रों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये नवीकरणीय खरीद दायित्वों, कोयला सेस और विद्युत कर पर विचार किया जाना चाहिये और इन्हें तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये।
- विद्युत वितरण कंपनियों को सौर एवं अन्य स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्त्ताओं से उनकी कुल बिजली खरीद का एक निर्धारित हिस्सा खरीदना होगा। चालू वित्त वर्ष के लिये यह लक्ष्य 17% है।

कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में भारत सबसे महँगा

- रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयले में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त होने के बावजूद भारत कोयला आधारित बिजली का उत्पादन करने वाले सबसे महंगे देशों में से एक है।
- निर्यात-उन्मुख विकास के साथ एक मज़बूत धातु उद्योग को जोड़कर, रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया है कि कैसे चीन ने कोयला सब्सिडी और सस्ता ग्रिड टैरिफ देकर वैश्विक एल्युमीनियम बाज़ार पर कब्जा कर लिया है, जबकि वैश्विक एल्युमीनियम उत्पादन में अमेरिका का हिस्सा 2001 में 11% से घटकर 2017 में 1% हो गया है।
- स्थानीय उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिये 23 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा एल्युमीनियम आयात पर 10% टैरिफ लगाए जाने के बाद से एल्युमीनियम को अमेरिका और चीन के बीच एक व्यापार युद्ध के रूप में देखा जा रहा है।
- स्वच्छ ऊर्जा की कीमतों में हालिया गिरावट पर विचार करते हुए ऊर्जा विशेषज्ञों ने कहा है कि बिजली वितरण फर्मों के लिये नवीकरणीय खरीद दायित्व को पूरा करना मुश्किल नहीं होगा।
- वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं के कारण कोयला के बारे में नकारात्मकता की भावना बढ़ी है साथ ही भारत को छोड़कर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इसकी खपत में गिरावट आई है। इसलिये भारत के लिये कार्बन करों के उपयोग सहित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा की नीतियों का पालन करना मुश्किल हो सकता है।

इन्वेस्ट इंडिया और बिज़नेस फ्राँस निवेश वृद्धि हेतु सहमत

चर्चा में क्यों ?

इन्वेस्ट इंडिया और बिज़नेस फ्राँस ने भारत एवं फ्राँस के स्टार्ट अप्स के बीच सहयोग बढ़ाने तथा निवेश में सहूलियत के लिये एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमों को व्यावहारिक निवेश सूचनाएँ सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है।
- सहमति पत्र (एमओयू) के माध्यम से फ्राँस के उद्यमियों और भारत के निजी क्षेत्र के बीच अवसरों की पहचान करने और संस्थागत ज्ञान को मज़बूत करने संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त गतिविधियों के जरिए व्यवसाय और स्टार्ट अप्स परितंत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये इन्वेस्ट इंडिया और बिज़नेस फ्राँस आपस में गठबंधन करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिये सबसे पहला केंद्र है।
- बिज़नेस फ्राँस आर्थिक मामलों एवं वित्त मंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री के पर्यवेक्षण में फ्राँस सरकार की एक कार्यकारी एजेंसी है। यह 80 व्यापार आयोगों के एक विश्वव्यापी नेटवर्क के ज़रिये फ्राँस की कम्पनियों और प्रोफेशनलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देती है।

नोट :

आईपीओ की नीलामी में यूपीआई के उपयोग का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) में शेयरों की बोली के दौरान मौजूदा पब्लिक इश्यू टाइमलाइन T+6 को T+3 करने के लिये एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्लेखनीय है कि एप्प्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) द्वारा दो वर्ष पूर्व भी टाइमलाइन को कम करने में मदद मिली थी। लेकिन वर्तमान में प्रस्तावित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग समग्र रूप से टाइमलाइन को कम करने में कारगर होगा।
- भुगतान प्रणाली में हो रहे महत्त्वपूर्ण विकास से यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एप्प्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) के साथ मिलकर को इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) की दक्षता में सुधार लाएगा।
- टी +3 ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें इक्विटी शेयर आईपीओ की सदस्यता समाप्ति के तीन दिन पश्चात् बाज़ार में सूचीबद्ध होते हैं।
- सेबी ने जनवरी 2016 में सभी निवेशकों के लिये एप्प्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) प्रणाली को अनिवार्य कर आईपीओ टाइमलाइन को T+12 से कम कर T+6 कर दिया था।
- गौरतलब है कि जब एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से धन हस्तांतरण की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए तक थी, उस स्थिति में संस्थागत निवेशकों और उच्च मूल्य स्तर के निजी निवेशकों व्यक्तियों द्वारा मौजूदा एप्प्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (ASBA) प्रणाली का प्रयोग किया जाता होगा।

इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और माईगव ने संयुक्त रूप से 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया, जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म 'माईगव' के बीच गठबंधन है।

प्रमुख बिंदु

- इनोवेट इंडिया माईगव-एआईएम पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी एवं गहन तकनीक वाले अन्वेषकों को ही पंजीकृत करने के लिये अत्यंत आवश्यक नवाचार प्लेटफॉर्म का सृजन करता है।
- ऐसे लोग जो किसी महत्त्वपूर्ण नवाचार की तलाश में हैं, वे अर्थव्यवस्था के फायदे के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिये इस पोर्टल से लाभ उठा सकते हैं।

प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएँ

- यह प्लेटफॉर्म सभी भारतीय नागरिकों के लिये खुला हुआ है।
- इसके उपयोगकर्त्ता (यूज़र) इनोवेट इंडिया पोर्टल पर एकत्रित नवाचारों को देख सकते हैं, इस पर टिप्पणी एवं इन्हें साझा कर सकते हैं और साथ ही इनकी रेटिंग भी कर सकते हैं।
- उपयोगकर्त्ता लीडरबोर्ड का अवलोकन कर सकते हैं, जिसकी गणना प्रत्येक नवाचार को मिले वोटों के आधार पर की जाती है।
- नागरिक माईगव वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने या किसी संगठन या किसी और के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।
- इन नवाचारों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी साझा किया जा सकता है।

नवाचारों को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास

- भारतीय समाज एक अत्यंत नवाचार उन्मुख है, लेकिन हमारे समक्ष चुनौती नवाचारों के प्रति संरचित अवधारणा अपनाने, उन्हें दर्ज करने और एक ऐसा परितंत्र बनाने की है जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर पहुँचाना संभव हो सके।

नोट :

- ज़मीनी स्तर से ही नवाचारों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने की वर्तमान सरकार की पहल का लक्ष्य भारत के नवाचारी स्वरूप को प्रोत्साहित, विस्तारित एवं विकसित करने के लिये एक संरचित परितंत्र का सृजन करना है।
- उपर्युक्त प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के साथ ही भारत के लोग अब अपने अथवा किसी संगठन के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने एवं उसकी रेटिंग करने में समर्थ हो जाएंगे।
- देश के नागरिक https://innovate.mygov.in/innovateindia के ज़रिये प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकते हैं।

चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की अनुमति संबंधी अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस या फिर बी श्रेणी के शीरे (मोलासेस) से एथनॉल बनाने की अनुमति देने के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में 1966 का गन्ना नियंत्रण आदेश संशोधित किया गया है। इस निर्णय से चीनी मिलें गन्ने के अधिक उत्पादन की स्थिति में गन्ने से सीधे एथनॉल बना सकेंगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि चीनी मिल सीधे गन्ने के रस या फिर बी श्रेणी के शीरे से एथनॉल का उत्पादन करती है, तो 600 लीटर एथनॉल के उत्पादन को एक टन चीनी के उत्पादन के बराबर माना जाएगा।
- अभी तक चीनी मिलें केवल निम्न श्रेणी के शीरे (C मोलासेस) से ही एथनॉल बना सकती थीं। गन्ने का रस निकालने के बाद जो शीरा बच जाता था, उसमें से चीनी मिलें एथनॉल का उत्पादन करती थीं।
- शीरे का उपयोग एल्कोहल और स्प्रिट समेत कई अन्य उत्पादों को बनाने में होता है। जून में केंद्र सरकार ने पहली बार बी श्रेणी के शीरे से बने एथनॉल के लिये दिसंबर 2018 से शुरू हो रहे नए सत्र हेतु 47.49 रुपए प्रति लीटर दर तय की थी।
- इसके अलावा निम्न श्रेणी के शीरे से तैयार एथनॉल की दर में भी केंद्र सरकार ने 3 रुपए की बढ़ोतरी करके दर को 43.70 रुपए प्रति लीटर तय किया है।
- देश में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल को मिलाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में एथनॉल की उपलब्धता नहीं होने के कारण यह 4 प्रतिशत तक सिमट कर रह गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा एथनॉल के ऊँचे दाम तय करने से चीनी मिलें एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित होंगी।
- चीनी मिलों ने दिसंबर 2018 से शुरू होने वाले पेराई सीज़न के दौरान तेल कंपनियों को 158 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति करने के लिये अनुबंध किये हैं। जबकि पिछले वर्ष केवल 78.6 करोड़ लीटर एथनॉल की आपूर्ति की गई थी।
- चीनी मिलों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 257 मिलियन टन की घरेलू मांग के मुकाबले 2017-18 सीज़न में 32 मिलियन टन के रिकॉर्ड आउटपुट के कारण चीनी की कीमतें उत्पादन लागत से नीचे गिर गई हैं।

विकास परियोजनाएँ बाघ अधिवासों के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं

चर्चा में क्यों ?

भारत में बाघों के अधिवासों के गंभीर खतरे के संबंध में 23 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 399 सड़कें, सिंचाई और रेलवे परियोजनाएँ आठ राज्यों में बाघ आवासों को प्रभावित कर सकती हैं जिसमें मध्य भारत-पूर्वी घाट शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- गैर-लाभकारी वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, जो कि वन्यजीव और वन संरक्षण पर सरकार के साथ काम करती है, ने 1,697 रैखिक विकास परियोजनाओं की जानकारी के आधार पर 57,071 हेक्टेयर वन भूमि के पथांतरण की आवश्यकता बताई है।
- मध्य भारत और पूर्वी घाटों में प्रस्तावित इन परियोजनाओं को जुलाई 2014 से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है।

नोट :

- इस जानकारी का विश्लेषण करने वाले शोधकर्त्ताओं ने पाया कि इन परियोजनाओं में से 39, जिनकी अनुमानित लागत 1,30,000 करोड़ रुपए है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में बाघ गलियारे से गुज़रेंगी।
- बाघ आरक्षित क्षेत्र को कम करने वाली सिंचाई परियोजनाओं में मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना शामिल है, जबकि सड़क विकास प्रस्तावों में तेलंगाना में एनएच -365 के मल्लंपल्ली हिस्से में नेकरेकल शामिल है।
- इन परियोजनाओं में से अधिकांश (345) के लिये काम करने वाली एजेंसियों ने वन्यजीव मंजूरी की आवश्यकता से इनकार कर दिया है और इनमें से 80% से अधिक परियोजनाएँ अभी भी मंजूरी के लिये विभिन्न चरणों में हैं।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सूचीबद्ध कई परियोजनाएँ पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निकाय नहीं है कि परियोजनाएँ सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती हैं या नहीं।

फास्टैग

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने टोल प्लाज़ा पर नकद रहित भुगतान को बढ़ावा देने एवं वाहनों के बिना रुके टोल शुल्क वसूल करने के लिये फास्टैग तकनीक का विकास किया है।

प्रमुख बिंदु:

- फास्टैग एक पुन: लोड करने योग्य (reloadable) टैग है जो स्वचालित रूप से टोल शुल्कों को काट लेता है और वाहनों को बिना रुके टोल शुल्क जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इससे जुड़े प्रीपेड खाते के माध्यम से नकद रहित भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (RFID) तकनीक का उपयोग करता है।
- इसके अंतर्गत टैग वाहन के विंडस्क्रीन पर निर्धारित रहता है और टोल गेट की छत में लगा रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान एंटीना क्यूआर कोड तथा टैग पहचान संख्या स्कैन करता है जिसके बाद वाहन को बूम बाधा (boom barrier) पार करने की इज़ाज़त देता है।
- टैग, जो पाँच साल के लिये मान्य है, ये सात अलग-अलग रंगों में होता है। ये हैं - बैंगनी, नारंगी, पीला, हरा, गुलाबी, नीला और काला। प्रत्येक रंग वाहनों की एक विशेष श्रेणी को सौंपा जाता है।

फास्टैग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

- 1 दिसंबर, 2017 के बाद बेची जाने वाली कारों और ट्रकों में फास्टैग फिट किया जाना अनिवार्य है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुराने वाहनों के मालिकों के लिये फास्टैग खरीदने के साथ ही लोगों को अपने कार्ड रिचार्ज करने की अनुमति देने के लिये 20 बैंकों के साथ करार किया है।
- टैग टोल प्लाज़ा पर स्थापित कियोस्क से भी खरीदे जा सकते हैं। डिवाइस की लागत एक बैंक की तुलना में दूसरे में भिन्न होती है लेकिन औसतन एक खरीदार डिवाइस के लिये ₹ 600 का भुगतान करता है जिसमें से ₹ 200 का उपयोग टोल बूथ पर लेनदेन के लिये किया जा सकता है, जबकि शेष राशि डिवाइस और बैंक के शुल्क के लिये होती है।
- सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क को नियमित और कम करने के लिये विचार विमर्श किया जा रहा है।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास फास्टैग के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो उपयोगकर्त्ताओं को टैग खरीदने और रिचार्ज करने के साथ ही विभिन्न मार्गों पर टोल दरों की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह उन्हें फीडबैक देने की भी अनुमति देता है।

उपयोगकर्त्ताओं के लिये क्या हैं फायदे ?

- उपयोगकर्ताओं को किसी दिये गए महीने में उनके द्वारा भुगतान किये गए कुल टोल का 5% वापस किया जाता है। नकद रहित लेन देन के अलावा उपयोगकर्त्ता भुगतान करने के लिये बिना अपने वाहन को रोके के भी प्लाज़ा से गुजर सकते हैं।
- हालाँकि, तैनात RFID एंटीना की रेंज छ: मीटर होती है जिसका तात्पर्य है कि टैग को स्कैन करने के लिये वाहन को धीमा करने की आवश्यकता है।
- प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ वाहन विदेशों की तरह टोल बूथ पर उच्च गति से गुजरने करने में सक्षम होंगे।

नोट :

- टैक्सी और ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहन, प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। जबकि निजी वाहन मालिक जिनकी अधिकांश गतिविधियाँ शहरों तक ही सीमित होती है केवल लॉन्ग ड्राइव के दौरान ही इसका लाभ उठा पाएँगे।
- यह तकनीक कैब ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर को प्राप्त होने वाले एसएमएस अलर्ट उन्हें अपने वाहनों की गतिविधियों को ट्रैक करने की अनुमति देती है।

स्वर्ण आभूषण निर्यातकों की मदद के लिये गोल्ड काउंसिल

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने आभूषणों के निर्यात में सहायता के लिये 'डोमेस्टिक काउंसिल फॉर गोल्ड' (सोने के लिये घरेलू परिषद) का गठन करने और देश में आभूषणों के निर्माण में वास्तविक क्षमता का उपयोग करने के लिये एक तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- यह परिषद उद्योग के विकास, रोज़गार सृजन, क्षेत्रीय समूहों का निर्माण और मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करेगी।
- यह परिषद भारत के सभी ज्वैलर्स का प्रतिनिधित्व करेगी। ज्वैलर अलग-अलग समूहों का गठन कर उन लोगों को चुनेंगे जो परिषद में शामिल होंगे।
- यह परिषद निर्यात के लिये घरेलू सहायता भी प्रदान करेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के जौहरियों को बेहतर मूल्य वाले उत्पादों के साथ आगे आने के लिये आभूषण डिज़ाइनरों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और अंतत: बड़ी कंपनियों द्वारा इन आभूषणों का निर्यात किया जाएगा।

समस्याओं का समाधान

- समस्याओं के समाधान के लिये एक समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें वाणिज्य मंत्रालय और रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (Gem Jwellery Export Promotion Council- GJEPC) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो यह सुनिश्चित करने के लिये मासिक बैठक करेंगे कि उद्योग की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जा रहा है अथवा नहीं। इस समिति की पहली बैठक 1 अगस्त को होगी।

स्वर्ण आभूषण निर्यात

- वर्ष 2017-18 में भारत का निर्यात पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक था और साथ ही पिछले कुछ महीनों से निर्यात उच्च दर से बढ़ रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भारत 2018-19 में रिकॉर्ड निर्यात वृद्धि दर्ज कर सकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पोषण अभियान' को बढ़ावा देने के लिये 'टेक-थॉन' का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

- महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 जून, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की समग्र पोषण की अति महत्त्वपूर्ण योजना 'पोषण अभियान' को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी साझेदारी विषय पर 'टेक-थॉन' नामक एकदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया

प्रमुख बिंदु

- इस संगोष्ठी में सरकार, बहुपक्षीय संगठनों, आईटी उद्योग, यूआईडीएआई इत्यादि के विभिन्न हितधारक एकजुट हुए।
- इसमें पोषण अभियान के लिये जन आंदोलन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गए।
- ध्यातव्य है कि संगोष्ठी में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित थे।
- नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और पोषण अभियान के जन आंदोलन के लिये दिशा-निर्देश जारी किये।
- संगोष्ठी में इस अभियान से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों ने भी प्रौद्योगिकी सहायता पर चर्चा की और पोषण अभियान के बारे में अपने विचार साझा किये।

संगोष्ठी में शामिल सदस्य

- संगोष्ठी में राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रालय/सामाजिक न्याय विभाग के सचिव, आईसीडीएस/पोषण अभियान के निदेशक प्रभारी और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।
- संगोष्ठी में कई मत्रियों सहित, भारत सरकार और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शीर्ष नीति-निर्माता, यूनीसेफ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), डब्ल्यूएफपी जैसे बहुपक्षीय साझेदार संस्थानों के प्रतिभागी, महिला एवं बाल विकास विभाग के साझेदार– टाटा न्यास, बिल एंड मेलिंडा गैट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), परोपकारी निजी क्षेत्र (सीएसआर) और सिविल सोसायटी संगठन के सदस्य भी शामिल हुए।

संगोष्ठी का उद्देश्य

- इस पहल का मुख्य उद्देश्य पोषण अभियान के लिये वातावरण तैयार करना, साथ ही विचारों के आदान-प्रदान और प्रौद्योगिकी सहायता के लिये सहयोग तथा साझेदारी के अवसर तलाशना था।
- इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य पोषण के प्रति लोगों के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाकर जन आंदोलन शुरू कर लाभार्थियों तक पहुँच बनाना है।
- ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का शुभारंभ 8 मार्च, 2018 को झुंझनू, राजस्थान में किया गया था।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवज़नी बच्चों में क्रमश: 2%, 2%, 3% तथा 2% की कमी लाना है।

नोट :

हिंद महासागर क्षेत्र में नरम कूटनीति अपनाना भारत के लिये बेहतर

संदर्भ

एजम्पशन आइलैंड पर नौसैनिक अड्डा बनाने को लेकर भारत और सेशेल्स के बीच बनी सहमति सामरिक नज़रिये से काफी अहम है। यह सही है कि 2015 का यह समझौता इस साल संशोधित किये जाने के बाद भी वहाँ की संसद की मंज़ूरी नहीं पा सका है। मगर दोनों देश एक-दूसरे के हितों को देखते हुए आपस में मिलकर इस नौसैनिक अड्डे पर काम करने के लिये सहमत हुए हैं और यह बात सुकून देने वाली है। इसे सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉर के भारत दौरे की 'बेस्ट पॉसिबल आउटकम' कहा जा रहा है, यानी सबसे अच्छा संभावित नतीजा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मौजूदा स्थिति में इससे बेहतर परिणाम नहीं निकल सकता था। अगर यह समझौता रद्द हो जाता (जिससे जुड़ी रिपोर्ट कुछ दिनों पहले खबरों में आई थी), तो हमें खासा नुकसान हो सकता था।
- मगर अब उम्मीद बंधी है कि अगले चुनाव में सेशेल्स के मौजूदा राष्ट्रपति यदि और अधिक प्रभावी तरीके से सत्ता में आते हैं, तो यह समझौता वहाँ की संसद की रजामंदी पा सकता है।

नौसैनिक अड्डे को लेकर भारत की उत्सुकता

- नौसैनिक अड्डे को लेकर भारत की उत्सुकता और सेशेल्स की झिझक को समझना मुश्किल नहीं है। चीन इसकी एक बड़ी वजह है। उसका प्रभाव हिंद महासागर में लगातार बढ़ रहा है।
- यहाँ पहले भारत प्रभावी भूमिका में था और चीन दक्षिण चीन सागर में। मगर अब हिंद महासागर में चीन के दखल के बाद क्षेत्र की राजनीतिक व सामरिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है।
- उसने पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपना सैन्य अड्डा तो बना ही लिया है, ग्वादर (पाकिस्तान) और हम्बनटोटा (श्रीलंका) बंदरगाहों को भी अपने खाते में डाल लिया है।
- इस बदलते घटनाक्रम से नई दिल्ली का चिंतित होना स्वाभाविक है। इस लिहाज से हमारे लिये एजम्पशन आइलैंड उम्मीद की एक बड़ी किरण है। यहाँ यदि नौसैनिक अड्डा बनकर तैयार हो जाता है, तो यह चीन को करारा जवाब देने जैसा होगा। मगर दुर्भाग्य से चीन के दबाव के कारण ही सेशेल्स फिलहाल उलझन में दिख रहा है।

सेशेल्स क्यों झिझक दिखा रहा है?

- दरअसल, वर्ष 2004 के बाद से सेशेल्स में चीन का निवेश काफी बढ़ गया है। और जिस तरह हिंद महासागर में भारत व चीन के बीच स्पर्द्धा चल रही है, उसमें सेशेल्स, मॉरीशस, मालदीव जैसे आस-पास के तमाम छोटे-बड़े देश व आइलैंड खुलकर सामने आने से कतरा रहे हैं।
- वे भारत को खुलेआम समर्थन देकर चीन की नाराज़गी नहीं मोल लेना चाहते। एक समस्या यह भी रही है कि कुछ सामरिक विद्वानों ने एजम्पशन आइलैंड के नौसैनिक अड्डे को इस रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था, मानो यह अड्डा भारत का होगा और यहाँ से चीन के जहाजों पर नज़र रखी जाएगी। इस अति-उत्साह ने भी सेशेल्स को अभी आगे बढ़ने से रोका है।
- अगर वह यह कहता कि नौसैनिक अड्डा भारत ही बनाएगा, तो भारत-चीन प्रतिस्पर्द्धा में संभवत: वह भी इसका हिस्सा नज़र आता। हालाँकि अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छी बात यह है कि सेशेल्स से हमारे रिश्तों में खटास नहीं आई है।

भारत और सेशेल्स के बीच बनी वर्तमान सहमति क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- भारत और सेशेल्स के बीच बनी ताज़ा सहमति हमारे लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर में हमारी सामरिक ताकत को बढ़ाएगा। यहाँ भारत को घेरने के लिये चीन की विस्तारवादी नीतियाँ अपनी गति से चल रही हैं।
- उसकी पनडुब्बियाँ कभी-कभी दक्षिण एशियाई सागर में भी आ जाती हैं और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। हालाँकि इसकी वजह तकनीक और साज़ो-सामान के मामले में हमारा चीन से कमतर होना भी है।
- अगर सेशेल्स का नौसैनिक अड्डा बनता है और भारत की मौजूदगी वहाँ बढ़ती है, तो इस महासागर में चीन के दखल पर हमारी नज़र बनी रहेगी।

नोट :

- भारत का प्रयास मालदीव और मेडागास्कर जैसे राष्ट्रों से रिश्ता बढ़ाकर भी उसे रोकने का रहा है, जिसमें सफलता नहीं मिल पाई। फिर चीन का इन देशों पर आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव भी अधिक है। इस लिहाज़ से देखें, तो सेशेल्स से समझौता हो पाना ही अपने-आप में बड़ी उपलब्धि है।
- हिंद महासागर में भारत को चीन से एक और चुनौती 'वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव' के रूप में मिल रही है। इसके तहत महासागरीय क्षेत्र में भी तमाम तरह के निवेश किये जा रहे हैं।
- इसके प्रत्युत्तर में भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक 'चतुष्कोणीय' गुट बनाने को तत्पर है। यह एक राजनीतिक समूह तो होगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये भी इसका अस्तित्व काफी मायने रखेगा।
- एक संयुक्त क्षेत्रीय ढाँचागत योजना तैयार करने पर चारों देश विचार कर रहे हैं। अगर यह विचार साकार हो जाता है, तो भारत चीन को कई मामलों में चुनौती दे सकेगा।
- भारत को अपनी उस 'नेबरहुड पॉलिसी' (पड़ोसी देशों को खास महत्त्व देने की नीति) को भी नई धार देनी होगी, जिसकी तरफ 2015 में कदम बढ़ाए गए थे। यह न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र के लिये, बल्कि दक्षिण एशिया के लिहाज़ से भी किया जाना ज़रूरी है।
- आज भूटान, नेपाल जैसे हमारे करीबी पड़ोसी देश भी चीन के पाले में जाते दिख रहे हैं। हमें उन्हें समझाना होगा कि चीन या अमेरिका की तुलना में भारत के साथ रिश्तों को मज़बूती देना उनके लिये कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

कैलिफोर्निया ने ऑनलाइन प्राइवेसी की रक्षा के लिये स्वीपिंग कानून पारित किया

चर्चा में क्यों ?

कैलिफ़ोर्निया की विधायिका ने कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम (California Consumer Privacy Act) को भारी बहुमत से पारित किया है जिससे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी के फैलाव में अधिक नियंत्रण और अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सकती है। यह कानून संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रौद्योगिकी कंपनियों के डेटा-संग्रह प्रक्रियाओं की देख-रेख करने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण नियमों में से एक बन गया है।

क्या कहता है नया कानून ?

- नया कानून उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार देता है कि कौन-सी सूचना कंपनियाँ उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रही हैं, वे उस डेटा को क्यों एकत्र कर रही हैं और किसके साथ इसे साझा करने जा रही हैं।
- यह कानून कंपनियों को उपभोक्ताओं की जानकारी हटाने के साथ-साथ अपना डेटा बेचने या साझा करने का अधिकार नहीं देता है।
- समान गुणवत्ता वाली सेवा का चयन करने वाले व्यवसायों के बारे में समस्त जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी।
- यह कानून 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में डेटा को साझा करने या उस डेटा को बेचने के कार्य को भी मुश्किल बनाता है।
- जनवरी 2020 में लागू होने वाला यह कानून उपभोक्ताओं के डेटा उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर मुकदमा करना आसान बनाता है।
- यह राज्य के अटॉर्नी जनरल को उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है जो नए नियमों का पालन नहीं करते हैं।
- कैलिफ़ोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता कानून यूरोप के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन या जीडीपीआर (General Data Protection Regulation-GDPR के रूप में विस्तारित नहीं है। कानूनों का यह नया सेट तकनीकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने, स्टोर करने और उनके उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- इस कानून को बैलेट पहल पर बारीकी से तैयार किया गया है। इसे तैयार करने के लिये एक रियल एस्टेट डेवलपर, एलिस्टेयर मैक्टागार्ट ने 3 मिलियन डॉलर खर्च किये और इसे प्रमाणित करने के लिये इसके समर्थन में 600,000 से अधिक हस्ताक्षर सुरक्षित किये।
- इससे कानून को पारित कराने के लिये विधायकों का अनैच्छिक समर्थन प्राप्त करने के लिये दबाव बनाया जा सका।
- बैलेट पहल ने जहाँ व्यक्तियों की निजी गोपनीयता का पालन न करने के लिये कंपनियों पर मुकदमा करना आसान बना दिया था, वहीँ, इसे संभावित देयता जोखिम के बारे में चिंतित उद्योग समूहों के मुखर विरोध का भी सामना करना पड़ा।

नोट :

- इस उपाय में एक प्रावधान शामिल था जिसके तहत कानून बनने के बाद किसी भी बदलाव को मंज़ूरी देने के लिये विधायिका के दोनों सदनों में 70 प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होगी।
- गूगल, फेसबुक, वेरिज़ॉन, कॉमकास्ट और एटी एंड टी प्रत्येक ने प्रस्तावित बैलेट पहल का विरोध करने वाली समिति को रिश्वत में 200,000 डॉलर देने की पेशकश की थी और वे इसे पारित होने से रोकने के लिये नवंबर के चुनाव से पहले 100 मिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार थे।

इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने भगौड़े ज्वैलर नीरव मोदी, उसके भाई नीशल मोदी और निकट सहयोगी सुभाष पराब के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि तीनों के खिलाफ RCN जारी होने के बाद अब उन्हें इंटरपोल के सदस्य देशों में से किसी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
- इसके बाद प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
- इस नोटिस के जारी होने से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में ₹ 14,356 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में नीरव मोदी को खोजने वाली भारतीय एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी।

रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) क्या है ?

- RCN सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।
- इंटरनेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के अनुरोध पर इंटरपोल के जनरल सचिवालय द्वारा नोटिस प्रकाशित किये जाते हैं।
- इसे किसी भी संगठन की आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया जा सकता है जैसे- अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश।
- वर्तमान में इंटरपोल में 192 सदस्य देश शामिल हैं।

एशिया-प्रशांत समझौते के तहत भारत ने सदस्य देशों को दी शुल्क संबंधी छूट

चर्चा में क्यों ?

छह देशों- बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका के बीच एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (पूर्ववर्ती बैंकॉक समझौता) के तहत वार्ताओं के चौथे दौर के दौरान लिये गए निर्णय 1 जुलाई, 2018 से लागू हो गए हैं। इसके अंतर्गत भारत ने चीन सहित अन्य सदस्य देशों को 3,142 वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतें दी हैं। उल्लेखनीय है कि APTA का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत इन रियायतों के माध्यम से APTA प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिये प्रतिबद्ध है।

प्रमुख बिंदु

- सभी सदस्य देशों को 3,142 वस्तुओं पर शुल्क संबंधी रियायतें देने के अलावा भारत ने अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries- LCDs) बांग्लादेश और लाओ पीडीआर (Laos PDR) को 48 वस्तुओं पर विशेष छूटें प्रदान की हैं।
- व्यापार वार्ताओं के चौथे दौर के औपचारिक समापन के बाद इस पर APTA की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक के दौरान सदस्य देशों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये। उल्लेखनीय है कि यह बैठक 13 जनवरी, 2017 को आयोजित की गई थी।
- मंत्रिस्तरीय परिषद के निर्णय को अब सभी सदस्यों ने लागू कर दिया है, जो 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी हो गया है।

नोट :

- चौथे दौर की वार्ता पूरी होने के साथ ही प्रत्येक सदस्य देश के लिये कुल वस्तुओं की वरीयता की कवरेज बढ़कर 10,677 वस्तुओं के स्तर पर पहुँच जाएगी, जबकि तीसरे दौर के समापन पर वस्तुओं या आइटमों की कुल संख्या 4,270 थी।
- इसके साथ ही समझौते के तहत उपलब्ध कराया जा रहा औसत वरीयता मार्जिन (MOP) बढ़कर 31.52 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच जाएगा।
- LDC (अल्प विकसित देश) सदस्य 1,249 वस्तुओं पर अपेक्षाकृत ज़्यादा रियायतें पाने के हकदार हैं। APTA के खास एवं विशिष्ट प्रावधानों के तहत इन वस्तुओं पर MOP औसतन 81 प्रतिशत है।

एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (Asia-Pacific Trade Agreement -APTA)

- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौता (APTA), संयुक्त राष्ट्र के एशिया-प्रशांत के लिये आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific -UN ESCAP) के अंतर्गत एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सदस्य माने जाने वाले विकासशील देशों के बीच शुल्क (टैरिफ) रियायतों के आदान-प्रदान के ज़रिये व्यापार का विस्तार करना है।
- यह वर्ष 1975 से ही प्रभावी है। APTA एक वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत विभिन्न वस्तुओं के बास्केट के साथ-साथ शुल्क रियायतों की सीमा को भी समय-समय पर होने वाली व्यापार वार्ताओं के दौरान बढ़ाया जाता है।

पहली बार कोआला भालू के जीनोम का अनुक्रमण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कोआला भालू के पूरे जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने कोआला भालू के जीनोम को अनुक्रमित करने के दौरान उसके दुग्ध में एक नोवेल प्रोटीन को पाया।
- ये नोवेल प्रोटीन युवा कोआला भालू को पाउच/थैले में सुरक्षित रखते हैं और मज़बूत प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने में भी मदद करता हैं।
- इस प्रोटीन में एंटीमाइक्रोबियल की भूमिका हो सकती है।
- यह प्रोटीन कोआला भालूओं में क्लैमिडिया पेकोरम (Chlamydia pecorum) सहित, बैक्टीरिया तथा फंगल प्रजातियों की एक श्रृंखला के खिलाफ गतिविधि प्रदर्शित करता है।
- क्लैमिडिया पेकोरम, कोआला भालूओं में ओकुलर(नेत्र-संबंधी) और प्रजनन रोग के कारण होने वाला एक विकार है।

कोआला भालू (Koala bear)

- यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला धानी-प्राणी (marsupial)है।
- ये प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34-36 दिनों के बाद जन्म लेते हैं और इसके बाद लगभग छह महीने पाउच/थैले में इनका विकास होता है।
- इसे आईयूसीएन की रेड डेटा बुक के अंतर्गत सुभेद्य(Vulnerable)जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- निवास की हानि और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेज़ी से कमी आई है।
- इनका मुख्य आहार यूकेलिप्टस की पत्तियाँ हैं।

विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन

(Vishwas Patel appointed Payments Council of India Chairman)

- विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
- विश्वास पटेल ने नवीन सूर्या का स्थान लिया है।

नोट :

- इससे पूर्व विश्वास पटेल पीसीआई के सह-अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे तथा 2013 से ही परिषद से जुड़े हुए थे।
- भारतीय भुगतान परिषद का गठन वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्त्वावधान में किया गया था।

जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सिस्टम का विकास (New AI may prevent waterlogging)

- हाल ही में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के छात्रों की टीम ने एक एआई प्रणाली विकसित की है, जो जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकती है।
- इस प्रणाली के विकास से बड़े शहरों में बरसात के मौसम में होने वाली जाम की समस्या से बचा जा सकता है।
- इस प्रणाली के विकास में शोधकर्त्ताओं ने सुभेद्य क्षेत्रों में जलभराव की गंभीरता का पता लगाने के लिये वर्षा, यातायात और स्थान संबंधी आँकड़ों की सहायता ली।
- इस प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक अध्ययन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ भारत के शहरों के समान हैं।
- इस प्रणाली का उपयोग शहरों में दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंसों की तैनाती की जा सकती है। साथ ही यातायात पर त्योहारों और अवकाश दिवसों के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने किया 'सीविजिल' मोबाइल एप लॉन्च (Election Commission of India launches Mobile App 'cVIGIL')

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने हाल ही में निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीविजिल' एप लॉन्च किया।

- 'सीविजिल' एप यूज़र्स फ्रेंडली और एन्ड्रॉयड एप्लिकेशन संचालन में काफी आसान है।
- यह एप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहाँ चुनाव की घोषणा की गई है।
- एप का बीटा वर्ज़न लोगों तथा चुनावकर्मियों के लिये उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
- परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी।
- चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एप का व्यावहारिक उपयोग, अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके व्यापक रूप में उपयोग के पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।
- इस एप में दुरुपयोग रोकने की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं। यह एप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।
- तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रिपोर्ट करने के लिए पाँच मिनट का समय मिलेगा।
- किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये एप पहले से रिपोर्ट किये गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। इस एप में 'सीविजिल' एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी।
- यह एप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।

वाप्कोस का 50वाँ स्थापना दिवस (WAPCOS celebrated 50th foundation day)

- हाल ही में जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (WAPCOS) का 50वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया।
- भारत सरकार ने वर्ष 1969 में वाप्कोस का गठन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किया था।
- जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तकनीकी-वाणिज्यिक संगठन है।
- वर्तमान में वाप्कोस को एक मिनिरत्न कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त है।

नोट :

- वाप्कोस, भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवस्थापना क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करवाता है ।
- हाल ही में अपनी संस्था के अंतर्नियम में संशोधन कर वाप्कोस ने विश्व में विकासात्मक परियोजनाओं हेतु प्रवर्तन सेवाओं की संकल्पना उपलब्ध करवाने के लिये स्वयं को अनुकूल बनाया है।

भारत, अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में सुधार की संभावना

चर्चा में क्यों ?

भारत और अमेरिका के बीच कई व्यापारिक संबंधों पर चल रही बातचीत सुचारु रूप से आगे बढ़ रही है और जुलाई के मध्य में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका यात्रा के दौरान एक सौदा किये जाने की भी उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- इस सौदे के अंतर्गत हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर शून्य कर निर्धारित किये जाने की संभावना है।
- वर्तमान में भारत उच्च क्षमता श्रेणी के असेम्बल मोटरसाइकिलों का ही सीमित मात्रा में ही आयात करता है, जो उच्चतम करों को आकर्षित करते हैं।
- हाल ही में मार्क लिन्सकॉट (सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में उपस्थित रहा।
- साथ ही इस महीने के अंत तक वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव संतोष सारंगी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन जाएगा।
- इस प्रकार भारत-अमेरिका के बीच प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही से कई विवादित मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी।
- पैकेज सौदे के हिस्से के रूप में अमेरिका द्वारा भारत के लिये प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) को बनाए रखने की संभावना है, जो कई निर्यातकों को भारत और अमेरिका के विशिष्ट निर्यात पर कम टैरिफ की सुविधा की अनुमति देता है।
- अमेरिका से आयातित चिकित्सा उपकरणों पर लगाए गए कर प्रतिबंधों को बदलने के लिये अमेरिकी मार्जिन तर्कसंगतता, अमेरिकी विनिर्माणकर्त्ताओं द्वारा एक और स्वीकार्य वैश्विक नियमों की मांग की जा रही है।
- हालाँकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल (यूएसटीआर) ने चिकित्सा उपकरणों के अमेरिकी निर्माताओं की शिकायतों के जवाब में भारत के लिये आंशिक रूप से जीएसपी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है।
- इसके साथ ही लंबित व्यापारिक मुद्दों के बावजूद दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली 2+2 वार्ता को द्विपक्षीय संबंधों हेतु एक नई ऊर्जा के संचार के रूप में देखा जा सकता है।

विवादित मुद्दे

- अमेरिका ने 1962 के अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232 (बी) के तहत भारत से आयातित इस्पात और एल्युमीनियम पर 25% कर आरोपित किया था और भारत ने इस मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में उठाया था।
- दूसरी ओर, अमेरिका अपने निर्यात सब्सिडी कार्यक्रमों के लिये डब्ल्यूटीओ में भारत को चुनौती दे रहा है।

भारत करेगा मताला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने घाटे में चल रहे श्रीलंका के मताला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Mattala Rajapaksa International Airport) के संचालन का निर्णय लिया है ।

प्रमुख बिंदु

- इसका संचालन भारत और श्रीलंका के संयुक्त उद्यम के तहत किया जाएगा और एयरपोर्ट के मालिकाना हक में भी भारत की बड़ी हिस्सेदारी भी रहेगी।
- हालाँकि,श्रीलंका के नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरिपला डी सिल्वा ने संसद को बताया कि समझौते का विवरण अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

नोट :

मताला हवाई अड्डा

- यह हवाई अड्डा श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 241 किलोमीटर दूर हंबनटोटा शहर में स्थित है।
- इस हवाई अड्डे का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के नाम पर किया गया था, जो चीन समर्थित बुनियादी ढाँचा परियोजना है।
- उल्लेखनीय है कि हंबनटोटा बंदरगाह पर वर्तमान में चीन का नियंत्रण है।
- मताला हवाई अड्डे से बहुत कम उड़ानें संचालित होती हैं, अत: यही कारण है कि इस हवाई अड्डे को 'दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट' कहा जाता है ।
- इसका परिचालन मार्च 2013 में शुरू हुआ था लेकिन लगातार घाटे तथा सुरक्षा कारणों से यहाँ की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को भी इसी साल मई में बंद कर दिया गया था।

महत्त्व

- तटीय शहर हंबनटोटा रणनीतिक दृष्टि से श्रीलंका के साथ-साथ भारत के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण है।
- साथ ही इस हवाई अड्डे की सालाना दस लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की क्षमता है और वर्ष 2028 तक प्रतिवर्ष 5 लाख यात्रियों, 50,000 टन कार्गो और 6,250 हवाई यातायात संचालन करने की भी उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में सरकार ने इस हवाई अड्डे को लाभ-साझाकरण संयुक्त उद्यम में बदलने के लिये निवेशकों को आमंत्रित भी किया था।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को 10 साल की जेल

चर्चा में क्यों ?

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को उच्च प्रोफ़ाइल पनामा पेपर्स घोटाले में भ्रष्टाचार के एक मामले में 10 साल की सज़ा सुनाई है।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल यह सज़ा उन्हें अपने परिवार के लिये लंदन में फ्लैटों की खरीद से संबंधित एवेनफील्ड भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई गई है।
- इसके अलावा उनकी बेटी मरियम नवाज़ को सात साल तथा दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को एक साल की सज़ा सुनाई गई है।
- साथ ही नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम पर क्रमश: 8 मिलियन पाउंड(10 मिलियन अमेकी डॉलर)तथा 2 मिलियन पाउंड(2.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर)का जुर्माना भी लगाया गया है।
- ध्यातव्य है कि पनामा पेपर्स घोटाले के आधार पर पाकिस्तान के विपक्षी नेता इमरान खान द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था।

एवेनफील्ड भ्रष्टाचार प्रकरण (Avenfield Corruption Case)

- एवेनफील्ड मामला नवाज़ शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्यूरो (NAB) द्वारा दायर तीन भ्रष्टाचार के मामलों में से एक था।
- यह मामला लंदन में पॉश एवेनफील्ड हाउस में चार फ्लैटों(एवेनफील्ड हाउस, पार्क लेन, लंदन में फ्लैट संख्या-16, 16-ए, 17 और 17-ए) की खरीद से संबंधित है।
- अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि नवाज़ शरीफ के परिवार ने अवैध स्रोतों के माध्यम से फ्लैट प्राप्त किये हैं।
- हालाँकि इस फैसले की घोषणा नवाज़ शरीफ की अनुपस्थिति में हुई थी, क्योंकि वे लंदन में अपनी पत्नी कुलसुम नवाज़ के गले के कैंसर संबंधी निदान के लिये उनके साथ थे।
- परिणामस्वरूप 25 जुलाई को पाकिस्तान में आयोजित होने वाले आम चुनावों के लिये नवाज़ शरीफ को पीएमएल-एन की तरफ से उम्मीदवारी हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

नोट :

अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य असेंबली में स्तनपान संबंधी संकल्प को रोकने की कोशिश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य असेंबली में स्तनपान कराने संबंधी संकल्प को रोकने की कोशिश की तथा इस प्रस्ताव को रोकने हेतु अन्य देशों पर दबाव भी डाला, लेकिन आखिरकार अमेरिका अपने इरादों में असफल रहा।

प्रमुख तथ्य

- टाइम्स पत्रिका के अनुसार, इक्वाडोर ने इस संकल्प को रोकने के संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप प्रशासन ने इक्वाडोर से व्यापार समाप्त करने और उसको दी जाने वाली सैन्य सहायता वापस लेने की धमकी दी।
- अमेरिका के भय से कई अन्य देश भी संकल्प को प्रायोजित करने से पीछे हट गए हालाँकि, इस बातचीत के दो दिन बाद रूस ने इसे विश्व स्वास्थ्य असेंबली में पुन: प्रस्तावित किया।
- हाल ही के वर्षों में अमीर देशों/विकसित देशों में $ 70 बिलियन शिशु फॉर्मूला उद्योग आधारित उत्पादों की बिक्री की प्रवृत्ति देखी गई है।
- यूरोमोनीटर के अनुसार, वर्ष 2018 में इन वैकल्पिक उत्पादों की वैश्विक बिक्री में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने के साथ-साथ विकासशील देशों में भी इनमें वृद्धि होने की संभावना है।
- पिछले कई दशकों पर आधारित शोधों के निष्कर्षों के मुताबिक स्तनपान बच्चों के स्वास्थ्य के लिये अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक लाभदायक है और सभी देशों को स्तनपान के अन्य विकल्पों के गलत या भ्रामक विपणन को सीमित करने का प्रयास करना चाहिये।
- हालाँकि यह मुद्दा भी सही है कि सभी माताएँ अपने शिशुओं को स्तनपान कराने में सक्षम नहीं हैं।
- वर्ष 2016 के एक अध्ययन के मुताबिक, "प्रत्येक वर्ष स्तनपान को बढ़ावा देकर 823,000 बच्चों और 20,000 माताओं की मौत को रोका जा सकता है और साथ ही सार्वभौमिक रूप से 300 अरब डॉलर (यूएसडी) की आर्थिक बचत भी की जा सकती है।"
- उल्लेखनीय है कि स्तनपान के संकल्प से, इसके विभिन्न विकल्पों को मुहैया कराने वाली लोकप्रिय कंपनियों के उत्पादों तथा शिशु फॉर्मूला निर्माताओं की बिक्री में कटौती होने की संभावना है, इसी कारण इन कंपनियों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है।

भारत के प्रधानमंत्री और दक्षिण कोरिया (south korea) के राष्ट्रपति ने नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल उत्पादन यूनिट का किया उद्घाटन

संदर्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून जेई-इन ने हाल ही में नोएडा में सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एक विशाल मोबाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया। इसकी प्रतिवर्ष 120 मिलियन हैंडसेट उत्पादन क्षमता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सैमसंग ने कहा कि विनिर्माण संयंत्र में क्षमता बढ़ाने के लिये उसने करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जहाँ कंपनी के प्रमुख S9 मॉडल में 100 डॉलर से कम लागत वाले स्मार्टफोन से लेकर उपकरणों का निर्माण किया जाएगा।
- उत्पादन क्षमता में वृद्धि का विचार सैमसंग की योजनाओं के अनुरूप है जो इसे भारतीय बाज़ार में अपने चीनी प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद करेगा।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे भारत को वैश्विक विनिर्माण हब (केंद्र) बनाने की यात्रा में एक विशेष मौका बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 करोड़ रुपए के निवेश से न केवल भारत के साथ सैमसंग के कारोबारी संबंध सुदृढ़ होंगे, बल्कि यह भारत और कोरिया के बीच संबंधों के संदर्भ में भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी आम आदमी के जीवन को सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें त्वरित एवं अधिक पारदर्शी सेवाओं का भी योगदान शामिल है।

नोट :

- उन्होंने स्मार्टफोन, ब्रॉडबैंड और डेटा कनेक्टिविटी के विस्तारीकरण का उल्लेख करते हुए इसे भारत में डिजिटल क्रांति के संकेत के रूप में वर्णित किया। इस संदर्भ में उन्होंने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), डिजिटल लेन-देनों में वृद्धि, भीम एप और रुपे कार्डों के बारे में भी बताया।
- प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत अब मोबाइल फोन के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे पायदान पर है। यही नहीं, भारत में लगभग चार वर्षों की अवधि में मोबाइल फोन की उत्पादन इकाइयों या फैक्टरियों की संख्या महज़ 2 के आँकड़े से बढ़कर अब 120 के उच्च स्तर पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि इससे रोज़गार के लाखों अवसर सृजित हुए हैं।

सैमसंग हर महीने 1 करोड़ फोन बनाएगा

- उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल केवल एक आर्थिक नीतिगत उपाय ही नहीं है बल्कि मित्र देशों जैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करने का एक संकल्प भी है।
- यह इकाई कंपनी की सबसे बड़ी विनिर्माण इकाई होगी। यहाँ हर महीने लगभग 1 करोड़ फोन बनाए जाएंगे। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि उत्पादन का 30 प्रतिशत दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात किया जाएगा।
- सैमसंग ने रोज़गार उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने लगभग 70,000 लोगों को रोज़गार दिया है जिनमें से लगभग 5000 नोएडा में हैं। इस नए संयंत्र में 1,000 और लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- 1996 में स्थापित सैमसंग का नोएडा संयंत्र स्मार्टफोन, रेफ्रीजरेटर और फ्लैट स्क्रीन टीवी का निर्माण कर रहा है।
- इस दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने पिछले साल एक और विस्तार करते हुए 35 एकड़ ज़मीन के लिये 4,915 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मोबाइल फोन और रेफ्रीजरेटर दोनों की उत्पादन क्षमता को दोगुना करना है।
- नोएडा के अलावा, सैमसंग के चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में पाँच अनुसंधान और विकास केंद्र,1.5 लाख खुदरा दुकानें और 3,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के साथ एक डिज़ाइन सेंटर भी है।
- नोएडा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल संयंत्र होगा। यह भारत के प्रति सैमसंग की मज़बूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है और सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

सैमसंग, भारत में 2007 से बना रहा है फोन

- फर्म ने कहा कि वह 2007 से भारत में मोबाइल फोन का निर्माण कर रही है और केंद्र के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुरूप, इसकी स्थापना के बाद से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
- सरकार ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिये एक ढाँचा तैयार कर रही है।
- सरकार के प्रस्तावित ढाँचे में इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं के लिये व्यवसाय करने को आसान बनाने और वित्तपोषण, लाजिस्टिक तथा उत्पादन की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने विशेष ज़ोर देते हुए कहा कि इस नई मोबाइल उत्पादन यूनिट के जरिये कोरियाई प्रौद्योगिकी और भारतीय विनिर्माण एवं सॉफ्टवेयर सहयोग का यह संयोजन पूरी दुनिया के लिये उत्कृष्ट उत्पाद उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इसे दोनों ही देशों की ताकत और साझा विज़न के रूप में वर्णित किया।

अमरीका और रूस का पहला शिखर सम्मेलन:संभावित चर्चाएँ

संदर्भ

अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, हेलसिंकी में आयोजित दोनों देशों के होने वाले अपने पहले शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

संभावित चर्चाएँ

हथियारों की दौड़

- हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने नए परमाणु हथियारों की एक श्रृंखला का अनावरण किया और पश्चिमी देशों की सरकारों को चेतावनी भी दी।
- द रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर संधि को विस्तारित करने की दिशा में प्रगति के साथ ही यह वर्ष 2021 तक समाप्त हो जाएगा।

नोट :

- अत: रूस और अमेरिका द्वारा इन पक्षों पर चर्चा किये जाने की संभावना है।
- साथ ही, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर संधि के विस्तार के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की भी संभावना है।

न्यू स्टार्ट ट्रीटी (नई सामरिक शस्त्र कटौती संधि)

- संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (यूएसएसआर) के बीच एक द्विपक्षीय संधि थी।
- इस संधि का उद्देश्य सामरिक आक्रामक हथियारों को सीमित करना था।
- यह संधि फरवरी 2011 में प्रभावी हुई थी और इसने 1991 की स्टार्ट-1 संधि की जगह ली।
- यह वाशिंगटन और मॉस्को को एक-दूसरे के परमाणु कार्यक्रमों पर नज़र रखने की अनुमति देती है।

प्रतिबंधों में राहत

- वाशिंगटन ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के कब्ज़े के आधार पर मॉस्को पर प्रतिबंध लगाए हैं।
- उल्लेखनीय है कि ये प्रतिबंध सीरिया के गृह युद्ध में रूस की भागीदारी और अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों के आधार पर लगाए गए हैं।
- वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के कब्जे के बाद से नाटो गठबंधन ने पूर्वी यूरोप में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे रूस नाराज है।
- अत: उम्मीद जताई जा रही है कि रूस अमेरिका से क्रीमिया पर मास्को के कब्जे को मान्यता देने और अमरिकी प्रतिबंधों को हठाने की मांग करेगा।

सीरियाई संघर्ष

- इज़राइल अपनी सीमाओं के चारों ओर ईरानी बलों केएकत्र होने से बारे में चिंतित है, क्योंकि सीरिया में संघर्ष बढ़ने पर वे इज़रायल की सीमाओं में प्रवेश करने लगते हैं।
- संभवत: ट्रंप, ईरान की सैन्य उपस्थिति को रोकने के लिये पुतिन से अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिये कहें।
- हालाँकि,द रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन को इस कार्य को करने में मुश्किल होगी।

भारत 'विशेष विशेषाधिकार' (special privileges) खो देगा: ईरानी राजनयिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नई दिल्ली में एक वरिष्ठ ईरानी राजनयिक ने कहा कि यदि भारत सऊदी अरब, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की आपूर्ति के साथ ईरानी क्रूड को बदलने की कोशिश करता है तो ईरान भारत के "विशेष विशेषाधिकार" ("special privileges") को समाप्त कर देगा।

प्रमुख बिंदु

- ईरानी राजनयिक ने यह कहा है कि ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे सामरिक मुद्दों पर जब भी संभव हुआ ईरान ने भारत की मदद की है, लेकिन अभी तक भारत ने चाबहार बंदरगाह में अपने निवेश संबंधी वादे पूरे नहीं किये हैं।
- मध्य एशियाई क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बाज़ारों तक पहुँच स्थापित करने में सक्षम चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश स्तर से ईरान संतुष्ट नहीं है।
- वर्ष 2012 से 2015 के बीच पिछले दौर में अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान ईरान ने भारत को तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूरी मदद दी थी।
- ईरान का कहना है कि यदि भारत ईरान को अन्य देशों के साथ 10% तेल मांग के लिये प्रतिस्थापित करेगा तो उसे डॉलर-आधारित आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी जिससे सीएडी यानी भारत के चालू खाता घाटे में वृद्धि होगी और साथ ही ईरान से प्राप्त अन्य सभी विशेषाधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा।
- दरअसल, ईरान की इस प्रतिक्रिया का मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत को दी गई वह सलाह है, जिसमें कहा गया है कि भारत को ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करनी चाहिये।

नोट :

- हालाँकि, ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान भारतीय आवश्यकताओं जैसे- पेट्रोलियम, यूरिया और एलएनजी के लिये एक खुला बाज़ार बना रहा है और ईरान, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी समझता है।
- संयुक्त व्यापक योजना(जेसीपीओए)या ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिकी वापसी के विषय में ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका दुनिया पर एकतरफा भारी लागत लगा रहा है।
- उन्होंने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और संघर्ष बढेगा तो यह भारत और चीन जैसे बढ़ती शक्तियों को भी प्रभावित करेगा।
- इसके अलावा ईरान ने उम्मीद जताई है कि भारत चाबहार बंदरगाह में किया गया सहयोग और विकास वास्तव में सामरिक प्रकृति का है, तो भारत इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा।

भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य व्यापार ढाँचे में सुधार पर सहमति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से 'प्रारंभिक फसल('Early Harvest')पैकेज को लेकर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर चर्चा हेतु संयुक्त रूप से सहमति व्यक्त की गई।
- दोनों पक्षों ने 11 समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।
- इन समझौतों में प्रमुख रूप से अधिक सैन्य आदान-प्रदान हेतु प्रतिबद्धता और रक्षा परियोजनाओं को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना शामिल रहा।
- दोनों देश अफगानिस्तान में "त्रिपक्षीय" आधार पर एक परियोजना की शुरुआत के साथ ही तीसरे देशों के विकासात्मक सहयोग हेतु भी सहमत हुए हैं।
- दक्षिण कोरिया की 'नई दक्षिणी नीति' और भारत की 'पूर्व की ओर देखो नीति' से दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में शांति कायम करने में योगदान देने के लिये दोनों देशों ने एक-दूसरे की प्रशंसा की।

भारत-दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र

- भारत के केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम(एमएसएमई)उद्यम राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)गिरिराज सिंह तथा दक्षिण कोरिया गणराज्य के एसएमई व स्टार्टअप मंत्री होंग जोंग हॉल ने भारत-दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन किया।
- उल्लेखनीय है कि भारत-कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र की स्थापना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में की गई है।
- इस केंद्र के माध्यम से उद्यमी आधुनिकतम तकनीक, प्रबंधकीय विशेषज्ञता, उत्पाद विकास तथा तकनीकी अनुप्रयोग साझा कर सकते हैं।
- इस केंद्र का उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये एक साझा मंच उपलब्ध कराना है।

स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) तथा शहरी नियोजन योजना (TPS)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में क्षेत्र आधारित बुनियादी ढाँचागत मसलों को जल्द सुलझाने के लिये प्रायोगिक आधार पर 25 शहरों में स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) तथा शहरी नियोजन योजना (TPS) क्रियान्वित करने की घोषणा की गई है।

स्थानीय क्षेत्र योजना (LOCAL AREA PLAN -LAP) और शहरी नियोजन योजना (TOWN PLANNING SCHEME -TPS)

- स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) और शहरी नियोजन योजना (TPS) को 'अमृत' के तहत तैयार किया गया है, ताकि क्रमश: ब्राउनफील्ड क्षेत्रों (शहर के वे हिस्से जो पहले ही विकसित हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं पर पड़ रहे दबाव को झेलने में सक्षम नहीं हैं) और ग्रीनफील्ड क्षेत्रों (शहर की परिधि वाले क्षेत्र जहाँ बेतरतीब वृद्धि और विकास की आशंका रहती है) में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं को विकसित करने के लिये समुचित नियोजन सुनिश्चित किया जा सके।

नोट :

- इन योजनाओं को प्रायोगिक आधार पर निम्नलिखित 25 चयनित शहरों में क्रियान्वित किया जाएगा।

क्र.सं.	शहर	राज्य
1.	ग्रेटर विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
2.	गुवाहाटी	असम
3.	वड़ोदरा	गुजरात
4.	इंदौर	मध्य प्रदेश
5.	चेन्नई	तमिलनाडु
6.	बंगलूरू	कर्नाटक
7.	तिरुवनंतपुरम	केरल
8.	वारंगल	तेलंगाना
9.	पुणे	महाराष्ट्र
10.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	अमृतसर	पंजाब
13.	पटना	बिहार
14.	फ़रीदाबाद	हरियाणा
15.	भुवनेश्वर	ओडिशा
16.	रांची	झारखंड
17.	रायपुर	छत्तीसगढ़
18.	पणजी	गोवा
19.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
20.	न्यू कोलकाता	पश्चिम बंगाल
21.	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर
22.	देहरादून	उत्तराखंड
23.	आइजोल	मिज़ोरम
24.	गंगटोक	सिक्किम
25.	इम्फाल	मणिपुर

- LAP/TPS तैयार करने के लिये पहचान किए गए 25 शहरों को 50 करोड़ रुपए (प्रत्येक शहर को 2.00 करोड़ रुपए) केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- केंद्रीय सहायता 3 किस्तों में जारी की जाएगी -
  - प्रारंभिक प्रस्ताव जमा करने के साथ 20%,
  - ड्राफ्ट योजना जमा करने के दौरान 40%
  - अंतिम योजना जमा करने के दौरान शेष 40%।

नोट :

- LAP और TPS तैयार करने के लिये संभावित अवधि एक वर्ष (2 माह में प्रारंभिक प्रस्ताव् तथा 10 माह मसौदा (draft) योजना तैयार करने के लिये होगी।
- टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइज़ेशन (TCPO) राज्य नोडल एजेंसी को समर्थन प्रदान करेगा।
- यह योजना शहरों को स्थानीय क्षेत्र योजना और टाउन प्लानिंग योजना की पहचान करने और अल्पकालिक समय में क्षेत्र आधारित आधारभूत संरचना समस्याओं को हल करने के लिये प्रोत्साहित करने में सक्षम होगी।

स्मार्ट सिटिज़ फेलोशिप (ISCF) तथा इंडिया स्मार्ट सिटिज़ इंटर्नशिप (ISCI) कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में युवाओं को शहरी नवीकरण क्षेत्र में काम करने के लिये युवों को अवसर प्रदान करने हेतु स्मार्ट सिटिज़ फेलोशिप (ISCF) तथा इंडिया स्मार्ट सिटिज़ इंटर्नशिप (ISCI) कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

इंडिया स्मार्ट सिटिज़ फेलोशिप (India Smart Cities Fellowship -ISCF) कार्यक्रम :

उद्देश्य : इंडिया स्मार्ट सिटिज़ फेलोशिप (ISCF) कार्यक्रम का उद्देश्य इच्छुक युवाओं को विशेषकर स्मार्ट सिटी और सामान्य रूप से शहरी नवीकरण क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण शहरी समस्याओं के आधुनिक एवं व्यापक प्रभाव वाले समाधानों को क्रियान्वित करने के चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचक कार्य में नए विचार, जुनून एवं ऊर्जा सुनिश्चित करेगा।
- यह कार्यक्रम युवा मार्गदर्शकों को तैयार करेगा, भारतीय शहरी क्षेत्र के बारे में उनकी समझ को मज़बूत करेगा और भविष्य में ज़्यादा बड़ी अग्रणी भूमिका निभाने के लिये उन्हें तैयार करेगा।
- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी नियोजन, शहरी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के क्षेत्र में 30 युवा स्नातकों/स्नातकोत्तर एवं पीएचडी विद्यार्थियों की सेवाएँ 'स्मार्ट सिटी फेलो' के रूप में लेगा।
- इनकी सेवाएँ लेने की अवधि एक साल होगी, जिसे बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकेगा।
- ये फेलो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में स्मार्ट सिटी के मिशन निदेशक के कार्यालय और/अथवा चयनित स्मार्ट सिटी के सीईओ को विश्लेषण, अनुसंधान, प्रलेखन, स्वतंत्र आकलन इत्यादि के क्षेत्र में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

इंडिया स्मार्ट सिटिज़ इंटर्नशिप (India Smart Cities Internship -ISCI)) कार्यक्रम :

- आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय विभिन्न राज्यों/शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मदद हेतु स्नातक पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के लिये पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सेवाएँ 'इंटर्न' के रूप में लेगा।
- इंटर्नशिप के दौरान 6 से 12 हफ्तों तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल समापन पर उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- इन इंटर्न को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकास के अनेक क्षेत्रों में आवश्यक जानकारियाँ दी जाएंगी जिनमें शहरी नियोजन, शहरी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता, वित्त, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
- इंटर्न स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा होंगे और उन्हें मुख्यत: क्रियान्वयन/रिपोर्टिंग/आकलन एवं निगरानी/ज्ञान प्रबंधन/हितधारक सहभागिता/मीडिया तक पहुँच एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ आदि कार्य जो कि मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन) द्वारा उन्हें सौंपे जाएंगे।

नाटो में सदस्य देश अपनी जीडीपी के 4% का योगदान करें:ट्रंप

संदर्भ

- डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन के सदस्यों से रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 4% तक खर्च बढ़ाने की आश्चर्यजनक मांग की है।
- दरअसल, उन्होंने नाटो के रक्षा क्षेत्र में मौजूदा योगदान को 2% के लक्ष्य से बढ़ाकर दोगुना करने की बात कही है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2014 के वेल्स शिखर सम्मेलन में नाटो के सहयोगी सदस्य देशों ने 10 वर्षों के भीतर रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 2% खर्च करने पर सहमति व्यक्त की थी।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)

- नाटो एक अंतर्सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी।
- वर्तमान में इस संगठन में 29 सदस्य देश शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
- 1949 में इसके 12 संस्थापक सदस्य थे जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- अन्य सदस्य देशों में ग्रीस और तुर्की(1952), जर्मनी (1955), स्पेन(1982), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड(1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया व स्लोवेनिया(2004), अल्बानिया एवं क्रोएशिया(2009) तथा मॉन्टेनेग्रो(2017) शामिल हैं।
- नाटो के नवीनतम प्रकाशित आँकड़ों के मुताबिक, जो देश रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 2% या उससे अधिक खर्च के लक्ष्य को पूरा करते हैं, उनमें अमेरिका (3.6%), ग्रीस (2.2%), एस्टोनिया (2.14%), यूके (2.10%), और पोलैंड (2%) शामिल हैं। फ्रांस 1.8% और जर्मनी 1.2% खर्च करते हैं।
- उल्लेखनीय है कि जर्मनी द्वारा वर्ष 2030 तक रक्षा व्यय पर जीडीपी का 2% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय नाटो के सदस्य देशों की आलोचना करते रहे हैं कि वे नाटो के लिये पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं।
- जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका द्वारा किये गये खर्च 3.5% की तुलना में 1.24% ही खर्च करती है।
- इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जर्मनी पूरी तरह से रूस द्वारा नियंत्रित है क्योंकि उसे रूस से 60% से 70% ऊर्जा और एक नई पाइपलाइन मिल जाएगी।

अमेरिकी प्रतिबंध तथा नॉर्ड स्ट्रीम 2

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने एक नई चेतावनी जारी की है कि यह उन पश्चिमी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 (NORD STREAM) पाइपलाइन परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य जर्मनी को सीधे रूस के प्राकृतिक गैस से जोड़ना है।

क्या है नॉर्ड स्ट्रीम 2 ?

- यह एक नई योजनाबद्ध 1,230 किलोमीटर लंबी (764 मील) समुद्र के अंदर से होकर गुज़रने वाली पाइपलाइन है जो जर्मनी के बाल्टिक तट पर रूस के क्षेत्रों से लेकर यूरोपीय संघ नेटवर्क तक प्राकृतिक गैस का स्थानांतरण करेगी।
- यह मौजूदा मार्ग इसकी क्षमता को दोगुना कर देगा और यूक्रेन के माध्यम से गैस पारगमन पर रूस की निर्भरता को कम करेगा।
- रूस का गजप्रोम पीजेएससी (Gazprom PJSC) इस परियोजना की निगरानी कर रहा है तथा रॉयल डच शेल पीएलसी (Royal Dutch Shell Plc) और एंजी एसए (Engie SA) सहित पाँच निवेशक इस परियोजना का वित्तपोषण कर रहे हैं, ये परियोजना की कुल लागत 9.5 अरब यूरो (10.3 बिलियन डॉलर) का आधा हिस्सा प्रदान कर रहे हैं।

यह पाइपलाइन निर्माण के कितने करीब है ?

- गज़प्रोम, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी की स्विस इकाई को जर्मनी, फिनलैंड और स्वीडन से पर्यावरण और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई है। इसे अभी भी डेनमार्क से समान अनुमोदन की आवश्यकता है।
- पाइपलाइन उन चार देशों के साथ-साथ रूस के आर्थिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

नोट :

- तलकर्षण (Dredging) का काम पहले ही शुरू हो चुका है और प्रायोजक इस वर्ष के अंत में समुद्र में पाइप के हिस्सों को डालने का कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
- वर्ष 2019 के अंत तक इस परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

अमेरिका द्वारा पाइपलाइन के विरोध का कारण

- अमेरिका हमेशा नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विरोध करता रहा है, जो इसे यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति पर अपनी पकड़ को मज़बूत करने के रूस के प्रयास के रूप में देखता है।
- मार्च 2018 में 39 अमेरिकी सीनेट सदस्यों के एक समूह ने ट्रंप से परियोजना को अवरुद्ध करने का आग्रह यह कहते हुए किया था कि यह अमेरिकी सहयोगियों को "मॉस्को के दबाव और घातक प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील" बना देगा।
- अमेरिका के अनुसार, जर्मनी ने बड़े पैमाने पर तेल और गैस सौदे पर हस्ताक्षर करके स्वयं रूस का बंधक बना दिया है जिसके कारण वह रूस को प्रति वर्ष अरबों डॉलर का भुगतान करेगा।
- यूरोपीय संघ के कुछ देशों का मानना है कि अमेरिका अपने आयातित गैस के लिये रास्ता बनाने हेतु रूस को यूरोप के गैस बाज़ार में विस्थापित करने की योजना बना रहा है।

पाइपलाइन का विरोध करने वाले अन्य देश

- पोलैंड, स्लोवाकिया और अन्य देश जो मौजूदा पाइपलाइनों की मेज़बानी करते हैं और पारगमन शुल्क इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है।
- इन देशों का मानना कि यह लिंक रूस को यूक्रेन सहित उन देशों को बाईपास करने की क्षमता प्रदान करेगा जो इसके पक्ष में नहीं हैं।
- इस परियोजना का विरोध करने वाले देशों का यह भी मानना है कि रूस के लिये कुछ देश बहुत करीब हैं और बाल्टिक सागर से गुज़रने वाली गैस पाइपलाइन रूस की सेना के वित्तपोषण में योगदान देगी।

रूस और जर्मनी द्वारा आलोचनाओं का जवाब

- रूस का कहना है कि अमेरिका की शिकायतें यूरोप में अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस बेचने के लिये "अपने व्यापार-हितों" को बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित हैं।
- जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के "आर्थिक पहलुओं" का बचाव करते हुए कहा है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यूक्रेन "पारगमन यातायात से पूरी तरह अलग न हो।"

रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध

- लगभग 700 रूसी लोग और कंपनिययाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- अमेरिका ने सैकड़ों रूसी व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध, परिसंपत्तियों के जमा तथा वित्त एवं व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं।

प्रतिबंध लगाने का कारण

- रूस द्वारा क्रीमिया के यूक्रेनी प्रायद्वीप को अपनाने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोह का समर्थन करने के बाद 2014 में बराक ओबामा के कार्यकारी आदेश द्वारा सबसे अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे।
- अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार, मॉस्को द्वारा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी हस्तक्षेप किया गया था।

रूस पर प्रतिबंधों का असर

- इन प्रतिबंधों ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकी तक रूस की पहुँच को सीमित कर दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, ये प्रतिबंध मध्यम अवधि के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था के आकार को घटा सकते हैं।
- अप्रैल के नवीनतम प्रतिबंधों के बाद रूस के बाज़ार भी प्रभावित हुए हैं।

रूस पर अन्य देशों के प्रतिबंध

- यूरोपीय संघ ने रूस पर वित्तीय, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए हैं।

नोट :

- 5 जुलाई, 2018 को यूरोपीय संघ ने इन प्रतिबंधों को छह माह के लिये बढ़ा दिया था।
- अन्य पश्चिमी शक्तियों ने भी इसी तरह के उपायों को अपनाया है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले शहरों के लिये 'स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये 'स्मार्ट सिटीज़ डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2018' लॉन्च किया है।

स्मार्ट सिटीज डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018

उद्देश्य : इन पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और अपने-अपने शहरों में अभिनव डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिये स्मार्ट सिटी का मार्गदर्शन करना एवं प्रेरित करना, मान्यता देना और उन्हें पुरस्कृत करना है।

प्रमुख बिंदु

- स्मार्ट सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018 (100 स्मार्ट सिटी में 100 दिनों का चैलेंज) दरअसल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की उन पहलों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के शहरी निवासियों के जीवन को आसान बनाना है।
- इस कार्यक्रम के तहत न केवल डिजिटल भुगतान में अग्रणी माने जाने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि यह कार्यक्रम अन्य शहरों को भी अपने यहाँ डिजिटल भुगतान ढाँचे को अपनाने एवं मज़बूत करने, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के ज़रिए जागरूकता बढ़ाने तथा डिजिटल लेन-देन के लिये नागरिकों को अनेक विकल्प देने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- चैलेंज की अवधि पुरस्कारों के शुभारंभ से लेकर अगले 100 दिनों तक होगी। इससे स्मार्ट सिटी में डिजिटल भुगतान परिदृश्य विकसित होगा। दो चरणों की प्रक्रिया के आधार पर पुरस्कार दिये जाएंगे।
- आकलन के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी को उनकी आबादी के आधार पर चार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

शहर की श्रेणी	आबादी
श्रेणी 1	5 लाख से कम
श्रेणी 2	5-10 लाख
श्रेणी 3	1 मिलियन – 4 मिलियन
श्रेणी 4	4 मिलियन से अधिक

प्रत्येक श्रेणी में तीन पुरस्कार दिये जाएंगे। अत: इस कार्यक्रम के तहत कुल मिलाकर 12 पुरस्कार दिये जाएंगे। ये पुरस्कार निम्नलिखित हैं :

1. सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अनुकूलक (Best digital payments adopter)
   - यह पुरस्कार उस स्मार्ट सिटी को प्रदान किया जाएगा जो विभिन्न चैनलों और भुगतान साधनों के माध्यम से डिजिटल भुगतान में समग्र उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है, ताकि किसी भी समय, सभी के लिये कहीं भी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
2. सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अन्वेषक (Best digital payment innovator)
   - यह पुरस्कार उस स्मार्ट सिटी को प्रदान किया जाएगा जो अपने नागरिकों के लिये डिजिटल भुगतान विकल्पों के सबसे नवीन कार्यान्वयन को प्रदर्शित करता है।
3. डिजिटल भुगतान पर फोकस करने वाली सबसे तेजी से बढ़ती स्मार्ट सिटी (Fastest growing Smart City focusing on digital payments)
   - पुरस्कार डिजिटल भुगतान लेनदेन में उच्चतम वृद्धि दर प्रदर्शित करने वाले शहर को दिया जाएगा।

नोट :

भारत ने डब्ल्यूटीओ में बीजिंग से माँस, फार्मा और आईटी उत्पादों के निर्यात के लिये बाधाओं को कम करने को कहा

संदर्भ

भारत ने विश्व व्यापार संगठन में चीन को चेतावनी दी है कि देश के साथ 63 अरब डॉलर का व्यापार घाटा अस्थिर था और इस अंतराल को भरने के लिये केवल वचनबद्धता ही पर्याप्त नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- डब्ल्यूटीओ में चीन की व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान भारत ने कहा कि बीजिंग को चावल, माँस, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी उत्पादों आदि के संबंध में व्यापार बाधाओं को कम किये जाने के गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।
- भारत ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि बोवाइन माँस समेत कृषि निर्यात को कठोर और अपारदर्शी नियामक कानूनों के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके साथ ही कठोर और अपारदर्शी नियामक कानूनों तथा चीनी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार के कारण भारतीय जेनेरिक उत्पादक चीन के बाज़ार तक पहुँचने में असमर्थ रहे हैं।
- भारत ने यह भी कहा कि चीन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन को भारतीय फार्मा कंपनियों के लिये कार्यशालाएँ आयोजित करनी होगी ताकि ये कम्पनियाँ यहाँ के बाज़ार में पहुँच स्थापित क्र सकें।
- इस दौरान चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) और भारतीय आईटी क्षेत्र के बीच सहयोग की गुंजाइश पर भी चर्चा की गई कि यह क्षेत्र कस्टम समाधान हेतु अत्याधुनिक डिज़ाइन उपलब्ध करा सकता था।
- भारतीय कंपनियों के लिये सेवा क्षेत्र की चुनौतियों में एसओई के विभिन्न अनुबंधों जिसमें ज़रूरी योग्यता, लाइसेंसिंग तथा कराधान से संबंधित जटिल आवश्यकताएँ शामिल हैं।

बांग्लादेश के नागरिकों के लिये वीज़ा प्रतिबंधों में छूट की संभावना

संदर्भ

भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश के नागरिकों को वीज़ा प्रतिबंधों में छूट देने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ढाका की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान इस "संशोधित यात्रा व्यवस्था" के समझौता ज्ञापन(एमओयू)पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- बांग्लादेश की मांग है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये यात्रा प्रतिबंधों को कम किया जाए और इसके अलावा मुक्तिजोधास (Muktijoddhas) को और रियायतें दी जाएँ, जिन्होंने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिये सुविधाएँ

- पिछले साल भारत ने बांग्लादेश के (1971 के) स्वतंत्रता सेनानियों के लिये पाँच साल के एकाधिक प्रवेश वीज़ा की घोषणा की थी।
- इस सुविधा के अंतर्गत वे ढाका में भारतीय उच्चायोग और आठ अन्य वाणिज्य दूतावासों बारिसल, राजशाही, चटगाँव, खुलना, रंगपुर, सिलेत, मयमसिंह और जेसौर में पूर्व अनुमति के बिना ही वीज़ा आवेदन पत्र जमा कर सकते थे।
- यह सुविधा केवल बांग्लादेश के लिये ही नहीं बढ़ाई गई है बल्कि 150 से अधिक देशों के नागरिक भी ऑनलाइन खरीदे गए ई-पर्यटक वीज़ा के माध्यम से भारत की यात्रा कर सकते हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2014 में, भारत ने 65 साल से अधिक और 13 वर्ष से कम उम्र के बांग्लादेशियों के लिये वीज़ा प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया था।
- साथ ही इस यात्रा के दौरान भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलने और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने की भी उम्मीद है।

नोट :

अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का चयन करने के लिये सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) चैलेंज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय सहयोग और विदेशी तकनीकी सहायता हेतु अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के चयन के लिये 'सिटिज़ चैलेंज' की घोषणा की है।

सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (Cities Investment To Innovate, Integrate and Sustain-CITIIS) चैलेंज

- स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत (25 जून, 2015) के समय 100 स्मार्ट सिटी के चयन के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी एवं चैलेंज प्रक्रिया का उपयोग किया गया था।
- अब चैलेंज प्रक्रिया को नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना के क्रियान्वयन के लिये अमल में लाया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम की अवधि तीन साल (वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 तक) होगी।
- इन दिशा-निर्देशों में भारत-फ्राँस साझेदारी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय चैलेंज के ज़रिये कम-से-कम 15 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा, जो इन चार क्षेत्रों से जुड़ी होंगी –
  1. टिकाऊ गतिशीलता,
  2. सार्वजनिक खुला स्थान,
  3. शहरी गवर्नेंस एवं आईसीटी और
  4. कम आय वाली बस्तियों में सामाजिक एवं संगठनात्मक नवाचार।

अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरानी बैंक को भारत में शाखा खोलने के लिये मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने से कुछ सप्ताह पहले ही वित्त मंत्रालय ने ईरान के निजी ऋणदाता बैंक पसर्गद (Pasargad) को मुंबई में शाखा खोलने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधो का पहला सेट 6 अगस्त से तथा दूसरा सेट 4 नवंबर से प्रभावी होगा।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सुझाव दिया था कि उसे द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा के लिये ईरानी बैंकों के प्रवेश की अनुमति देनी चाहिये।
- इसके अलावा दक्षिण कोरियाई बैंक केईबी हाना बैंक (KEB Hana Bank) को गुरुग्राम में अपनी दूसरी शाखा खोलने की मंज़ूरी दी गई है, जबकि कूकमिन बैंक (Kookmin Bank) को गुरुग्राम स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में परिवर्तित करने के अनुरोध को मंज़ूरी दी गई है।

विदेशी बैंक की शाखा खोलने से पहले सभी मंत्रालयों की स्वीकृति अनिवार्य

किसी विदेशी बैंक द्वारा शाखा खोलने के प्रस्ताव को रिज़र्व बैंक की आतंरिक मंज़ूरी मिलने के बाद वित्त, वाणिज्य, विदेश मामलों और गृह मामलों के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इसकी जाँच की जाती है। रिज़र्व बैंक द्वारा एक विदेशी बैंक को लाइसेंस जारी करने से पहले प्रत्येक मंत्रालय की मंज़ूरी मिलना आवश्यक है

भारत में ईरानी बैंक शाखा खोलने से लाभ

- भारत में ईरानी बैंक की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण वित्तीय मार्ग स्थापित करेगी जो दोनों देशों के बीच धन के सरल प्रवाह को सुनिश्चित करेगी।
- भारत, ईरान से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है और महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने को प्रतिबद्ध है।

नोट :

पूर्व में भी किया गया ऐसा प्रयास

- तीन साल पहले भी रुपया-रियाल व्यवस्था का इस्तेमाल ईरान से तेल खरीदने के लिये किया गया था।
- इस प्रक्रिया के तहत भारत ने अपनी देय राशि का 55 प्रतिशत भुगतान यूरो में किया, जबकि शेष 45 प्रतिशत को रुपए के रूप में UCO बैंक के माध्यम से ईरानी तेल कंपनियों के खातों में प्रेषित किया गया था।

कई विदेशी बैंकों द्वारा किया गया था आवेदन

- पिछले साल कम-से-कम 14 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएँ खोलने के लिये आवेदन किया था।
- इन आवेदकों में ईरानी बैंकों के अलावा दो चाइनीज बैंक, चार दक्षिण कोरियाई बैंक और नीदरलैंड के दो बैंकों ने भारत में शाखाएं तथा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियाँ खोलने के लिये आवेदन किया था।
- चेक गणराज्य, श्रीलंका तथा मलेशिया के एक-एक बैंक ने शाखा खोलने के लिये आवेदन किया था।

भारत तथा दक्षिण अफ्रीका ने WTO से की ई-कॉमर्स नियमों की पुन: जाँच की मांग

चर्चा में क्यों ?

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अग्रणी अमेज़न, अलीबाबा और वॉलमार्ट कंपनियों के बीच भारतीय बाज़ार के लिये ज़ारी प्रतिस्पर्द्धा को देखने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने के मौजूदा नियमों को ज़ारी रखना उचित है अथवा नहीं।

प्रमुख बिंदु

- 12 जुलाई, 2018 को विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रसारित एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि 1998 में प्रचलित वास्तविकताओं में दो दशक बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- दोनों विकासशील देशों (भारत और दक्षिण-अफ्रीका) के अनुसार "ये परिवर्तन," विकास के दृष्टिकोण से विशेष रूप से राजकोषीय पक्ष पर अस्थायी अधिस्थगन (Temporary Moratorium) के प्रभावों की पुन: जाँच की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संचरण (जिसमें शुरुआत में केवल ई-बुक, संगीत और विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे "डिजिटलीकृत उत्पादों" को शामिल किया गया था) में कई गुना वृद्धि को देखते हुए, सभी मुद्दों की पुन: जाँच करना आवश्यक है।
- इससे पहले, इंडोनेशिया ने भी WTO के ब्यूनस आयर्स मंत्रिस्तरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर अधिस्थगन की निरंतरता का विरोध किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इसका असर सीमा शुल्क और घरेलू कंपनियों पर पड़ा है।

दोनों देशों द्वारा दिया गया तर्क

- दोनों देशों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि वर्तमान में जिन वस्तुओं का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक संचरण के माध्यम से किया जा रहा है, उन पर सीमा शुल्क अधिस्थगन के परिणामस्वरूप राजस्व में अधिक हानि होगी।
- अमेरिका के नेतृत्व में प्रमुख औद्योगिक देशों सिंगापुर, कोरिया और हॉन्गकॉन्ग जैसे कई विकासशील देशों द्वारा मांग की गई कि अस्थायी अधिस्थगन को स्थायी बनाया जाए ताकि यह इंटरनेट के माध्यम से सामानों के कारोबार को सुनिश्चित कर सके।

1998 से लागू है इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क न लगाने का नियम

- 1998 से WTO के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने पर सहमत हैं।

अमेरिका का तर्क

- इससे पहले प्रसारित एक प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस समझौते के अंतर्गत अनिवार्य रूप से डिजिटल उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की आवश्यकता है।
- अमेरिका का मानना है कि व्यापार नियमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारें डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क न लगाने की प्रक्रिया जारी रखें या इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए।

नोट :

- अमेरिका ने सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, मालिकाना सूचना की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने, प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजारों और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यापार सुविधा के लिये अधिकतमतम "इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य पहल" (Electronic Commerce Initiative) का प्रस्ताव भी दिया।
- यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक रूप से उन्नत तथा विकासशील देशों द्वारा अमेरिका के एजेंडे को भी प्रतिबिंबित किया गया है।

चीन, उदारीकरण के नियमों का प्रबल समर्थक

- चीन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों के महत्वाकांक्षी उदारीकरण का एक मजबूत समर्थक भी है।
- इस पृष्ठभूमि के विपरीत भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रस्ताव ने ई-कॉमर्स अधिस्थगन से संबंधित मुद्दों की पुन: परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और इन मांगों को कई विकासशील और गरीब देशों द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

भारत तथा दक्षिण अफ्रीका ने WTO से की ई-कॉमर्स नियमों की पुन: जाँच की मांग

चर्चा में क्यों ?

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में अग्रणी अमेज़न, अलीबाबा और वॉलमार्ट कंपनियों के बीच भारतीय बाज़ार के लिये ज़ारी प्रतिस्पर्द्धा को देखने के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने के मौजूदा नियमों को ज़ारी रखना उचित है अथवा नहीं।

प्रमुख बिंदु

- 12 जुलाई, 2018 को विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रसारित एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि 1998 में प्रचलित वास्तविकताओं में दो दशक बाद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- दोनों विकासशील देशों (भारत और दक्षिण-अफ्रीका) के अनुसार "ये परिवर्तन," विकास के दृष्टिकोण से विशेष रूप से राजकोषीय पक्ष पर अस्थायी अधिस्थगन (Temporary Moratorium) के प्रभावों की पुन: जाँच की आवश्यकता को दर्शाते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संचरण (जिसमें शुरुआत में केवल ई-बुक, संगीत और विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे "डिजिटलीकृत उत्पादों" को शामिल किया गया था) में कई गुना वृद्धि को देखते हुए, सभी मुद्दों की पुन: जाँच करना आवश्यक है।
- इससे पहले, इंडोनेशिया ने भी WTO के ब्यूनस आयर्स मंत्रिस्तरीय बैठक में इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर अधिस्थगन की निरंतरता का विरोध किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इसका असर सीमा शुल्क और घरेलू कंपनियों पर पड़ा है।

दोनों देशों द्वारा दिया गया तर्क

- दोनों देशों द्वारा दिया गया तर्क यह था कि वर्तमान में जिन वस्तुओं का व्यापार इलेक्ट्रॉनिक संचरण के माध्यम से किया जा रहा है, उन पर सीमा शुल्क अधिस्थगन के परिणामस्वरूप राजस्व में अधिक हानि होगी।
- अमेरिका के नेतृत्व में प्रमुख औद्योगिक देशों सिंगापुर, कोरिया और हॉन्गकॉन्ग जैसे कई विकासशील देशों द्वारा मांग की गई कि अस्थायी अधिस्थगन को स्थायी बनाया जाए ताकि यह इंटरनेट के माध्यम से सामानों के कारोबार को सुनिश्चित कर सके।

1998 से लागू है इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क न लगाने का नियम

- 1998 से WTO के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक संचरण पर सीमा शुल्क को लागू नहीं करने पर सहमत हैं।

अमेरिका का तर्क

- इससे पहले प्रसारित एक प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस समझौते के अंतर्गत अनिवार्य रूप से डिजिटल उत्पादों को शुल्क मुक्त करने की आवश्यकता है।
- अमेरिका का मानना है कि व्यापार नियमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारें डिजिटल उत्पादों पर सीमा शुल्क न लगाने की प्रक्रिया जारी रखें या इस प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए।

नोट :

- अमेरिका ने सूचनाओं के मुक्त प्रवाह, मालिकाना सूचना की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने, प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजारों और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से व्यापार सुविधा के लिये अधिकतमतम "इलेक्ट्रॉनिक्स वाणिज्य पहल" (Electronic Commerce Initiative) का प्रस्ताव भी दिया।
- यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक रूप से उन्नत तथा विकासशील देशों द्वारा अमेरिका के एजेंडे को भी प्रतिबिंबित किया गया है।

चीन, उदारीकरण के नियमों का प्रबल समर्थक

- चीन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों के महत्वाकांक्षी उदारीकरण का एक मजबूत समर्थक भी है।
- इस पृष्ठभूमि के विपरीत भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त प्रस्ताव ने ई-कॉमर्स अधिस्थगन से संबंधित मुद्दों की पुन: परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है और इन मांगों को कई विकासशील और गरीब देशों द्वारा समर्थित किया जा रहा है।

यूरोपीय संघ तथा जापान ने किये मुक्त-व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ और जापान ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार सौदों में से एक पर हस्ताक्षर किये हैं। उल्लेखनीय है कि जापान तथा यूरोपीय संघ की GDP पूरी दुनिया की GDP का एक तिहाई है तथा इनकी आबादी लगभग 600 मिलियन है।

प्रमुख बिंदु

- यूरोप जापान को सबसे अधिक दुग्ध उत्पादों का निर्यात करता है, जबकि जापान द्वारा यूरोप को किया जाने वाला प्रमुख निर्यात कारों का है।
- यूरोपीय संघ और जापान के बीच यह कारोबारी समझौता अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
- इस समझौते द्वारा यूरोपीय संघ और जापान ने यह संदेश दिया है कि ये दोनों देश संरक्षणवाद के खिलाफ हैं।
- इस समझौते से प्रदर्शित होता है कि विश्व को नेतृत्व प्रदान करने के लिये यूरोपीय संघ और जापान में राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

अमेरिका द्वारा आरोपित शुल्क

- अमेरिका 18 महीने पहले जापान और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापक रूप से मुक्त व्यापार समझौते और ट्रांस-पैसिफ़िक व्यापार समझौते के बारे में बात कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इन समझौतों को वापस ले लिया था।
- तब से उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत इस्पात सहित कई वस्तुओं पर शुल्क लगाए गए हैं, जिनका निर्यात जापान और यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका को किया जाता है।

दुनिया का सबसे बड़ा फ्री-ट्रेड ज़ोन

- यूरोपीय संघ में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री-ट्रेड ज़ोन है जो वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को हर साल माल और सेवाओं में 100 बिलियन डॉलर (75 बिलियन यूरो) से अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करता है।

निष्कर्ष

- ऐसे समय में जब संरक्षणवादी उपायों को विश्व स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जापान और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह समझौता दुनिया को एक बार फिर से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाली अविश्वसनीय इनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है।

पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन नाटो की बैठक से बेहतर था: ट्रंप

संदर्भ

हेलसिंकी, फिनलैंड में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रशंसा की है। हालाँकि, मुख्यधारा के राजनीतिक नेताओं और रणनीतिक टिप्पणीकारों के एक बड़े वर्ग ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय हित से समझौता करने का आरोप लगाया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हेलसिंकी शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों से विपरीत यह कहा कि रूस के पास वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी-रूसी सहयोग से परमाणु आतंकवाद और इसके प्रसार से लड़ने सहित कई मुद्दों को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है।
- हालाँकि, कुछ आलोचकों का मानना है कि रूसी साइबर हमलों के मज़बूत सबूत होने के वाबजूद अमेरिकी राष्ट्रपति की यह प्रतिक्रिया उनके कार्य को निष्पादित करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा या बचाव करने में विफलता को दर्शाता है।
- पिछले हफ्ते के अमेरिका और रूस के संबंधों पर आधारित गैलोप पोल (Gallop poll) सर्वेक्षण के मुताबिक 40% रिपब्लिकन का मानना है कि वर्ष 2014 से रूस 22% तक अमेरिका का एक सहयोगी या मित्र देश है। जबकि 25% डेमोक्रेट का इस संदर्भ में मानना है कि वर्ष 2014 के समान 28% तक रूस अमेरिका का मित्र देश है।
- वहीं कुल अमेरिकियों में से 31% तक रूस को अमेरिका के लिये एक सहयोगी या दोस्त के रूप में मानते हैं।
- ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन ने सहयोग के कुछ क्षेत्रों में अवसरों की खिड़कियाँ खोल दी हैं जो अमेरिका और विश्व सुरक्षा के हितों के लिये बेहतर साबित होगा।
- इस सम्मलेन के दौरान दोनों राष्ट्रपतियों ने जिहादी आतंकवाद को रोकने, परमाणु प्रसार को रोकथाम और मौजूदा परमाणु शस्त्रागार के खतरों को नियंत्रित करने के लिये मिलकर काम करने के महत्त्व पर बल दिया।
- इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने न्यू स्टार्ट परमाणु समझौते को विस्तारित करने और आईएनएफ संधि के अनुपालन की गंभीर समस्या को हल करने की इच्छा भी व्यक्त की।

आतंकवाद से सुरक्षा तथा विमानन क्षेत्र के लिये भारत और अमेरिका ने सहयोग बढ़ाया

चर्चा में क्यों ?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग' में विमानन सुरक्षा सहित आतंकवाद और आप्रवासन आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रजनी सेखरी सिब्बल ने किया, जबकि अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व जेम्स मैककैंट, उप सचिव, गृहभूमि सुरक्षा विभाग के द्वारा किया गया था।
- यह वार्ता सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क और आप्रवासन, विमानन सुरक्षा, क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थी।
- दोनों देश होमलैंड सिक्योरिटी प्रेसीडेंट डायरेक्टिव-6 (एचएसपीडी-6) समझौते के तहत आतंकवादी संगठनों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जीईपी) के लिये व्यक्तियों के नाम पर सहमत हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि एचएसपीडी-6 समझौता आतंक से संबंधित जानकारी साझा करने की इज़ाज़त देता है, जबकि जीईपी प्रमुख नागरिकों को आप्रवासन पर जाँच से छूट प्रदान करता है।
- पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के संवाददाताओं के बीच कई दौर की चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने आतंकवादियों पर डेटा साझा करने के कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने मतभेदों को कम कर दिया है साथ ही अमेरिका ने पहले ही 30 देशों के साथ इस तरह के समझौतों को अंतिम रूप दिया है।

नोट :

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संधि समाप्त करने का आग्रह

चर्चा में क्यों ?

सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने हाल ही में कुछ देशों द्वारा व्यापार के मुक्त प्रवाह पर दबाव डालने वाले तत्त्वों के खिलाफ भारत को चीन सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और पूर्वी एशिया में अपने सहयोगियों के साथ एक क्षेत्रीय व्यापार समझौते को समाप्त करने की सलाह दी है। पूर्वी एशियाई समूह का अनुमानित कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 3.8 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन डॉलर है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच दिल्ली वार्ता के 10वें संस्करण को संबोधित किया और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश के लिये अपने देश का समर्थन व्यक्त किया तथा कहा कि व्यापार और समुद्री गतिविधि की स्वतंत्रता इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी।
- दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत में ज़बरदस्त क्षमता है जिसे आगे एकीकरण के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है। उनका कहना था कि विशेष रूप से इस समय हमें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के समापन की दिशा में काम करने की आवश्यकता है और आशा है कि इस वर्ष के अंत तक ऐसा संभव हो पाएगा। इस वार्ता ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने का अवसर प्रदान किया है।
- बालकृष्णन की यह टिप्पणी अमेरिका और चीन, यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच आई है। अमेरिकी कदम अमेरिका के पक्ष में व्यापार अधिशेष का आनंद लेने वाले देशों को दंडित करने के साथ देश के पक्ष में "निष्पक्ष व्यापार" सुनिश्चित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव वादे की पृष्ठभूमि के खिलाफ है।
- आसियान समूह में शामिल देश ब्रुनेई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। भारत ने 1992 में आसियान के साथ निकट आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाने के उद्देश्य से अपनी "लुक ईस्ट पॉलिसी" लॉन्च की और 1996 में समूह का मुख्य वार्ताकार बन गया।
- आसियान, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने RCEP पर 2013 में वार्ता शुरू की, जिसमें वस्तु, सेवा क्षेत्र में व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्द्धा, विवाद निवारण, छोटे और मध्यम उद्यमों के अलावा ई-वाणिज्य शामिल है।
- कई देश चाहते हैं कि भारत 92% व्यापारिक सामानों के लिये अपना बाजार खोले। भारत केवल चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिये व्यतिक्रम के साथ अधिकतम 85% वस्तुओं तक की बाजार पहुँच प्रदान करने के लिये तैयार है।
- भारत का मानना था कि RCEP ने "हमारे पूर्वी पड़ोसियों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिये एक निर्णायक अवसर प्रदान किया है। भारत को उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके बातचीत को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- भारत-प्रशांत के संबंध में भारत का दृष्टिकोण यह है कि यह क्षेत्र "एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी क्षेत्र होना चाहिये", जो "सामान्य, नियम-आधारित आदेश" का पालन करता हो, आकार और ताकत के बावजूद "सभी के साथ समानता" हो।

नेवीगेशन और ओवर-फ्लाइट की स्वतंत्रता का समर्थन

- सिंगापुर ने नेवीगेशन और ओवर-फ्लाइट की स्वतंत्रता का एक आवश्यक अधिकार के रूप में समर्थन किया है। व्यापार और समुद्री गतिविधि की आज़ादी इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल पर नौवहन (navigation) की स्वतंत्रता और ओवर-फ्लाइट के अधिकार को कम करने का प्रयास किया जाता है तो सिंगापुर इसका विरोध करेगा। एक बार जब जलयान क्षेत्रीय जल से परे चला जाता है, तो यह पूरी आजादी का आनंद लेता है।
- सिंगापुर की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि सिंगापुर ने 1 जून को शांगरी ला वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये भारत की समुद्री रणनीति को प्रतिबिंबित किया था।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के साथ मिलकर कनेक्टिविटी और आवागमन की स्वतंत्रता इस क्षेत्र को बदलने की क्षमता रखती है। उम्मीद है कि 2018 के अंत तक RCEP को लेकर किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकेगा।

नोट :

- यदि कनेक्टिविटी में गतिशीलता को बनाए रखा गया और नेविगेशन की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया तो यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक के रूप में उभर सकता है।
- भारत-प्रशांत के विज़न में न केवल भौतिक अंतर-कनेक्टिविटी शामिल है, बल्कि आपसी सम्मान के आधार पर विश्वास का सेतु निर्माण भी शामिल है, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, पारदर्शिता, व्यवहार्यता तथा स्थायित्व के लिये उचित सम्मान देता है।

ब्रिक्स न्यूज़ पोर्टल जल्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ब्रिक्स मीडिया अकादमी और ब्रिक्स न्यूज़ पोर्टल स्थापित करने का निर्णय ब्रिक्स मीडिया फोरम 2018 में लिया गया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मीडिया संगठनों के बीच फोरम की दो दिवसीय उच्च स्तरीय वार्ता - 'Fostering an Inclusive, Just World Order' थीम के साथ संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु:

- सिन्हुआ समाचार एजेंसी की पहल पर शुरू ब्रिक्स मीडिया फोरम ब्राज़ील के सीएमए समूह, द हिंदू ग्रुप, स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी और रेडियो तथा दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र मीडिया द्वारा समर्थित है।
- फोरम में भारत के पाँच मिडिया संगठनों सहित ब्रिक्स देशों के 38 मुख्यधारा के मीडिया संगठनों ने भाग लिया था।
- फोरम जिसे 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती पर शुरू किया गया था, केप टाउन घोषणा 2018 को अपनाने के लिये सर्वसम्मति से सहमत हुआ।
- यह मीडिया परिदृश्य के निर्माण से संकल्पित है जो ब्रिक्स देशों के माध्यम से बनाई गई और साझा की गई खबरों की अखंडता को कायम रखने का वचन देता है।
- यह झूठी खबरों के प्रसार और प्रभाव को सीमित करने तथा मीडिया में नियोजित पत्रकारों और अन्य लोगों के बीच खबरों आदान-प्रदान को बढ़ावा देने लिये भी प्रतिबद्ध है।
- 2018 ब्रिक्स फोरम को सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के अध्यक्ष, इकबाल सर्वे और काई मिंगझाओ, स्वतंत्र मीडिया समूह के अध्यक्ष की सह-मेज़बानी में संपन्न किया गया।

भारत-श्रीलंका संयुक्त उद्यम को विशेषज्ञों की रिपोर्ट का इंतज़ार

चर्चा में क्यों ?

भारत-श्रीलंका के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम को अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचाने के लिये श्रीलंकाई सरकार द्वारा विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा रहा है। संभव है कि विशेषज्ञों की राय के उपरांत श्रीलंकाई सरकार द्वारा इस संयुक्त परियोजना को अनुमति दे दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु:

- श्रीलंका सरकार दक्षिणी प्रांत में स्थित हानि में चल रहे मत्ताला हवाई अड्डे के परिचालन हेतु भारत के साथ अपने संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप देने के लिये विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और श्रीलंका की विमानपत्तन और विमानन सेवाओं के बीच प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के अनुसार, एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण करने और संचालन के लिये भारत की हिस्सेदारी 70% होगी और इसे 225 मिलियन डॉलर खर्च करना होगा जबकि श्रीलंकाई पक्ष शेष राशि का निवेश करेगी।
- समझौते के मसौदे के अनुसार, यह सुधार कोलंबो में तीन वार्ताओं के बाद हुआ है। अब भारत 40 साल के पट्टे पर हवाई अड्डे का संचालन करेगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्री निमल सिरीपाल डी सिल्वा ने हाल ही में संसद को बताया कि हमें इस मृतप्राय हवाई अड्डे को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, जिसके कारण 20 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ है।

नोट :

- इस मुकाम तक पहुँच पाना किसी भी दृष्टिकोण से आसन नहीं था, जबकि विपक्षी और पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे द्वारा संयुक्त रूप से इस समझौते का विरोध किया जा रहा था।
- वर्तमान में यह हवाई अड्डा घाटे में चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे "विश्व का सबसे खाली हवाई अड्डा" (world's emptiest airport) का दर्जा दिया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त उद्यम कई प्रकार के विकल्पों की तलाश करेगा जैसे- उड़ान स्कूल की स्थापना, प्रशिक्षण अकादमियों का संचालन, वायुयान यातायात को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से सुगम बनाना।
- वर्तमान परिचालन लागत श्रीलंकाई रुपए में 250 मिलियन (लगभग $ 1.56 मिलियन) प्रतिमाह है, बिना किसी उड़ान के यह हवाई अड्डा वाणिज्यिक दृष्टिकोण से एक कमज़ोर तर्क प्रस्तुत करता है।
- उल्लेखनीय है कि इन सभी शर्तों के साथ ही हम्बनटोटा जो यहाँ से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और जहाँ चीन ने बंदरगाह के निर्माण में 70% का योगदान दिया है, को 99 वर्ष के पट्टे पर दिया गया है। ऐसे में यह भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- अपनी महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड पहल के हिस्से के रूप में चीन द्वीप के दक्षिणी सिरे में भारी निवेश कर रहा है।
- इस दौरान राजपक्षे खेमा जो राजनीतिक वापसी की कोशिश कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में भारत की जानी-मानी सामरिक चिंताओं ने विपक्ष को बढ़ावा दिया है।
- गौरतलब है कि भारत केवल हवाई अड्डे के वाणिज्यिक पहलुओं का प्रभार लेना चाहता है। वह सुरक्षा मामलों में श्रीलंका की ज़िम्मेदारी की पूरी तरह से सराहना करता है और इसमें किसी भी भूमिका की मांग नहीं करता है।
- श्रीलंका सरकार के सूत्रों के मुताबिक, कोलंबो ने मत्ताला हवाई अड्डे को चलाने की योजना बनाने के संबंध में नई दिल्ली से विस्तृत कार्य-योजना मांगी है। नई दिल्ली भी समझौते को मज़बूत करने का इच्छुक है। द्वीप की हाल की यात्रा के दौरान विदेश सचिव विजय गोखले ने श्रीलंकाई अधिकारियों से मत्ताला हवाई अड्डे सहित भारत समर्थित परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये आग्रह किया है।

भारत पर RCEP समझौते के लिये तैयार होने का दबाव

संदर्भ

भारत को महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) हेतु सहमत होने के लिये सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों द्वारा राजनयिक दबाव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है, परंतु इसके लाभ को समान रूप से साझा करने के लिये यह आवश्यक है कि यह समझौता सभी 16 देशों के बीच संतुलित हो।

प्रमुख बिंदु

- सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भारत से इस समझौते को और अधिक समय तक न रोकने का आग्रह किया है।
- RCEP में शामिल देशों की कुल आबादी 3.5 बिलियन है और ये देश विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- RCEP के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र होने की संभावना है।

RCEP के बारे में :

- RCEP या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- RCEP समूह में 16 सदस्य हैं।

नोट :

- इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- RCEP को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

भारत क्यों नहीं है तैयार ?

- प्रशुल्क उन्मूलन और कटौती को लेकर RCEP के ज़्यादातर सदस्य 92 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य प्रशुल्क लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत इसके लिये तैयार नहीं है।
- भारतीय उद्योग और कृषि क्षेत्र ज़्यादातर उत्पादों पर प्रशुल्क में इतनी भारी कमी के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में वे अब भी विकासशील स्थिति में हैं और प्रशुल्क मुक्त प्रतियोगिता उनके हित में नहीं है।
- यह समझौता भारत के डिजिटल उद्योग के संरक्षण को भी प्रभावित करेगा। इन देशों से भारत में सस्ते सामानों के आयात से घरेलू उद्योगों पर असर पड़ेगा।
- भारत सेवाओं के उदारीकरण पर बल दे रहा है, जिसमें अल्पकालिक कार्य के लिये पेशेवरों के आने–जाने के नियमों को आसान बनाना शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अफ्रीकी यात्रा के एजेंडे

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश दौरे के कार्यक्रम के दौरान 23 से 27 जुलाई तक यूगांडा, रवांडा और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे। इस दौरान भारत, रवांडा के साथ रक्षा ढाँचे के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा और साथ ही प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

प्रमुख बिंदु:

- रक्षा समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होने की उम्मीद है, उल्लेखनीय है कि जनवरी 2017 में ये रणनीतिक साझेदार बन गए थे। अन्य मुद्दों में डेयरी सहयोग, चमड़े का निर्यात, कृषि और सांस्कृतिक संबंधों जैसे कई समझौतों पर दोनों के साथ आने की संभावना है।
- श्री मोदी द्वारा रुवरू के एक मॉडल गाँव को उपहार में 200 गायों को देने की उम्मीद है। वे किगाली में नरसंहार स्मारक केंद्र का दौरा भी करेंगे, जहाँ वे 1994 की तबाही में हुतु-तुत्सी संघर्ष में मारे गए लगभग 10 लाख रवांडा के नागरिकों को याद करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि रवांडा के साथ होने वाला यह समझौता एक व्यापक रक्षा ढाँचा समझौता होगा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष होने के अलावा पिछले चार वर्षों में अफ्रीकी देशों में रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के हमारे प्रयासों के हिस्से के रूप में रवांडा हमारे लिये अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी है।

बड़े प्रोत्साहन:

- हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान, रवांडा सीनेट के अध्यक्ष बर्नार्ड मकुजा ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिये "बड़े प्रोत्साहन" के रूप में कार्य करेगी और भारत से रवांडा के लिये क्रेडिट लाइन को बढ़ाने की उम्मीद की गई थी, जो पहले से ही विकास सहयोग हेतु 400 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अभी तक किगाली दूतावास की स्थापना नहीं की है, जबकि जनवरी 2017 में राष्ट्रपति पॉल कागाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में ऐसा करने का विशिष्ट वादा किया गया था।
- 25 जुलाई को कंपाला की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने और राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के साथ बिजली परियोजनाओं के लिये $ 141 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त क्रेडिट लाइन तथा कृषि उद्यमों में $ 64 मिलियन पर चर्चा किये जाने की उम्मीद है। श्री मोदी युगांडा संसद के सत्र को भी संबोधित करेंगे।
- दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात करेंगे। उनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की भी उम्मीद है।

नोट :

2+2 वार्ता की मेज़बानी करेगा भारत

चर्चा में क्यों ?

भारत 6 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता के उद्घाटन दौर की मेज़बानी करेगा। इस मंत्रिस्तरीय बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया जाएगा। इस वार्ता का नेतृत्व भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका की ओर से राज्य सचिव माइक आर.पोम्पेओ तथा रक्षा सचिव जेम्स मैटिस करेंगे।

प्रमुख मुद्दे

- दोनों देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से 2+2 बैठक में साझा हित से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।
- जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक स्तर की वार्ता के लिये "2+2" वार्ता पर सहमति व्यक्त की थी।
- पिछले साल जून के बाद बैठक की घोषणा दो बार स्थगित की जा चुकी है क्योंकि अमेरिका के ईरान विरोधी प्रतिबंध भारत के ऊर्जा परिदृश्य को प्रभावित कर सकते हैं।
- वार्ता का यह नया प्रारूप ओबामा प्रशासन के दौरान आयोजित दोनों देशों के विदेश और वाणिज्य मंत्रियों के बीच हुए रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्तालाप को प्रतिस्थापित करता है।
- वार्ता का प्रमुख फोकस संचार, संगतता, सुरक्षा समझौते (COMCASA) जैसे प्रमुख रक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने पर होगा। COMCASA, एक बुनियादी रक्षा संधि है जो भारत को अन्य देशों से महत्त्वपूर्ण, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

ईरान के खिलाफ प्रतिबंध

- '2+2 वार्ता' की घोषणा ईरान और रूस पर लक्षित अनपेक्षित प्रतिबंधों से जुड़ी भारत की संभावनाओं के बीच आई है।
- अतीत में अमेरिका ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ईरानी कच्चे तेल की केंद्रीय भूमिका निभाई थी। साथ ही, नई दिल्ली ने धीरे-धीरे अमेरिकी प्रतिबंधों का अनुपालन करने और वाशिंगटन से आवश्यक छूट को सुरक्षित करने के लिये अपने तेल आयात को कम कर दिया।
- अमेरिका ने भारत सहित सभी देशों से कहा है कि वे 4 नवंबर तक ईरान से अपना तेल आयात बंद करें। अगर भारत इसका पालन नहीं करता है तो देसी कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
- ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अतिवादी रुख अख्तियार कर लिया है और इस मोर्चे पर वह कोई ढील देने को तैयार नहीं है। वहीं, ईरान भी इस मामले में तीखे तेवर दिखा रहा है। उसने भारत को हिदायत दी है कि ईरान के साथ तेल आयात कम करने का असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा।
- यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि अतीत में भारत ने ईरानी तेल की खरीद के संबंध में प्रतिबंध के खतरे का सामना किया है।
- रूस के साथ भारत के रक्षा सौदों पर भी अमेरिका की टेढ़ी नज़र है। भारत रूस से सतह से हवा में मार करने वाली एस 400 मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया में है जिस पर अब अमेरिकी ग्रहण लग गया है। असल में अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है जो उसके द्वारा काली सूची में डाली गई 39 रूसी कंपनियों से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करेंगे।
- ईरान और रूस से जुड़े मसलों के अलावा व्यापार के क्षेत्र में भी भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा है। ट्रंप प्रशासन नई दिल्ली पर आयात शुल्क घटाने का दबाव बढ़ा रहा है।
- यह पाकिस्तान के चुनावों के बाद दोनों पक्षों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत का पहला दौर होगा जो जुलाई के आखिरी सप्ताह में समाप्त होगा।

वार्ता का महत्त्व

- यह वार्ता इस क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के लिये विचारों को साझा करने का मौका है तथा पारस्परिक उद्देश्यों तक पहुँचने के लिये समन्वित रचनात्मक तरीका भी है।
- उल्लेखनीय है कि दोनों पक्ष भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं, जहाँ चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत, वार्ता के दौरान ट्रंप प्रशासन के रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारन भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का मामला उठा सकता है।

नोट :

छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2018 को हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रव्यापी 'छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम' आरंभ किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्रों की मदद से पुलिस और जन समुदाय के बीच समन्वय सेतु का निर्माण करना है।

कार्यक्रम में शामिल मुख्य विषय

- इस कार्यक्रम में मुख्यत: दो विषय-वस्तुओं को शामिल किया गया है :
  1. अपराध की रोकथाम और नियंत्रण
  2. मूल्य और नैतिकता

अपराध की रोकथाम और नियंत्रण

- इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है-

  सामुदायिक पुलिस
  सड़क सुरक्षा
  सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई
  महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा
  भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई
  आपदा प्रबंधन।

मूल्य और नैतिकता

- इस भाग में शामिल विषय हैं –

  मूल्य और नैतिकता
  बुजुर्गों के लिये आदर
  सहानुभूति और सहनशीलता
  धैर्य, दृष्टिकोण, टीम भावना
  अनुशासन

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों पर विशेष ध्यान देता है।
- इस कार्यक्रम के लिये कोई पाठ्य पुस्तक या किसी परीक्षा की परिकल्पना नहीं की गई है। एक महीने में केवल एक बार इसकी कक्षा (period) लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।
- एनसीईआरटी के सहयोग से बीपीआरएंडडी ने एक मार्गदर्शक पुस्तिका तैयार की है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र आधारित कार्य तथा महिला पुलिस स्टेशन, बाल सुरक्षागृह, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड स्टेशन जाकर वहाँ कार्यशैली सीखने पर विशेष बल दिया गया है।
- समूह परिचर्चा तथा ऑडियो विज़ुअल माध्यम से ज्ञान प्राप्ति को भी इसमें शामिल किया गया है।

कार्यक्रम का नेतृत्व

- इस कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य स्तरीय समिति करेगी।
- गृह विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।
- इसी प्रकार की एक समिति का गठन ज़िला स्तर पर भी किया जाएगा। ज़िलाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि स्कूल निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे।

नोट :

कार्यक्रम के लिये आवंटित राशि

- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये 67 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।
- शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिक खर्च के लिये प्रत्येक स्कूल को 50 हज़ार रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- कार्यक्रम को सबसे पहले ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।

20 वर्षीय अफ्रीकी युद्ध का अंत

चर्चा में क्यों ?

इस माह की शुरुआत में इरीट्रिया की राजधानी अश्मारा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इरीट्रिया के राष्ट्रपति इसाइअस अफवर्की को गले लगाकर अंतत: 20 वर्षों से जारी युद्ध जिसमें महाद्वीप के दो सबसे गरीब देशों के कम-से-कम 80,000 लोगों की जान गई, को समाप्त करने की घोषणा की।

विवाद की जड़

अप्रैल 1993 में इरीट्रिया ने इथियोपिया के परिसंघ से अपने संबंध तोड़ लिये और अफ्रीका के हॉर्न पर लाल सागर के किनारे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक अवस्थिति वाला एक स्वतंत्र देश बन गया जो कि दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण जहाजी मार्गों में से एक के बगल में है।

पाँच वर्ष बाद ही एक सीमावर्ती शहर बादमे पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस शहर का कोई विशेष महत्त्व नहीं था, लेकिन दोनों देश इस पर कब्ज़ा करना चाहते थे।

आबादी के बड़े स्तर पर विस्थापन ने परिवारों को छिन्न-भिन्न कर दिया और स्थानीय व्यापार अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई।

जून 2000 में दोनों देशों ने युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किये। उसी वर्ष दिसंबर में अल्जीयर्स (अल्जीरिया) में शांति समझौते के द्वारा औपचारिक रूप से युद्ध को समाप्त कर दिया गया और विवाद को सुलझाने के लिये सीमा आयोग की स्थापना की गई।

जब आयोग ने अप्रैल 2002 में अपने अंतिम और बाध्यकारी निर्णय में बादमे को इरीट्रिया को देने का निश्चय किया तब इथियोपिया ने बिना अतिरिक्त शर्तों के निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस प्रकार एक गतिरोध उत्पन्न हो गया। अत: बादमे इथियोपिया के नियंत्रण में बना रहा और सीमा पर संघर्ष होने लगा।

प्रमुख बिंदु

- दोनों नेताओं ने व्यापार, राजनयिक और यात्रा संबंधों की पुनर्बहाली तथा दोनों देशों के बीच "शांति और दोस्ती के एक नए युग" की घोषणा की।
- इथियोपिया-इरीट्रिया संघर्ष के कारण शरणार्थी संकट के दौरान हज़ारों इरीट्रियावासियों को यूरोप की ओर भागते हुए देखा गया।
- इथियोपिया के सत्तारूढ़ इथियोपियाई पीपुल्स रीवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (ईपीआरडीएफ) ने एक साल पहले यह संकेत दिया था कि वह इरीट्रिया के साथ अपने रिश्ते को बदलने पर विचार कर रहा है।
- युद्ध में भाग लेने वाले एक पूर्व सेना अधिकारी 41 वर्षीय अहमद के अप्रैल में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस दिशा में तीव्रता से वृद्धि हुई। जून में उन्होंने घोषणा की कि इथियोपिया वर्ष 2000 में किये गए समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा।

शांति का संदर्भ

- इथियोपिया एक भू-आबद्ध देश है और इरीट्रिया के साथ युद्ध के वर्षों के दौरान से लेकर अदन की खाड़ी और अरब सागर तक पहुँच के लिये जिबूती पर निर्भर है, जो बाब अल-मंदाब जलसंधि पर स्थित है।
- अब इथियोपिया जिबूती पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये इरीट्रिया के बंदरगाहों (मुख्य रूप से इरीट्रिया के अंतिम छोर पर स्थित अस्साब) का उपयोग करना चाहता है।
- शांति की स्थापना इरीट्रिया के हित में है, भले ही राष्ट्रपति अफवर्की ने 1993 में देश की आज़ादी के बाद खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिये युद्ध का इस्तेमाल किया था।
- पिछले दो दशकों में इरीट्रिया आर्थिक गतिहीनता और सामाजिक तथा राजनयिक अलगाव में फँसा रहा। इरीट्रिया ने अनिवार्य भर्ती द्वारा एक बड़ी सेना को बनाए रखा, संविधान को निलंबन के तहत रखा तथा प्रेस को परेशान कर दिया और ये सभी कार्य "इथियोपिया द्वारा इरीट्रियाई क्षेत्रों पर निरंतर कब्ज़े" से लड़ने के नाम पर किये गए।

नोट :

- जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इरीट्रिया पर बार-बार गंभीर उल्लंघन का आरोप लगा चुका है। इरीट्रियाई लोगों के युद्ध और अनिवार्य सैन्य सेवा से भागने के कारण 2015-16 में यूरोपीय तटों पर शरणार्थी संकट की समस्या में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप इरीट्रिया की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत अधिक बढ़ गया।

भारत के लिये ईरान दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश

संदर्भ

भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने के मामले में ईरान ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने यह स्थान ऐसे समय में हासिल किया है जब अमेरिका ने इसके तेल निर्यात को शून्य करने के लिये प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध नवंबर की शुरुआत से प्रभावी होंगे और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो देश ईरानी तेल आयात को शून्य तक कम नहीं करेंगे उन्हें भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
- चूँकि ये प्रतिबंध नवंबर माह से प्रभावी होने हैं इसलिये ईरान द्वारा तेल निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आकर्षक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिसका लाभ भारतीय कंपनियाँ उठा रही हैं।
- सरकार द्वारा आपूर्ति की कमी से निपटने के तरीके के बारे में प्रश्नों की एक श्रृंखला के जवाब में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान भारतीय तेल कंपनियों ने ईरान से 5.67 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था जिसकी कुल कीमत 19, 978.46 करोड़ रुपए (2.95 बिलियन डॉलर) थी।
- इस अवधि के दौरान सऊदी अरब द्वारा की जाने वाली आपूर्ति 5.22 मिलियन टन थी और भारत को तेल आपूर्ति करने के मामले में वह तीसरे स्थान पर रहा।
- इराक 7.27 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति के साथ भारत के लिये सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता देश बना रहा।
- पिछले दो वित्तीय वर्षों (2016-17 और 2017-18) के आँकड़ों के अनुसार इराक और सऊदी अरब भारत के लिये शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता देश थे तथा ईरान इन दोनों वित्तीय वर्षों में क्रमश: तीसरे और चौथे स्थान पर रहा था।

7 साल बाद हासिल की ईरान ने यह स्थिति

- 2010-11 में ईरान सऊदी अरब के बाद भारत के लिये दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक था लेकिन बाद में तेहरान के परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिये अमेरिका ने इस पर कई प्रतिबंध लगा दिये जिसके चलते यह सातवें स्थान पर पहुँच गया था।
- भारत ने अमेरिका द्वारा दी गई छूट की शर्तों को पूरा करने के लिये ईरानी तेल के आयात को कम कर दिया। जुलाई 2015 में ईरान से प्रतिबंध हटा दिये गए और भारत ने एक बार फिर ईरान से तेल आयात को बढ़ाया।

भारत के सामने असली चुनौती

- ईरान के तेल का विकल्प तलाशना भारत के लिये कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि इराक, सऊदी अरब और कुवैत ईरान की कमी को पूरा कर सकते हैं। भारत की वास्तविक चुनौती तेहरान के साथ अपने वर्षों पुराने रिश्ते को बचाने और चाबहार बंदरगाह से जुड़े वित्तीय/सामरिक हित हैं।

चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद पर चर्चा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीनी उप विदेशमंत्री की दो दिवसीय भूटान यात्रा के दौरान चीन और भूटान ने अपने सीमा विवादों पर चर्चा की और कई समझौतों पर सहमति व्यक्त की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- चीन ने भूटान को अपनी महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना (बीआरआई) के लिये भी आमंत्रित किया।
- चीन और भूटान के मध्य राजनयिक संबंध नहीं हैं किंतु दोनों देश अपने अधिकारियों की आवधिक यात्राओं के माध्यम से संपर्क बनाए रखते हैं।
- पिछले साल भारत के साथ हुए डोकलाम सैन्य विवाद के बाद यह पहली बार है जब एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने थिम्पू का दौरा किया।
- चीन ने इस यात्रा के संबंध में कहा कि दोनों पक्षों को सीमा वार्ता आगे बढ़ाने के लिये प्रयास जारी रखना चाहिये, सर्वसम्मति से तय किये गए सिद्धांतों का पालन करना चाहिये, सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिये और दोनों देशों के बीच सीमा संबंधित मुद्दे के अंतिम निपटारे के लिये सकारात्मक स्थितियाँ पैदा करनी चाहिये।

डोकलाम विवाद

- डोकलाम भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, भारत का कहना है कि यह क्षेत्र भूटान का है। चीनी सैनिक इस क्षेत्र में अक्सर घुस आते हैं, जिससे भारत के रणनीतिक हित प्रभावित होते हैं।
- डोकलाम में स्थित ट्राईजंक्शन वह बिंदु है, जहाँ भारत (सिक्किम), भूटान और चीन (तिब्बत) की सीमाएँ मिलती हैं। यह ट्राईजंक्शन ही इस विवाद की जड़ है। भारत दावा करता है कि यह क्षेत्र बटांग ला है, जबकि चीन का दावा है कि यह दक्षिण में 6.5 किमी. दूर जिमोचेन में है।
- दोनों के दावे ब्रिटेन और चीन के बीच 1890 में हुई कलकत्ता संधि की प्रतिस्पर्द्धात्मक व्याख्याओं पर आधारित हैं। 2012 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष तब तक यथास्थिति बनाए रखेंगे, जब तक उनके प्रतिस्पर्द्धी दावे को तीसरे पक्ष (भूटान) से परामर्श कर सुलझा नहीं लिया जाता।

अमेरिका और यूरोपीय संघ व्यापार तनाव को कम करने के लिये सहमत हुए

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग के प्रमुख जीन-क्लाउड जुनेकर ने हाल ही में इन दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहराते व्यापार विवाद को कम करने की योजना पर सहमति व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

- ट्रंप ने वादा किया कि अमेरिका यूरोपीय कारों के आयात पर टैरिफ नहीं लगाएगा, यूएस ने आयातित एल्युमीनियम और स्टील पर अतिरिक्त कर लगाने के ट्रंप के फैसले के बाद यूरोप में भेजे जाने वाले कुछ अमेरिकी सामानों पर लगाए गए करों के बदले में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने की धमकी दी थी।
- दोनों देश वाशिंगटन द्वारा स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए मौजूदा करों की समस्या "हल" करने के लिये काम करेंगे, जिसने यूरोपीय संघ समेत प्रमुख सहयोगियों को नाराज़ कर दिया था।

संबंधों को सुदृढ़ करना

- दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि बैठक का परिणाम "संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक नए चरण का शुभारंभ" है।
- दोनों नेताओं ने रिश्ते में "एक नया चरण शुरू करने" पर सहमति व्यक्त की, साथ ही "शून्य टैरिफ, शून्य गैर-टैरिफ बाधाओं और वाहनों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य सब्सिडी को लेकर एक साथ काम करने पर भी सहमत हुए।
- इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ ने अमेरिकी सोयाबीन व प्राकृतिक गैस खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
- दोनों पक्षों द्वारा शुल्क नहीं लगाया जाएगा व इस्पात एवं एल्युमीनियम पर मौजूदा शुल्क का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। जर्मनी के वित्त मंत्री पीटर अल्टमायर ने कहा कि "जुनेकर व ट्रंप को बधाई, यह वार्ता व्यापार युद्ध को टाल सकती है और लाखों नौकरियाँ बचा सकती है।"

नोट :

डब्ल्यूटीओ में सुधार के प्रयास

- ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार के लिये मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई ताकि यू.एस. प्रौद्योगिकी की चोरी, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कार्य व्यवहार और इस्पात में अत्यधिक क्षमता को लेकर चीन की कुछ शिकायतों का हल किया जा सके।
- चीन लंबे समय से शिकायत कर रहा है कि डब्ल्यूटीओ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये अनुचित है, इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिका ने चीन और अन्य के खिलाफ अधिकांश विवादों को हल करने में सफलता पाई है। यू.एस. और यूरोपीय संघ ट्रांस-एटलांटिक व्यापार में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देते हैं।
- यूरोपीय संघ पहले ही यू.एस. उत्पादकों से 35% प्राकृतिक गैस आयात करता है, लेकिन अब और अधिक आयात किये जाने पर काम करेगा। यूरोपीय संघ प्रतिस्पर्द्धी मूल्य तथा अनुकूल परिस्थितियों में बुनियादी ढाँचे और नए टर्मिनलों में निवेश करने के लिये तैयार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से ऊर्जा के आयात का स्वागत कर सकता है।

मिशन सत्यनिष्ठा

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेल द्वारा लोक प्रशासन में नैतिकता पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और "मिशन सत्यनिष्ठा" शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि यह किसी भी सरकारी संगठन द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें कार्य संस्कृति में सुधार और पारदर्शिता लाने के संबंध में चर्चा की गई हो।

प्रमुख बिंदु:

- सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मुद्दा सरकारी क्षेत्र के लिये चिंता का विषय रहा है।
- इस संदर्भ में यह बेहद महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सभी रेलवे कर्मचारी हर समय निर्दोष आचरण और सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं।
- 27 जुलाई, 2018 को "मिशन सत्यनिष्ठा" लॉन्च हुआ इसका उद्देश्य सभी रेल कर्मचारियों को नैतिकता का पालन करने और कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाना है।

मिशन के उद्देश्य:

- व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता तथा मूल्यों को समझने के लिये प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षित करना।
- जीवन और लोक शासन में नैतिक दुविधाओं से निपटना।
- नैतिकता और सत्यनिष्ठा पर भारतीय रेल की नीतियों और इसे बनाए रखने में कर्मचारी की भूमिका को समझने में मदद करना।
- आंतरिक संसाधनों के दोहन से आंतरिक शासन विकसित करना।

महिला रोज़गार दर

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिला रोज़गार दर जारी की गई। NSSO द्वारा हाल में किये गए श्रम बल सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान अनुमानित महिला कर्मी जनसंख्या अनुपात (% में) क्रमश: 26.6% और 23.7% था।

नोडल निकाय

- रोज़गार और बेरोज़गारी का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किये गए श्रमिक बल सर्वेक्षण से लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त श्रम और रोज़गार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो रोज़गार और बेरोज़गारी का वार्षिक सर्वेक्षण करता है।
- वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में श्रम ब्यूरो द्वारा किये गए वार्षिक रोज़गार-बेरोज़गारी के अंतिम तीन दौर के सर्वेक्षण के अनुसार 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु की महिलाओं के लिये श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्रमश: 25.0%, 29.6% और 25.8% रहा।

नोट :

महिला रोज़गार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास

सरकार ने महिला रोज़गार बढ़ाने सहित रोज़गार में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
- निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं में तेज़ी लाना।
- सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री के रोज़गार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएँ।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)।
- पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY)।
- आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।

मुद्रा योजना द्वारा महिला श्रमिकों को दिये गए ऋण में वृद्धि

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ऋण लेने वाली महिलाओं को 0.25% की विशेष छूट दी जाती है।
- मुद्रा योजना के तहत 75% ऋण (31 मार्च, 2018) तक 12.27 करोड़ स्वीकृत ऋण में से 9.02 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिये गए हैं।

विभिन्न अधिनियमों में संशोधन

श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने महिला श्रमिक भागीदारी दर बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाकर इस विषय को लक्षित किया है-

- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 में भुगतान मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है और 50 और उससे अधिक कर्मचारियों के प्रतिष्ठानों में अनिवार्य पालना घर/शिशु-सदन सुविधा का प्रावधान है।
- पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में महिला कर्मियों को काम की अनुमति देने के लिये फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्यों को परामर्श देने का विषय है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में समान कार्य के लिये और समान स्वभाव के कार्य के लिये भेदभाव किये बिना पुरूष एवं महिला श्रमिक दोनों के लिये समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है।
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार द्वारा तय किये गए वेतन पुरूष और महिला कर्मियों के लिये समान रूप से लागू हैं तथा इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरानी बैंक को भारत में शाखा खोलने के लिये मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने से कुछ सप्ताह पहले ही वित्त मंत्रालय ने ईरान के निजी ऋणदाता बैंक पसर्गद (Pasargad) को मुंबई में शाखा खोलने की मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- ईरान पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधो का पहला सेट 6 अगस्त से तथा दूसरा सेट 4 नवंबर से प्रभावी होगा।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सुझाव दिया था कि उसे द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा के लिये ईरानी बैंकों के प्रवेश की अनुमति देनी चाहिये।
- इसके अलावा दक्षिण कोरियाई बैंक केईबी हाना बैंक (KEB Hana Bank) को गुरुग्राम में अपनी दूसरी शाखा खोलने की मंज़ूरी दी गई है, जबकि कूकमिन बैंक (Kookmin Bank) को गुरुग्राम स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा में परिवर्तित करने के अनुरोध को मंज़ूरी दी गई है।

विदेशी बैंक की शाखा खोलने से पहले सभी मंत्रालयों की स्वीकृति अनिवार्य

किसी विदेशी बैंक द्वारा शाखा खोलने के प्रस्ताव को रिज़र्व बैंक की आतंरिक मंज़ूरी मिलने के बाद वित्त, वाणिज्य, विदेश मामलों और गृह मामलों के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इसकी जाँच की जाती है। रिज़र्व बैंक द्वारा एक विदेशी बैंक को लाइसेंस जारी करने से पहले प्रत्येक मंत्रालय की मंज़ूरी मिलना आवश्यक है

नोट :

भारत में ईरानी बैंक शाखा खोलने से लाभ

- भारत में ईरानी बैंक की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण वित्तीय मार्ग स्थापित करेगी जो दोनों देशों के बीच धन के सरल प्रवाह को सुनिश्चित करेगी।
- भारत, ईरान से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है और महत्त्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने को प्रतिबद्ध है।

पूर्व में भी किया गया ऐसा प्रयास

- तीन साल पहले भी रुपया-रियाल व्यवस्था का इस्तेमाल ईरान से तेल खरीदने के लिये किया गया था।
- इस प्रक्रिया के तहत भारत ने अपनी देय राशि का 55 प्रतिशत भुगतान यूरो में किया, जबकि शेष 45 प्रतिशत को रुपए के रूप में UCO बैंक के माध्यम से ईरानी तेल कंपनियों के खातों में प्रेषित किया गया था।

कई विदेशी बैंकों द्वारा किया गया था आवेदन

- पिछले साल कम-से-कम 14 बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएँ खोलने के लिये आवेदन किया था।
- इन आवेदकों में ईरानी बैंकों के अलावा दो चाइनीज बैंक, चार दक्षिण कोरियाई बैंक और नीदरलैंड के दो बैंकों ने भारत में शाखाएं तथा पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियाँ खोलने के लिये आवेदन किया था।
- चेक गणराज्य, श्रीलंका तथा मलेशिया के एक-एक बैंक ने शाखा खोलने के लिये आवेदन किया था।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेटेंट उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में निहित शक्ति को रद्द करने के लिये बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 22 जून को मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन नियम, 2007 में दो संशोधन किये।
- यह संशोधन बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018, पेटेंट अधिनियम, 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है।
- संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल किया गया है जो अधिकार धारक को किसी भी संशोधन, रद्दीकरण, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिये बाध्य करता है।
- अतीत में मोबाइल फोन कंपनियों को पहले के नियमों के कारण जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिये, 2007 में मदुरै स्थित रामकुमार (जिन्होंने ड्यूल (dual) सिम के लिये पेटेंट की मांग की थी) ने सैमसंग और स्पाइस मोबाइल द्वारा आयातित उत्पादों की जब्ती की मांग की, जिसने कई आयातकों को प्रभावित किया।
- अब संशोधित कानून सीमा शुल्क प्राधिकरणों को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) द्वारा पारित आदेश के आधार पर इसके रिकॉर्ड से अपने पेटेंट को रद्द करने की अनुमति देगा।

अनंतपुरुमू सौर पार्क में 100 मेगावाट सौर क्षमता का संचालन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में टाटा पावर ने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में कहा है कि इसकी शाखा टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (टीपीआरईएल) ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरुमू (Ananthapuramu) सौर पार्क में 100 मेगावाट (50 मेगावाटx2) की सौर क्षमता का विकास एवं संचालन किया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में भारत में टीपीआरईएल द्वारा कुल संचालित अक्षय ऊर्जा की क्षमता 2,215 मेगावाट है।
- पिछले वर्ष वेल्सपुन नवीनीकरणीय ऊर्जा (Welspun Renewables Energy) के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 159 मेगावाट की पवन और सौर क्षमता को व्यवस्थित रूप से बढ़ाया है।
- इस सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की बिक्री हेतु 25 वर्षों तक के लिये भारत के सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया है।
- यह परियोजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) के चरण-II, बैच-3 की ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा क्षमता के विकास के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की योजना का एक हिस्सा है।
- ध्यातव्य है कि भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में सौर ऊर्जा की उच्चतम क्षमताएँ विद्यमान हैं।
- इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा से 'न्यू इंडिया' के निर्माण तथा 'वर्ष 2019 तक सभी के लिये 24X7 बिजली की सुविधा' उपलब्ध कराने में भी यह संयंत्र एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नोट :

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 (DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018) को मंज़ूरी दे दी है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डीएनए के नमूने एकत्र करने, "डीएनए प्रोफाइल" बनाने और अपराधों की फोरेंसिक जाँच के लिये विशेष डेटाबेस तैयार करने की अनुमति देता है।

विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक का उद्देश्य अपराधों की जाँच दर में बढ़ोतरी के साथ देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिये डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है।

प्रमुख बिंदु

- डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन एवं विनियमन के प्रावधान के जरिये विधेयक में इस प्रौद्योगिकी का देश में विस्तारित उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
- विधेयक में इस बात का भी भरोसा दिलाया गया है कि डीएनए परीक्षण परिणाम भरोसेमंद हों और नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के लिहाज़ से डाटा का दुरुपयोग न हो सके।
- विधेयक के प्रावधान एक तरफ गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों के परस्पर मिलान करने में सक्षम बनाएंगे, दूसरी तरफ बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होने के बाद विधेयक को 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

विधेयक का विरोध

- कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा है कि जिस तरीके से डीएनए की जानकारी एकत्र की जानी है और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा संग्रहीत किया जाना है उससे गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका हो सकती है।
- एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विधेयक में कई अनुसूची ऐसे जोड़े गए हैं जो डाटा के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हैं।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार, डाटाबेस केवल आपराधिक जाँच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के डीएनए विवरण हटा दिये जाएंगे।
- विधेयक में एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है जो अंतिम प्राधिकरण होगा और राज्य स्तरीय डीएनए डाटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा तथा डीएनए-प्रौद्योगिकियों के संग्रहण और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकृति प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

- फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्त्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराधों का समाधान किया जाता है।
- 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रतिवर्ष तीन लाख से अधिक है। इनमें से केवल एक छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।
- उम्मीद है कि अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, बल्कि सज़ा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आँकड़े) है।

नोट :

नैसकॉम का डेटा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर लॉबी नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज़ कंपनीज़ (National Association of Software and Services Companies –Nasscom) ने डेटा साइंस तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के लिये उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence -CoE)) खोला है।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- NASSCOM ने नीति आयोग के साथ अनुसंधान को बढ़ावा देने, अभिग्रहण (Adoption) एवं नैतिकता, निजता एवं सुरक्षा में तेज़ी लाने से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये।
- समझौता ज्ञापन तथा उत्कृष्टता केंद्र दोनों का उद्देश्य देश में AI (Artificial Intelligence) तंत्र को मजबूत करने के लिये हितधारकों के बीच खुफिया सूचना साझा करने और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिये एक मंच के रूप में कार्य करना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी नीतियों को समर्थन

- NASSCOM, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये देश की राष्ट्रीय नीति समर्थन करेगा तथा नीति आयोग व उत्कृष्टता केंद्रों के बीच सहयोग को सुगम बनाएगा।
- यह नीति आयोग को ज्ञान भागीदार (Knowledge Partner) के रूप में शामिल करेगा।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) पहल

- उत्कृष्टता केंद्र (CoE) पहल नवाचार पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो स्मार्ट विनिर्माण, ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, कृषि, ऊर्जा, IoT(Internet of Things), बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, खुदरा, दूरसंचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में आने वाली समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है।
- NASSCOM ने देश में डेटा विज्ञान और कृत्रिम खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने और तेज़ करने के लिये Intel और IBM के साथ संस्थापक सदस्यों और प्रौद्योगिकी सलाहकारों के रूप में साझेदारी की है।

नैसकॉम (NASSCOM)

- नैसकॉम (National Association of Software and Services Companies -NASSCOM) भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यह एक लाभ-निरपेक्ष (non-profit) संस्था है।

दवा विक्रेताओं द्वारा जेनेरिक दवाओं (generic medicines) का प्रदर्शन अनिवार्य

संदर्भ

जल्द ही देश के सभी औषधि विक्रेताओं को अपनी दुकानों में जेनेरिक दवाओं (ऐसी दवाएं जिनका कोई पेटेंट नहीं होता है, स्थानीय रूप से निर्मित होती हैं तथा मूल सूत्रण (formulation) जिन पर वे आधारित होती हैं, की तुलना में सस्ती होती हैं) को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि सभी दुकानें जिन्हें दवाइयाँ बेचने का लाइसेंस प्राप्त है, को जेनेरिक दवाओं के भंडारण के लिये विशेष शेल्फ/रैक का निर्माण करना चाहिये ताकि वे दवाएँ उपभोक्ताओं को दिखाई दें।
- यह फैसला जेनेरिक दवाओं की व्यापक स्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भारत के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (विशेषज्ञों का एक समूह) द्वारा दिये गए सुझावों का अनुसरण करते हुए लिया गया है।
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने वाले इस कदम का समर्थन किया है

नोट :

नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को मिली मंज़ूरी, बनी रहेगी इंटरनेट की आज़ादी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने भारत में निर्बाध तथा मुफ्त इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाते हुए नेट न्यूट्रैलिटी के नियमों को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में किसी भी तरह के भेदभाव के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।
- इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता या सोशल मीडिया कंपनी सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर इंटरनेट की स्पीड से संबंधित मामले में किसी पसंदीदा वेबसाइट को महत्त्व नहीं दे पाएंगी।
- कंपनियाँ किसी भी सामग्री को ब्लॉक करने, धीमा या अधिमान्य गति प्रदान करने जैसे कार्य नहीं कर पाएंगी।
- यह फैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा।
- दूरसंचार आयोग (दूरसंचार विभाग में उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा आठ माह पहले सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटी नियमों को मंज़ूरी दी है।
- कुछ उभरती और महत्त्वपूर्ण सेवाओं को इन मानदंडों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंज़ूरी दे दी है।
- इन महत्त्वपूर्ण सेवाओं की जाँच करने के लिये दूरसंचार विभाग (Department of Telecom-DoT) के तहत एक अलग समिति की स्थापना की गई है। इनमें स्वायत्त वाहन, डिजिटल हेल्थकेयर सेवाएँ या आपदा प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं।

नेट न्यूट्रैलिटी क्या है ?

- यह शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टिम वू द्वारा 2003 में प्रथम बार उपयोग किया गया था।
- नेट न्यूट्रैलिटी(इंटरनेट तटस्थता) वो सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियाँ इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी।
- इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली इन कंपनियों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। इन कंपनियों को डाटा के लिये अलग-अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिये चाहे वह डाटा भिन्न वेबसाइटों पर विजिट करने के लिये हो या फिर अन्य सेवाओं के लिये।

नोएडा की एक फर्म ने इसरो स्पेस मिशन के लिये ताप प्रतिरोधी फिल्म विकसित की

चर्चा में क्यों ?

यूफ्लेक्स (Uflex) कंपनी ने इसरो के अंतरिक्ष यानों के उष्मीय घटकों को निष्क्रिय करने हेतु विशेष धातु की एक फिल्म विकसित की है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है।

यूफ्लेक्स क्या है ?

- यह भारत की सबसे बड़ी लचीले पैकेजिंग पदार्थों की एक कंपनी है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, सीआईएस देशों, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों में फैले विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की सभी लचीली पैकेजिंग आवश्यकताओं के लिये एक स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करती है।
- यह मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की पैकेजिंग आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।
- इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नोएडा में स्थित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छह महीने में विकसित इस फिल्म को इसरो के विनिर्देशों के आधार पर निर्मित किया गया है।
- 8 माइक्रोन की मोटाई वाले इस एल्युमिनेन्ड पॉलिएस्टर फिल्म का परीक्षण बंगलुरू में इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि एल्युमिनिन्ड पॉलिएस्टर सामग्री का उपयोग अंतरिक्ष में आयनित कणों द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान और बमबारी से अंतरिक्ष यान के घटकों की सुरक्षा के लिये किया जाता है।
- यूफ्लेक्स ने इस फिल्म का विकास कर इसरो के स्वदेशीकरण के प्रयास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहयता की है।

डीएनए प्रोफाइल स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डीएनए डेटाबैंक की स्थापना करने जा रही है, जो गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान और अपराधों की जाँच में सहायक होगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, डेटा बैंक डीएनए विवरण को स्थायी रूप से नहीं रखेगा।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार ने पीड़ितों, आरोपियों, संदिग्धों, गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान के लिये राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में डीएनए डेटा बैंक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा है।
- डीएनए बैंक में डीएनए विवरण को स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।
- आपराधिक मामलों के संबंध में न्यायिक आदेश के बाद डीएनए विवरण को हटा दिया जाएगा।
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को संसद की स्वीकृति के उपरांत यह नियम अस्तित्व में आएगा। उल्लेखनीय है कि डीएनए 'प्रोफाइलिंग' बिल का नवीनतम संस्करण 2015 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- मसौदे का उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान या अपराध स्थल से एकत्र नमूने के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करने हेतु डीएनए प्रौद्योगिकियों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है।
- गौरतलब है कि कैबिनेट ने 3 जुलाई, 2018 को विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड और डीएनए डेटा बैंक की परिकल्पना की गई है।

डीएनए डेटा बैंक के लाभ:

- देश की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में सहायक।
- अपराध सिद्धि दर में बढ़ोतरी में होगी।
- अज्ञात शवों के परस्पर मिलान करने में आसानी होगी।
- आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

एयरबस का तीन भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में फ्राँसीसी विमान निर्माता कंपनी एयरबस के कार्यक्रम 'टेक ऑफ 2018' (Take Off 2018) के हिस्से के रूप में एयरबस कग सहायक कंपनियों नैवब्लू और एरियल ने तीन भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ एक समझौता किया है।

प्रमुख

- यह समझौता विमानन डेटा सेवाओं, उड़ान संचालन और इमेजरी सेवाओं के क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क स्थापित करने में मदद करेगा।
- इस कार्यक्रम को एयरबस बिज़लैब इंडिया द्वारा गति प्रदान की गई है।

नोट :

- इससे पहले एयरबस ने फरवरी 2018 में बंगलूरु स्थित स्टार्ट-अप Neewee और EFLIGHT के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- यह एक्सेलरेशन कार्यक्रम का तीसरा चरण है जो मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया पहलों के साथ संरेखित है।
- नैवब्लू ने डेटा सेवाओं की गुणवत्ता एवं निरंतरता बढ़ाने के लिये बंगलूरु की स्टार्ट-अप कंपनी स्टेला टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है।
- नैवब्लू ने एक अन्य कंपनी ईफ्लाइट (EFLIGHT) के साथ भी समझौता किया है जो भारतीय विमानन बाज़ार में व्यापक सेवा समाधान उपलब्ध कराने में सहायक होगी।
- एयरबस एरियल ने नवी मुंबई स्थित स्टार्ट-अप एयरपिक्स के साथ भी एक समझौता किया है। एयरपिक्स भू-विश्लेषण समाधान एवं इमेजरी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है।
- ये तीनों कंपनियाँ एयरबस बिज़लैब के स्टार्ट-अप एक्सेलरेशन कार्यक्रम का हिस्सा रही थीं।

एयरबस

- एयरबस यूरोपीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी EADS की एक वायुयान निर्माता सहायक कंपनी है।
- ब्लैगनैक, फ्राँस में ट्युलाउज़ के पास स्थित और पूरे यूरोप में महत्त्वपूर्ण गतिविधियों वाली यह कंपनी समस्त विश्व के जेट विमानों की कुल संख्या के लगभग आधे का उत्पादन करती है।

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) : भारत की ज़रूरत

संदर्भ

नीति आयोग ने एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि भारत इतिहास में अपने "सबसे खराब" जल संकट का सामना कर रहा है और साथ ही आशंका व्यक्त की है कि अगर वर्ष 2030 तक जल संरक्षण के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाए गये तो पीने योग्य पानी की मांग को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जल संकट की घटनाओं को देखते हुए विभिन्न नीतिगत कदमों के साथ-साथ तकनीक का प्रयोग करना उचित कदम साबित हो सकता है।
- प्रमुख रूप से स्मार्ट मीटर पर विचार किया जा सकता है जो वास्तविक समय में व्यक्तिगत जल खपत की रीडिंग और लीक का पता लगाने तथा पानी की आपूर्ति को दूर से ही बंद करने में सक्षम हैं।

इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स की अवधारणा के अनुप्रयोग

- यह इंटरनेट पर रिमोट मॉनीटरिंग की अनुमति देता है इसके द्वारा स्मार्ट मीटर का उपयोग जल उपचार प्रणाली का विश्लेषण करने और किसी भी समय एवं कहीं से भी इसे नियंत्रित करने के लिये किया जा सकता है।
- फसलों हेतु पानी, नल के पानी की गुणवत्ता, नदी में फैंके जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा या रिसाव का पता लगाने और यहाँ तक कि जलाशयों में जल स्तर की विविधता आदि की निगरानी के लिये भी किया जा सकता है।
- रिसर्च फर्म आईएचएस मार्किट ने भविष्यवाणी की है कि आगामी पाँच वर्षों में 500 मिलियन से अधिक स्मार्ट वॉटर मीटर इकाइयों को विश्व स्तर पर बेचा जाएगा।
- इसके अलावा, एक स्मार्ट शहर के लिये आईओटी ऊर्जा आधारित स्मार्ट पानी और ऊर्जा मीटर कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिससे वे लाभान्वित हो सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारत में वर्ष 2020 तक 1.9 बिलियन डिवाइस कनेक्ट किये जाने की उम्मीद है जो वर्तमान में 60 मिलियन हैं।
- आईओटी इंडिया कॉन्ग्रेस 2018 के अनुसार, भारत के आईओटी बाज़ार का दूरसंचार, स्वास्थ्य, वाहन, घरों, शहरों और कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2016 के $ 1.3 बिलियन से बढ़कर 2020 तक 9 अरब डॉलर हो जाने की उम्मीद है।
- यूटिलिटीज, विनिर्माण, मोटर वाहन और परिवहन तथा लॉजिस्टिक जैसे उद्योगों को भारत में सबसे अधिक स्तर पर अपनाए जाने के साथ ही स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी आईओटी में महत्त्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।

नोट :

- अगले पाँच वर्षों में 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिये $ 1 बिलियन का सरकारी निवेश भी उद्योगों को आईओटी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- आईबीएम, सिस्को, क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों और भारतीय स्टार्ट-अप के कई मेजबानों ने आईओटी अंतरिक्ष में निवेश शुरू कर दिया है।
- उदाहरण के लिये जर्मन तकनीकी प्रमुख बॉश, भारत में अगले तीन वर्षों में ₹ 1,700 करोड़ के निवेश करने की तलाश में हैं जो आईओटी और कृत्रिम बुद्धिमता पर केंद्रित है।
- हालाँकि, जर्मन कंपनी ही नहीं, अपितु भारतीय दूरसंचार उद्योग भी आईओटी में भारी निवेश कर रहा है।

डिजिटल डेटा उपयोगकर्त्ता का अधिकार : ट्राई

चर्चा में क्यों ?

यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का अनुकरण करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानूनों को लागू करने का प्रस्ताव दिया ताकि डिजिटल डेटा पर उपयोगकर्त्ताओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

डेटा संरक्षण कानून लागू होने से क्या लाभ होंगे ?

- अगर ट्राई की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है तो इसका मतलब यह होगा डिजिटल तंत्र जैसे- ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशंस, उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा प्रदाता कंपनियाँ ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएंगी।
- उपयोगकर्त्ता के डेटा को एकत्र करने से पहले उनकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा।
- एक बार एकत्र होने के बाद, उपयोगकर्त्ता को डेटा केवल उस सेवा को प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है जिसके लिये उपयोगकर्त्ता ने साइन अप किया है।
- प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्त्ता द्वारा बाद में कभी भी इस सहमति को रद्द करने का प्रावधान भी होगा।
- उपयोगकर्त्ता को भूल जाने का अधिकार (right to forgotten) भी होगा ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता को उपभोक्ता से संबंधित सभी व्यक्तिगत डेटा को हटाना अनिवार्य होगा।

प्री-लोडेड ऐप द्वारा उपयोगकर्त्ताओं की सहमति का उल्लंघन

- अक्सर यह देखने में आता है कि डिजिटल तंत्र की इकाइयाँ उपयोगकर्त्ताओं का व्यक्तिगत डेटा ऐसे मामले में भी संग्रह करती हैं जब उन्हें डिवाइस या ऐप्लीकेशन चलाने की लिये उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
- एक उदाहरण देते हुए नियामक प्राधिकरण ने कहा कि मोबाइल पर फ्लैशलाइट को टॉर्च की तरह सक्रिय करने वाले ऐप्लीकेशन में कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट सूची आदि की अनुमति मांगी जाती है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है।
- ऐसे एप्लीकेशन के लिये सहमति लेने के बाद इकाइयां उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी को उनकी बिना अनुमति लिये अन्य इकाइयों के साथ भी साझा कर देती हैं जो कि उपयोगकर्त्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी पसंद और सहमति का गंभीर उल्लंघन है।

नीति प्रारूप को अधिसूचित करने की आवश्यकता

- ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में 'डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व' पर अपनी सिफारिश में कहा है, वर्तमान में सरकार की ओर से सामान्य डेटा सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया है।
- निजता की सुरक्षा के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू मौजूदा नियम/लाइसेंस की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिये। इसके लिये सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और एप्लीकेशन के नियमन के लिये नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिये।

नोट :

निष्कर्ष

- अमेरिका और यूरोप ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानून बनाए हैं जबकि भारतीय नीति निर्माताओं ने अब तक इस पहलू पर धीमी गति से कदम बढ़ाया है।
- न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा सभी क्षेत्रों में डेटा संरक्षण पर एक श्वेत-पत्र नवंबर 2017 में जारी किया गया था, लेकिन इस संबंध में व्यापक नीति लाने की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई है।
- इस संदर्भ में ट्राई द्वारा प्रस्तावित नियम केवल दूरसंचार से संबंधित सेवाओं तक ही सीमित होने के बावजूद भी महत्त्वपूर्ण है।

विकास इंजन: इसरो के रॉकेट्स को बढ़ावा देगा

चर्चा में क्यों ?

इसरो के आगामी तीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस वर्ष अंतरिक्षयानों की शक्ति बढ़ाने की तैयारी में हैं।
इस ओर ध्यान देते हुए इसरो ने विकास इंजन की क्षमता में सुधार किया है जो सभी सैटेलाइट्स को शक्ति प्रदान करता है।

विकास इंजन के बारे में

- विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है, जिसका विकास इसरो ने किया है।
- इस इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि से किया गया था।
- यह परीक्षण 195 सेकंड में किया गया।
- इस इंजन के विकास की शुरुआत 1970 में हुई थी।
- यह इंजन डिज़ाइन वाइकिंग राकेट इंजन पर आधारित था।
- विकास इंजन PSLV के दूसरे चरण, जबकि GSLV के दूसरे चरण के साथ स्ट्रेप ओन चरण में उपयोग किया जाता है, जबकि GSLV Mk-III में इसका उपयोग पहले चरण में किया जाता है।
- इस इंजन में ईंधन के रूप में असीमित डायमिथाइल हाइड्रोजन व ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोआक्साइड का प्रयोग होता है।

मुख्य लाभार्थी

- हाई-थ्रस्ट विकास इंजन के मुख्य लाभार्थियों में अधिक भार वाला जीएसएलवी-मार्क III लॉन्चर है, यह इंजन 4,000 किलोग्राम के भार वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुँचाने में सक्षम बनाएगा।
- जून 2017 में पहले MK-III लॉन्च व्हीकल को 3,200 किलोग्राम भार
- वाले उपग्रह के लिये विकसित किया गया था, जबकि दूसरे MK-III लॉन्च व्हीकल को 3,500 किलोग्राम भार वाले अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में पहुँचाने हेतु विकसित किया जा रहा है।
- विकास इंजन पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी एमके-III लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा।
- विकास इंजन का उपयोग लाइट पीएसएलवी के दूसरे चरण में, मीडियम लिफ्ट जीएसएलवी के दूसरे और चार चौथे चरणों में तथा MK-III के जुड़वाँ इंजन कोर में तरल ईंधन के रूप में किया जाएगा।

डिजिटल डेटा उपयोगकर्त्ता का अधिकार : ट्राई

चर्चा में क्यों ?

यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का अनुकरण करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानूनों को लागू करने का प्रस्ताव दिया ताकि डिजिटल डेटा पर उपयोगकर्त्ताओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

नोट :

डेटा संरक्षण कानून लागू होने से क्या लाभ होंगे ?

- अगर ट्राई की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है तो इसका मतलब यह होगा डिजिटल तंत्र जैसे- ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशंस, उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा प्रदाता कंपनियाँ ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएंगी।
- उपयोगकर्त्ता के डेटा को एकत्र करने से पहले उनकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा।
- एक बार एकत्र होने के बाद, उपयोगकर्त्ता को डेटा केवल उस सेवा को प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है जिसके लिये उपयोगकर्त्ता ने साइन अप किया है।
- प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्त्ता द्वारा बाद में कभी भी इस सहमति को रद्द करने का प्रावधान भी होगा।
- उपयोगकर्त्ता को भूल जाने का अधिकार (right to forgotten) भी होगा ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता को उपभोक्ता से संबंधित सभी व्यक्तिगत डेटा को हटाना अनिवार्य होगा।

प्री-लोडेड ऐप द्वारा उपयोगकर्त्ताओं की सहमति का उल्लंघन

- अक्सर यह देखने में आता है कि डिजिटल तंत्र की इकाइयाँ उपयोगकर्त्ताओं का व्यक्तिगत डेटा ऐसे मामले में भी संग्रह करती हैं जब उन्हें डिवाइस या ऐप्लीकेशन चलाने की लिये उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
- एक उदाहरण देते हुए नियामक प्राधिकरण ने कहा कि मोबाइल पर फ्लैशलाइट को टॉर्च की तरह सक्रिय करने वाले ऐप्लीकेशन में कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट सूची आदि की अनुमति मांगी जाती है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है।
- ऐसे एप्लीकेशन के लिये सहमति लेने के बाद इकाइयां उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी को उनकी बिना अनुमति लिये अन्य इकाइयों के साथ भी साझा कर देती हैं जो कि उपयोगकर्त्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी पसंद और सहमति का गंभीर उल्लंघन है।

नीति प्रारूप को अधिसूचित करने की आवश्यकता

- ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में 'डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व' पर अपनी सिफारिश में कहा है, वर्तमान में सरकार की ओर से सामान्य डेटा सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया है।
- निजता की सुरक्षा के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू मौजूदा नियम/लाइसेंस की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिये। इसके लिये सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और एप्लीकेशन के नियमन के लिये नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिये।

निष्कर्ष

- अमेरिका और यूरोप ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानून बनाए हैं जबकि भारतीय नीति निर्माताओं ने अब तक इस पहलू पर धीमी गति से कदम बढ़ाया है।
- न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा सभी क्षेत्रों में डेटा संरक्षण पर एक श्वेत-पत्र नवंबर 2017 में जारी किया गया था, लेकिन इस संबंध में व्यापक नीति लाने की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई है।
- इस संदर्भ में ट्राई द्वारा प्रस्तावित नियम केवल दूरसंचार से संबंधित सेवाओं तक ही सीमित होने के बावजूद भी महत्त्वपूर्ण है।

विकास इंजन: इसरो के रॉकेट्स को बढ़ावा देगा

चर्चा में क्यों ?

इसरो के आगामी तीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस वर्ष अंतरिक्षयानों की शक्ति बढ़ाने की तैयारी में हैं।
इस ओर ध्यान देते हुए इसरो ने विकास इंजन की क्षमता में सुधार किया है जो सभी सैटेलाइट्स को शक्ति प्रदान करता है।

विकास इंजन के बारे में

- विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है, जिसका विकास इसरो ने किया है।
- इस इंजन का परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि से किया गया था।

नोट :

- यह परीक्षण 195 सेकंड में किया गया।
- इस इंजन के विकास की शुरुआत 1970 में हुई थी।
- यह इंजन डिज़ाइन वाइकिंग राकेट इंजन पर आधारित था।
- विकास इंजन PSLV के दूसरे चरण, जबकि GSLV के दूसरे चरण के साथ स्ट्रेप ओन चरण में उपयोग किया जाता है, जबकि GSLV Mk-III में इसका उपयोग पहले चरण में किया जाता है।
- इस इंजन में ईंधन के रूप में असीमित डायमिथाइल हाइड्रोजन व ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोआक्साइड का प्रयोग होता है।

मुख्य लाभार्थी

- हाई-थ्रस्ट विकास इंजन के मुख्य लाभार्थियों में अधिक भार वाला जीएसएलवी-मार्क III लॉन्चर है, यह इंजन 4,000 किलोग्राम के भार वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुँचाने में सक्षम बनाएगा।
- जून 2017 में पहले MK-III लॉन्च व्हीकल को 3,200 किलोग्राम भार
- वाले उपग्रह के लिये विकसित किया गया था, जबकि दूसरे MK-III लॉन्च व्हीकल को 3,500 किलोग्राम भार वाले अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में पहुँचाने हेतु विकसित किया जा रहा है।
- विकास इंजन पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी एमके-III लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा।
- विकास इंजन का उपयोग लाइट पीएसएलवी के दूसरे चरण में, मीडियम लिफ्ट जीएसएलवी के दूसरे और चार चौथे चरणों में तथा MK-III के जुड़वाँ इंजन कोर में तरल ईंधन के रूप में किया जाएगा।

इसरो 27 उपग्रहों के निर्माण के लिये तीन भागीदारों का सहयोग लेगा

चर्चा में क्यों ?

इसरो ने अगले तीन सालों में तेज़ गति से 27 उपग्रहों को असेम्बल करने के लिये तीन साझेदारों से समझौता शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- बंगलुरू स्थित इसके नोडल उपग्रह विभाग यूआरएससी (यूआर राव सैटेलाइट सेंटर) ने अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज पी लिमिटेड और इसके छह संघीय सदस्यों के साथ अलग-अलग वर्षों के लिये तीन साल के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- छह संघीय सदस्य डिफेंस एंटरप्राइजेज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, हैदराबाद से हैं।
- उल्लेखनीय है कि प्रत्येक भागीदार प्रत्येक वर्ष तीन छोटे या मध्यम उपग्रहों का निर्माण करने के लिये यूआरएससी के साथ काम करेगा या जुलाई 2021 तक कुल 27 अंतरिक्ष यान के निर्माण में मदद करेगा।
- परियोजना को पूरा करने के लिये प्रत्येक भागीदार के लगभग 50 सदस्य अलग-अलग यूआरएससी इंजीनियरों के साथ काम करेंगे।
- अल्फा-प्लस कंसोर्टियम में न्यूटेक, एडिन, अनियारा कम्युनिकेशंस, डीसीएक्स, विन्यास और एक्ससीड स्पेस जैसी छोटी और मध्यम आकार की कंपनियाँ शामिल हैं।
- विन्यास पिछले साल इसरो के लिये दो 1,400 किलोग्राम नेविगेशन उपग्रह आईआरएनएसएस-1एच और 1-आई के निर्माण में पहले से ही शामिल था।

मेघालय युग : पृथ्वी के इतिहास में एक नया युग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भू-वैज्ञानिकों ने धरती के इतिहास में एक नए युग 'मेघालय युग' (Meghalayan Age) की खोज की है। अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक विज्ञान संघ (International Union of Geological Sciences - IUGS) ने आधिकारिक तौर पर इस नए चरण को स्वीकार कर लिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि इस युग की शुरुआत 4200 साल पहले हुई थी और यह आज तक जारी है।
- भू-वैज्ञानिक इतिहास के दृष्टिकोण से हम जिस युग में रह रहे हैं वह होलोसीन युग है।

होलोसीन युग :

- भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, होलोसीन युग का प्रारंभ लगभग 11,700 साल पहले हुआ था।
- ICS (International Chronostratigraphic Chart) में होलोसीन युग को तीन उपवर्गों में बाँटा गया है। होलोसीन युग की शुरुआत को 'ग्रीनलैंडियन' (11,700-8,326 साल पूर्व) नाम दिया गया है यह वह युग था जब पृथ्वी हिमयुग से बाहर आई थी।
- मध्य होलोसीन युग को 'नॉर्थग्रिपियन' (8,326-4200 वर्ष पूर्व) नाम दिया गया है।
- 'मेघालय युग' होलोसीन युग का नवीनतम युग है।
- माना जाता है कि धरती का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। तब से पृथ्वी के अस्तित्व को कई युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग प्रमुख घटनाओं जैसे- महाद्वीपीय विस्थापन, पर्यावरण में परिवर्तन या धरती पर खास तरह के जानवरों और पौधों की उत्पत्ति पर आधारित है।
- भू-वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के अनुसार, 'मेघालय युग' की शुरुआत भयंकर सूखे के साथ हुई थी जिसका असर 200 सालों तक रहा।
- इस सूखे के कारण मिस्र, यूनान, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंघु घाटी और यांग्त्से नदी घाटी में खेती आधारित सभ्यताएँ समाप्त हो गईं।

इस युग का नाम 'मेघालय युग' ही क्यों ?

- शोधकर्त्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मेघालय की एक गुफा मावम्लूह (Mawmluh Cave) की छत से टपक कर फर्श पर जमा हुए स्टैलेगेमाइट चूने को एकत्र कर उसका अध्ययन किया। इस अध्ययन ने धरती के इतिहास में घटी सबसे छोटी जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद की। इसी कारण इस युग को 'Meghalayan Age' या 'मेघालय युग' नाम दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक विज्ञान संघ (International Union of Geological Sciences - IUGS)

- IUGS एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो भूविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये समर्पित है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी।
- वर्तमान में 121 देशों (और क्षेत्रों) के भू-वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व IUGS में 121 अनुपालन संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

संस्थानों का राजस्व बढ़ाने के लिये 'किराए पर एक प्रयोगशाला' नीति

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने एक नई नीति का प्रस्ताव दिया है जिसके माध्यम से सरकारी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा रेंटल आय उत्पन्न कर उन्हें आकर्षक संपत्तियों में बदला जा सकता है। इसके अंतर्गत शोधकर्त्ताओं के सभी 10 लाख से अधिक कीमत वाले प्रयोगशाला उपकरणों को किराए पर देने की योजना है। इससे ऐसे महँगे उपकरणों को निष्क्रिय होने से बचाने में भी मदद मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मुताबिक साझाकरण, निगरानी तथा पहुँच में आसानी को बढ़ावा देने के लिये, अनुदानित (granting) एजेंसियाँ भविष्य में ऐसे उपकरणों को सूचीबद्ध कर सकती हैं और इंटरनेट पर 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाले तथा शोधकर्त्ताओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी उपकरणों को वित्तपोषित कर सकती हैं।
- वैज्ञानिक अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन तथा नेटवर्क (SRIMAN) नामक नीति, "वर्तमान के लिये" रणनीतिक क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। नीति एक महीने के लिये सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु खुली है।
- नीति के औचित्य को समझाते हुए सरकार ने बताया है कि भारतीय प्रयोगशालाओं में ऐसे उपकरण सामान्य रूप से पाए जाते हैं जो महँगे होते हुए भी निरर्थक हैं।

नोट :

- ऐसे असंख्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनके रख-रखाव और स्पेयर की उपलब्धता जैसी समस्याएँ अधिक हैं। ये अनुसंधान के लिये बुनियादी ढाँचा लागत के बोझ को बढाते हैं।
- नीति के मुताबिक, नई प्रणाली वेबसाइट पर घोषित संस्थानों पर विचार करती है, साथ ही इस बात पर भी विचार करती है कि विभाग या विश्वविद्यालय के बाहर के लोगों द्वारा उपयोग के लिये कितनी बार ये उपकरण उपलब्ध होंगे।
- जो लोग इन उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें शुल्क का भुगतान करना होगा, उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति डीएनए-अनुक्रमण मशीन का उपयोग करना चाहता है तो उसे शुल्क का भुगतान करना होगा और उस उद्देश्य तथा समय को निर्दिष्ट करना होगा जिसके लिये वह उक्त उपकरण को लेना चाहता है।
- वर्तमान में प्रयोगशाला उपकरणों का उपयोग करने के लिये बोली लगाने वाले शोधकर्त्ताओं को बहुत ही महँगे उपकरण, जैसे- रेडियो टेलीस्कोप और कण-त्वरक (particle-accelerators) के लिये अधिक बोली लगाते हुए देखा जा सकता है, जिनकी लागत करोड़ों रुपए होती है।
- 5-10 लाख रुपए अनुसंधान और अपेक्षित परिणामों के लिये एक निषिद्ध कीमत नहीं है, यह वहनीय है इसलिये एक शोधकर्त्ता द्वारा इन उपकरणों को किराए पर लेने के लिये कहा जा सकता है।
- ऐसे कई विश्वविद्यालय या संस्थान हैं जो महँगे उपकरणों को लेने में समर्थ नहीं हैं। इस संबंध में सरकार की योजना उपकरण सुविधाओं का "क्लस्टर" विकसित करना है।

कोयला ब्लॉकों का मूल्य निर्धारण करने के लिये सूचकांक

संदर्भ

वर्ष 2017 में सरकार ने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया की जाँच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। हाल ही में इस समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं जिसमें कोयला ब्लॉकों की वर्तमान नीलामी प्रक्रिया में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है।

चार सिद्धांतों पर आधारित हैं सिफारिशें

समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशें चार सिद्धांतों पर निर्भर हैं –

- पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना (ensuring transparency and fairness)
- समान शेयर (equity)
- कोयला ब्लॉक का शीघ्र विकास (early development of coal blocks)
- सिफारिशों के कार्यान्वयन में सहजता (simplicity of implementation of the recommendations)

प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य

- बोलीदाताओं की संख्या में लोच (flexibility) लाना,
- कार्ययोजना को पूरा करने में चूक होने पर जुर्माना (और बैंक गारंटी की निरस्तता),
- परियोजना निष्पादन (project execution)
- बाज़ार में कोयले को बेचने के लिये सीमित संख्या में खनिकों को छूट देना।

समिति की सिफारिशें

- पैनल ने ब्लॉक के मूल्य और राज्यों के साथ राजस्व-साझा मॉडल का निर्धारण करने के लिये कोयला इंडेक्स विकसित करने की सिफारिश की है। वर्तमान में मूल्यांकन कोल इंडिया लिमिटेड की अधिसूचित कीमत के आधार पर किया जाता है।
- यदि बोलीदाताओं की संख्या तीन से कम हो तो ऐसी स्थिति में समिति ने नीलामी रद्द करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि बोली लगाने योग्य पात्र बोलीदाताओं को खोजने में असफल होने पर एकल बोली स्वीकार की जानी चाहिये, बशर्ते प्रस्तावित मूल्य आरक्षित मूल्य के मानदंडों के अनुसार हो।
- उल्लेखनीय है कि पिछली नीलामी में अधिकांश ब्लॉकों को आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि पात्र बोलीदाताओं की संख्या तीन से कम थी।

नोट :

वर्तमान प्रणाली को समाप्त करना क्यों आवश्यक है ?

- यदि प्रस्तावित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह मौजूदा प्रणाली में एक व्यापक बदलाव को प्रदर्शित करेगा। उल्लेखनीय हैं कि मौजूदा प्रणाली की शुरुआत 204 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द होने के बाद की गई थी।
- वर्तमान प्रक्रिया लागू होने के बाद बोलीदाताओं ने कोयला ब्लॉकों की को खरीदने में कोई रूचि नहीं दिखाई।
- यहाँ तक कि जिन कंपनियों ने ब्लॉक ख़रीदे भी उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खानों का विकास करने की बजाय कोयले के आयात को अधिक महत्त्व दिया क्योंकि यह कोयला ब्लॉको का विकास करने की तुलना में अधिक सस्ता था।
- इसके बाद इन ब्लॉकों को खरीदने वाला कोई नहीं था जिसके चलते सरकार को इस पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

समिति का गठन

- विशेषज्ञों की समिति जिसका गठन "वर्तमान नीलामी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों की सिफारिश' पर रिपोर्ट देने के लिये किया गया था, की अध्यक्षता प्रत्यूष सिन्हा ने की तथा इसमें नौकरशाहों, पूर्व नौकरशाहों और एसबीआई तथा यूनियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष को शामिल किया गया था।

कोयला ब्लॉकों के विस्तार की गति धीमी होने के कारण

- नीलामी के दौरान कुछ बोलीदाताओं द्वारा लगाई गईं आक्रामक बोलियाँ (Aggressive Bids),
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और साथ ही ई-नीलामी में कोयले की कीमतों में गिरावट,
- कोयला-ब्लॉक हासिल करने वाली कुछ कंपनियों की कमज़ोर वित्तीय स्थिति।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिये बैंक हुए सहमत

चर्चा में क्यों ?

देश के अग्रणी बैंकों ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान से संबंधित योजना तैयार करने हेतु संघ के मुख्य ऋणदाता बैंक को शक्ति प्रदान करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, दिवालियापन कार्यवाही शुरू होने से पहले योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। NPA की समस्या को हल करने के लिये यह एक बड़ा कदम है।

प्रमुख बिंदु

- बैंकों ने यह कदम बैंकिंग नियामक द्वारा जारी किये गए परिपत्र का अनुसरण करते हुए उठाया है जिसमें सभी मौजूदा समाधान प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया था। इस परिपत्र में यह भी अनिवार्य किया गया था कि यदि समाधान योजना को 180 दिनों के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया गया तो खाते को दिवालियापन कार्यवाही के लिये संदर्भित किया जाएगा।
- इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (ICA) के नाम से जाना जाने वाला यह समझौता भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा किया गया था और यह तनावग्रस्त संपत्ति के समाधान पर सुनील मेहता समिति की सिफारिशों का पालन करता है।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक ने पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये थे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है।
- 24 सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान निकालने के लिये प्रोजेक्ट 'सशक्त' के तहत इंटर क्रेडिटर समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- विघटन के दृष्टिकोण पर आधारित यह संकल्प बैंकों और व्यवसायों को मज़बूती प्रदान करेगा, नौकरियों को सुरक्षित करेगा और अर्थव्यवस्था को भी तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
- भारतीय बैंक संघ (IBA) ने एक बयान में कहा कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट उन सभी कॉर्पोरेट ऋणदाताओं पर लागू होता है जिन्होंने संघीय ऋण/एकाधिक बैंकिंग व्यवस्था के तहत 50 करोड़ या उससे अधिक की राशि का ऋण लिया है।
- उच्चतम निवेश वाले ऋणदाता को संकल्प योजना तैयार करने के लिये अधिकृत किया जाएगा तथा तैयार योजना को बैंकों की मंज़ूरी के लिये प्रस्तुत किया जाएगा।

नोट :

- यदि 66 प्रतिशत ऋणदाता तनावग्रस्त संपत्ति के संबंध में किसी भी विशेष निर्णय से सहमत हैं तो यह निर्णय अन्य बैंकों पर भी लागू होगा।
- उधार देने वाले ऋणदाता 15% छूट पर किसी अन्य ऋणदाता को अपना निवेश बेच सकते हैं या इसमें शामिल सभी बैंकों के निवेश को 25% प्रीमियम पर खरीद सकते हैं।

बैंकों के पुनर्जीवन में सहायता

- पहचान किये गए प्रमुख मुद्दों में प्रमुख ऋणदाता बैंकों के बीच सर्वसम्मति की कमी भी शामिल थी जो एक सामान्य समाधान योजना (जो बैंकों को लाभान्वित करेगी तथा परिसंपत्ति की पुन: प्राप्ति की जा सके) के लिये आवश्यक है।
- यह मुख्य रूप से 50 करोड़ से 500 करोड़ और 500 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों वाली श्रेणियों पर केंद्रित है।
- यदि 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की कोई विशिष्ट संपत्ति है तो उसके समाधान के लिये अलग से व्यवस्था की जाएगी।

तनावग्रस्त संपत्तियों पर मेहता समिति का अनुमान

- मेहता समिति ने 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए वर्ग में 2.1 लाख करोड़ तनावग्रस्त संपत्तियाँ होने का अनुमान लगाया था।
- 31 मार्च, 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 10.6 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त संपत्तियाँ होने का अनुमान है।

नासा का सोलर प्रोब

चर्चा में क्यों ?

नासा ने सूर्य की सतह के अध्ययन के लिये कार के आकार का एक क्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है। यह क्राफ्ट सूर्य की सतह पर चार मिलियन मील की दूरी का भ्रमण करेगा। यह सूर्य की ऊष्मा और विकिरण का सामना करने वाला अपनी तरह का पहला क्राफ्ट होगा।

प्रमुख बिंदु:

- पार्कर सोलर प्रोब अब तक मानव द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु की अपेक्षा अधिक करीब से सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा।
- आँखों को सरल दिखाई देने वाली सूर्य की संरचना काफी जटिल है। स्थिर और अपरिवर्तनीय डिस्क के समान प्रतीत होने वाला सूर्य एक गतिशील और चुम्बकीय रूप से सक्रिय तारा है।
- सूर्य का वातावरण नियमित रूप से चुंबकीय पदार्थों को बाहर निकालता है, प्लूटो की कक्षा से दूर यह सौमंडल को घेरे रहता है।
- चुंबकीय ऊर्जा की कुंडली जो प्रकाश और विकिरण कणों के साथ बाहर निकल सकती है, अंतरिक्ष में गमन कर हमारे वातावरण में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न करती है और कभी-कभी पृथ्वी के नजदीक रेडियों और संचार के सिग्नल को भी विकृत कर देती है।

अंतरिक्ष मौसम:

- पृथ्वी और अन्य दुनिया पर सौर गतिविधि का प्रभाव सामूहिक रूप से अंतरिक्ष मौसम के रूप में जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति को समझने की कुंजी सूर्य में निहित है।
- पार्कर सोलर प्रोब में सूर्य के दूरस्थ और प्रत्यक्ष दोनों रूप से अध्ययन करने के लिये उपकरणों का एक लाइनअप होता है।
- इन उकरणों से प्राप्त डेटा तारे के बारे में एक साथ तीन आधारभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे।
- पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की कोरोना का अन्वेषण करेगा। यह सूर्य का ऐसा क्षेत्र है जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा द्वारा सूर्य के प्रकाशमान हिस्से को ढक दिया जाता है।

हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों को मुफ्त एंटीवायरल देगी सरकार

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा इस सप्ताह के अंत में वायरल हेपेटाइटिस को नियंत्रित करने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हेपेटाइटिस-सी के संक्रमण को रोकने के लिये एक महँगी एंटीवायरल सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 28 जुलाई को विज्ञान भवन में लॉन्च किया जाएगा। इस दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
- कार्यक्रम का लक्ष्य हेपेटाइटिस की रोकथाम और उपचार प्रदान करना है जो यकृत कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है जिसमें लीवर सिरोसिस और एक्यूट लीवर फेलियर प्रमुख हैं।
- जर्नल ऑफ़ क्लिनिकल एंड प्रायोगिक हेपेटोलॉजी में प्रकाशित 2014 के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में पुरुषों में लीवर कैंसर की दर 0.7 से 7.5 तक है तथा महिलाओं में यह दर 0.2 से 2.2 (प्रति वर्षप्रति 100,000 आबादी पर) है।
- भारत में लीवर कैंसर का पुरुष महिला अनुपात 4:1 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के निदान तथा उपचार के लिये सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन करेगा।
- नामित उपचार केंद्र हेपेटाइटिस-सी के रोगियों को एंटी-वायरल प्रदान करेंगे। वे 24 घंटे के भीतर वायरस से संक्रमित माताओं से पैदा होने वाले बच्चों को हेपेटाइटिस-बी टीका भी लगाएंगे।
- सोफोसबुवीर (sofosbuvir), हेपेटाइटिस-सी के लिये एंटी-वायरल के पूर्ण कोर्स के लिये यूएस और यूरोप में क्रमश: 63,000 से 94,000 डॉलर खर्च किया जाता है।
- सामान्य जनसंख्या में एंटी-हेपेटाइटिस सी-वायरस (HCV) एंटीबॉडी का प्रसार 0.09 से 15 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रीय स्तर पर किये गए अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत में हेपेटाइटिस-सी से 6-12 मिलियन लोग पीड़ित हैं।
- क्रोनिक एचसीवी संक्रमण हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा (HCC) के 12 से 32 प्रतिशत तथा सिरोसिस मामलों में 12-20 प्रतिशत होता है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य तीन साल की अवधि में कम-से-कम 3 लाख हेपेटाइटिस सी के मामलों का इलाज करना है। हेपेटाइटिस-ए और ई वायरस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस और एक्यूट लीवर फेलियर (ALF) के प्रमुख कारक हैं।
- भारत में हेपेटाइटिस-ए वायरस एक्यूट हेपेटाइटिस के 10-30 प्रतिशत और एक्यूट लीवर फेलियर मामलों के 5-15 प्रतिशत के लिये ज़िम्मेदार है।
- हेपेटाइटिस-ई वायरस को एक्यूट हेपेटाइटिस के 10-40 प्रतिशत और एक्यूट लीवर फेलियर मामलों के 15-45 प्रतिशत के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है।
- हेपेटाइटिस-ए और ई क्रोनिक नहीं हैं इसलिये कार्यक्रम का ध्यान हेपेटाइटिस-बी और सी पर होगा।

खगोलविदों ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को स्वीकारा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खगोलविदों के एक संघ ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की भविष्यवाणी की पुष्टि तेज़ी से गुज़रते हुए तारों पर विशालकाय ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव अवलोकन के उपरांत की थी।

प्रमुख बिंदु:

- जर्मनी में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ने व्यक्त किया था कि ध्वनि तरंगों के खिंचाव और संपीड़न की तरह ही बड़े गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रकाश फैल सकता है। इसे हम गुज़रते हुए ट्रेन की आवाज़ में परिवर्तन के माध्यम से समझ सकते हैं।
- मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राटेस्ट्रेशियल फिजिक्स के नेतृत्व में ग्रैविटी कंसोर्टियम के शोधकर्त्ताओं ने महसूस किया कि उनके पास हमारी आकशगंगा 'मिल्की वे' के केंद्र में ब्लैक होल और सैगिटेरियस A स्टार (Sagittarius A*) के परीक्षण के लिये एक उचित प्रयोगशाला है।
- ब्लैक होल इतने घने होते हैं कि वे अपने गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव से प्रकाश को भी आच्छादित सकते है। जबकि विशालकाय सैगिटेरियस A स्टार का द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में चार मिलियन है जो इसे आकाशगंगा में सबसे बनाता बड़ा है।
- खगोलविदों ने एस-2 स्टार का अनुपालन किया है जो 19 मई को 25 मिलियन किमी प्रति घंटा से अधिक की गति से ब्लैक होल के करीब से गुज़रा था। फिर उन्होंने कई उपकरणों के उपयोग से इसके वेग और स्थिति की गणना की और आइंस्टीन द्वारा की गई भविष्यवाणियों के साथ तुलना कर बताया कि प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण द्वारा फैलाया जा सकेगा। एक प्रभाव के रूप में इसे गुरुत्वाकर्षणीय रेडशिफ्ट कहा गया। न्यूटनियन भौतिकी रेडशिफ्ट के लिये अनुमति नहीं देती है।

नोट :

पहला अवलोकन:

- परिणाम सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के पूरी तरह अनुरूप हैं और इसे तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि पर्यवेक्षक इस तरह के प्रभाव को मापने में सक्षम हैं।
- अवलोकन के लिये चिली में स्थित यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। इसके द्वारा वर्ष 2016 में देखा गया था कि एस-2 स्टार सैगिटेरियस A स्टार के काफी नज़दीक से गुज़रा, लेकिन प्रयुक्त उपकरण गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट का पता लगाने के लिये पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं थे।

व्यावहारिक उपयोगिता:

- खगोलविद आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणी कि एक ब्लैक होल से होकर गुज़रने वाले प्रकाश को मोड़ा जा सकता है, पहले से ही उपयोग करते आ रहे हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है जिसका प्रयोग शोधकर्त्ताओं द्वारा ब्लैक होल के नजदीक के क्षेत्र को सावधानी से देखने के लिये किया जाता है।
- खगोलविदों का मानना है कि वे आइंस्टीन के सिद्धांत की नवीनतम पुष्टि का व्यावहारिक उपयोग गुरुत्वाकर्षण के कारण एस-2 के प्रक्षेपण में बदलावों को पता करने के लिये कर सकते हैं, जो ब्लैक होल के आसपास बड़े पैमाने पर वितरण की जानकारी प्रदान कर सकता है।

हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिये नया मॉडल

संदर्भ

भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार के रूप में उभरा है। देश में प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या 2007 के 12 से बढ़कर 2017 में 27 हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (Airport Economic Regulatory Authority of India Act, 2008-AERA) को हवाई अड्डों, एयरलाइंस और यात्रियों के हितों की रक्षा और मुख्य रूप से हवाई अड्डों पर प्रदान की गई वैमानिकी सेवाओं के टैरिफ को नियंत्रित करने के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था।
- एयरोनॉटिकल सेवाओं में वायु यातायात प्रबंधन के लिये नौपरिवहन, निगरानी और सहायक संचार, लैंडिंग संबंधी सेवाएँ, एक विमान के हाउसिंग या पार्किंग के लिये सेवाएँ, ज़मीन पर सुरक्षा, ईंधन और हैंडलिंग सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में घातांकीय (exponential) रूप से वृद्धि ने सरकार को 2018 में संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लाने के लिये प्रेरित किया है।
- एयरलाइन/एयरपोर्ट क्षेत्र में प्रवेश करने वाले निजी ऑपरेटरों की संख्या में वृद्धि के कारण हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण पर भारी दबाव रहा है।
- कुछ प्रमुख हवाई अड्डे अब सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत काम कर रहे हैं। यह महसूस किया गया था कि अगर बहुत से हवाई अड्डे प्राधिकरण के दायरे में आते हैं तो टैरिफ को प्रभावी ढंग से निर्धारित करना और प्रमुख हवाई अड्डों के सेवा मानकों की निगरानी करना मुश्किल होगा।
- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिये पूर्व निर्धारित टैरिफ या टैरिफ-आधारित बोली-प्रक्रिया जैसे कई व्यावसायिक मॉडल सामने आए हैं। हवाई अड्डा परियोजना उस रियायतकर्त्ता को दी जाती है जो सबसे कम टैरिफ प्रदान करता है।
- इस मॉडल में सरकार ने पाया है कि बाज़ार स्वयं ही प्रभार निर्धारित करता है। परियोजना पर फैसला किये जाने के बाद नियामक को शुल्क तय करने की आवश्यकता नहीं है। 2008 के अधिनियम में ऐसी जटिलताओं को शामिल नहीं किया गया है।
- इस प्रकार, भारत के हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018 में एक बार संशोधन प्रभावी हो जाने के बाद सालाना 3.5 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले एयरोड्रोम को प्रमुख हवाई अड्डों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

नोट :

- AERA विधेयक महत्त्वपूर्ण रूप से मौजूदा व्यापार मॉडल और टैरिफ सिस्टम के साथ 2008 के अधिनियम की धारा 13 को अपडेट करना चाहता है। इसका मतलब है प्रमुख हवाई अड्डों पर एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिये टैरिफ में परिवर्तन होगा।
- अधिनियम की धारा 13 में विस्तृत प्रावधान हैं जो हवाई अड्डों से संबंधित सुविधाओं के विकास में पूंजी व्यय और समय पर निवेश को आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिये प्रदान की गई सेवा, इसकी गुणवत्ता और अन्य प्रासंगिक कारक, दक्षता में सुधार के लिये लागत तथा प्रमुख हवाई अड्डों का आर्थिक और व्यावहारिक संचालन।

भारत बना फ्लैश फ्लड के पूर्वानुमान हेतु नोडल केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) ने भारत को फ्लैश फ्लड के पूर्वानुमान तैयार करने के लिये नोडल केंद्र के रूप में नामित किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका अर्थ है कि भारत को एक अनुकूलित मॉडल विकसित करना होगा जो वियतनाम, श्रीलंका, म्याँमार और थाईलैंड में बाढ़ की अग्रिम चेतावनी जारी कर सके।
- आईएमडी कम-से-कम छह घंटे पहले फ्लैश फ्लड की चेतावनी ज़ारी करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित और डब्लूएमओ को प्रदत्त एक अनुकूलित मौसम मॉडल पर काम करेगा।
- भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, इसका परीक्षण संस्करण एक घंटा पूर्व बाढ़ की चेतावनी देने में सक्षम था।
- सैटेलाइट मैपिंग और ग्राउंड-आधारित अवलोकन के संयोजन के उपयोग की इस प्रणाली को फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम कहा जाता है। जिसका लक्ष्य छह घंटे पहले पूर्वानुमान प्रदान करना है।
- भारत की तरह ही कई दक्षि-पूर्व एशियाई देश मानसून पर निर्भर हैं और इसकी अनियमितताओं से ग्रस्त हैं। प्रस्तावित मॉडल संभावित बाढ़ की चेतावनी के लिये बारिश की संभावना और मिट्टी की नमी के स्तर की गणना के माध्यम से पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा।
- इस योजना से लाभान्वित होने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान भी शामिल था, किंतु उसने इस योजना में भागीदारी से इनकार कर दिया।
- जबकि विज्ञान के माध्यम से बाढ़ की चेतावनी प्रक्रिया को विकसित किया जा सकता है, फिर भी भारत द्वारा इस क्षेत्र में यह कार्य किया जाना शेष है कि किस प्रकार सटीकता से अन्य देशों को संभावित जलप्लावन की चेतावनी दी जाए।
- वर्तमान में भारत के पास सुनामी के लिये एक चेतावनी प्रणाली है जो कई एशियाई देशों के लिये चेतावनी प्रणाली की क्षमता को दोगुना करता है।
- केंद्रीय जल आयोग जो भारत के बांधों पर नज़र रखता है, के द्वारा जलाशयों में बढ़ते पानी के स्तर की चेतावनी दी गई है जो आमतौर पर आसन्न बाढ़ के लक्षण के रूप में माना जाता है।
- उल्लेखनीय है कि संगठन ने हाल ही में भारी बारिश के दौरान बढ़ते पानी के स्तर को देखने हेतु सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिये गूगल के साथ करार किया है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, फ्लैश फ्लड दुनिया भर में 85% बाढ़ कीघटनाओं के लिये ज़िम्मेदार है, जिससे प्रत्येक वर्ष 5,000 लोगों की मौत होती है।

बदहाल थर्मल पावर परियोजनाओं के मुद्दों के समाधान के लिये उच्च स्तरीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

बदहाल थर्मल परिसंपत्तियाँ देश के लिये हमेशा से चिंता का विषय रही हैं। सरकार ने इन पावर परियोजनाओं की स्थिति को सुधारने तथा ऐसी परिसंपत्तियों के समाधान के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे तथा यह समिति अधिकार संपन्न होगी।
- इस समिति में रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा ऐसे ऋणदाताओं के प्रतिनिधि शामिल हैं जिन्होंने बिजली क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश किया है या इस क्षेत्र का अनुभव रहा है।
- यह समिति थर्मल पावर सेक्टर में व्याप्त विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और उन मुद्दों का हल ढूंढने के साथ ही निवेश को अधिकतम करने के लिये कदम उठाएगी।
- समिति द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं : ईंधन आवंटन नीति में बदलाव, नियामकीय संरचना, बिजली की बिक्री सुविधा के लिये तंत्र, भुगतान सुरक्षा तंत्र, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (ARC) नियम और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिये प्रस्तावित अन्य उपाय, ताकि इन निवेशों को NPA बनने से रोका जा सके।

सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन की योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 'डीप ओशन मिशन' (DOM) की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

प्रमुख बिंदु

- उपग्रहों का डिज़ाइन तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सफल कार्यों का अनुकरण करते हुए, सरकार ने महासागर के गहरे कोनों का पता लगाने के लिये ₹ 8,000 करोड़ की लागत से पाँच वर्षों के लिये यह योजना तैयार की है।
- इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रमुख परिदेयों में से एक अपतटीय विलवणीकरण संयंत्र है जो ज्वारीय ऊर्जा के साथ काम करेगा और एक पनडुब्बी वाहन विकसित करना है जो बोर्ड पर तीन लोगों के साथ कम-से-कम 6,000 मीटर की गहराई तक जा सकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, यह मिशन 35 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किये गए अंतरिक्ष अन्वेषण के समान गहरे महासागर का पता लगाने का प्रस्ताव करता है।

भारत का हिस्सा

- संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा पॉलिमेटेलिक नोड्यूल (PMN) के दोहन के लिये भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर की साइट आवंटित की गई है। ये पीएमएन लोहे, मैंगनीज़, निकल और कोबाल्ट से युक्त समुद्र तल पर बिखरी हुई चट्टानें हैं।
- यह अनुमान लगाया गया है कि मध्य हिंद महासागर में समुद्र के तल पर 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमेटेलिक नोड्यूल उपलब्ध हैं।
- यह पारिकल्पना की गई है कि उस बड़े रिज़र्व की 10% प्राप्ति से अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
- भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और यह गहरे समुद्र में "अज्ञात और अप्रयुक्त" है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना के अनुसार, अन्य पहलुओं के साथ ही गहरे समुद्री खनन, पानी के नीचे के वाहनों, पानी के नीचे रोबोटिक्स और महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं के लिये प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

रिकवरी कार्यक्रम' में शामिल चार नई प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ(एनबीडब्ल्यूएल)की स्थायी समिति ने चार प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय(Critically Endangered) प्रजातियों के रूप में केंद्र के 'रिकवरी कार्यक्रम'(Recovery Programme)में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- ये चार प्रजातियाँ- नॉर्दन रिवर टेरापिन(Northern River Terrapin), क्लाउड तेंदुए (Clouded Leopard), अरब सागर हंपबैक व्हेल (Arabian Sea Humpback Whale) और रेड पांडा (Red Panda) हैं।
- ध्यातव्य है कि इन प्रजातियों को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग की सिफारिश के आधार पर इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है।

'रिकवरी कार्यक्रम' में शामिल 17 प्रजातियाँ

हिम तेंदुए, बस्टर्ड(फ्लोरिकांस समेत, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि ताहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट(Edible Nest Swiftlet), एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो-एंटीलेड हिरण, गिद्ध, मालाबार सिवेट, इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक शेर, स्वैप हिरण और जेरडन के कूरसर (Jerdon's Courser)।

संबंधित तथ्य

नॉर्दन रिवर टेरापिन:

- यह पूर्वी भारत में बहने वाली नदियों में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है।
- यह बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया की एक स्थानिक प्रजाति है तथा माँस और कवच के लिये इसका शिकार किया जाता है।

क्लाउड तेंदुए:

- यह हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यह प्रजाति अपने आवासीय विनाश तथा चमड़े के लिये शिकार किये जाने के कारण संकट की स्थिति में है।
- आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में इस प्रजाति को 'सुभेद्य'(Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- वर्ष 2016 की रेड डाटा सूची के मूल्यांकन के अनुसार इसकी आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

अरब सागर हंपबैक व्हेल:

- यह व्हेल की एक प्रमुख प्रजाति है जो सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती है।
- यह प्रजाति भारतीय तटों के साथ श्रीलंकाई तट तक, अरब सागर से होकर ओमान तट की ओर प्रवास करती है।
- नावों के अत्यधिक आवागमन तथा शिकार किये जाने के कारण इस प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है।

लाल पांडा:

- यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय जंगलों के घने बाँस-झुंडों में पाए जाते हैं।
- माँस और दवाइयों के लिये इनका शिकार किया जाता है ।
- आईयूसीएन ने रेड डाटा सूची में इसे 'लुप्तप्राय' ('Endangered') के रूप में वर्गीकृत किया है।
- वर्ष 2015 की रेड डाटा सूची के मूल्यांकन के अनुसार इस प्रजाति की आबादी में गिरावट की प्रवृति दर्ज की गई है।

नोट :

पश्चिमी घाट एशिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक स्थल : लोनली प्लैनेट

चर्चा में क्यों ?

हिमालय से भी पुराने तथा अपने समृद्ध और अद्वितीय वनस्पतियों एवं जीवों के लिये प्रसिद्द पश्चिमी घाट ने लोनली प्लैनेट द्वारा ज़ारी की गई सूची "2018 बेस्ट इन एशिया" (जो पूरे वर्ष के दौरान महाद्वीप में पर्यटन के लिये 10 सर्वश्रेष्ठ स्थलों का संग्रह है) के शीर्ष पाँच में जगह बनाई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पश्चिमी घाट ने इस सूची में चौथा स्थान हासिल किया है।
- विशेषज्ञों के पैनल ने बुसान, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान और हो ची मिन्ह सिटी (Ho Chi Minh City), वियतनाम को पहले तीन स्थानों पर रखा है।
- नागासाकी, जापान, चियांग माई, थाईलैंड, लुंबिनी, नेपाल, अरुगम बे (Arugam Bay), श्रीलंका, सिचुआन प्रांत (Sichuan Province), चीन और कोमोडो नेशनल पार्क (Komodo National Park), इंडोनेशिया पश्चिमी घाटों के बाद सूचीबद्ध पर्यटन स्थल हैं।
- इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नीलकुरिंजी फूल (Strobilanthes kunthiana) जो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद खिलता है वह भी मुन्नार हिल स्टेशन में इस बार खिलने लगा है।

पश्चिमी घाट के बारे में

- पश्चिमी घाट सर्वोत्तम जैव विविधता के लिये जाना जाता है तथा यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहरों में से एक है।
- पश्चिमी घाट फूलदार पौधों की 7,402 प्रजातियों, गैर-फूलदार पौधों की 1,814 प्रजातियों, स्तनपायी जीवों की 139 प्रजातियों, 508 पक्षी प्रजातियों, 179 उभयचर प्रजातियों, 6000 कीट प्रजातियों और 290 ताज़े पानी की मछली की प्रजातियों के जीवन को संरक्षण प्रदान करता है।
- इस स्थल की उच्च पर्वतीय वन पारिस्थितिकी प्रणालियां भारतीय वर्षाकालिक मौसम पैटर्न पर प्रभाव डालती हैं।
- यहाँ उच्च स्तर की असाधारण जैविक विविधता और स्थानिकता भी है तथा इसे विश्व की जैविक विविधता के आठ "आकर्षण केंद्रों" में से एक के रूप में जाना जाता है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिये नीति आयोग की 15 - सूत्रीय कार्य-योजना

चर्चा में क्यों ?

भारत के बड़े शहरों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनज़र नीति आयोग ने दिल्ली, वाराणसी, कानपुर सहित दस सबसे अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों के लिये एक 15- सूत्रीय कार्य-योजना प्रस्तावित की है।

प्रमुख बिंदु:

- तैयार मसौदे को ब्रीद इंडिया (Breathe india) शीर्षक दिया गया है, जिसमें बिजली चालित वाहनों को प्रोत्साहित करना, चरणबद्ध रूप से निजी डीज़ल वाहनों का निष्कासन और फसल अवशेष उपयोग नीति का विकास शामिल है।
- WHO के हाल के डेटाबेस (2018) के मुताबिक, कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, आगरा, गुडगाँव, मुज़फ्फरपुर, लखनऊ और पटना भारत के शीर्ष दस सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आँकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने पश्चिमी भारत में ज़मीनी स्तर के धूल तूफान (dust storm) की वज़ह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर स्तर से भी खराब हो गई थी।
- प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है।
- कार्य-योजना में पुराने और अक्षम बिजली संयंत्रों के सामरिक विघटन को तेज़ करना और 2020 से बड़े पैमाने पर वाहनों पर शुल्क आरोपित करने का कार्यक्रम भी कार्यान्वयन शामिल है।

नोट :

- बिजली और हाइब्रिड वाहनों के वितरण को बढ़ावा देना: इसे आवश्यक वित्तीय उपायों और आधारभूत सहायता के माध्यम से किया जाना चाहिये। केंद्र सरकार के उपयोग और कुछ अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिये विद्युत वाहनों की खरीद को अनिवार्य अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को अगले 3 वर्षों में यानी अप्रैल, 2021 तक मौजूदा 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को बिजली चालित वाहनों से प्रतिस्थापित कर देना चाहिये।
- इसमें बिजली चालित दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों को प्रोत्साहन देना भी शामिल है। इसमें मौजूदा आंतरिक दहन इंजन को विद्युत वाहन में बदलने के लिये एक योजना के बारे में बात की गई है।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिये मुफ्त पंजीकरण और परमिट प्राप्त करने में आसानी जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहन को तुरंत अधिसूचित किया जाना चाहिये।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वाहन उत्सर्जन को रोकने के लिये मज़बूत उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।
- आयोग द्वारा इन शहरों में 2022 तक यातायात संक्रमण को रोकने और चरणबद्ध रूप से निजी डीज़ल वाहनों के निष्कासन का सुझाव दिया गया है।
- अक्षम या अधिक प्रदूषणकारी वाहनों पर 2020 से अधिभार लगाने की नीति का समर्थन किया गया है। विश्व के कई देशों जैसे- सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, कनाडा, नीदरलैंड और नार्वे आदि में वाहनों पर कई तरह के अधिभार आरोपित किये जाते हैं।
- प्रपत्र में बिजली संयंत्रों को उच्च श्रेणी के कम प्रदूषण वाले कोयले के उपयोग को सुनिश्चित करने, एक राष्ट्रीय उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करने, स्वच्छ निर्माण को अपनाने तथा फसल अवशेष और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन नीति का उपयोग करने के लिये एक व्यापार मॉडल को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया गया है।
- इसने प्रशासन के सभी स्तरों पर जैसे- मंत्रालयों और विभागों से कटौती करने के लिये समेकित कार्रवाई की भी मांग की है।

तापमान में वृद्धि होने से दक्षिण एशिया के लोगों पर अधिक खतरा

संदर्भ

हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले छह दशकों में औसत तापमान बढ़ गया है और दक्षिण एशिया में यह प्रवृत्ति लगातार जारी है। इसका प्रभाव विशेष रूप से भारत पर अधिक पड़ने की संभावना है, जहाँ 75% आबादी कृषि पर निर्भर है और जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिये सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट के मुताबिक 800 मिलियन से अधिक लोग यानी दक्षिण एशिया की आधी से अधिक जनसंख्या, वर्तमान में उन क्षेत्रों में रहती है जिनका 2050 तक कार्बन-सघन परिदृश्य के अंतर्गत मध्यम हॉट स्पॉट के रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है।
- समुद्री जल स्तर के बढ़ने और उष्णकटिबंधीय तूफानों में बदलाव के चलते निम्न तटीय इलाकों के लिये अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति होगी, जबकि बर्फ के पिघलने, हिमनद और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्वतीय क्षेत्रों को भी अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत का औसत वार्षिक तापमान वर्ष 2050 तक 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है, भले ही वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की सिफारिश के अनुसार निवारक उपाय किये जाएँ।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कोई उपाय नहीं किये जाते हैं तो औसत तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।
- वैज्ञानिकों के हाल ही के शोध के मुताबिक, औसत तापमान में वृद्धि और मौसमी वर्षा पैटर्न में परिवर्तन पहले से ही संपूर्ण भारत की कृषि पर असर डाल रहा है।
- तापमान और वर्षा में बदलाव की वजह से चावल और गेहूँ जैसी प्रमुख फसलों की उपज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नोट :

- नए अध्ययनों के मुताबिक, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव संभावित रूप से सब्जियों और फलियों के उत्पादन में पर भी पड़ रहा है।
- सिंचाई पानी की खपत का एक प्रमुख कारक बनती है, जिससे पानी तक पहुँच अन्य उपयोगों के लिये सीमित हो जाती है।
- इसीलिये कृषि पर नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपायों में से एक जल की कमी की समस्या को कम करना होगा।
- वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से मौसम में चरम परिवर्तन हो सकते हैं और जो खाद्य सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि करेगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत को वर्ष 2050 तक लगभग 394 मिलियन लोगों के भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपों में मगरमच्छों के बढ़ते हमले

चर्चा में क्यों ?

अंडमान और निकोबार द्वीपों में मगरमच्छों के हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीएमओ को 'खारे पानी के मगरमच्छ' '(Salties') को अस्थायी रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से बाहर करने की याचिका दायर की है।

प्रमुख बिंदु

- स्थानीय लोगों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर अंडमान और निकोबार प्रशासन से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 से खारे पानी के मगरमच्छों को अस्थायी रूप से हटाने की मांग की है।
- इस प्रकार की मांग संभावित रूप से खारे पानी के वयस्क मगरमच्छों को कम करने का कारण बन सकता है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में खारे पानी के मगरमच्छों की कुल संख्या अनुमानत: 1,700 है।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की अनुसूची-1 के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है तथा साथ ही इसमें शिकारियों के लिये उच्चतम दंड का प्रावधान है।
- हालाँकि, चुनिंदा रूप से इनकी आबादी को कम करने की अनुमति भी दी जा सकती है और यह तभी संभव है जब किसी भी प्रजाति को स्थानीय अधिकारियों द्वारा मानव जीवन के लिये गंभीर खतरे के रूप में माना जाता है।

खारे पानी का मगरमच्छ

- सभी जीवित सरीसृपों में से यह सबसे बड़ा है जो लगभग 7 मीटर तक लंबा हो सकता है।
- यह अंडमान और निकोबार के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा सुंदरबन में भी पाया जाता है।
- ये लंबी दूरी तक तैरने के लिये जाने जाते हैं, जो अक्सर इनके स्थानांतरण को मुश्किल बनाता है।
- वर्ष 2005 से अंडमान और निकोबार द्वीपों में मगरमच्छ के हमलों के 23 मामले सामने आए हैं, जिनमें हर साल औसतन दो मौतें होती हैं।
- बढ़ते हमलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने द्वीपों के कई लोकप्रिय समुद्र तटों तक लोगों की पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है और आगंतुकों के लिये समुद्र में प्रवेश न करने संबंधी चेतावनी भी जारी की गई है।

प्रभाव

- इस भय ने पर्यटन और मत्स्यपालन दोनों उद्योगों को प्रभावित किया है, जो कि द्वीपवासियों के लिये राजस्व के मुख्य स्रोत हैं।
- हालाँकि, स्थानीय संरक्षणवादियों का तर्क है कि इन वयस्क मगरमच्छों के हमले का हल निकालने निर्णय करना आसान नहीं होगा।
- इसके लिये जानवरों की जियोटैगिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो इनकी गतिविधियों की बेहतर निगरानी की अनुमति देगा और पर्याप्त चेतावनी भी प्रदान करेगा।
- अंडमान और निकोबार द्वीपों में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या 60 के दशक के दो अंकों से बढ़कर 1,700 हो गई है।
- 'प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल' को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 1975 में लॉन्च किया था।
- इस परियोजना के तहत एक गहन कैप्टिव पालन और प्रजनन कार्यक्रम भी शामिल था जिसका उद्देश्य घोषित घड़ियाल आवासों को पुनर्स्थापित करना था।

नोट :

ग्लोबल वार्मिंग के कारण 30 फीट तक बढ़ सकता है समुद्र का औसत स्तर

चर्चा में क्यों ?

नए शोध के मुताबिक यदि मानव द्वारा लगातार जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है तो यह पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान का कारण बनेगा जो अगले हज़ार वर्षों में समुद्र के औसत जल स्तर को 30 फीट तक बढ़ा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- पेरिस समझौते के तहत देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिये पृथ्वी के समग्र तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की आवश्यकता है।
- दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या एक अरब से अधिक है, ऐसे में समुद्र के स्तर में वृद्धि तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिये अपेक्षा से भी अधिक भयावह हो सकती है। खासकर उन गरीब और विकासशील देशों में, जहाँ लाखों लोग अपरोक्ष या परोक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिये महासागरों पर निर्भर हैं।
- अध्ययन के अनुसार, समुद्र स्तर में हुई अब तक की वृद्धि बहुत बड़े हिमशैल की केवल नोक के बराबर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम प्रणाली को स्थिर कर सकते हैं और ऊर्जा के नए विकल्पों को ढूंढ सकते है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि हम निश्चित ही आपदा की राह पर अग्रसर हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने इस बात को उजागर किया है कि वर्तमान में दुनिया भर में 10 अरब टन कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि अगले 60 वर्षों में यह 2 डिग्री की सीमा पहुँच जाएगा।
- समुद्र वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-एशियाई देशों मे बांग्लादेश सबसे सुभेद्य है लेकिन पूर्व उअर पश्चिम में 7516 किलोमीटर की विशाल तटीय सीमा होने के कारण भारत को भी सतर्क रहने की अवश्यकता है, क्योंकि यह न केवल निचले स्तर पर है बल्कि यहाँ भूमि भी डूब रही हैं।
- वैज्ञानिकों और शोधकर्त्ताओं ने भारत के पूरे तट का भेद्यता सूचकांक तैयार किया है जो न केवल समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण खतरे को कवर करता है बल्कि सुनामी को भी कवर करता है।
- समुद्र के बढ़ते स्तर ने अभी तक लोगों को वास्तव में चिंतित नहीं किया है क्योंकि उन प्रतिक्रिया अवधि तापमान से काफी अधिक है। रिपोर्ट में भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने और समुद्र स्तर के बढ़ते कारक को नीति निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान देने पर ज़ोर दिया गया है।
- वर्तमान समुद्र स्तर अब तक का सबसे ज़्यादा है और इस शताब्दी के अंत तक इसमें एक मीटर से भी कम की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो भारत के मुंबई जैसे स्थान के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उसे 2005 की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल समुद्र के स्तर में वृद्धि का कारक ही नहीं है अपितु बढ़ता ज्वार तूफान के साथ मिलकर निम्न क्षेत्रों को आप्लावित कर सकता है। ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तल से बहुत अधिक ऊँचाई पर नहीं हैं, अधिकतम जोखिम वाले हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने उभरते खतरे से निपटने के लिये तटीय शहरों को तैयार रहने की तत्काल आवश्यकता की ओर इंगित किया है। विशेषकर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार के मामले में।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, 2005 में दुनिया के बड़े तटीय शहरों में बाढ़ से वैश्विक आर्थिक नुकसान 6 अरब डॉलर तक पहुँच गया था, जो 2050 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- वैज्ञानिक इस तथ्य के बारे में भी चिंतित हैं कि हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है। बढ़ी हुई गर्मी की मात्रा तटीय क्षेत्रों में मज़बूत तूफान को बढ़ावा दे सकती है, जो भयावह हो सकती है और व्यापक क्षेत्रों में अनावश्यक खतरे का कारण बन सकती है। साथ ही ऊँची लहरों की आवृत्ति में भी वृद्धि हो सकती है।
- कई हज़ार वर्षों में समुद्री जल स्तर की वृद्धि 3-9 मीटर या लगभग 10 से 30 फीट तक बनाए रखने की संभावना बहुत आशावादी है जब तक कि समाज शून्य उत्सर्जन और वातावरण में न्यून कार्बन डाइऑक्साइड के तरीकों को नहीं अपना लेता है।
- इस तरह हम यह जानते हैं कि वातावरण को एक निश्चित तापमान से नीचे रखने के लिये हम कितना कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं। इस संदर्भ में नीतिगत दृष्टिकोण से यह सवाल पूछना कि- हम समुद्र स्तर में कितनी वृद्धि सहन कर सकते हैं?- भी एक तरीका हो सकता है।

नोट :

जलवायु परिवर्तन से अरब सागर क्षेत्र में 'मृत क्षेत्र' के विस्तार का भय

संदर्भ

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर के जल में स्कॉटलैंड के आकार का एक विशाल 'मृत क्षेत्र' का विस्तार हो रहा है।

मृत क्षेत्र ('dead zone') क्या है?

- ये समुद्र में स्थित ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों के जीवित रहने की संभावना मुश्किल हो जाती है और इनमें से एक ऐसा ही क्षेत्र अरब सागर में स्थित है जो दुनिया का सबसे गहन क्षेत्र है।
- मृत क्षेत्र के निर्माण का कारण दुनिया भर में स्वाभाविक रूप से होने वाली घटनाएँ हैं, लेकिन 1990 के दशक में आखिरी बार सर्वेक्षण किये जाने के बाद से इन घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है ।
- यह क्षेत्र लगभग 100 मीटर से शुरू होकर 1,500 मीटर तक विस्तृत है, इसलिये लगभग पूरे जल क्षेत्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का विस्तार हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और मछली पकड़ने तथा पर्यटन उद्योग की चिंता को भी बढ़ा रहा है।
- वर्ष 2015-2016 के मध्य किये गए अध्ययन के निष्कर्ष अप्रैल में ज़ारी किये गए थे जिनमें यह दिखाया गया था कि अरब सागर में मृत क्षेत्र के आकार में वृद्धि हो रही है और अब यह यमन तथा भारत के बीच मृत क्षेत्र के रूप में समुद्र में फैला हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा वर्ष 2015 में वैश्विक एजेंडे के शीर्ष पर था, जब कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिये दुनिया ने पेरिस सम्मलेन में एक समझौता किया था।

गंगा वृक्षारोपण योजना

चर्चा में क्यों?

9 से 15 जुलाई, 2018 तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से गंगा घाटी वाले पाँच प्रमुख राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 'गंगा वृक्षारोपण अभियान' का आयोजन किया गया।

वृक्षारोपण योजना के लिये नोडल एजेंसी

- इस अभियान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये संबंधित राज्यों के वन विभागों को नोडल एजेंसी बनाया गया था। अभियान के संचालन के लिये ज़िला स्तर पर मंडलीय वन अधिकारियों को तथा राज्य स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों को नोडल अधिकारी बनाया गया था।

अभियान में शामिल अन्य संस्थान

- अभियान में नेहरू युवा केंद्र संगठन, गंगा विचार मंच, कई गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों ने इस अभियान में भाग लिया। ज़िला गंगा समितियों ने भी अभियान को सफल बनाने के लिये सहयोग किया।

वृक्षारोपण अभियान के बारे में महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वृक्षारोपण अभियान 'नमामि गंगे' कार्यक्रम का मुख्य घटक है।
- यह गंगा के संरक्षण में वन विभाग की ओर से सहयोग की पहल है।
- इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण के प्रयासों में वनों के महत्त्व के प्रति आम जनता तथा सभी हितधारकों को जागरूक बनाना है।
- अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिये स्कूलों, कॉलेजों और विभागों से 'एक पौधे को गोद लें' का अनुरोध किया गया।
- स्थानीय लोगों की भागीदारी से गंगा नदी के किनारे बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया।

नोट :

- अभियान के उपलक्ष्य में 100 से ज़्यादा स्थानों पर औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किये गए। उत्तर प्रदेश में इसे 'गंगा हरीतिमा अभियान' के साथ जोड़ा गया।

गंगा हरीतिमा अभियान

- 7 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तरीय गंगा हरीतिमा अभियान-2018 का शुभारंभ किया।
- इस अभियान के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा तट पर स्थित 27 जनपदों (बिजनौर से बलिया तक) में गंगा किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा।
- गंगा हरीतिमा योजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों पर उत्तर प्रदेश वन विभाग और मनरेगा की मदद से वृक्षारोपण किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि अभियान वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

अभियान में वन अनुसंधान संस्थान का सहयोग

- अभियान के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से लागू करने के लिये देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य के वन विभागों ने पौधरोपण गतिविधियाँ चलाईं।
- वन अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट में पौधा रोपण करते समय स्थानीय जलवायु, पारिस्थितिकी, वहाँ की मिट्टी की स्थिति तथा वनस्पतियों को ध्यान में रखने के लिये कहा गया था।

गंगा घाटी क्षेत्र में वृक्षारोपण का महत्त्व

- जहाँ वन होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता है।
- बड़ी मात्रा में पेड़ों से गिरने वाली पत्तियाँ और छालें वर्षा जल को तेज़ी से बहने नहीं देती और वह धीरे-धीरे ज़मीन के अंदर रिसता जाता है, जिससे जल चक्र की प्रक्रिया आसानी से चलती रहती है।
- इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे स्थित घने वन, नदियों को स्वत: साफ होने की क्षमता प्रदान करते हैं।
- ऐसे में गंगा के किनारे वन लगाए जाने से गंगा संरक्षण के कार्यक्रम को बल मिल रहा है।

हरिद्वार और उन्नाव के बीच गंगा का जल पीने व स्नान योग्य नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में उन्नाव के बीच गंगा में प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त की और कहा कि गंगा का जल पीने व स्नान करने के योग्य नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक खंडपीठ ने स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) को 100 किलोमीटर के अंतराल पर डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, जो कि भक्तों को प्रदूषण स्तर के बारे में जागरूक करने के लिये यह दर्शाता है कि पानी पीने और स्नान करने के लिये उपयुक्त है या नहीं।
- खंडपीठ ने कहा कि भोले-भाले लोग श्रद्धा और सम्मान के कारण गंगा का जल पी रहे हैं और इसमें स्नान कर रहे हैं। वे नहीं जानते हैं कि यह जल उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। यदि सिगरेट के पैकेट पर यह चेतावनी दी जा सकती है कि "यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" तो नदी जल के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया जाना चाहिये?

जीवन का अधिकार

- गंगा के जल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के जीवन के अधिकार के अनुपालन हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें पानी की गुणवत्ता के बारे में सूचित कराया जाए।
- इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनएमसीजी को उनकी वेबसाइटों पर उन क्षेत्रों को इंगित करने के लिये कहा गया है जहाँ पानी स्नान और पीने के लिये उपयुक्त है।

नोट :

स्वच्छ गंगा के लिये राष्ट्रीय मिशन (National Mission for Clean Ganga)

- यह एक स्वायत्त निकाय है जो केंद्र में वित्तीय योजना, निगरानी और समन्वय संबंधी कार्य करता है।
- इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दो उद्देश्यों - प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के संरक्षण के लिये उपयुक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा मदद दी जा रही है।
- एनएमसीजी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक या आकस्मिक प्रकार की सभी कार्रवाइयाँ करने का अधिकार है।

बंगाल में धान के खेतों में बढ़ रहा है आर्सेनिक संदूषण का स्तर

चर्चा में क्यों ?

हाल के अध्ययनों में पाया गया है कि पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल के कारण न केवल धान के खेतों में आर्सेनिक संदूषण का स्तर बढ़ा है बल्कि यह भी देखा गया है कि 'आर्सेनिक संचयन' की सांद्रता धान की विविधता और फसल चक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है।

प्रमुख बिंदु:

- अध्ययन में पाया गया है कि धान के खेतों में आर्सेनिक संदूषण का यह स्तर पहले के अध्ययनों की तुलना में अधिक है।
- धान के पौधे में आर्सेनिक का उद्ग्रहण जड़ से धान कि बाली की ओर कम होता जाता है और इसका सांद्रण विविध प्रकार की धान की खेती पर निर्भर करता है।
- यह अध्ययन सामान्य रूप में उपभोग में लाई जाने वाली दो किस्में- मिनिकित और जया पर किया गया था और बाद में इसे अधिक आर्सेनिक प्रतिरोधी पाया गया।
- प्रारंभिक या वृद्धिमान अवस्था के पहले 28 दिनों में उच्च सांद्रता देखी गई, जबकि प्रजनन काल (29 से 56 दिन) के दौरान सांद्रण में कमी देखी गई और पुन: परिपक्वता की अवस्था में सांद्रण में वृद्धि देखी गई।
- उल्लेखनीय है कि वृद्धिमान काल की तरुण जड़ में प्रजनन अवस्था में लौह की उच्च सांद्रता वाले जड़युक्त मृदा के पुराने ऊतक की तुलना में अधिक प्रजनन उद्ग्रहण होता है।
- इस अध्ययन में संदूषित धान के पुआल के निपटारे को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है, जिसे खाद के रूप में खेत में ही छोड़ दिया जाता है या फिर पशुओं के चारे के रूप प्रयुक्त होता है।

हवाई यात्रियों के लिये डिजीयात्रा की शुरुआत जल्द ही

चर्चा में क्यों ?

डिजीयात्रा परियोजना पर एक वर्ष से अधिक काम करने के बाद शीघ्र ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर इस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का मूल उद्देश्य हवाई अड्डे पर कतारों को कम करना और बोर्डिंग प्रक्रिया में दक्षता लाना है। चूँकि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 20% की वृद्धि हुई है, अत: हवाई अड्डों के बुनियादी ढाँचे को विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- डिजीयात्रा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समन्वित एक उद्योग की अगुवाई वाली पहल है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर उड़ान अनुभव प्रदान करना और भारतीय विमानन को दुनिया के सबसे नवीन विमानन नेटवर्कों में शामिल करना है।
- यह सुविधा टिकट बुकिंग से लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश के दौरान जाँच, सुरक्षा जाँच और विमान बोर्डिंग तक हवाई यात्रियों के सभी प्रकार के अनुभव को बढ़ाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।

नोट :

- इसके लिये प्रत्येक यात्री को एयरसेवा एप के माध्यम से डिजीयात्रा कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता होगी और एक डिजीयात्रा सत्यापित यात्री को ई-गेट्स के माध्यम से हवाई अड्डे पर बाधामुक्त प्रवेश मिलेगा।
- आईडी का सत्यापन बीसीएएस द्वारा अनुमोदित सरकारी आईडी द्वारा किया जाएगा और हवाई अड्डे में प्रवेश हेतु प्रवेशद्वार पर यात्री को एक टोकन प्रदान किया जाएगा।
- डिजीयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत बंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, वाराणसी और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों से किये जाने की उम्मीद है।
- टिकट बुकिंग के समय मूल्य प्रवृत्तियों की पहचान करने और भविष्य के हवाई किराये का अनुमान लगाने, यथाशीघ्र हवाई अड्डे में प्रवेश एवं किसी पेपर-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्वचालित चेक-इन के लिये वैकल्पिक रूप से हवाई अड्डे और अन्य पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिभागियों से आधार को लिंक करने आदि के द्वारा यह सुविधा यात्रियों को कुशलतापूर्वक अपनी यात्राओं की योजना बनाने में सक्षम बनाएगी।
- यह उन्नत बॉयोमीट्रिक सुरक्षा समाधानों के चलते तेज़ी से चलने वाले सुरक्षा स्कैनर को भी सुविधाजनक बनाएगा।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक मुद्दे

मिजोरम में ब्रू समुदाय को मतदान का अधिकार मिलेगा

चर्चा में क्यों ?

गृह मंत्रालय के अनुसार, ब्रू समुदाय से संबंधित 30,000 से अधिक लोग, जो अंतर-समुदाय हिंसा (Inter-community Violence) के चलते 1997 में मिज़ोरम से त्रिपुरा चले गए थे, उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा साथ ही उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 5,407 परिवारों के विस्थापित लोगों को इस साल 30 सितंबर से पहले मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मिज़ोरम में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने राज्य से मतदाता-सूची को संशोधित करने और उसमें विस्थापित समुदाय के सदस्यों को शामिल करने के लिये कहा है।
- रींग (reang) जनजाति (मिज़ोरम में ब्रू के रूप में जानी जाती है), के 32,876 लोगों को केंद्र, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।
- 2014 में मिज़ोरम सरकार द्वारा मतदाता सूची के आधार पर इन प्रवासियों की पहचान की गई थी। इससे पहले, छह प्रत्यावर्तन (repatriation) योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था और 8,573 लोगों को मिज़ोरम वापस भेजा गया था।
- ब्रू की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए वर्तमान योजना पर काफी काम किया गया है। परिवारों को विभाजित होने से बचाने तथा उस स्थान पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं जहाँ से उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था।
- इस पूरी प्रक्रिया पर दो साल की अवधि में केंद्र सरकार के 435 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- त्रिपुरा सरकार के एक बयान के मुताबिक, प्रत्येक विस्थापित परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- ब्रू समुदाय, जो मिज़ोरम के ममित और कोलासिब ज़िलों में फैला हुआ था, को जनजातियों और मिज़ो के बीच शत्रुता के कारण 1997 में अपने मूल स्थान से भागने के लिये मज़बूर होना पड़ा।
- इन समुदायों के बीच संघर्ष 1995 में तब शुरू हुआ जब राज्य में मिज़ो बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मांग की कि ब्रू समुदाय को उनके मतदान अधिकारों से वंचित कर दिया जाए क्योंकि वे मिज़ोरम के लिये स्वदेशी नहीं थे।
- इससे ब्रू समुदाय के बीच आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसने 1997 में एक मिज़ो वन गार्ड को गोली मार दी।
- मिज़ो की ओर से हुई इस घटना की हिंसक प्रतिक्रिया ने ब्रू को त्रिपुरा भागने के लिये मजबूर कर दिया जहाँ वे दो दशकों से दयनीय स्थिति में शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।

परिवार की देखभाल के लिये बुज़ुर्गों को करना पड़ता है समझौता : अध्ययन

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र के ऐजवेल रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर (Agewell Research and Advocacy Centre for the United Nations) द्वारा किये गए हालिया अध्ययन में पाया गया है कि अधिकांश बुज़ुर्गों को परिवार के सदस्यों द्वारा देखभाल और सहायता किये जाने के संबंध में अपने जीवन की परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है और उनमें से 50% से अधिक बुज़ुर्गों को उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह सर्वेक्षण भारत के 20 राज्यों में मई-जून 2018 में किया गया था।

नोट :

अध्ययन के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 10,000 वरिष्ठ नागरिकों पर किये गए सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि बुज़ुर्गों में से 66.5% परिवार के युवा सदस्यों की तेज़ी से विकसित जीवन-शैली को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि बुढ़ापे में उनकी खराब वित्तीय स्थिति एक बड़ी रुकावट साबित हुई है, तो उनमें से 60% ने इस बात को सही माना।
- अध्ययन में यह भी पता चला है कि 52.4% उत्तरदाताओं (बुज़ुर्गों) ने उपेक्षा, दुर्व्यवहार या उत्पीड़न का सामना किया था।
- इनमें 60-70 आयु वर्ग के 56.2%, 71-80 आयु वर्ग के 30.2% और शेष 81 से अधिक आयु वर्ग के 13.7% बुज़ुर्ग शामिल थे।

स्वतंत्र रूप से जीवन यापन

- अध्ययन से पता चला है कि चार वरिष्ठ नागरिकों में से एक यानी 23.44% अकेले रह रहे थे, जबकि दो में से एक यानी 48.88% अपने पति / पत्नी के साथ रह रहे थे।
- केवल 26.5% बुज़ुर्ग अपने बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रह रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों के 21.8% की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अकेले रहने वाले बुज़ुर्गों का प्रतिशत 25.3% था।
- सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि बड़ी संख्या में बुज़ुर्गों को अकेले रहना या केवल पति / पत्नी के साथ रहना पसंद है।
- एक ही घर में अपने बच्चों के परिवार के साथ रहते हुए भी कई वरिष्ठ नागरिकों के रहने का स्थान / कमरा / मंजिल और रसोईघर आदि अलग थे। वे शायद ही कभी अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों से बातचीत कर पाते थे और इसलिये वे अकेले रहने की बात स्वीकार करते हैं।
- सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि अधिकांश बुज़ुर्गों ने अपनी आज़ादी का आनंद लिया, लेकिन उनमें से अनेक बुढ़ापे में आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर थे। केवल 36.81% ने बताया कि वे अपने जीवन के अंतिम समय में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं।
- सर्वेक्षण में पता चला कि लगभग 68.24% बुज़ुर्गों ने वैचारिक स्वतंत्रता, 60.54% ने मनोवैज्ञानिक आज़ादी, 69.45% ने सामाजिक आज़ादी और 61.81% ने शारीरिक आज़ादी का आनंद लिया।
- लगभग 88.5% बुज़ुर्गों ने कहा कि वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिये उन्हें स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है। इसी तरह, लगभग 74.1% ने सोशल सपोर्ट सिस्टम और मनोरंजक सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे और अधिक सुखद जीवन जी सकें।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये चुनौतियाँ अक्सर भेदभाव बढाने में कैसे योगदान देती हैं। लगभग 54% बुज़ुर्गों ने कहा कि उन्हें उम्र के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- 52.4% ने कहा कि उन्हें पारंपरिक पारिवारिक समर्थन की आवश्यकता है, जबकि 29% ने अपने बुढ़ापे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भरण-पोषण की मांग की और 13.9% ने बुढ़ापे में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने वाली सेवाओं की मांग की।
- लगभग 4.4% बुज़ुर्गों ने आवास और परामर्श जैसी सबसे महत्त्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता पर भी बात की।

योजनाओं से अनजान

- अध्ययन के दौरान बुज़ुर्गों में से कई को नीतिगत ढाँचे और उनके लिये उपलब्ध सहायता और सेवाओं की स्थिति के बारे में अनजान पाया गया। केवल 28.6% ही उनके भरण-पोषण से संबंधित कानूनों और योजनाओं से अवगत थे, जबकि बाकी को उनके लिये आवश्यक प्रावधानों या योजनाओं के बारे में बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं था।
- यह देखते हुए कि हर बुज़ुर्ग का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक है, अध्ययन में सिफारिश की गई है कि "वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक देखभाल की व्यवस्था पारिवारिक, सामुदायिक और सरकारी सभी स्तरों पर की जानी चहिये।
- अध्ययन में कहा गया है कि बुज़ुर्गों को दीर्घकालिक देखभाल सुविधा प्रदान करना भारत में पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के तहत आता है। यह देखा गया है कि वे वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं और जिनके पास संपत्ति या संपत्ति का अधिकार है, उनके परिवार द्वारा तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यवहार किया जाता है।

नोट :

धर्म के नाम पर मादा जननांग विघटन अभ्यास एक अपराध: सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित मादा जननांग विघटन(Genital Mutilation)के अभ्यास पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह अभ्यास एक लड़की की शारीरिक "अखंडता"("Integrity")का उल्लंघन करता है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ (जस्टिस ए.एम.खानविलकर और डी.वाई.चंद्रचूड सहित), ने इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
- पीठ ने कहा है कि धर्म के नाम पर कोई भी समुदाय किसी महिला की संपूर्णता और शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन नहीं कर सकता है।
- उल्लेखनीय है कि अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष इस अभ्यास के खिलाफ निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।
- उन्होंने पीठ को यह बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और लगभग 27 अफ्रीकी देशों ने भी इस प्रकार के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसके साथ ही उन्होंने पीठ से इस तरह के किसी भी अभ्यास के लिये सात साल का कारावास अथवा कठोर दंड की सिफारिश भी की थी।
- इसके बाद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने बच्चों पर किये गए इस तरह के किसी भी अभ्यास को यौन अपराध अधिनियम के तहत एक अपराध की संज्ञा दी।

बोहरा समुदाय की याचिका

- हालाँकि,अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में दायर दाऊदी बोहरा महिला संघ के एक याचिका को सुनने के बाद ही यह टिप्पणी की है।
- अदालत के समक्ष इस संघ का पक्ष वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने रखा और कहा कि, "दाऊदी बोहरा समुदाय में प्रचलित खफज़/मादा खतना, मादा जननांग का विघटन नहीं है।"
- यह उनके धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है और संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के तहत इसे संरक्षण भी प्राप्त है।

धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संवैधानिक अधिकार

- अनुच्छेद 25(अंत:करण और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता)
- अनुच्छेद 26(धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)
- अनुच्छेद 27(किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता)
- अनुच्छेद 28(कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता)

उत्तर भारत में लड़के की चाह के जुनून में कोई बदलाव नहीं

संदर्भ

नए सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के बावजूद भारतीयों में लड़कों के चाह की प्रवल इच्छा देखी गई है। इस मामले में हरियाणा की स्थिति सबसे बदतर है जो मादा भ्रूण हत्या के लिये कुख्यात है। इसके बाद राजस्थान और पंजाब का स्थान है जो गैर-कानूनी रूप से बच्चे के लिंग की जाँच कराने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक, 2017-18 में लिंग की अवैध रूप से जाँच कराने के मामले हरियाणा में 158, राजस्थान में 112 और पंजाब में 44 शिकायतें मिली थीं।
- ये राज्य प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (PC एंड PNDT) (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन) एक्ट, 1994 के तहत पंजीकृत हैं। इस कानून का उल्लंघन इन राज्यों में तेज़ी से बढ़ रहा है।

नोट :

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब अखिल भारतीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर ध्यान दे रहा है। पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का कार्यान्वयन इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
- सरकार की कड़ी कार्रवाई और इस मुद्दे के प्रति शून्य सहनशीलता के कारण ऐसे मामलों की प्राथमिकी में तेज़ी आई है और दोषियों को सज़ा भी दी जा रही है।
- मार्च 2017 तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) के अनुसार, अधिकारियों ने आपराधिक न्यायालयों के समक्ष इस अधिनियम से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के लिये 2,371 शिकायतें दर्ज कीं, जबकि 2017-18 में शिकायतों की संख्या 2,735 थी।
- निश्चित रूप से हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में पीसी-पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लिंग निर्धारण (Sex Determination) के मामलों में उछाल आया है। अधिनियम के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरकार ने राजस्थान में 149, महाराष्ट्र में 96 और हरियाणा में 78 लोगों को दोषी करार दिया है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों से बाल लिंग अनुपात में कमी साफ दिखाई देती है।
- वर्तमान में भारत में बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) प्रति 1000 बालकों पर 919 बालिकाएँ हैं।

IPC की धारा 377 की संवैधानिकता पर केंद्र सरकार ने फैसला सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ा

चर्चा में क्यों ?

समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है तो सरकार हलफनामा देगी।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पाँच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।
- बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनते हैं तो इसे अपराध करार नहीं दिया जा सकता।

केंद्र का विरोध

- तुषार मेहता ने कहा कि हादिया मामले में कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सभी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। मेहता ने कहा कि इसका दायरा सपिंड और सगे-संबंधियों से यौन संबंध (incest) तक नहीं पहुँचना चाहिये। तुषार मेहता ने कहा, 'मेरी पार्टनर मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत यह प्रतिबंधित है।'
- एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि बेंच यहाँ यौन अभिविन्यास के किसी भी "अजीब विचारों" पर निर्णय लेने के लिये नहीं है।
- इसपर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा इस सुनवाई का विशेषाधिकार एक रिश्ते की प्रकृति को समझना और संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के मौलिक अधिकार) की सुरक्षा के तहत लाने के लिये है।
- रोहिंटन नरीमन यह जानने के लिये हस्तक्षेप किया कि बेंच मौलिक अधिकार की 'विषय-वस्तु' से बाहर तो नहीं जा रहा है।
- मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि अदालत "रिश्ते की रक्षा" के मुद्दे पर विचार कर रही है।

नोट :

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) का मुद्दा

- सरकार ने संविधान पीठ से समलैंगिकों के बीच विवाह, गोद लेने और एलजीबीटी समुदाय के अन्य नागरिक अधिकारों पर गौर न करने का आग्रह किया है।
- हालाँकि पीठ ने कहा कि अगर वह समलैंगिक वयस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध को संवैधानिक करार देती है तो एलजीबीटी समुदाय में शादी, रोजगार और चुनाव लड़ने आदि से संबंधित अयोग्यता का मामला उठेगा।
- पीठ ने कहा कि धारा-377 को असंवैधानिक करार देने के बाद एलजीबीटी समुदाय में शादी आदि सामाजिक दृष्टि से अमान्य नहीं रह जाएगी।
- पीठ ने तुषार मेहता से कहा कि हम सिर्फ सेक्सुअल एक्ट का परीक्षण नहीं कर रहे हैं। हम यह परीक्षण भी कर रहे हैं कि दो वयस्कों के बीच संबंध संविधान के अनुच्छेद-21(जीने का अधिकार) का हिस्सा है या नहीं ?
- पीठ ने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आए जब मैरिन ड्राइव पर घूम रहे दो समलैंगिकों को पुलिस परेशान करे और उन पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे। पीठ ने कहा कि हम एलजीबीटी तक ही खुद को सीमित नहीं कर रहे।
- वास्तव में यह दो वयस्कों द्वारा सहमति से संबंध बनाने का मसला है। यह समझने की ज़रूरत है कि संविधान के तहत संबंध को संरक्षण प्राप्त है।
- याचिकाकर्त्ताओं के वकीलों का कहना था कि मूल बात एलजीबीटी समुदाय की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की है। गे समुदाय के लोगों को न सिर्फ न्याय नहीं मिल रहा है बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महज धारा-377 का मसला नहीं है बल्कि संवैधानिक मूल्यों का है।

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871)

- इस अधिनियम ने कई हाशिये वाले आबादी समूहों जैसे-ट्रांसजेंडर को "सहज रूप से आपराधी" के रूप में ब्रांडेड किया था।
- 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को रद्द कर दिया गया था लेकिन धारा 377 अभी भी जारी है।
- धारा 377 के खिलाफ लड़ाई में LGBT समुदाय के अनेक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।
- वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बहस के दौरान तर्क दिया कि "हम केवल यौन अल्पसंख्यकों के रूप में सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि इसमें सभी मनुष्यों का सम्मान अंतर्निहित है।
- वरिष्ठ वकील अरविंद डाटर ने तर्क दिया कि कामुकता, यौन स्वायत्तता और यौन साथी चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार मानव गरिमा की आधारशिला है। धारा 377 लोगों के एक वर्ग को अपराधी बनाती है। यह कहना गलत है कि यह केवल कार्य को दंडित करता है न कि लोगों को।
- मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 15 (लैंगिक भेदभाव), 14 (समानता), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन और गरिमा) का उल्लंघन करती है। सुश्री गुरुस्वामी ने इसे एक भयानक औपनिवेशिक विरासत के रूप में चित्रित किया जिसमें "चिलिंग इफ़ेक्ट" है।
- धारा 377 के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए वरिष्ठ वकील श्याम दिवान ने अदालत से आग्रह किया कि वह 'अंतरंगता का अधिकार' घोषित करे। उन्होंने कहा कि एलजीबीटी के लोगों को उस स्थिति में मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वे किसी प्रियजन को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाते हैं या बैंक खाता खोलने हेतु जाते हैं।

अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का चयन करने के लिये सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) चैलेंज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय सहयोग और विदेशी तकनीकी सहायता हेतु अभिनव स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के चयन के लिये 'सिटिज़ चैलेंज' की घोषणा की है।

नोट :

सिटिज़ इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (Cities Investment To Innovate, Integrate and Sustain-CITIIS) चैलेंज

- स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत (25 जून, 2015) के समय 100 स्मार्ट सिटी के चयन के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी एवं चैलेंज प्रक्रिया का उपयोग किया गया था।
- अब चैलेंज प्रक्रिया को नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना के क्रियान्वयन के लिये अमल में लाया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम की अवधि तीन साल (वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर वित्त वर्ष 2020-21 तक) होगी।
- इन दिशा-निर्देशों में भारत-फ्राँस साझेदारी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय चैलेंज के ज़रिये कम-से-कम 15 परियोजनाओं का चयन किया जाएगा, जो इन चार क्षेत्रों से जुड़ी होंगी –
  1. टिकाऊ गतिशीलता,
  2. सार्वजनिक खुला स्थान,
  3. शहरी गवर्नेंस एवं आईसीटी और
  4. कम आय वाली बस्तियों में सामाजिक एवं संगठनात्मक नवाचार।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के सोशल मीडिया हब को सर्विलांस स्टेट जैसा बताया

चर्चा में क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी कोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजिटल संवाद पर नज़र रखने की परियोजना को निगरानी राज्य (surveillance state) बताते हुए कड़ी टिप्पणी की गई है। न्यायालय ने इस संदर्भ में दो सप्ताह के भीतर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले संवादों पर नज़र बनाए रखने के लिये एक 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह प्रस्तावित परियोजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी करेगी और डेटा का विश्लेषण कर सरकार को अपनी प्रतिक्रिया मुहैया कराएगी।

सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के कार्य:

- यह देश भर के सभी ज़िलों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंडिंग न्यूज़ का संग्रह कर उसका विश्लेषण करेगी।
- यह परियोजना सरकार को अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगी।
- यह नीतियों को बनाने और उसे ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मददगार साबित होगी।
- परियोजना द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं का सोशल मीडिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पता लगाएगा जाएगा।
- यह परियोजना उन अफवाहों या झूठी खबरों के प्रसार को रोकने में मदद करेगी जो प्रतिकूल परिस्थितियों का कारण बन सकती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- एक सोशल मीडिया विश्लेषणात्मक उपकरण
- एक निजी डेटा सेंटर
- विश्लेषण रिपोर्ट की तैयारी
- प्री-एंड पोस्ट स्थापना समर्थन (मानव संसाधन)
- पूर्वानुमानित विश्लेषण
- एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली

नोट :

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने हाल ही में राजधानी दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (SSG 2018)' का शुभारंभ किया। इसके तहत सभी ज़िलों में 1 से 31 अगस्त, 2018 तक एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके नतीजों की घोषणा मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता के पैमाने के आधार पर सभी ज़िलों और राज्यों की रैंकिंग के रूप में की जाएगी।

एसएसजी 2018 का उद्देश्य

- 'एसएसजी 2018' का उद्देश्य 'एसबीएम-जी' (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) से जुड़े महत्त्वपूर्ण मात्रात्मक एवं गुणात्मक पैमाने के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और ज़िलों की रैंकिंग करना है।
- इस प्रक्रिया के तहत देशव्यापी संचार अभियान के ज़रिये ग्रामीण समुदायों को अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई में बेहतरी लाने के कार्य से जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 ज़िलों के 6980 गाँवों को कवर किया जाएगा।
- सर्वेक्षण के लिये इन गाँवों के कुल 34,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे कि स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाज़ार/धार्मिक स्थानों का मुआयना किया जाएगा।
- सीधी बातचीत के साथ-साथ ऑनलाइन फीडबैक के ज़रिये स्वच्छ भारत मिशन (MBM) से जुड़े मुद्दों पर 50 लाख से भी अधिक नागरिकों के फीडबैक को इकट्ठा किया जाएगा।
- इस प्रक्रिया के तहत 65 प्रतिशत भारांक (वेटेज) इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों एवं नतीजों को दिया गया है, जबकि 35 प्रतिशत भारांक सेवा क्षेत्र से जुड़े उन पैमानों को दिया गया है, जिन्हें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आईएमआईएस से प्राप्त किया जाएगा।

विभिन्न अवयवों के भारांक

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के विभिन्न अवयवों का भारांक निम्नलिखित रूप से होगा :

1. सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष अवलोकन : 30 प्रतिशत
2. स्वच्छता के पैमानों पर नागरिकों से प्राप्त फीडबैक : 35 प्रतिशत
3. एसबीएमजी-एमआईएस के अनुसार देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार संबंधी सेवा स्तरीय प्रगति : 33 प्रतिशत

भारत में एसबीएम (जी) की दिशा में प्रगति

- जब स्वच्छ भारत मिशन को अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, तो अनुमानत: 550 मिलियन भारतीय खुले में शौच के लिये मजबूर थे जिससे देश का स्वच्छता संकेतक दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में था।
- अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण भारत में 7.7 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2017-18 में किसी अन्य पक्ष (थर्डपार्टी) द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण से इनके उपयोग का आँकड़ा 93 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
- लगभग 4 लाख गाँवों, 400 से भी अधिक ज़िलों और 19 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है।
- हालाँकि, सरकार का अपना आँकड़ा बताता है कि यह प्रगति देश भर में समान नहीं है क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में शौचालयों की पहुँच और उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख चिंता है।
- खुले में शौच से मुक्ति का अभियान एक बड़ी चुनौती है। इसका अशिक्षा और गरीबी से गहरा रिश्ता है। सार्थक शिक्षा और गरीबी दूर किये बिना स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।

नोट :

राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन, 2018

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2018 को खान मंत्रालय ने इंदौर, मध्य प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि इस सम्मेलन का पहला आयोजन वर्ष 2016 में रायपुर में, दूसरा आयोजन वर्ष 2017 में नई दिल्ली में तथा तीसरा सम्मलेन मार्च 2018 में आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में पहली बार प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें उन खनिज ब्लाकों को प्रदर्शित किया गया जिनकी नीलामी राज्यों द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान की जानी है।
- अपनी तरह का यह प्रथम सम्मेलन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तीव्र गति के विकास तथा रोज़गार सृजन के लिये खनन सेक्टर को सक्षम बनाने में मंत्रालय के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करेगा।
- यह सम्मेलन खनन क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटियों को बढ़ावा देने तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत परिवेश को और बेहतर बनाने में सहयोग देगा जिससे जीडीपी में इस क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होगी।

'एल्युमीनियम: द फ्यूचर मेटल'

- इस सम्मेलन के दौरान नाल्को के सीएमडी डॉ. तपन कुमार चंद द्वारा लिखित पुस्तक 'एल्युमीनियम: द फ्यूचर मेटल' (Aluminium –the future metal) का विमोचन किया गया।
- इस पुस्तक में एल्यूमीनियम धातु के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है तथा देश की अर्थव्यवस्था व उद्योग में इस धातु की भूमिका का वर्णन किया गया है।
- डॉ. चंद द्वारा लिखित यह दूसरी पुस्तक है। इससे पहले, उन्होंने 'एल्युमीनियम: द स्ट्रैटेजिक मेटल' (Aluminium : The Strategic Metal) नामक पुस्तक लिखी थी।

'नमस्या' (NAMASYA) ऐप

- नाल्को ने इस अवसर पर 'नमस्या' (NALCO Micro & Small enterprise Yogayog Application-NAMASYA) नामक मोबाइल एप भी लॉन्च किया।
- इस एप का विकास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया है।

नोएडा की एक फर्म ने इसरो स्पेस मिशन के लिये ताप प्रतिरोधी फिल्म विकसित की

चर्चा में क्यों ?

यूफ्लेक्स (Uflex) कंपनी ने इसरो के अंतरिक्ष यानों के उष्मीय घटकों को निष्क्रिय करने हेतु विशेष धातु की एक फिल्म विकसित की है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है।

यूफ्लेक्स क्या है ?

- यह भारत की सबसे बड़ी लचीले पैकेजिंग पदार्थों की एक कंपनी है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस, सीआईएस देशों, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों में फैले विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की सभी लचीली पैकेजिंग आवश्यकताओं के लिये एक स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करती है।
- यह मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों की पैकेजिंग आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।
- इसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नोएडा में स्थित है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छह महीने में विकसित इस फिल्म को इसरो के विनिर्देशों के आधार पर निर्मित किया गया है।
- 8 माइक्रोन की मोटाई वाले इस एल्युमिनेन्ड पॉलिएस्टर फिल्म का परीक्षण बंगलुरू में इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि एल्युमिनिन्ड पॉलिएस्टर सामग्री का उपयोग अंतरिक्ष में आयनित कणों द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान और बमबारी से अंतरिक्ष यान के घटकों की सुरक्षा के लिये किया जाता है।
- यूफ्लेक्स ने इस फिल्म का विकास कर इसरो के स्वदेशीकरण के प्रयास और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में सहयता की है।

डीएनए प्रोफाइल स्थायी रूप से नहीं रखा जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डीएनए डेटाबैंक की स्थापना करने जा रही है, जो गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान और अपराधों की जाँच में सहायक होगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, डेटा बैंक डीएनए विवरण को स्थायी रूप से नहीं रखेगा।

प्रमुख बिंदु:

- सरकार ने पीड़ितों, आरोपियों, संदिग्धों, गुमशुदा व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान के लिये राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में डीएनए डेटा बैंक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव रखा है।
- डीएनए बैंक में डीएनए विवरण को स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।
- आपराधिक मामलों के संबंध में न्यायिक आदेश के बाद डीएनए विवरण को हटा दिया जाएगा।
- डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को संसद की स्वीकृति के उपरांत यह नियम अस्तित्व में आएगा। उल्लेखनीय है कि डीएनए 'प्रोफाइलिंग' बिल का नवीनतम संस्करण 2015 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
- मसौदे का उद्देश्य गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान या अपराध स्थल से एकत्र नमूने के आधार पर व्यक्तियों की पहचान करने हेतु डीएनए प्रौद्योगिकियों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है।
- गौरतलब है कि कैबिनेट ने 3 जुलाई, 2018 को विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड और डीएनए डेटा बैंक की परिकल्पना की गई है।

डीएनए डेटा बैंक के लाभ:

- देश की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में सहायक।
- अपराध सिद्धि दर में बढ़ोतरी में होगी।
- अज्ञात शवों के परस्पर मिलान करने में आसानी होगी।
- आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेगा।

एप्पल ने लड़कियों की शिक्षा हेतु ब्राज़ील तथा भारत में मालाला फंड की गतिविधियों को बढ़ाया

संदर्भ

एप्पल ने लड़कियों के लिये शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने हेतु लैटिन अमेरिका में मलाला फंड के साथ एक नया सहयोग शुरू किया है, जिसे बाद में भारत में भी बढ़ाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील में 10 एप्पल डेवलपर अकादमियों के माध्यम से यह शुरुआत की जा चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- मलाला फंड ने लैटिन अमेरिका में अपने नए विस्तार के बाद ब्राज़ील में भी स्थानीय समर्थकों को अनुदान दिया है।
- एप्पल ने कहा कि मलाला फंड के साथ साझेदारी कंपनी के लिये एक अच्छा पल रहा है और यह कम से कम 1,00,000 लड़कियों की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

नोट :

गुलमकाई नेटवर्क (Gulmakai Network)

- मलाला ने 11 साल की उम्र में लड़कियों की शिक्षा के लिये अपनी लड़ाई शुरू की।
- इस दौरान उन्होंने 'तालिबान शासन के तहत पाकिस्तान में जीवन'विषय पर बीबीसी के लिये एक ब्लॉग लिखा था।
- इस ब्लॉग के लिये उन्होंने छद्म नाम "गुलमकाई" का इस्तेमाल किया था।
- दरअसल,गुलमकाई नेटवर्क मलाला फंड की प्रमुख पहल है जो विकासशील देशों में लड़कियों की शिक्षा के लिये चैंपियन के रूप में काम करते हैं तथा साथ ही दुनिया भर में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा की दिशा में प्रगति को गति देता है।
- गुलमकाई चैंपियन अनिवार्य रूप से स्थानीय शिक्षक और कार्यकर्ता हैं जो "अपने समुदायों की चुनौतियों को समझते हैं और नीति तथा प्रगतिशील समाधानों की पहचान कर, नवाचार और उनका पक्ष लेने में सक्षम हैं।
- हालाँकि, मलाला फाउंडेशन पहले से ही भारत में काम कर रहा है किंतु इसके द्वारा एप्पल के सहयोग को यहाँ विस्तारित करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी।
- गौरतलब है कि एप्पल भारत के मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर राज्यों में "सोलर ममाज़" ("solar mamas") के प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का समर्थन कर रहा है।
- "सोलर ममाज़" इसके अंतर्गत विकासशील देशों की महिलाओं को भारत सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इनकी ट्रेनिंग राजस्थान के अजमेर स्थित बेयरफुट कॉलेज में होती है।
- इसका उद्देश्य विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है जिससे जलवायु पर होने वाले बुरे प्रभावों को रोका जा सके।
- इसके अलावा यह मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और बंगलूरू में कम आय वाले समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये आकांक्षा फाउंडेशन (Akanksha Foundation) और टीच फॉर इंडिया(Teach For India)का भी समर्थन कर रहा है।

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करना महिलाओं का मौलिक अधिकार

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा-अर्चना करने का संवैधानिक अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि कोई कानून नहीं भी हो, तब भी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के मामले में महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जा सकता। मासिक धर्म के कारण प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने के लिये एक महिला को उसके अधिकार से वंचित करना अनुचित है।

प्रमुख बिंदु

- संविधान पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें 10-50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध के देवस्वोम बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है।
- न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की सदस्यता वाली पीठ ने कहा, "जब कोई पुरुष मंदिर में प्रवेश कर सकता है तो महिला क्यों नहीं प्रवेश कर सकती। मंदिर में पुरुषों के प्रवेश को छूट मिल सकती है तो महिलाओं पर यह नियम क्यों नहीं लागू हो सकता।"
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सबरीमाला मंदिर समेकित निधि से धन अर्जित करता है जिसमें पूजा-अर्चना के लिये दुनिया भर से आ रहे लोगों का योगदान होता है, अत: यह "पूजा का सार्वजनिक स्थल है"।
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, " पूजा के संबंध में मासिक धर्म की प्रासंगिकता क्या है, इसका पूजा से कुछ लेना-देना नहीं है और ऐसे किसी भी प्रतिबंध की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आपका संवैधानिक अधिकार राज्य (केरल) कानून के तहत अधिकार पर निर्भर नहीं है। जब आप कहते हैं कि महिलाएँ ईश्वर या प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, तो मासिक धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता।"
- न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरीमन ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अधिकार को सुसंगत बनाना होगा। इस अधिकार पर कोई अनचाहे प्रतिबंध नहीं हो सकते।"

नोट :

- सीजेआई ने कहा, "मंदिर और पूजा में प्रवेश करने के अधिकार के कई पहलू हैं। कोई कह सकता है कि एक व्यक्ति केवल एक बिंदु तक मंदिर के अंदर जा सकता है और देवता के पास नहीं जा सकता जहाँ पुजारी प्रवेश करते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है।
- याचिकाकर्त्ताओं के लिये वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि "धर्म आपके और आपके ईश्वर के बीच एक रिश्ता है।"
- पूजा करने वाली महिला के रूप में आपका अधिकार कानून पर भी निर्भर नहीं है। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। किसी मंदिर में प्रवेश करने के प्रतिरोध का अधिकार किसी को नहीं है।

पृष्ठभूमि

- सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार, 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, यहाँ 1500 साल से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके लिये कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं।
- केरल के यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2006 में पीआईएल दाखिल की थी।
- सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु अयप्पा भगवान के दर्शन के लिये जाते हैं, इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिये बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिये मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिये उस दिन यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त पहुँचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है।

विमुक्त, खानाबदोश, अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिये आयोग के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

नीति आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें विमुक्त (Denotified-DNT), अर्द्ध-खानाबदोश (Semi-nomadic-SNT) तथा खानाबदोश जनजातियों (Nomadic Tribes-NT) के लिये एक स्थायी कमीशन गठित करने की बात कही गई है। मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में नीति आयोग ने इन "सर्वाधिक वंचित" समुदायों के कई मुद्दों पर विचार के लिये एक कार्यकारी समूह गठित करने की भी पेशकश की है।

प्रमुख बिंदु

- इस साल मई में मंत्रालय ने नीति आयोग को लिखा था कि DNT, SNT और NT समुदायों को लेकर भिकु रामजी इदेट आयोग की रिपोर्ट पर अपना रुख स्पष्ट करें।
- जवाब में नीति आयोग ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये बने आयोग की तर्ज पर इन समुदायों के लिये भी स्थायी आयोग गठित करने की सिफारिश के साथ सहमति व्यक्त की है।
- जनवरी 2018 में सामाजिक न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इदेट आयोग ने कहा था कि इस तरह के स्थायी आयोग में इस समुदाय के एक प्रख्यात नेता के अलावा केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ नौकरशाह, मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री होना चाहिये।
- मंत्रालय ने नीति आयोग को यह भी लिखा था कि क्या वह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुसार इन समुदायों के विकास के लिये विज़न 2030 तैयार करने हेतु एक कार्यकारी समूह स्थापित करेगा।
- थिंक टैंक का पत्र समुदाय के सदस्यों जिसमें 90 प्रतिशत या अधिक भूमिहीन हैं, के बच्चों के शिक्षण शुल्क को कम करने और विद्यालयों में इन समुदायों के बच्चों के प्रवेश में राहत देने एवं भूमि तथा आवास का आसान आवंटन किये जाने का समर्थन करता है।
- स्वतंत्रता के बाद स्थापित कई आयोगों द्वारा DNT, NT, SNT समुदायों को सबसे ज़्यादा हाशिये पर खड़े लोगों के रूप में पहचाना गया है।
- जनगणना के आँकड़ों में इस समुदाय को लंबे समय तक शामिल नहीं किया गया है। 2008 की रेन्के आयोग की रिपोर्ट में इनकी जनसंख्या 10-12 करोड़ के बीच होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन इस आयोग की किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया।
- नीति आयोग ने DNT, SNT और NT के लिये समर्पित राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाने हेतु पैनल के सुझाव का भी समर्थन किया है।

नोट :

DNT, SNT एवं NT

- DNT वे हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून के माध्यम से अपराधियों के रूप में दर्ज किया गया था और उन्हें आज़ादी के बाद विमुक्त जनजाति (Denotified Tribes) के रूप में माना गया था।
- NT निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखती है, जबकि SNT वे लोग हैं जो गतिशील तो हैं लेकिन साल में कम-से-कम एक बार मुख्य रूप से व्यावसायिक कारणों से एक निश्चित आवास पर लौट आते हैं।
- यद्यपि मानव संसाधन विकास, वित्त, संस्कृति, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने मंत्रालयों से संबंधित सिफारिशें भेजी हैं, शेष मंत्रालयों को को अभी जवाब देना बाकी है।

पैनल की प्रमुख सिफारिशें

- पैनल की कुछ प्रमुख सिफारिशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बाद एक अलग तीसरी अनुसूची के तहत इन समुदायों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना, उन्हें आरक्षण के लिये पात्र बनाना और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत इन समुदायों के लिये भी सुरक्षात्मक कवर को विस्तारित करना शामिल है।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध पितृसत्तात्मक सोच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में एक निश्चित आयु समूह की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध इस "पितृसत्तात्मक" विश्वास पर आधारित है कि समाज में एक पुरुष की प्रमुख स्थिति उसे तपस्या करने में सक्षम बनाती है, जबकि एक महिला, जो कि केवल एक पुरुष की संपत्ति है, तीर्थयात्रा से पहले 41 दिनों की तपस्या के लिये शुद्ध रहने में असमर्थ है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने कहा कि न्यायालय पितृसत्ता और दुराग्रह में फँसे रिवाजों को स्वीकार नहीं कर सकता।
- त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड, जो 10 से 51 वर्ष आयु की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के खिलाफ है, ने जवाब दिया कि हर धर्म की अवधारणा पुरुष वर्चस्व पर आधारित है।
- त्रावणकोर देवास्वाम बोर्ड ने कहा कि धर्म के मामले में तर्क की तलाश न की जाए। इसके प्रत्युत्तर में न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने जवाब दिया कि न्यायालय अधिकारों के प्रश्न की जाँच करने के लिये आधुनिक आचारों पर निर्भर नहीं है।
- न्यायालय ने कहा कि आधुनिक विचार बदलते रहते हैं। 1950 के बाद (जिस वर्ष भारतीय संविधान अस्तित्व में आया) सबकुछ संवैधानिक सिद्धांतों, आचारों के अनुरूप होना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 2006 में एक गैर-लाभकारी संगठन 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन' द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय खंडपीठ कर रही है।
- विदित है कि मंदिर परिसर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती।

सरकारी योजनाओं में शामिल हों यौन पीड़ित बच्चे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों के लिये संचालित सरकारी योजनाओं में यौन उत्पीड़न के शिकार हुए बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की एक खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित महिला पीड़ितों/यौन उत्पीड़ितों/अन्य अपराध-2018 के लिये मुआवज़ा योजना में बाल पीड़ित शामिल हों।
- वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जिन्होंने बलात्कार पीड़ितों के लिये समान मुआवज़े के मामले में अपनी विशेष सेवाएँ प्रदान की है और निष्क्रिय निर्भया निधि के बारे में चिंता व्यक्त की, ने कहा कि यह योजना न्यायालयी कार्रवाई के दौरान यौन अपराधों और एसिड हमलों के पीड़ितों के लिये वित्तीय समाधान का स्रोत होनी चाहिये।
- सुश्री जयसिंह दो हफ्तों में इस योजना के तहत बच्चों को शामिल करने के न्यायालय के सुझाव पर एक समग्र नोट दाखिल करने पर सहमत हुईं। उन्होंने कहा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 228-A से संबंधित पहलू को भी संबोधित करेंगी, जो यौन अपराध पीड़ितों की पहचान के प्रकटीकरण से संबंधित है।
- यह योजना देश के किसी भी हिस्से में सामूहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिये 5 लाख रुपए के एक समान भुगतान से लेकर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रस्ताव करती है। इसी तरह, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन हमलों के मामले में पीड़ित को न्यूनतम 4 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए प्राप्त होंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

आईएनएस सह्याद्री पर तैनात कर्मियों द्वारा योगाभ्यास

चर्चा में क्यों ?

21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर आईएनएस सह्याद्री पर तैनात कर्मियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। ध्यातव्य है कि इस योगाभ्यास की प्रस्तुति ने इस विषय को अनिवार्य रूप से उन अभिनव तरीकों में शामिल किया है, जिनमें जहाज पर भी योग का प्रदर्शन किया जाना संभव हो पाया है।

उद्देश्य

- तैनाती के दौरान इस योगाभ्यास ने प्रौद्योगिकी युक्त हमारे दैनिक जीवन में कल्याण के उद्देश्य से योग को एकीकृत करने का विचार प्रस्तुत किया है।
- इसका योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य बोट पर तैनाती के दौरान कर्मियों के अच्छे स्वास्थ्य तथा उच्च मनोबल को सुनिश्चित करना है।
- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्य की सराहना की।

आईएनएस सह्याद्री के बारे में

- आईएनएस सह्याद्री शिवालिक-श्रेणी की उन्नत स्टील्थ माइंडेड, निर्देशित मिसाइल और फ्रिगेट युद्धपोत है।
- मुंबई स्थित मज़गाँव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस सह्याद्री (एफ-49) का वर्ष 2005 में जलावतरण किया गया था।
- वर्ष 2011-12 के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिये इसके समुद्री परीक्षण किये गये और 21 जुलाई, 2012 को भारतीय नौसेना में आईएनएस शिवालिक (एफ -47), आईएनएस और सतपुरा (एफ -48) के साथ इसे कमीशन किया गया।
- ध्यातव्य है कि हाल ही में आईएनएस सह्याद्री ने जापान और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय मालाबार युद्धभ्यासों में गुआम के तट पर भाग लिया था।
- इसके साथ ही आईएनएस सह्याद्री रिम ऑफ़ द पैसिफिक एक्सरसाइज़ (RIMPAC) में भी भाग ले रही है।

क्या है रिमपैक (RIMPAC) ?

- रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज़ विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है।
- इसका आयोजन प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर अमेरिका के हवाई क्षेत्र में किया जाता है।
- पहली बार रिमपैक का आयोजन 1971 में किया गया था।
- पहली बार RIMPAC में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम (U.K.) और संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.) के सैन्य बल शामिल हुए थे।
- यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांड (इंडोपाकॉम) द्वारा आयोजित आरआईएमपीएसी का 26वें संस्करण में, 25 देशों के 45 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों के साथ अपनी भागीदारी निभाई।

सीमावर्ती जनसंख्या एक सामरिक संपदा : गृह मंत्रालय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में एक बैठक की अध्यक्षता की और इस अवसर पर उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme-BADP) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में 17 राज्यों के 25 ज़िलों के मजिस्ट्रेटों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं की अनुपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीमा पर रह रही जनसंख्या देश की सामरिक संपदा है तथा सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटक है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के विकास के लिये सभी प्रयास किये जाएँ ताकि यह सुनिश्चित हो कि ये लोग सीमा स्थित गाँव में ही बने रहें।
- सरकार सीमा पर रह रही जनसंख्या की सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएँ, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएँ सुलभ कराने को अत्यधिक प्राथमिकता देती है ताकि इन क्षेत्रों के लोगों के में जीवन में स्थायित्व आए।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना तथा विकास गतिविधियों की अभिवृद्धि के लिये राज्यों को केंद्र की ओर से निरंतर सहायता का भी आश्वासन दिया।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर नियोजन, पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन के लिये BADP ऑनलाइन प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की गई।
- सीमावर्ती राज्य अपनी-अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें गृह मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक मोड में अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा जिससे स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और नियोजन तथा कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालने तथा सीमावर्ती जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये सरकार द्वारा किये गए उपायों का उल्लेख करने हेतु अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियाँ दीं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 1986-87 में की गई। इस कार्यक्रम के लिये अब तक कुल 13,400 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती जनसंख्या की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती ज़िले शामिल किये गए हैं।
- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय को 2015-16 के 900 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 1100 करोड़ रुपयए कर दिया गया है।
- सीमा पर स्थित गाँव के विस्तृत एवं समग्र विकास के लिये 61 आदर्श गाँव विकसित करने का विनिश्चय किया गया है जिसके लिये राज्य सरकारों को 126 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। साथ ही आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- प्रत्येक आदर्श गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केंद्र, संपर्क सुविधा, निकासी, पेयजल आदि जैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ सुलभ करवाई जाएंगी ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों मं0 जीवन में स्थायित्व आए।
- केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किमी. तक स्थित गांवों को विकसित करने और उन्हें "आत्मनिर्भर" बनाने की योजना बना रही है।

एनआईए को और अधिक शक्तियाँ दी जाएंगी : केंद्र

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) को और अधिक शक्तियाँ देने का प्रयास, जिसमें विदेशों में भारतीयों और उनकी संपत्तियों पर आतंकवादी हमलों की समानांतर जाँच शुरू करने की अनुमति देना शामिल है, संबंधी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) तथा राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 में संसद के आगामी सत्र से पहले संशोधन किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- प्रस्तावित संशोधन NIA के डायरेक्टर जनरल को "आतंकवाद का वित्तपोषण करने वाली संपत्ति को जब्त और कुर्क" करने के लिये सशक्त बनाएगा।

नोट :

- वर्तमान में एनआईए को इस तरह की जब्ती के लिये राज्य डीजीपी की मज़ूरी की ज़रूरत होती है। मानव तस्करी से संबंधित मामलों की जाँच के लिये भी एनआईए को अधिकार दिया जाएगा।
- मसौदा विधेयक पर पिछले दो सालों से चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, गृह मंत्रालय संसद के आगामी सत्र में संशोधित विधेयक पेश होने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन की योजना बना रहा है।
- इसमें एनआईए को अफगानिस्तान के जलालाबाद और मजार-ए-शरीफ में भारतीय दूतावासों पर बार-बार हमलों के बाद विदेशों में भारतीयों और उनकी संपत्तियों पर आतंकवादी हमलों की जाँच करने की अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है।
- यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका इस्तेमाल 2008 के मुंबई हमलों (जिसमें छह अमेरिकी मारे गए थे) के बाद समानांतर जाँच करने के लिये किया गया था।
- UAPA एक अन्य प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत सरकार को आतंकवादियों से संबंध रखने वाले संदेहास्पद व्यक्ति के नाम का खुलासा करने की अनुमति देगा। यह निर्णय इस्लामिक स्टेट में युवाओं के शामिल होने की सूचना के बाद लिया गया था।
- एनआईए ने आईएस के साथ कथित संबंधों के चलते पूरे भारत से 75 युवाओं को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन सभी को सीधे आतंकवादी संगठन से संबद्ध नहीं पाया गया है।
- वर्तमान में UAPA की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में 39 समूह शामिल हैं। खोरासन प्रांत में इस्लामिक स्टेट (ISKP) या आईएसआईएस विलायत खोरासन और भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (AQIS) इस समूह में जुड़े नए नाम हैं।
- मसौदा संशोधन एनआईए निरीक्षकों को UAPA के तहत अपराधों की जाँच करने की अनुमति भी देता है। वर्तमान में UAPA मामलों की जाँच का अधिकार उप पुलिस अधीक्षक रैंक या इससे ऊपर के एक अधिकारी को दिया गया है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात् गठित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात् आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई।

घरेलू तकनीकी सुरक्षा फर्मों को खरीद में प्राथमिकता

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि साइबर सुरक्षा एक सामरिक क्षेत्र है ऐसे में सभी खरीद संस्थाओं द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित साइबर सुरक्षा उत्पादों को वरीयता दी जानी चाहिये।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के साइबर सुरक्षा उत्पादों की खरीद के लिये स्थानीय कंपनी की प्राथमिकता को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह खरीद उन्हीं कंपनियों से की जाएगी जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय कंपनी या स्टार्ट-अप के स्वामित्व में हैं।
- अधिसूचना सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 पर आधारित है जिसका लक्ष्य देश में आय और रोजगार को बढ़ावा देना है।
- यह प्राथमिकता भारत में पंजीकृत और निगमित कंपनी या स्टार्ट-अप की परिभाषा के दायरे में शामिल फर्म, उत्पादों और बौद्धिक संपदा अधिकारों से भारत को अर्जित राजस्व कंपनी को प्रदान की जाएगी।
- यद्यपि देश में बौद्धिक संपदा का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐसे में किसी फर्म को जो लाभ का दावा करती है उसे बिना किसी तीसरे पक्ष की सहमति से उपयोग और वाणिज्यीकरण का अधिकार तथा इसे वितरित एवं संशोधित करने का अधिकार होना चाहिये।

नोट :

- हमारी सूचना जगत की रक्षा और एक देश की आर्थिक समृद्धि के लिये स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों का उपयोग और प्रचार करना ज़रूरी है।
- अमेरिका, चीन और रूस ने पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, भारत के लिये भी यह प्रक्रिया अपनाए जाने के अनुकूल है।

खराब मौसमी दशाओं के बीच ब्रह्मोस का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

सेना के लिये सेवा जीवन विस्तार कार्यक्रम (service life extension programme) के हिस्से के रूप में अत्यधिक खराब मौसमी दशाओं के बावजूद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र (आईटीआर) से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया।
- यह परीक्षण मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से किया गया, ताकि कठिन मौसमी हालात में इसकी उपयोगिता की जाँच हो सके।
- इस मिसाइल ने अपनी निर्धारित दिशा पर उड़ान भरी और इसके समस्त महत्त्वपूर्ण घटकों ने सटीक काम किया है, इस प्रकार ब्रह्मोस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सभी मौसमों मंप कारगर है।
- यह परीक्षण समुद्र के समीप किया गया जहाँ 9 मीटर ऊँची लहरें थीं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रूस के एनपीओएम के सहयोग से इसका निर्माण किया है।
- भारतीय थलसेना और नौसेना ने पहले ही मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जबकि वायुसेना के लिये यह वायु लॉन्च संस्करण (air launched variant) के परीक्षण से गुजर रहा है।
- ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने आप को आधुनिक समय के जटिल युद्ध क्षेत्रों में एक प्रमुख बल गुणक (a major force multiplier) के रूप में स्थापित किया है, जिसमें बहुमूल्य लैंड-अटैक, मल्टी रोल और मल्टी-प्लेटफॉर्म क्षमताओं के साथ एंटी-शिप क्षमता हैं।

खराब मौसमी दशाओं के बीच ब्रह्मोस का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों ?

सेना के लिये सेवा जीवन विस्तार कार्यक्रम (service life extension programme) के हिस्से के रूप में अत्यधिक खराब मौसमी दशाओं के बावजूद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र (आईटीआर) से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया।
- यह परीक्षण मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से किया गया, ताकि कठिन मौसमी हालात में इसकी उपयोगिता की जाँच हो सके।
- इस मिसाइल ने अपनी निर्धारित दिशा पर उड़ान भरी और इसके समस्त महत्त्वपूर्ण घटकों ने सटीक काम किया है, इस प्रकार ब्रह्मोस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सभी मौसमों मंप कारगर है।
- यह परीक्षण समुद्र के समीप किया गया जहाँ 9 मीटर ऊँची लहरें थीं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रूस के एनपीओएम के सहयोग से इसका निर्माण किया है।
- भारतीय थलसेना और नौसेना ने पहले ही मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है, जबकि वायुसेना के लिये यह वायु लॉन्च संस्करण (air launched variant) के परीक्षण से गुजर रहा है।
- ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने आप को आधुनिक समय के जटिल युद्ध क्षेत्रों में एक प्रमुख बल गुणक (a major force multiplier) के रूप में स्थापित किया है, जिसमें बहुमूल्य लैंड-अटैक, मल्टी रोल और मल्टी-प्लेटफॉर्म क्षमताओं के साथ एंटी-शिप क्षमता हैं।

नोट :

NSCN-IM के साथ सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने एक संसदीय पैनल को सूचित किया है कि उसने "विशेष स्थिति" के साथ भारतीय राज्य संघ के भीतर समझौते पर सहमत होने के बाद नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड-आइसक-मुइवा (NSCN-IM) के साथ एक ढाँचागत समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह पहली बार है कि 3 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौते का ब्योरा प्रकट हुआ है। समझौते का यह विवरण हाल ही में राज्यसभा में संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर 213वीं रिपोर्ट का हिस्सा है।
- समिति को यह भी बताया गया है कि "रूपरेखा" को ढाँचागत समझौते में दर्शाया नहीं गया था, जो "भारत सरकार द्वारा नगा इतिहास की विशिष्टता की मान्यता के बारे में" था। समिति को यह भी बताया गया है कि नगाओं के लिये कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये।
- यह पूछे जाने पर कि विशेष व्यवस्था क्या होगी, संसदीय पैनल को बताया गया कि नगालैंड के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371A में इस बात को स्पष्ट किया किया गया है कि नगा विशेष हैं और उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ स्थानीय बदलावों के साथ एक समान प्रकार की स्थिति और पड़ोसी राज्यों में नगाओं की स्थिति में कुछ बदलावों की खोज की जा सकती है।
- रिपोर्ट के अनुसार, नगा अब सरकार के साथ एक आम तालमेल की स्थिति में पहुँच गए हैं। जैसे- "राज्यों की सीमाओं को नहीं छुआ जाएगा" और जहाँ कहीं वे हैं "उनके लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जाएगी।"
- सरकार के साथ वार्ता की व्यापक स्थिति के बारे में समिति को अवगत कराया गया है कि किसी भी राज्य की सीमाएँ न तो बदली जाएंगी और न ही बदलेंगी।
- प्रारंभ में नगाओं के रिहायशी क्षेत्रों के एकीकरण के विचार पर मामला अटक गया था क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से 'कोई एकीकरण नहीं, कोई समाधान नहीं' के अपने स्टैंड को बनाए रखा।

NSCN-IM क्या चाहता है ?

- NSCN-IM 'ग्रेटर नगालैंड' या 'नगालिम' के लिये लड़ रहा है। यह 1.2 मिलियन नगाओं को एकजुट करने के लिये पड़ोसी राज्यों असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में नगा-वर्चस्व वाले क्षेत्रों सहित नगालैंड की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी सीमाओं के साथ किसी भी फेरबदल के खिलाफ चेतावनी भी दी है।
- सरकार पिछले 20 सालों से NSCN-IM के साथ बात कर रही है। पिछले कई सालों में सरकार ने NSCN-IM के अलावा नागरिक समाज संगठनों, नगा जनजातीय निकायों और अन्य हितधारकों के ज़रिये बातचीत से किसी नतीजे पर पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।

क्या है नगा समझौता ?

- पूर्वोत्तर में स्थित नगा समुदाय और नगा संगठन ऐतिहासिक तौर पर नगा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नगालिम राज्य बनाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं।
- 'नगालिम' या ग्रेटर नगा राज्य का उद्देश्य मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों का नगालिम में विलय करना है। यह देश की पुरानी समस्याओं में से एक है।
- प्रस्तावित ग्रेटर नगालिम राज्य के गठन की मांग के अनुसार, मणिपुर की 60% ज़मीन नगालैंड में जा सकती है। मैतेई और कुकी ये दोनों समुदाय मणिपुर के इलाकों का नगालिम में विलय का विरोध करते हैं।

1997 से चल रही है बातचीत

- यह संगठन इलाके के उन कई संगठनों में शामिल है जो चीन, म्याँमार, बांग्लादेश और भूटान से लगी सीमा के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ग्रेटर नगालिम की मांग को लेकर NSCN-IM नगा होमलैंड की मांग करता रहा है जिसमें पूर्वोत्तर के कई राज्यों के इलाकों के अलावा पड़ोसी म्याँमार के कुछ इलाके भी शामिल होंगे। यह संगठन 1997 से भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

नोट :

विविध

एएमसीडीआरआर, 2018 (AMCDRR 2018)

3 से 6 जुलाई, 2018 तक मंगोलिया के उलानबाटार (Ulaanbaatar) में आपदा जोखिम में कमी लाने के संबंध में एक एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2018 (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction- AMCDRR, 2018) का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू करेंगे।

- AMCDRR 2018 की थीम: 'आपदा जोखिम की रोकथाम: सतत् विकास की सुरक्षा' (Preventing Disaster Risk: Protecting Sustainable Development) सेंडाई संरचना के सार तत्त्व को प्रदर्शित करती है। जो विकास के मार्ग में आने वाले जोखिमों पर विचार नहीं करता, वह सतत् नहीं हो सकता। इसलिये, आपदा जोखिम में कमी लाना सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने का मुख्य माध्यम है।

AMCDRR

- AMCDRR पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, आईएसडीआर-एशिया साझेदारी फोरम द्वारा समर्थित तथा प्रशांत क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय मंचों के साथ एशिया-प्रशांत क्षेत्र की क्षेत्रीय मंच संरचना का निर्माण करता है।
- द्विवार्षिक AMCDRR को वैश्विक और क्षेत्रीय आपदा चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत अंतर्देशीय नेतृत्व और समाधान के माध्यम से ऐसे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाता है जिससे लोगों के साथ-साथ क्षेत्र विशेष को भी लाभ पहुँच सके।
- इसके प्रत्येक सम्मेलन का आयोजन मेजबान देश और यूएनआईएसडीआर (United Nations Office for Disaster Risk Reduction – UNISDR) द्वारा सह-संगठित रूप से किया जाता है।
- यह आयोजन सरकारों को सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिये उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर प्रदान करता है।

37वाँ वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स भारत में

एक अन्य ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स' (Victorian and Art Deco Ensembles of Mumbai) को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स की सूची में अंकित किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय बहरीन के मनामा (Manama) में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया।

- विश्व धरोहर समिति की अनुशंसा पर इंसेबल को नया नाम 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स' दिया गया है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद यह मुबंई की तीसरी ऐसी साइट है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।
- अहमदाबाद के बाद मुंबई भारत में ऐसा दूसरा शहर बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है।
- यह इंसेम्बल दो वास्तुशिल्पीय शैलियों, 19वीं सदी की विक्टोरियन संरचनाओं के संग्रह (अर्थात् विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण के भवनों) एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों से निर्मित्त है, इसके मध्य में ओवल मैदान स्थित है।
- यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स में शामिल होने वाली यह 37वीं भारतीय साइट है। विश्व धरोहरों की संख्या के मामले में भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एशिया-पैसिफिक देश बन गया है। वहीं, वैश्विक स्तर पर इसका छठा स्थान है।
- वर्तमान में देश के 42 स्थल विश्व धरोहर की प्रायोगिक सूची में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष यूनेस्को की सूची हेतु नामांकन के लिये एक भारतीय संपत्ति की अनुशंसा की जाती है।

नोट :

यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति

- विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- यह न केवल विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होती है, बल्कि विश्व धरोहर कोष के इस्तेमाल को परिभाषित करने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र दलों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता का आवंटन भी करती है।
- वर्तमान में इस समिति के सदस्यों की संख्या 21 है।
- विश्व धरोहर कन्वेंशन के नियमानुसार, समिति के सदस्य राष्ट्र का कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन कई राष्ट्र दल स्वेच्छा से केवल चार साल के लिये ही समिति के सदस्य बने रहना स्वीकार करते हैं ताकि, दूसरे राष्ट्र दलों को भी समिति का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हो सके।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष : एस. रमेश

श्रीमती वनाजा एन. सरना के सेवानिवृत्त होने पर एस. रमेश ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs -CBIC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपनी पदोन्नति से वह पूर्व बोर्ड में सदस्य (प्रशासन) थे।

- एस. रमेश ने अपने कॅरिअर की शुरुआत मुंबई में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं उसके बाद मुंबई सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त के रूप में की।
- वर्ष 2013 से 2016 तक वह सीमा शुल्क ज़ोन (चेन्नई) के मुख्य आयुक्त रहे। इसके बाद उन्होंने प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सितंबर 2016 में वह सदस्य (आईटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) के रूप में बोर्ड में शामिल हुए।

सीबीईसी

- सीबीईसी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- सीबीईसी के अधिकारों के तहत यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स से संबंधित तस्करी और प्रशासनिक मामलों के संबंध में कार्य करता है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संग्रहण और लेवी से संबंधित नीतिगत कार्यों से संबंधित विभाग है।
- यह अपने अधीनस्थ संगठनों के लिये एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त तथा केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल है।

पानी से ईंधन बनाने का सस्ता तरीका

हाल ही में अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसंधानकर्त्ताओं ने एक ऐसे किफायती उत्प्रेरक को विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिसकी सहायता से पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है।

- पानी के अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिये अधिकतर प्रणालियों में दो उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। एक उत्प्रेरक की सहायता से हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है।
- इस नए आविष्कार के पश्चात् हाइड्रोजन को तोड़ने के लिये नए उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी, साथ ही इससे हाइड्रोजन ईंधन के निर्माण की लागत में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आएगी।
- नया उत्प्रेरक आयरन और डिनिकल फॉस्फाइड से बना है, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध निकेल फोम पर दोनों कार्य करने में सक्षम है।
- हाइड्रोजन को कई औद्योगिक उपयोगों में स्वच्छ ऊर्जा के वांछनीय स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसे कंप्रेस्ड किया जा सकता है, साथ ही तरल रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है इसलिये ऊर्जा के कुछ अन्य स्वरूपों की तुलना में इसका काफी आसानी से भंडारण किया जा सकता है

नोट :

दुनिया के पहले जानवरों ने दिया ग्लोबल वार्मिंग में योगदान (The world's first animals caused global warming, claims new study)

- एक अध्ययन के अनुसार, 500 मिलियन वर्ष से भी पूर्व पृथ्वी पर हुआ पहले जानवरों का विकास ग्लोबल वार्मिंग का कारण बना।
- शोध में पाया गया कि 520-540 मिलियन वर्ष पहले समुद्र में पशु जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसने समुद्र तल में स्थित कार्बनिक पदार्थ का विखंडन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने लगी।
- अगले 100 मिलियन वर्षों में इन प्रारंभिक जानवरों के लिये परिस्थितियाँ बहुत अधिक कठोर हो गईं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ने लगा तथा समुद्री ऑक्सीजन के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आ गई।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इस बात का ज्ञान तो पहले से था कि पृथ्वी के इतिहास में इस बिंदु पर ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई थी, लेकिन यह नहीं पता था कि इसे जानवरों द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- यह शोध नेचर कम्युनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ।

एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर (Andres Manuel Lopez Obrador)

- हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रपति पद हेतु हुए चुनावों में एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्राडोर)Andres Manuel Lopez Obrador) ने जीत हासिल की।
- इस चुनाव में ओब्राडोर के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी रिकार्डो अनाया (Ricardo Anaya) थे।
- ध्यातव्य है कि एक दिसंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले लोपेज़ देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति होंगे।
- ओब्राडोर का जन्म ताबास्को (Tabasco) राज्य में हुआ था और पूर्व में वह मेक्सिको सिटी के मेयर पद पर कार्यरत थे।
- मेक्सिको के आधुनिक इतिहास में यह पहला अवसर है, जब कोई उम्मीदवार कुल मतों के आधे से अधिक (53%) वोट पाकर देश का राष्ट्रपति बनेगा।
- जीत हासिल करने के उपरांत ओब्राडोर ने मेक्सिको के लोगों से हिंसा से निपटने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया है।

अमेज़न के सेरानिया डी चिरीबिकेटे राष्ट्रीय उद्यान (Chiribiquete National Park) का विस्तार

- हाल ही में कोलंबियन अमेज़न के मध्य स्थित सेरानिया डी चिरीबिकेटे राष्ट्रीय उद्यान(Chiribiquete National Park) का विस्तार (4.3 मिलियन हेक्टेयर तक) किया गया है।
- गौरतलब है कि इस पहल के बाद यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है।
- इसके साथ ही इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है, जो अपने उत्कृष्ट पर्यावरण, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य को दर्शाता है।
- यह पार्क हज़ारों प्रजातियों का घर है, उनमें से दर्जनों स्थानिक हैं और कई गंभीर रूप से खतरे की कगार पर हैं।
- इन स्थानिक प्रजातियों में मुख्य रूप से निम्न भूमि के टैपिर, विशाल ओटर, विशाल एंटेटर, ऊनी बंदर और जगुआर शामिल हैं।
- हेरिटेज कोलंबिया डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और इसके साझेदार 'लाइफ इनीशिएटिव' का एक हिस्सा है,जो दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों के स्थायित्व के लिये एक अभिनव वित्तीय तंत्र चलाते हैं।

नोट :

तंजावुर पेंटिंग्स (Thanjavur Paintings)

- तंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले (अंग्रेज़ी नाम तंजौर) के नाम पर नामित एक असाधारण, प्राचीन तथा लघु प्रकार की पेंटिंग है।
- इस पेंटिंग का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य नायक और मराठा साम्राज्य के संरक्षण के अंतर्गत हुआ था।
- इस पेंटिंग में सोने की कारीगरी (gold foil), लकड़ी, काँच, माइका, हाथीदाँत और पांडुलिपियों आदि का प्रयोग किया जाता है।
- पूर्व में तंजावुर कलाकारों द्वारा प्राकृतिक रंगों के मिश्रण का उपयोग करके केवल देवी-देवताओं का चित्रांकन किया जाता था, किंतु आधुनिक कलाकारों द्वारा इस पेंटिंग में काफी नवीनता और विविधता लाई गई है।
- आमतौर पर इस पेंटिंग में बाहरी रेखा के लिये गहरे भूरे रंग तथा पृष्ठभूमि के लिये लाल रंग को अनुकूल माना जाता है।
- लाल रंग की पृष्ठभूमि तंजावुर पेंटिंग का विशिष्ट चिह्न है, लेकिन कभी-कभी पृठभूमि हेतु हरे रंग का भी प्रयोग किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि तंजावुर पेंटिंग्स को भौगोलिक संकेतक भी प्राप्त है।

विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन (Vishwas Patel appointed Payments Council of India Chairman)

- विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
- पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
- विश्वास पटेल ने नवीन सूर्या का स्थान लिया है।
- इससे पूर्व विश्वास पटेल पीसीआई के सह-अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे तथा 2013 से ही परिषद से जुड़े हुए थे।
- भारतीय भुगतान परिषद का गठन वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्त्वावधान में किया गया था।

जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सिस्टम का विकास (New AI may prevent waterlogging)

- हाल ही में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के छात्रों की टीम ने एक एआई प्रणाली विकसित की है, जो जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकती है।
- इस प्रणाली के विकास से बड़े शहरों में बरसात के मौसम में होने वाली जाम की समस्या से बचा जा सकता है।
- इस प्रणाली के विकास में शोधकर्त्ताओं ने सुभेद्य क्षेत्रों में जलभराव की गंभीरता का पता लगाने के लिये वर्षा, यातायात और स्थान संबंधी आँकड़ों की सहायता ली।
- इस प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक अध्ययन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ भारत के शहरों के समान हैं।
- इस प्रणाली का उपयोग शहरों में दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंसों की तैनाती की जा सकती है। साथ ही यातायात पर त्योहारों और अवकाश दिवसों के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग ने किया 'सीविजिल' मोबाइल एप लॉन्च (Election Commission of India launches Mobile App 'cVIGIL')

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने हाल ही में निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये 'सीविजिल' एप लॉन्च किया।

- 'सीविजिल' एप यूज़र्स फ्रेंडली और एन्ड्रॉयड एप्लिकेशन संचालन में काफी आसान है।

नोट :

- यह एप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहाँ चुनाव की घोषणा की गई है।
- एप का बीटा वर्ज़न लोगों तथा चुनावकर्मियों के लिये उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
- परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी।
- चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एप का व्यावहारिक उपयोग, अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके व्यापक रूप में उपयोग के पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।
- इस एप में दुरुपयोग रोकने की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं। यह एप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।
- तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रिपोर्ट करने के लिए पाँच मिनट का समय मिलेगा।
- किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये एप पहले से रिपोर्ट किये गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। इस एप में 'सीविजिल' एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी।
- यह एप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।

वाप्कोस का 50वाँ स्थापना दिवस (WAPCOS celebrated 50th foundation day)

- हाल ही में जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (WAPCOS) का 50वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया।
- भारत सरकार ने वर्ष 1969 में वाप्कोस का गठन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किया था।
- जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तकनीकी-वाणिज्यिक संगठन है।
- वर्तमान में वाप्कोस को एक मिनिरत्न कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त है।
- वाप्कोस, भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवस्थापना क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध करवाता है ।
- हाल ही में अपनी संस्था के अंतर्नियम में संशोधन कर वाप्कोस ने विश्व में विकासात्मक परियोजनाओं हेतु प्रवर्तन सेवाओं की संकल्पना उपलब्ध करवाने के लिये स्वयं को अनुकूल बनाया है।

भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान (Bhitarkanika National Park)

भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में मानसून की शुरुआत के साथ ही बड़ी संख्या में जल पक्षियों (water birds) का आना शुरू हो गया है।

- भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा में अवस्थित है।
- इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था।
- यह राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त एश्चुरियन मगरमच्छों (estuarine crocodiles) के बड़े आवासों में से एक है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान देश में प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है। हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है।
- भीतरकणिका 'भीतर' और 'कणिका' नामक दो ओडिया शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्रमश: 'आंतरिक' और 'असाधारण रूप से सुंदर' है।
- यहाँ लगभग 55 प्रकार के मेंग्रोव पाए जाते हैं, जो मध्य एशिया और यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षियों को प्रजनन हेतु आवास प्रदान करते हैं।
- इसके अतिरिक्त यहाँ टीक, बाँस, पलास, बबूल जैसी अन्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
- यह उद्यान सफेद मगरमच्छ, किंग कोबरा, ब्लैक इब्स, फिशिंग कैट, डॉल्फिन, जंगली सूअर आदि जानवरों का निवास स्थान भी है।

नोट :

चीनी ताइपे (Chinese Taipei)

- हाल ही में एयर इंडिया द्वारा अपनी वेबसाइट पर ताइवान का नाम परिवर्तित कर चीनी ताइपे कर दिया गया। ताइवान द्वारा एयर इंडिया के इस कदम का कड़ा विरोध किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि चीन अपनी 'वन चाइना' पॉलिसी के अनुसार ताइवान को अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है।
- चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार- बार यह दोहराता रहता है कि ताइवान को चीनी ताइपे कहा जाना चाहिये।
- चीन में गृहयुद्ध (1949) की समाप्ति के बाद कुओमिन्तांग पार्टी (KMT) के सदस्यों को कम्युनिस्टों द्वारा चीन से बाहर निकाल दिया गया था। तत्पश्चात् इन्होंने ताइवान द्वीप पर शरण ली और यहाँ पर अपनी सरकार का गठन किया।

माउंट अगुंग (Mount Agung)

- हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में स्थित ज्वालामुखी माउंट अगुंग में फिर से उद्गार होने लगा है।
- यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें पिछली बार 23 जनवरी, 2018 को उद्गार हुआ था।
- ध्यातव्य है कि पिछले वर्ष सितंबर में इंडोनेशियाई प्राधिकारियों ने इसका स्टेटस लेवल तीन से बढ़ाकर लेवल चार कर दिया था, जो कि ज्वालामुखी का उच्चतम स्तर होता है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, जिससे किसी ज्वालामुखी के भविष्य में उद्गारित होने या ना होने का पता लगाया जा सके।

थम लुआंग नांग नो (Tham Luang Nang No)गुफा

- हाल ही में 'थम लुआंग नांग नो गुफा'(Tham Luang Nang No)में फँसे स्थानीय जूनियर फुटबॉल टीम की खोज और बचाव के हेतु एक अभियान काफी चर्चा में रहा।
- दोई नांग नॉन (Doi Nang Non) थाईलैंड के चियांग राय प्रांत में स्थित उच्चभूमि की एक पर्वत श्रृंखला है।
- यह पर्वत श्रृंखला चियांग राय और माई साई के बीच राजमार्ग के पश्चिमी तरफ स्थित है साथ ही म्याँमार सीमा के साथ ही पोंग फा के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में फैला हुआ है।
- यह पर्वत श्रृंखला डेन लाओ रेंज के दक्षिणी छोर पर कई झरने और गुफाओं से संलग्न एक कास्टिक संरचना है
- इसी पर्वत श्रृंखला में थम लुआंग नांग नो नामक अर्द्ध-शुष्क चूना पत्थर वाली एक गुफा स्थित है।
- थम लुआंग गुफा की संरचना एक आराम करने वाली महिला सदृश्य होने के कारण इसे "स्लीपिंग लेडी का माउंटेन" के नाम से भी जाना जाता है।

अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण

- इसरो ने श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12.6 टन की क्षमता वाले अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली(Crew Escape System)का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- यह परीक्षण 259 सेकंड में पूरा हुआ।
- परीक्षण के निष्फल होने की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को तीव्रता से परीक्षण यान से सुरक्षित दूरी पर ले जाने की एक प्रणाली है।
- प्रथम परीक्षण (पैड अपोर्ट टेस्ट) में लॉन्च पैड पर किसी भी आवश्यकता के अनुसार क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचाने का प्रदर्शन किया गया।
- इस दौरान यात्री बचाव प्रणाली ने अंतरिक्ष में ऊँची उड़ान भरी और बाद में बंगाल की खाड़ी में वृत्ताकार में घूमते हुए अपने पैराशूट्स से पृथ्वी में प्रवेश किया।
- इस यान परीक्षण के दौरान लगभग विभिन्न लक्ष्यों वाले 300 संवेदकों को रिकॉर्ड किया गया।

नोट :

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता

- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शिलांग ने में उत्तर-पूर्वी परिषद(एनईसी)की दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की।
- इस बैठक में उत्तर-पूर्वी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।

उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी)

- एनईसी की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी।
- उल्लेखनीय है कि अपनी स्थापना के बाद पहली बार एनईसी ने इस क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की।
- एनईसी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के विकास के लिये एक नोडल एजेंसी है।
- हाल ही में इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री को सौंपी गई थी।
- इससे पूर्व इसकी अध्यक्षता पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा की जाती थी।

विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018

- 17वें विश्व संस्कृत सम्मलेन का आयोजन कनाडा के वैंकूवर में किया जा रहा है।
- इसका आयोजन 9 जुलाई से 13 जुलाई 2018 तक किया जाएगा।

उद्देश्य

इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना एवं व्यवहार में लाना है।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मलेन का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया।
- इससे पूर्व '16वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन बैंकाक, थाईलैंड में किया गया था।
- विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन दुनिया भर के विभिन्न देशों में प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है और भारत में इसका आयोजन तीन बार किया जा चुका है।
- दिल्ली में संपन्न हुए वर्ष 1972 के सम्मेलन को पहला विश्व संस्कृत सम्मेलन माना जाता है।
- इस वर्ष सम्मेलन में 500 से अधिक विद्वान एवं 40 से अधिक देशों के शिष्टमंडल भाग लेंगे तथा विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर अपने ज्ञान का आदान-प्रदान करेंगे।
- इतिहास एवं वैदिक साहित्य में महिलाओं की शिक्षा, संस्कृत बौद्ध धर्म, मनुस्मृति, योगशाला से आगे मीमांशा, युक्तिदीपिका का सांख्य के लिये स्थान गढ़ना, भागवत पुराण टिप्पणीकारों को प्रस्तुत करना, गार्गी या ज्योतिष पर अनुसंधान जैसे एक दर्जन से अधिक विषयों पर एक विशेष पैनल चर्चा की जाएगी।
- पाँच दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 500 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद है।

सदमृदंगम' ('Sadmridangam') को प्राप्त हुआ पेटेंट

- पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल ने 'सदमृदंगम' को 'ड्रम' श्रेणी के तहत पेटेंट प्रदान किया है।
- दक्षिण भारतीय पर्क्यूशन उपकरण 'सदमृदंगम' का हल्का संस्करण कुज्लहलममनम रामकृष्णन (Kuzhalmannam Ramakrishnan) द्वारा विकसित किया गया था।

प्रमुख तथ्य

- पेटेंट एक वैधानिक अधिकार है, जो सरकार द्वारा सीमित अवधि के लिये आविष्कारक को उसके आविष्कार हेतु प्रदान किया जाता है ।
- पेटेंट संरक्षण एक क्षेत्रीय अधिकार है और यही कारण है कि यह इसके सीमा क्षेत्र में ही कार्य करता है।

नोट :

- पेटेंट का दावा न केवल मौलिक प्रयासों के संबंध में किया जा सकता है, बल्कि नए आविष्कारों, शोध-पत्रों(जिनका वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिये भी महत्त्व है) के संबंध में भी किया जा सकता है।
- भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम, 1970(1970 का नंबर 39)के अधीन कार्य करती है,जो पेटेंट(संशोधन)अधिनियम, 2005 और पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करता है।
- इस संसोधित उपकरण में 'मृदंगम' की सभी सुविधाएँ मौजूद हैं और यह कलाकारों के लिये अधिक गतिशीलता भी सुनिश्चित करता है।

अमेज़न के जंगलों में सात नई ततैया प्रजातियों की खोज की गई

- शोधकर्त्ताओं ने पेरू, वेनेज़ुएला और कोलंबिया से क्लिस्टोपीगा (Clistopyga) जीनस से संबंधित सात नई वाष्प प्रजातियों की खोज की है।
- उनमें से सबसे उल्लेखनीय क्लिस्टोप्यागा क्रैसिकाडाटा (Clistopyga crassicaudata) है, जिसका नाम इनमें पाए गए मोटे ओविपोजिटर (Ovipositor) के आधार पर रखा गया है।
- ओविपोज़िटर, एक ट्यूब की संरचना सदृश्य अंग है जो कई कीड़ों में मौजूद होता है।
- यह अंग अंडे देने के साथ ही जहर को इंजेक्ट करने में भी मदद करता है।
- अन्य नई प्रजातियों में सी. कलकीमा (C.Kalkima), सी.पंचाई (C.panchei) और सी. टेरोने (C.Taironae) शामिल हैं, ये नाम कोलंबो के स्वदेशी जनजाति समूह (कालिमा, पंच और टोरानास) के नाम पर रखा गया है।
- एक और प्रजाति का नाम सी. निग्रिवेन्ट्री (C.Nigriventri) रखा गया था, जो इसके बहुआयामी काले शरीर को इंगित करता है और दूसरी प्रजाति का नाम इसके बहुआयामी शारीरिक रंग के कारण सी. स्प्लेंडीडल (C.Splendidal) रखा गया है।
- सी.इसाये (C.Isayae) नाम की सातवीं प्रजाति का शरीर सफेद और भूरे रंग का है।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 50 वर्षों में पहले क्लोल्स

- ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के जंगलों में 50 वर्षों में पहली बार पूर्वी क्लोल्स पैदा हुए हैं।
- इसने मर्सपियल की प्रजातियों के पुनरुत्थान की आशा जताई है, जो लोमड़ी के कारण तबाह हो गए थे।

द ईट राइट मूवमेंट'

- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 'द ईट राइट मूवमेंट' (The Eat Right Movement) नामक कार्यक्रम का अनावरण किया।
- इस कार्यक्रम को 'स्वस्थ भोजन' और 'ईट सेफ' नामक दो व्यापक स्तंभों के आधार पर बनाया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को सही भोजन विकल्प उपलब्ध कराकर उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार हेतु सक्षम बनाना है।
- इसका लक्ष्य तीन वर्षों में 30% तक नमक/चीनी और तेल की खपत में कटौती करना था। 15 प्रमुख खाद्य विनिर्माणकर्त्ता इस कार्यक्रम में पहले ही शामिल हो चुके हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एफएसएसएआई का गठन किया था।
- जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

राजस्थान और माइक्रोसॉफ्ट के बीच डिजिटल प्रशिक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर

- राजस्थान सरकारी कॉलेजों के छात्रों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले राज्य के रूप में उभरा है।

नोट :

- इस समझौते के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट चार महीने में राज्य के 50 कॉलेजों के कुल 9,500 छात्रों और 500 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करेगा।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य युवाओं में क्षमता निर्माण और राजस्थान में डिजिटल साक्षरता के मानकों में सुधार करना है।
- माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यह कक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी(आईसीटी)के अभिनव उपयोग के लिये क्षमता निर्माण, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव शिक्षक कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा।

भारत में 60% से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील

- आरआईएसई सम्मलेन में शामिल होने वाले एक विशेषज्ञ के अनुसार, भारत में 60% से अधिक व्यक्तिगत कंप्यूटर साइबर अपराधों के प्रति संवेदनशील थे।
- तुलनात्मक रूप से जापान में केवल 9% व्यक्तिगत कंप्यूटर, 3% फोन, 25% राउटर, प्रिंटर 16% और 23% सुरक्षा कैमरे खतरे में थे।
- चीन, अमेरिका और सिंगापुर के लिये साइबर अपराधों का प्रतिशत क्रमश: 39%, 38% और 33% था।

RISE (आरआईएसई)

- वेब शिखर सम्मेलन की एक टीम द्वारा आरआईएसई नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
- 6 सालों में वेब शिखर सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन बन गया है जिसने पिछले वर्ष दुनिया भर के 170 देशों सहित 60,000 लोगों को आकर्षित किया था।
- वर्ष 2018 के RISE सम्मलेन का आयोजन हॉन्गकॉन्ग में 9 से 12 जुलाई तक होगा।

एक नोवेल परीक्षण में 80% हानिकारक मच्छरों को मिटाया गया

- ऐतिहासिक परीक्षण के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई शहर में 80% से अधिक डेंगू बुखार फैलाने वाले मच्छरों को मिटा दिया गया है।
- इस परीक्षण से वैश्विक स्तर पर खतरनाक कीटों का मुकाबला करने की उम्मीद जताई गई है।
- ऑस्ट्रेलिया के सीएसआईआरओ के शोधकर्त्ताओं ने जेम्स कुक विश्वविद्यालय (JCU) की प्रयोगशाला में विभिन्न स्थितियों में लाखों न काटने वाले नर एडीज़ इजिप्टी मच्छरों पर परीक्षण किया।
- यह परियोजना Google की मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा वित्त पोषित थी।
- उल्लेखनीय है कि एडीज़ इजिप्टी मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक कीटों में से एक है।

गूगल का लॉन्चपैड ऐक्सेलेरेटर

- गूगल ने भारत पर केंद्रित कार्यक्रम "लॉन्चपैड ऐक्सेलेरेटर" को लॉन्च किया है जो स्टार्टअप के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई)और मशीन लर्निंग(एमएल)का उपयोग करेगा।
- गूगल 8-10 स्टार्ट-अप को सूचीबद्ध करेगा जो तीन महीने के मार्गदर्शन में गूगल से एआई/एमएल, क्लाउड, एंड्रॉइड, वेब, उत्पाद रणनीति और विपणन में समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। वे गूगल क्लाउड क्रेडिट से $ 100,000 तक भी प्राप्त कर सकेंगे।

एप्लीकेशन के निर्धारित क्षेत्र:

- यह स्टार्ट-अप भारत की प्रौद्योगिकी पर आधारित होना चाहिये।
- स्टार्ट-अप प्रारंभिक रूप से वित्तपोषित होना चाहिये।
- उन्हें एक ऐसे समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिये जो देश की वास्तविक चुनौती को संबोधित करता हो और समाधानों को मज़बूती देने के लिये एआई/एमएल जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिये।
- पिछले साल गूगल ने बंगलूरू में "सॉल्व फॉर इंडिया" नामक एक पायलट परियोजना चलाने के बाद इसकी पहल की।
- गूगल ऐक्सेलेरेटर टीम में निवेशकों, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों और तकनीकी पेशेवरों का नेटवर्क शामिल है जो स्टार्ट-अप को प्रशिक्षित करेगा।

नोट :

राज्यसभा के सभी सदस्य 22 अनुसूचित भाषाओं का उपयोग कर सकते हैं

- अब मानसून सत्र से राज्यसभा में संसद सदस्य भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में बात कर सकते हैं।
- 22 अनुसूचित भाषाओं में से राज्यसभा में पहले से ही 12 भाषाओं में निर्वचन की सुविधा उपलब्ध है।
- राज्यसभा ने पाँच और भाषाओं डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी के लिये अनुवादक की सुविधा प्रदान की है।
- लोकसभा में पाँच भाषाओं बोडो, मैथिली, मणिपुरी, मराठी और नेपाली में निर्वचन की सुविधा उपलब्ध है।
- हालाँकि, सदस्यों को अनुवादक के लिये उचित समयसीमा के अंदर नोटिस देना होगा।

आनायुत्तु समारोह

- श्री वडक्कुनाथन मंदिर परिसर में लगभग 70 हाथी आनायुत्तु (हाथियों के लिये दावत) समारोह में भाग लेंगे।
- केरल के श्री वडक्कुनाथन मंदिर के उल्लेखनीय संरक्षण प्रयासों के कारण वर्ष 2015 में भारत ने यूनेस्को का 'उत्कृष्टता पुरस्कार' जीता था।
- आनायुत्तु (हाथियों को खिलाना) केरल में त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाला एक त्योहार है।
- अष्टद्रव्य महा गणपति होमम (Ashtadravya Maha Ganapathy Homam) भी मंदिर में आयोजित किया जाएगा।
- इन हाथियों को भगवान गणेश का रूप मानकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है।

श्री वडक्कुनाथन मंदिर

- यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है।
- इस मंदिर के चारों तरफ विशाल स्मारक हैं और इसमें कुट्टंबलम (रंगमंच हॉल) भी है।
- इस मंदिर में महाभारत कीविभिन्न घटनाओं पर आधारित भित्तिचित्र उपलब्ध हैं।
- इस मंदिर को प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है।

नीलगिरि ताहर

- यह गठीले बदन का एक प्राणी है जिसकी खाल के बाल छोटे और रूखे होते हैं।
- नर, मादा से बड़ा होता है और प्रौढ़ावस्था में इसका रंग और गाढ़ा हो जाता है।
- वयस्क नरों की पीठ हल्के सलेटी रंग की होती है जिसे "सैडलबैक" कहते हैं।
- यह तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरि पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला जंगली प्राणी है।
- नीलगिरि ताहर केवल का वितरण पश्चिमी घाट तक ही सीमित है और वह भी केवल केरल और तमिलनाडु राज्यों में ही सीमित है।

आईयूसीएन स्थिति: लुप्तप्राय

- वन्यजीवन(संरक्षण)अधिनियम, 1972: अनुसूची-1(इसके तहत पूर्ण इसे सुरक्षा प्राप्त है और अपराध के लिये कठोरतम जुर्माने का प्रावधान है।)
- इस अध्ययन में वर्ष 2030, 2050 और 2080 के लिये क्रमश: 61.2 प्रतिशत, 61.4 प्रतिशत और 63 प्रतिशत की अधिकतम आवास हानि की भविष्यवाणी की गई है।
- इसकी आबादी में गिरावट के प्रमुख कारणों में इनका शिकार किया जाना , पशुधन चराई और वर्षों से आवास नुकसान तथा पशु-मानव संघर्ष आदि रहे हैं।
- ऐसा पहली बार है कि नीलगिरि ताहर पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति में एक अध्ययन किया गया है।

नोट :

कारोबार सुगमता सूचकांक का तीसरा संस्करण

- विश्व बैंक तथा औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग(DIPP) द्वारा कारोबार सुगमता सूचकांक (ease of doing business) का तीसरा संस्करण-2018 ज़ारी किया गया।
- इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पाने में सफल रहा है, जबकि तेलंगाना और हरियाणा क्रमश: दूसरे एवं तीसरे तथा झारखंड चौथे जबकि गुजरात पाँचवें स्थान पर रहा।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के DIPP द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 'कारोबार सुधार कार्य योजना'(Business Reform Action Plan - BRAP) के तहत समस्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये वार्षिक सुधार सर्वे किया गया।
- इस वर्ष सुधार योजना में 2017 के मुकाबले कार्य बिंदुओं की संख्या को 285 से बढ़ाकर 372 कर दिया गया है।
- आंध्र प्रदेश को सुधार साक्ष्य में 99.73% और फीडबैक स्कोर में 86.50% अंक मिले हैं।

बेंगी डांस (a frog dance to woo the rain gods)

- ओडिशा का 'बेंगी डांस' या 'मेंढक नृत्य' वर्षा देवताओं को प्रसन्न करने के लिये आयोजित किये जाने वाला एक परंपरागत अनुष्ठान है।
- ऐसी मान्यता है कि इस अनुष्ठान के दौरान मेंढकों द्वारा उत्पन्न क्रोकिंग (टर्र टर्र) ध्वनियाँ गाँव में वर्षा की कमी के संबंध में वर्षा के देवता 'इंद्र' को सतर्क करती हैं।
- परंपरा के अनुसार, दो बड़े मेंढकों को पकड़ा जाता है उन्हें हल्दी पानी से नहलाया जाता है और उनके शरीर पर लाल रंग (सिंदूर) लगाया जाता है। तब उन्हें नए कपड़े के टुकड़े के साथ एक लंबे पोल से बांध दिया जाता है और गाँव के चारों ओर पारंपरिक ड्रम और झांझ (करताल) बजाते हुए घुमाया जाता है।
- भारतीय कृषि के लिये मॉनसूनी बारिश महत्त्वपूर्ण है जो देश में रोज़गार का एक प्रमुख स्रोत है।
- स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर वर्षा देवताओं को समर्पित अनुष्ठान प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार से किये जाते हैं।

स्वात का बुद्ध

- उत्तरी पाकिस्तान के स्वात में स्थित बुद्ध की ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई प्रतिष्ठित मूर्ति 7वीं शताब्दी की है। इसे दक्षिण एशिया में स्थित सबसे विशाल रॉक मूर्तियों में से एक माना जाता है।
- बुद्ध की यह मूर्ति स्वात की बौद्ध विरासत के केंद्र, जहाँनाबाद में अवस्थित हैं जो कि हिमालय की तलहटी में एक खूबसूरत घाटी है।
- स्वात सदियों से बौद्ध श्रद्धा का केंद्र रहा है। इसे विशेष रूप से हिमालय तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता रहा है।
- वज्रयान शाखा में इसे "पवित्र भूमि" के रूप में मान्यता है। यहीं से उनकी बुद्ध के प्रति आस्था उत्पन्न हुई थी।
- 20 वीं सदी तक वज्रयान बौद्ध इस इलाके मे आते रहे लेकिन 1947 में भारत के बँटवारे के बाद उनका यहाँ आना मुश्किल होता गया।
- स्वात घाटी में 10वीं सदी के आसपास बौद्ध धर्म खत्म हो गया। उसकी जगह हिंदू और इस्लाम धर्म ने ले ली।
- उत्तरी पाकिस्तान में ग्रेनाइट चट्टान के स्तंभ पर कमल की मुद्रा में चित्रित इस पवित्र मूर्ति को इस्लामिक विद्रोहियों द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

दुनिया का पहला रंगीन एक्स-रे

- न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा उपकरण विकसित किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य का 3D रंगीन एक्सरे लिया जा सकता है। इस इमेजिंग तकनीक से चिकित्सकीय निदान के क्षेत्र में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।

नोट :

- मेडिपिक्स (medipix) नामक यह नया उपकरण पारंपरिक श्वेत-श्याम एक्सरे तकनीक पर आधारित है, जिसमें शोधकर्त्ताओं ने कणों की निगरानी करने वाली एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया। यह विशेष तकनीक CERN द्वारा लार्ज हारड्रोन कोलाइडर (Large Hardron Collider) के लिये विकसित की गई थी, जिसने 2012 में हिग्स बोसन कण की खोज की थी।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, रंगीन एक्सरे इमेजिंग तकनीक स्पष्ट और अधिक सटीक तस्वीर मुहैया कराएगी जिससे डॉक्टर मरीजों की समस्या की सटीक पहचान कर सकेंगे।

चार सदस्यों का राज्यसभा के लिये मनोनयन

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति ने निम्नलिखित चार सदस्यों को राज्यसभा के लिये मनोनीत किया है:
- श्री राम शकल: ये विख्यात जननेता एवं उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपना जीवन दलित समुदाय के कल्याण को समर्पित किया है। ये एक किसान नेता हैं तथा तीन बार उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
- श्री राकेश सिन्हा: एक प्रतिष्ठित और विख्यात लेखक श्री राकेश सिन्हा दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन' के संस्थापक एवं मानद निदेशक हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के मोती लाल नेहरू महाविद्यालय के प्रोफेसर होने के साथ ही भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सदस्य भी हैं।
- श्री रघुनाथ महापात्र: ये पत्थर पर नक्काशी कार्य से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत हैं। ये 1959 से इसका अभ्यास कर रहे हैं और 2000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इन्होंने पारंपरिक वास्तु शिल्पों एवं प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण में योगदान दिया है।
- श्रीमती सोनल मानसिंह: ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे अग्रणी प्रतिपादकों में से एक हैं। यह छह दशकों से अधिक समय से भरतनाट्यम एवं ओडिशी का प्रदर्शन करती आ रही हैं। साथ ही एक विख्यात नृत्य निर्देशक, शिक्षक, वक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में जानी जाती हैं।

भारत दो वर्षों के लिये विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना

- भारत को जुलाई 2018 से जून 2020 तक दो वर्षों की अवधि के लिये विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
- डब्ल्यूसीओ ने अपनी सदस्यता को छह क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है।
- छह क्षेत्रों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूसीओ परिषद में क्षेत्रीय रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- उपाध्यक्ष पद ग्रहण करने के अवसर पर 16 जुलाई, 2018 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की साझीदारी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) द्वारा एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
- इस समारोह में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 33 देशों के सीमा शुल्क शिष्टमंडल, भारत में विभिन्न बंदरगाहों के सीमा शुल्क अधिकारी, साझीदार सरकारी एजेंसियाँ तथा प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- विश्व सीमा शुल्क संगठन एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी।
- 1994 में इसका नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन रख दिया गया।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया।
- 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार पश्चिम में दिल्ली से लेकर पूर्व में गाज़ीपुर तक है।

नोट :

- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाज़ीपुर से जोड़ेगा।
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक अलग लिंक के माध्यम से वाराणसी से जोड़ा जाएगा।
- एक्सप्रेसवे के साथ साथ नए उद्योग एवं संस्थान विकसित होंगे।
- यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में हिमा दास ने जीता स्वर्ण पदक

- असम की रहने वाली 18 वर्षीय हिमा दास ने फिनलैंड के टेम्पेरे में आईएएएफ विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया।
- हिमा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।
- उन्होंने 51.46 सेकेंड के कम समय में 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में जीत दर्ज की।
- उल्लेखनीय है कि 400 मीटर की इस दौड़ स्पर्द्धा में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रोमानिया की एंड्रिया मिक्लोस (52.07 सेकेंड) और अमेरिका की टेलर मैनसन (52.28 सेकेंड) रहीं।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण और रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme-MsDP) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में इसका पुनर्गठन किया है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिये छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
- पीएमजेवीके के तहत 80 प्रतिशत संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये रखा गया है।
- पीएमजेवीके के तहत करीब 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेषतौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किये गए हैं।
- इससे पहले केवल उन्हीं गाँवों के समूहों को इसके तहत लिया जाता था जहाँ कम-से-कम 50 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों की होती थी। लेकिन अब आबादी के इस मानदंड को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
- पुनर्गठित कार्यक्रम का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करना है।
- यह संशोधित योजना पिछड़ेपन के मानदंडों पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई को कम करेगी।
- MsDP को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2008-09 में लॉन्च किया गया था।
- पहचान किये गए पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास के अंतराल/घाटे को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes -CSS) के माध्यम से कम किया जा रहा है।
- अन्य योजनाएँ जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का समावेशी विकास करना है :
  - सीखो और कमाओ
  - उस्ताद
  - गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना
  - नई मंज़िल
  - नई रोशनी
  - बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप

नोट :

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2018 के दौरान (जून, 2017 की तुलना में) 5.77 % रही, जबकि मई 2018 में यह 4.43 प्रतिशत थी। दिसंबर 2013 के बाद यह सर्वोच्च थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है।

- यह वृद्धि बड़े पैमाने पर बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) लेन-देन के शुरुआती चरण में थोक बिक्री के लिये वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
- WPI बास्केट में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
- भारत में WPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में WPI की गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of Economic Advisor -OEA), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे अन्य समष्टिगत आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष के साथ इसे संरेखित करने के लिये मई 2017 में अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है।
- वित्तीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिये थोक मूल्य सूचकांक की नई परिभाषा में कर को शामिल नहीं किया गया है।
- डॉ. सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप की ओर से आधार वर्ष में बदलाव की सिफारिश की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने साल 2018 और 2019 के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान में कटौती कर दी है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने नवीनतम वर्ल्ड आउटलुक में साल 2018 के विकास दर में 0.1 प्रतिशत की कमी करते हुए इसके 7.3 प्रतिशत और साल 2019 के लिये 0.3 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- इसके बावजूद भारत दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यस्था वाले देशों में शामिल रहेगा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान में कटौती का कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और महंगाई जैसे कारकों की वजह से मौद्रिक सख्ती जैसे कदम हैं।
- IMF ने साल 2018 तथा 2019 के लिये वैश्विक विकास दर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) एक सर्वेक्षण है जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चित्रित करता है।
- IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report) भी प्रकाशित करता है।
- WEO पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

बाणसागर नहर परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्ज़ापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और साथ ही मिर्ज़ापुर में चिकित्सा महाविद्यालय तथा 100 जन औषधि केंद्रों का शिलान्यास किया।
- उन्होंने चुनार के बालुघाट में गंगा नदी पर बने एक पुल को भी राष्ट्र को समर्पित किया जो मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी के बीच संपर्क सुगम बनाएगा।
- इसकी अवधारणा लगभग चार दशक पूर्व की थी और 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था।
- यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है।

नोट :

- इसके तहत कुल नहर नेटवर्क 171 किमी लंबा है।
- मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से एडवा बैराज, मेज़ा बांध और जिरगो जलाशय के लिये इस नहर के द्वारा जल लाया जाएगा।
- इस परियोजना से मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद ज़िलों के 1 लाख 70 हज़ार किसानों को फायदा होगा।

M-777

भारतीय सेना ने हाल ही में यह घोषणा की है कि पोखरण परमाणु रेंज से जल्द ही इन तोपों का पुन: परीक्षण शुरू किया जाएगा।

- नवंबर 2016 में भारत ने अमेरिकी सरकार के साथ 145 एम777 बंदूकों के लिये विदेशी सैन्य बिक्री (Foreign Military Sales-FMS) कार्यक्रम के तहत सौदा किया था।
- इसके बाद, भारत में दो तोपें परीक्षण के लिये वितरित की गईं और फायरिंग के दौरान तोप की नली फटने के बाद पिछले वर्ष सितंबर में इसके परीक्षणों को रोक दिया गया था।
- होवित्जर 155 एमएम की अकेली ऐसी तोप है, जिसका वज़न 4200 किलो से कम है।
- इस तोप को हेलीकॉप्टर या विमान के ज़रिये भी बार्डर पर ले जा सकता है।
- इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक है।
- एम 777 होवित्जर तोपों को दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों में गिना जाता है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण और रोजगार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme-MsDP) का नाम बदलकर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में इसका पुनर्गठन किया है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के लिये छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
- पीएमजेवीके के तहत 80 प्रतिशत संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये रखा गया है।
- पीएमजेवीके के तहत करीब 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेषतौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किये गए हैं।
- इससे पहले केवल उन्हीं गाँवों के समूहों को इसके तहत लिया जाता था जहाँ कम-से-कम 50 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों की होती थी। लेकिन अब आबादी के इस मानदंड को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
- पुनर्गठित कार्यक्रम का लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करना है।
- यह संशोधित योजना पिछड़ेपन के मानदंडों पर राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई को कम करेगी।
- MsDP को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2008-09 में लॉन्च किया गया था।
- पहचान किये गए पिछड़े अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास के अंतराल/घाटे को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes -CSS) के माध्यम से कम किया जा रहा है।
- अन्य योजनाएँ जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों का समावेशी विकास करना है :
  - सीखो और कमाओ
  - उस्ताद
  - गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना
  - नई मंज़िल
  - नई रोशनी
  - बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप

नोट :

थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2018 के दौरान (जून, 2017 की तुलना में) 5.77 % रही, जबकि मई 2018 में यह 4.43 प्रतिशत थी। दिसंबर 2013 के बाद यह सर्वोच्च थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है।

- यह वृद्धि बड़े पैमाने पर बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के साथ-साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है।

थोक मूल्य सूचकांक

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) लेन-देन के शुरुआती चरण में थोक बिक्री के लिये वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
- WPI बास्केट में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
- भारत में WPI को हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में WPI की गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय (Office of Economic Advisor -OEA), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे अन्य समष्टिगत आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष के साथ इसे संरेखित करने के लिये मई 2017 में अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया है।
- वित्तीय नीति के प्रभाव को दूर करने के लिये थोक मूल्य सूचकांक की नई परिभाषा में कर को शामिल नहीं किया गया है।
- डॉ. सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप की ओर से आधार वर्ष में बदलाव की सिफारिश की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने साल 2018 और 2019 के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान में कटौती कर दी है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने नवीनतम वर्ल्ड आउटलुक में साल 2018 के विकास दर में 0.1 प्रतिशत की कमी करते हुए इसके 7.3 प्रतिशत और साल 2019 के लिये 0.3 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- इसके बावजूद भारत दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यस्था वाले देशों में शामिल रहेगा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमान में कटौती का कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और महंगाई जैसे कारकों की वजह से मौद्रिक सख्ती जैसे कदम हैं।
- IMF ने साल 2018 तथा 2019 के लिये वैश्विक विकास दर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) एक सर्वेक्षण है जिसका आयोजन तथा प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम संदर्भ में वैश्विक अर्थव्यवस्था को चित्रित करता है।
- IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report) भी प्रकाशित करता है।
- WEO पूर्वानुमान में सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, चालू खाता और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के वित्तीय संतुलन जैसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

बाणसागर नहर परियोजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्ज़ापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और साथ ही मिर्ज़ापुर में चिकित्सा महाविद्यालय तथा 100 जन औषधि केंद्रों का शिलान्यास किया।
- उन्होंने चुनार के बालुघाट में गंगा नदी पर बने एक पुल को भी राष्ट्र को समर्पित किया जो मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी के बीच संपर्क सुगम बनाएगा।
- इसकी अवधारणा लगभग चार दशक पूर्व की थी और 1978 में इसका शिलान्यास किया गया था।

नोट :

- यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है।
- इसके तहत कुल नहर नेटवर्क 171 किमी लंबा है।
- मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से एडवा बैराज, मेज़ा बांध और जिरगो जलाशय के लिये इस नहर के द्वारा जल लाया जाएगा।
- इस परियोजना से मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद ज़िलों के 1 लाख 70 हज़ार किसानों को फायदा होगा।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स-2018

- वर्ष 2018 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत ने 57 वें सबसे अभिनव राष्ट्र (Most Inovative Nation) के रूप में स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले साल इस सूची में भारत 60वें स्थान पर था।
- जीआईआई 80 संकेतकों के आधार पर 126 देशों के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत डाटा प्रदान करता है जो विश्व की आबादी का 9 0.8% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 96.3% दर्शाता है।
- वर्ष 2018 में जारी इस इंडेक्स का यह 11वाँ संस्करण है।
- इस इंडेक्स में 1 से लेकर 10 स्थानों पर क्रमश: स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, यू.के., सिंगापुर, यू.एस.ए, फिनलैंड, डेनमार्क, ज़र्मनी तथा आयरलैंड हैं।

संगीत कलानिधि पुरस्कार

- प्रमुख कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम को इस वर्ष के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- अकादमी की कार्यकारी समिति ने 15 जुलाई, 2018 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से साईराम को सम्मानित करने का फैसला लिया है।
- इसके अलावा मृदंगम कलाकार तंजावुर आर. रामदास और गायक के ओमानकुट्टी को कला आचार्य पुरस्कार तथा वीणा और नागस्वारम के शिक्षकों कल्याणी गणेश और एस.आर.जी राजन्ना को टीटीके पुरस्कारों के लिये चुना गया है।

संगीत कलानिधि पुरस्कार

- यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले कलाकारों को दिया जाता है।
- यह कर्नाटक संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।

करगिल विजय दिवस की स्मृति में 'श्वेत अश्व' मोटरसाइकिल अभियान

- वर्ष 1999 में भारतीय सेना के 'ऑपरेशन विजय' की स्मृति में 2 जुलाई, 2018 को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की विशिष्ट मोटरसाइकिल प्रदर्शन टीम 'श्वेत अश्व' को झंडा दिखाकर रवाना किया गया।
- यह मोटरसाइकिल दल देश के आठ राज्य होते हुए बंगलुरू से द्रास, जम्मू-कश्मीर तक 3250 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में पूरी करेगा और 26 जुलाई, 2018 को करगिल युद्ध स्मारक, द्रास पहुँचेगा।
- 'श्वेत अश्व' का गठन 1952 में सीएमपी केंद्र और स्कूल, फैजाबाद में किया गया था।
- अपने गठन के बाद से इस टीम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रदर्शन करता रहा है और 'श्वेत अश्व' के नाम से तीन गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किये हैं।
- इस मोटरसाइकिल अभियान का समापन करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में करगिल युद्ध स्मृति द्रास में 26 जुलाई, 2018 को होगा।
- इस अभियान का उद्देश्य भाईचारे को मज़बूत बनाना, करगिल युद्ध में शहीदों द्वारा दिये गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और युवकों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिये प्रेरित करना है।

नोट :

'कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस)' और 'खान प्रहरी'

- केंद्रीय कोयला, रेलवे, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मोबाइल एप्लीकेशन 'खान प्रहरी' और 'कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली' (सीएमएसएमएस) को लॉन्च किया।
- इन एप्स को सीआईएल की सहायक कंपनी राँची स्थित सीएमपीडीआई एवं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन और जियो-इन्फॉरमैटिक्स द्वारा विकसित किया गया है।
- सीएमएसएमएस का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, उनकी निगरानी करना और उपयुक्त कदम उठाना है।
- सीएमएसएमएस एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिये अनधिकृत खनन वाले स्थानों का पता लगाया जा सकता है।
- इस प्रणाली में जिस बुनियादी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मैप से जुड़ा है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएँ उपलब्ध कराता है।

पंगोलिन (pangolin)

ओडिशा पुलिस की एक विशेष इकाई ने कहा है कि जल्द ही दुनिया के सबसे अवैध व्यापारिक स्तनधारियों में से एक, पंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिये इंटरपोल से संपर्क किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- दुनिया भर में पाई जाने वाली पंगोलिन की आठ प्रजातियों में से (एशिया और अफ्रीका में 4) भारत में दो भारतीय पंगोलिन (manis crassicaudata) तथा दो चीनी पंगोलिन (manis pentadactyla) की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- भारतीय पंगोलिन देश में हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है, जबकि चीनी पंगोलिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर असम और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है।
- औषधीय उद्देश्यों के लिये भारी मांग के कारण पंगोलिन की सड़क और रेल के माध्यम से तस्करी की जाती है और इन्हें चीन भेज दिया जाता है।

वर्तमान स्थिति

- चीनी पंगोलिन को आईयूसीएन की लाल सूची में "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि भारतीय पंगोलिन को "लुप्तप्राय" की श्रेणी में रखा गया है।
- भारत में इन प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, इसलिये इनका शिकार, व्यापार या शरीर के किसी भी अंग या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- सभी पंगोलिन प्रजातियाँ कंजरवेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ (CITES) की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं।

सयनोथीस (cyanothece)

- यह एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम है क्योंकि इसमें एक सर्कडियन रिदम (Circadian Rtythm) होता है।
- श्वसन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान अधिकांश ऑक्सीजन को हटाने के बाद सायनोथीस दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिये ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और रात में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
- सायनोथीस से जीन अलग कर उसे एक अन्य प्रकार के साइनोबैक्टेरिया, सिनेकोसाइटिस (Synechocystis) में डालकर वैज्ञानिक इसे वायु से नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी संयोजित कर सकते हैं।

नोट :

- यह प्रकाश संश्लेषण के लिये क्लोरोफिल बनाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करके उर्वरक विकसित करने में इंजीनियरिंग संयंत्रों में मदद कर सकता है।
- ऐसा करने से मानव निर्मित उर्वरक के उपयोग को खत्म किया जा सकता है, जिसमें उच्च पर्यावरणीय लागत आती है।

डॉल्फिन की आबादी में गिरावट

- विक्रमशिला गेंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य (VGDS) में डॉल्फिन की आबादी में गिरावट आई है, यह भारत के राष्ट्रीय जलीय जीवों के लिये भारत का एकमात्र अभयारण्य है।
- गेंगेटिक डॉल्फिन ताजे पानी के चार डॉल्फ़िन में से एक है। तीन अन्य चीन में यांग्त्ज़ी नदी के डॉल्फिन, जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान में सिंधु नदी का भुलान और लैटिन अमेरिका में अमेज़ॅन नदी का बोटो डॉल्फिन के लिये विख्यात हैं।
- इनकी संख्या में गिरावट का प्रमुख कारण नदी में बड़े पैमाने पर मालवाहक जहाजों का आवागमन तथा निष्कर्षण संबंधी गतिविधियाँ हैं। गंगा के डॉल्फ़िन बड़े जहाज प्रणोदकों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण और निष्कर्षण से पीड़ित होते हैं।
- इनकी संख्या में गिरावट के अन्य कारण हैं: बढ़ता प्रदूषण, मानव हस्तक्षेप, नदी की गाद और नदी जल के प्रवाह तथा जल स्तर में कमी।

गंगा नदी डॉल्फ़िन

- सामान्य नाम : गंगा नदी डॉल्फ़िन, ब्लाइंड डॉल्फ़िन, गंगा ससु, हिहु, साइड-स्विमिंग डॉल्फिन, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन।
- वैज्ञानिक नाम : Platanista gangetica
- IUCN स्थिति : लुप्तप्राय
- यह CITES की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है।

नोट : CITES (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और पौधों के प्रतिरूप को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाना है तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकना है।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 : यह वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है और इसके तहत अपराध के लिये उच्चतम दंड निर्धारित करता है।
- विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य : यह भारत में बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। अभयारण्य सुल्तानगंज से कहलगाँव तक गंगा नदी के 50 किमी. के फैलाव में स्थित है। इसे 1991 में लुप्तप्राय गंगेटिक डॉल्फ़िन के लिये संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव

- लोकसभा के सभापति ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है।
- सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को तभी स्वीकार किया जाता है जब निम्न सदन के कम-से-कम 50 सदस्य इसका समर्थन कर दें।
- तत्पश्चात अध्यक्ष मतदान के आधार पर चर्चा के लिये एक तारीख तय करता है।
- जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो राज्यसभा के मंत्रियों सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है।
- संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

नोट :

रानी की वाव

भारतीय रिज़र्व बैंक जल्द ही बाज़ार में 100 रुपए का नया नोट जारी करने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस नए नोट की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। 100 रुपए के इस नए नोट का रंग बैंगनी होगा। इस नए नोट पर गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित बावड़ी 'रानी की वाव'का चित्रांकन भी किया गया है।

'रानी की वाव' के बारे में

- वाव सीढ़ीदार कुएँ होते हैं। सीढ़ीदार कुएँ भारतीय उप-महाद्वीप में भूमिगत जल स्रोत एवं संग्रहण प्रणालियों का विशेष तरीका रहे हैं और इन्हें 3,000 ई.पू. से बनाया जाता रहा है।
- 'रानी की वाव' भी ऐसा ही सीढ़ीदार कुआँ है जो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है।
- यूनेस्को के अनुसार, 'रानी की वाव' सीढ़ीनुमा कुओं के निर्माण में कारीगरों उत्कृष्ट क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- माना जाता है कि 'रानी की वाव' (बावड़ी) को वर्ष 1050 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामति ने बनवाया था।
- इस परिसर की तकनीक और बारीकियों तथा अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता को प्रदर्शित करते हुए इसमें मारू-गुर्जर स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है।
- यह सीढ़ीदार कुआँ उच्च स्तरीय कलाकारी से सज्जित मूर्तियों के नक्काशी युक्त फलकों सहित सात तलों में विभाजित है; इसमें नक्काशी की गई 500 से अधिक बड़ी मूर्तियाँ है और एक हज़ार से अधिक छोटी मूर्तियाँ हैं जिनमें धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष चित्रों को उकेरा गया है जो प्राय: साहित्यिक कार्यों का भी संदर्भ प्रदान करती हैं।
- इसका चौथा तल सबसे गहरा है जो 9.5 मीटर से 9.4 मीटर के एक आयताकार टैंक तक जाता है जो 23 मीटर गहरा है। यह कुआँ इस परिसर के एकदम पश्चिमी छोर पर स्थित है जिसमें 10 मीटर व्यास और 30 मीटर गहराई का शाफ्ट शामिल है।

बेहदीननखलम

- बेहदीनखलम जयंतिया आदिवासियों का सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार है।
- यह आमतौर पर जुलाई के महीने में जयंतिया पहाड़ियों के जोवई कस्बे में मनाया जाता है।
- यह त्योहार अच्छे स्वास्थ्य, संपत्ति और अच्छी फसल के लिये मनाया जाता है।
- गैर-ईसाई 'पनार' (Pnar) लोग जो 'नियाम्त्रे' (Niamtre) या हिंदू धर्म की परंपरा में विश्वास करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

- लोकसभा ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने, उनकी संपत्ति ज़ब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधानों वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक अप्रैल में राष्ट्रपति द्वारा जारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 का स्थान लेगा।
- विधेयक का उद्देश्य क़ानूनी कार्रवाई से बचने के लिये देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है।
- इस क़ानून के दायरे में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के आर्थिक अपराध आएंगे।
- आर्थिक अपराध, ऐसे अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सेबी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम और दिवाला तथा दिवालियापन संहिता के तहत परिभाषित किये गए हैं।

दिल्ली वार्ता X

- भारत ने नई दिल्ली में दिल्ली वार्ता (Delhi Dialogue-DD X) के 10वें संस्करण की मेजबानी की।
- दिल्ली वार्ता भारत और आसियान के बीच राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा करने के लिये एक प्रमुख वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम है।

नोट :

- DD- X का विषय "भारत-एशियान समुद्री सहयोग को सुदृढ़ बनाना" है।
- विकासशील देशों के लिये अनुसंधान और सूचना प्रणाली (Research and Information System for Developing Countries-RIS) के सहयोग से विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा दिल्ली वार्ता का आयोजन किया गया है।

पिच ब्लैक अभ्यास

- पिच ब्लैक अभ्यास (Excersise Pitch Black) रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना (RAAF) द्वारा आयोजित तीन सप्ताह का एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वृहद् रोज़गार अभ्यास है।
- भारतीय वायुसेना व्यायाम पिच ब्लैक 2018 (PB -18) में पहली बार भाग लेने के लिये तैयार है।
- पिच ब्लैक अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि "अभ्यास के दौरान बल का प्रशिक्षण और एकीकरण सीधे वायुसेना के संचालन की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

ढोल (Dhole) : एशियाई जंगली कुत्ता

- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वैज्ञानिकों की एक टीम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) की मुक्की रेंज में 14 ढोलों के समूह की खोज कर रही है।
- ढोल (जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग तथा रेड डॉग भी कहा जाता है), को लुप्तप्राय श्रेणी (EN) में रखा गया है।
- संरक्षित वन के कारण पश्चिमी घाटों और मध्य भारतीय जंगलों में ढोल की अपेक्षाकृत अधिक संख्या पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट, पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरी भारत, सिक्किम, लद्दाख इत्यादि में ढोल बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं।
- अधिकांश क्षेत्रों में इनकी संख्या कम हो रही है जिसका मुख्य कारण आवास हानि, शिकार का अभाव, घरेलू कुत्तों से बीमारी का संचरण और अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा है।
- ढोल के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में वैज्ञानिकों को अधिक जानकारी नहीं है इसलिये इनका संरक्षण किया जाना कठिन है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुच्छेद 275 (1) के तहत आवंटित अनुदान से स्थापित किये जा रहे हैं।
- केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुसार, वर्ष 2022 तक 50% से अधिक एसटी आबादी और कम-से-कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों के प्रत्येक ब्लॉक में एक EMRS होगा।

अनामलाई टाइगर रिज़र्व

- अनामलाई टाइगर रिज़र्व तमिलनाडु में स्थित चार बाघ अभयारण्यों में से एक है। अन्य तीन हैं मुदुमलाई, कलाकड़-मुंडंथुरई टाइगर रिज़र्व और सैथीमंगलम वन्यजीव अभयारण्य।
- यह दक्षिण-पश्चिम भारत की पश्चिमी घाट सीमा के भीतर आता है। यह क्षेत्र 25 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में नामित है।
- यहाँ पाए जाने वाले पशु और पक्षियाँ हैं- हाथी, गौर (एक प्रकार का जंगली बैल) बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, जंगली सूअर, जंगली कुत्ता, नीलगिरि लंगूर, पूँछ वाला शेर मैकाक (lion-tailed macaque), सांभर, चार सींग वाले हिरन, चीतल, ट्रोगर, पाइड हॉर्नबिल और ईगल।
- टाइगर रिज़र्व सदाबहार वन, अर्द्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और शोला वन जैसे विभिन्न आवास प्रकारों को समर्थन प्रदान करता है।
- मोंटेन घास के मैदान, सवाना और कीचड़ युक्त घास के मैदान जैसे अन्य अद्वितीय वासस्थान भी यहाँ मौजूद हैं।

नोट :

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रोसाटोम (rosatom) (रूस) और राज्य के स्वामित्व वाले परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- यह विद्युत संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ज़िले में स्थित है।
- कुडनकुलम आयातित (दाबानुकुलित जल रिएक्टर) PWR प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है।
- भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव वाले भारी जल रिएक्टर या बॉयल्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

सालिकोर्निया (salicornia)

- सालिकोर्निया एक प्रकार का पौधा है जो मैंग्रोव आर्द्रभूमि में लवणीय (salty), दलदली स्थानों पर उगता है। इसे कम सोडियम कंटेंट के साथ नमक के लिये एक विकल्प माना जाता है।
- राज्य सरकारों ने इस पौधे की खेती के माध्यम से वाणिज्यिक लाभ लेने के प्रयास तेज़ कर दिये हैं।
- भारतीय शहरों में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए इजराइल और स्कैंडिनेवियाई देशों से सालिकोर्निया का आयात किया जा रहा है।
- उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गैस्ट्रिक से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीज़ सालिकोर्निया को सलाद और नमक के रूप में पसंद करते हैं

जीडीपी डिफ्लेटर

- यह मुद्रास्फीति को मापने का एक अधिक व्यापक तरीका है क्योंकि डिफ्लेटर थोक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिये सीमित कमोडिटी बास्केट के मुकाबले अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला को शामिल करता है।
- यह उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अनुपात है जो अर्थव्यवस्था किसी विशेष वर्ष में मौजूदा कीमतों पर आधार वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों के लिये उत्पादन करती है।
- यह अनुपात आउटपुट में वृद्धि के बजाए उच्च कीमतों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की सीमा को दिखाने में मदद करता है।
- सकल घरेलू उत्पाद की कीमत को डिफ्लेटर वास्तविक जीडीपी और मामूली (nominal) जीडीपी के बीच अंतर के रूप में मापता है।
- सकल घरेलू उत्पाद मूल्य डिफ्लेटर प्राप्त करने का फार्मूला : जीडीपी मूल्य डिफ्लेटर = (मामूली सकल घरेलू उत्पाद ÷ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद) x 100
- जीडीपी डिफ्लेटर अप-टू-डेट व्यय पैटर्न को दर्शाता है।
- जीडीपी डिफ्लेटर केवल सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के साथ त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध होता है, जबकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई डेटा प्रतिमाह जारी किये जाते हैं।

भारत स्टेज-VI

हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि वीएस -VI का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों की बिक्री अप्रैल 2020 तक बंद कर दी जाएगी।

भारत स्टेज (VS) मानदंड

- वर्ष 2000 में पेश किये गए यूरोपीय नियमों (यूरो मानदंडों) के आधार पर भारत स्टेज मानदंड वायु प्रदूषण की जाँच के लिये सरकार द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण मानकों को अपनाया जाता है।
- इन मानकों ने वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजनों का उपयोग करके वायु प्रदूषण के लिये विनिर्देश तथा सीमा निर्धारित की है।
- स्टेज जितना ऊँचा होगा मानदंड उतना ही कठोर होगा।

  बीएस IV की तुलना में बीएस VI के ईंधन की गुणवत्ता क्या है?
- बीएस VI मानदंड 50 पीपीएम से लेकर 10 भाग प्रति मिलियन (10 parts per million-ppm) तक सल्फर सामग्री की कटौती करता है।

नोट :

- ईंधन में सल्फर फाइन पार्टिकल के उत्सर्जन में योगदान देता है।
- बीएस VI मानदंड ईंधन के अधूरे दहन के कारण उत्पादित उत्सर्जन में कुछ हानिकारक हाइड्रोकार्बन के स्तर को कम करता है।

क्रिंटाफेल (krintafel)

- क्रिंटाफेल (tafenoquine) ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा उत्पादित एक दवा है जो प्लास्मोडियम विवाक्स (vivax) मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिये अमेरिकी नियामकों द्वारा एक खुराक उपचार (one dose medication) के रूप में अनुमोदित की गई है।
- इस दवा की मात्र एक खुराक परजीवी प्लाज्मोडियम विवाक्स के कारण मलेरिया के पुनरावर्ती (बार-बार होने वाले) रूप का इलाज करेगा, जिससे लगभग 8.5 मिलियन लोग हर साल शिकार होते हैं।
- पिछले 60 वर्षों में यह दवा मलेरिया के उपचार में महत्त्वपूर्ण प्रगति के रूप में मानी जा रही है।
- दवा की 300 मिलीग्राम की एक खुराक पी. विवाक्स के निष्क्रिय (dorment) रूप को अवरुद्ध करती है, जो कि यकृत को प्रभावित करता है तथा संक्रमित मच्छरों के ज़रिये मनुष्यों में स्थानांतरित होता है।

वाहन और सारथी

- हाल ही में एक अंतर-मंत्रालयी कार्य बल ने वाहन और सारथी के साथ ई-वे बिल डेटाबेस को एकीकृत करने की सिफारिश की है।
- ई-वे बिल, वर्तमान में केवल ढुलाई की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य का विवरण देता है।
- जबकि यह वाहन पंजीकरण संख्या, चेसिस / इंजन संख्या, ढाँचा / ईंधन प्रकार, रंग, निर्माता और मॉडल जैसे वाहनों से संबंधित सभी विवरणों तक पहुँच की अनुमति देता है और नागरिकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है।
- वाहन को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के साथ-साथ राज्य मोटर वाहन नियमों द्वारा अनिवार्य किया गया है।
- ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित डेटा 'सारथी' नामक एक अलग एप्लीकेशन के माध्यम से संग्रहित हो जाते हैं।
- नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) को सभी राज्यों में राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में वाहन" प्रोजेक्ट के तहत देश भर में विभिन्न आरटीओ द्वारा जारी होने वाले आरसी का ब्योरा एक जगह उपलब्ध कराया गया है, जबकि, "सारथी" में ड्राइविंग लाइसेंसों से संबंधित आँकड़ों का एकीकरण किया गया है। इस ऑनलाइन ब्योरे को हैंडहेल्ड डिवाइसेस के ज़रिये यातायात पुलिस और आरटीओ अफसरों को उपलब्ध कराया जाएगा।

हॉर्न ऑफ अफ्रीका

- पूर्वोत्तर अफ्रीका के प्रायद्वीप को अफ्रीका का हॉर्न कहा जाता है या कभी-कभी सोमालिया प्रायद्वीप कहा जाता है। यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप के सामने स्थित है।
- यह हिंद महासागर से एडन की खाड़ी को अलग करने वाले अफ्रीकी महाद्वीप का सुदूरपूर्वी विस्तार है।
- इसमें मुख्य रूप से एरीट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं तथा कभी-कभी सूडान और केन्या के कुछ हिस्से भी शामिल किये जाते हैं।
- लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष, गंभीर खाद्य संकट और बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण अफ्रीका का हॉर्न कई दशकों तक वैश्विक ध्यान के केंद्र में रहा है।
- हॉर्न बंदरगाह बाब अल-मंडब स्ट्रेट के पास स्थित है जो कि लाल सागर के मुहाने पर एक महत्त्वपूर्ण चोक-बिंदु है।

वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल

- चुनाव आयोग 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिये 16 लाख वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) मशीनों की खरीद को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिये प्रयत्न कर रहा है।

नोट :

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनावों में वीवीपीएटी शुरू करने के लिये 2013 में चुनाव आयोग को निर्देशित किया था।
- वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि मतदाता द्वारा डाला गया वोट सही उम्मीदवार को मिल गया है।
- वीवीपीएटी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करके डाले गए वोट का प्रिंटआउट तैयार करता है जिसे मतदाताओं का संदेह दूर करने के लिये उन्हें दिखाया जा सकता है।
- प्रिंटआउट को एक बॉक्स में जमा किया जाता है और मतदान परिणामों के संबंध में किसी भी विवाद को हल करने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।
- वीवीपीएटी सत्यापन की एक प्रक्रिया है और यह उस समय विशेष रूप से उपयोगी होती है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाते हैं।

होर्मज़ का जलडमरूमध्य

- ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मज़ का जलडमरूमध्य ओमान की खाड़ी और अरब सागर के साथ फारस की खाड़ी को जोड़ता है।
- बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये इस संकीर्ण मार्ग पर निर्भर करते हैं।
- दुनिया का लगभग 30 प्रतिशत समुद्री व्यापारिक कच्चा तेल होर्मज़ के जलडमरूमध्य से गुज़रता है।
- जलडमरूमध्य के चारों तरफ कई सारे पहाड़ और चट्टानें हैं जो कई द्वीपों जैसे सलामाह वा बनतिहा द्वीप, मुसंदम द्वीप और पक्षी द्वीप बनाते हैं।

बंदीपुर टाइगर रिज़र्व

- बंदीपुर टाइगर रिज़र्व जिसे पहले बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2007 में अस्तित्व में आया।
- यह नाम बंदीपुर नामक गाँव से लिया गया है जहाँ टाइगर रिजर्व की प्रशासनिक इकाई है। यह कर्नाटक में स्थित है।
- तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, केरल में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बंदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिज़र्व बनाते हैं जिसे व्यापक रूप से 'नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व' के नाम से जाना जाता है।
- प्रमुख नदियाँ : मोयर नदी, नूलपुजा / नुगु होल, कबीनी।

नीलगिरि माउंटेन रेलवे

- यह भारत के पाँच पहाड़ी रेलवे में से एक है। इसके अलावा अन्य चार में दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे (पश्चिम बंगाल), कालका-शिमला हिल रेलवे (हिमाचल प्रदेश), कंगड़ा घाटी रेलवे (हिमाचल प्रदेश) और माथेरान लाइट रेलवे (महाराष्ट्र) शामिल हैं।
- भारत के माउंटेन रेलवे को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है।
- पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिये दक्षिणी रेलवे का यह कोच (एनएमआर -87) 25 वर्ष पुराना है जिसे विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ नवीनीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- हाल ही में KVIC ने राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) अधिनियम में "खादी" को वर्ड मार्क और "खादी इंडिया" को ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है।
- इसने यूरोपीय संघ और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के तहत एक व्यापार चिह्न के रूप में "खादी" को पंजीकृत करने के लिये ऑनलाइन आवेदन भी किया है।

नोट :

- KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- इसका उद्देश्य रोज़गार प्रदान करना, बिक्री योग्य वस्तुएँ तैयार करना और मज़बूत तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का निर्माण करना है।
- आम आदमी की भाषा में ट्रेडमार्क (जिसे ब्रांड नाम के रूप में जाना जाता है) एक दृश्य प्रतीक है जो वस्तुओं या सेवाओं या किसी अन्य उपक्रम द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं या सेवाओं को अलग करने के लिये उपयोग किये जाने वाले रंगों का संयोजन है और यह एक हस्ताक्षर, नाम, उपकरण, लेबल, अंक के रूप में हो सकता है।
- वर्ड मार्क (शब्द चिह्न) एक प्रकार का व्यापार चिह्न है जो वर्ड लेटर (word letter) या अंक (numeral) के रूप में हो सकता है। वर्ड मार्क प्रोपराईटर को केवल वर्ड, अक्षर या संख्यात्मक रूप में इसके प्रयोग का अधिकार देता है। मार्क के निरूपण के संबंध में किसी अधिकार की मांग नहीं की जा सकती है।

कोबोटेज लॉ (Cobotage Law)

- सरकार ने गुजरात से तमिलनाडु तक कपास के आवागमन के लिये कोबोटेज नियम में ढील दी है।
- कोबोटेज समुद्री कानून का एक शब्द है। यह एक देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर व्यापार के उद्देश्य से जहाज़ (vessel) के पारगमन को संदर्भित करता है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) का उद्देश्य चयनित अनुसूचित जाति बहुलता वाले गाँवों का समग्र विकास करना है।
- इस योजना का उद्देश्य उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के साथ यह सुनिश्चित करना है कि आम सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता को समाप्त किया जाए और इन संकेतकों को कम-से-कम राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाया जाए।
- प्रत्येक गाँव के लिये तैयार की गई ग्राम विकास योजना (VDP) में सूचीबद्ध लक्ष्यों की उपलब्धि के संदर्भ में इस योजना के प्रदर्शन की निगरानी की जा रही है।
- इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) को चिह्नित किया गया है।

आदर्श गाँव के रूप में घोषित होने के लिये मानदंड

इस योजना के अनुसार, एक गाँव को आदर्श गाँव के रूप में घोषित किये जाने हेतु नीचे सूचीबद्ध लक्ष्यों में से कम-से-कम तीन लक्ष्यों को पीएमएजीवाई के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष के अंत तक हासिल किया जाना चाहिये।

- जहाँ तक संभव हो गरीबी उन्मूलन किया जाना, लेकिन तीन वर्षों के भीतर गरीबी में कम-से-कम 50% की कमी।
- सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता।
- प्राथमिक चरण (I-VIII) में बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और उसे बनाए रखना।
- गाँव द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग के निर्मल ग्राम पुरस्कार मानदंडों को पूरा किया जाना। यानी, इन गाँवों को 100% खुले में शौच से मुक्त होना चाहिये।
- सतत् रूप से सभी ग्रामीणों की सुरक्षित पेयजल सुविधा तक पहुँच हो।
- गर्भवती महिलाओं के लिये 100% संस्थागत प्रसव सुविधा उपलब्ध हो।
- बच्चों का पूर्ण टीकाकरण।
- गाँव के लिये सभी मौसम में सड़क कनेक्टिविटी की उपलब्धता।
- गाँव में मृत्यु और जन्म का 100% पंजीकरण।

नोट :

- गाँव में कोई बाल विवाह और बाल श्रम न हो।
- गाँव में शराब और अन्य नशीले पदार्थों का कोई सार्वजनिक उपभोग न हो।
- सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीए) के तहत 100% आवास आवंटन हो।

रमन मैगसेसे पुरस्कार, 2018

हाल ही में 2018 के रमन मैगसेसे पुरस्कारों के लिये दो भारतीयों को चुना गया है।

- सोनम वांगचुक (लद्दाख के एक शिक्षा सुधारक) और भरत वाटवानी (एक मनोचिकित्सक जो मुंबई में सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये काम करते हैं) पुरस्कार के छह विजेताओं में शामिल हैं।
- अन्य विजेताओं में कंबोडिया के यूक छांग, पूर्वी तिमोर के मारिया डी लॉर्डेस मार्टिन्स क्रूज़, फिलीपींस के हॉवर्ड डी और वियतनाम के वो थिय होआंग येन शामिल हैं।

नोट

- एशिया का प्रमुख तथा सर्वोच्च सम्मान 'रमन मैगसेसे पुरस्कार' एशिया में परिवर्तनशील नेतृत्व की महानता को दर्शाता है।
- रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन के ट्रस्टी इस वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं का चयन करते हैं।
- फिलीपिंस सरकार ने वहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया ताकि उनकी आम जनता के प्रति सेवा भावना, लोकतांत्रिक समाज में व्यावहारिक आदर्शवादिता एवं उच्च चारित्रिक मूल्यों की याद को ताज़ा रखा जा सके।

तनावग्रस्त विद्युत् आस्तियाँ

विद्युत मंत्रालय ने इस क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिये दो योजनाओं का सुझाव दिया है:

परिवर्तन योजना

- इसे एक एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी) के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो "पुनरुद्धार" के लिये तनावग्रस्त संपत्तियों को धारित करेगी, जिसके तहत ऐसी संपत्तियों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिये उन पर सुधारात्मक कार्रवाई लागू करेगी।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नेतृत्व में प्रस्ताव यह है कि संयुक्त रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वामित्व और वित्तपोषित एक परिसंपत्ति प्रबंधन और पुनर्वास कंपनी द्वारा लगभग 25,000 मेगावाट की तनावग्रस्त क्षमता को लिया जा सकता है।
- परिसंपत्ति को ऋणदाता की बही में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में सूचीबद्ध किया जाना जारी रहेगा और इसे एक पेशेवर संचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- परिवर्तन योजना को लागू करने हेतु आरबीआई को एआरसी के लिये अपने नियमों में संशोधन करना होगा।

समाधान योजना

- समाधान (Scheme of Asset Management and Debt Change Structure-SAMADHAN) योजना के तहत एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकरों के समूह ने 12 गीगावाट से अधिक क्षमता वाले 11 विद्युत संयंत्रों का चयन किया है, जो या तो पूर्ण हो चुके हैं या पूर्ण होने के करीब हैं।
- बैंक अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर देंगे और तब उसके 51 प्रतिशत तक की नीलामी करेंगे।

टर्निटिन सॉफ्टवेयर

- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शोध में साहित्य चोरी का पता लगाने के लिये टर्निटिन सॉफ्टवेयर, सभी विश्वविद्यालयों को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।
- जल्द ही यूजीसी की वेबसाइट पर टर्निटिन जैसा सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। यह देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिये उपलब्ध होगा।

नोट :